लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

८

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

तेहरवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

खंड 48 म अंक 1 से 10 तक हैं।

Vol. XLVIII contains Nos. 1 to 10

Preservation Unit
Fumigated 28-8-9
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

न्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6— सोमवार, 24 फरवरी 1975/5 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 6— Monday, February 24, 1975/Phalguna 5, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सबन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
*S. Q. Nos.

84 तीस्ता को गंगा से मिलाने के बारे में भारत बंगलादेश वार्ता	Indo-Bangladesh talk on linking of Teesta with Ganga	1–2
85 गुजरात के लिये अधिक खाद्यान्नों की मांग	Demand for more foodgrains for Gujarat	2–3
86 कृषि वैज्ञानिकों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा	Compulsory Service by Agricultural Scientists in Backward Areas	4–6
87 मध्यप्रदेश में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Madhya Pradesh . . .	7–8
89 सूखाग्रस्त तमिल नाडु के लिये केन्द्रीय दल	Central Team for Drought Hit Tamil Nadu . . .	9–11
90 चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry.	11–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

81 हरियाणा में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी	Short fall in Production of Foodgrains in Haryana .	15
82 कृषि कार्यों में विद्यार्थियों को सम्मिलित करना	Involvement of Students in Agricultural Operations .	15–16
83 अकार्बनिक खाद	Inorganic Manures . .	17
88 ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Housing Schemes in Rural Areas	17–18
91 वर्ष 1974-75 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि	Loss Suffered by FCI during 1974-75	18
92 वनस्पति घी से नियन्त्रण हटा लिये जाने के पश्चात् उत्पादन और सप्लाई	Production and Supply of Vanaspati after Decontrol .	18–19

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—3 L.S.S.(ND)75

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ PAGES
93	अत्यावश्यक वस्तुओं की स्थायी वितरण पद्धति की योजना / Plan for Permanent Distribution system of Essential Commodities	19–20
94	नगरीयकरण के बारे में राष्ट्रीय नीति / National Policy Regarding Urbanisation	20
95	दिल्ली के आस-पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत विकास / Development under the National Capital Regions Plan Around Delhi	20–21
96	बेकार पड़े हुए ट्रेक्टर / Tractors Lying Idle	21
97	उर्वरको की उपलब्धि में कमी और उनका नकदी फसलों में प्रयोग / Shortfall in Availability of Fertilizers and their Diversion to Cash Crops	22
98	विजिंजम मत्स्य ग्रहण पत्तन, केरल सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन / Project Report on Vizhinjam Fishing Harbour, Kerala	22–23
99	मिदनापुर पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय की स्थापना / Establishment of University at Midnapore, West Bengal	23
100	तमिलनाडु से चावल के लिये अनुरोध / Request from Tamil Nadu for rice	23–24

अता० प्र० संख्या U S. Q. Nos.		
801	मद्य निषेध का लागू किया जाना / Enforcement of Prohibition	24
802	वर्ष 1975 में उर्वरक की आवश्यकता / Requirement of fertiliser during 1975	24–25
803	केरल में खारे पानी के कारण धान की खती को हानि / Loss of Paddy Cultivation due to salt water in Kerala	25
804	प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी परियोजनाओं को स्वीकृति / Sanction for Projects on Exploitation of National Resources	25
805	गवर्नमेंट माडर्न हायर सैकेन्डरी स्कूल, लूडलो कैसल, दिल्ली की व्यायामशाला की छत का गिरना / Collapse of Roof of Gymnasium of Government Modern Higher Secondary School, Ludlow Castle, Delhi	26
806	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न के रख रखाव और उसकी ढुलाई पर किया गया खर्च / Expenditure incurred on Storage and Transportation by FCI	26
807	पश्चिम बंगाल में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता / Central Aid to Drought Affected Areas in West Bengal	26–27
808	विभिन्न तरीके से खांडसरी चीनी का उत्पादन करने वाले एकक / Units producing Khandsari Sugar by different Processes	27
809	हीरा-कुन्ड बांध में दरार / Crack in Hira Kud Dam	27–28
810	पहाड़ी क्षेत्रों में बारोनी कृषि के लिए प्रोत्साहन की योजना / Scheme for incentive to dryland Agriculture in Hilly Areas	28–29
811	नदी जल विवाद / River Water Disputes	29

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
812	जैसलमेर में "पटवों की हवेली" की मरम्मत	Repairing of "Patwon Ki Haveli" in Jaisalmer	29
813	बनकला और दस्तकारी का संग्रहालय	Museum of Desert Arts and Crafts	29
814	पुरातत्व विभाग में निलम्बित पड़े पेंशन के मामले	Pension cases pending in Department of Archaeology	30
815	महावीर निर्वाण शताब्दी कार्यक्रम	Mahavir Nirvan Centenary Programme	30–31
816	बिहार में लघु कृषक विकास एजेंसी द्वारा पम्पों की खरीद के लिए दिये ग ऋणों के सम्बन्ध में घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Enquiry into bungling in Loans for Purchase of Pumps by Small Farmers Development Agency in Bihar	31
818	युरोपीय आर्थिक समुदाय से खाद्य सहायता	Food Assistance from European Economic Community	31
819	राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् की स्थापना	Setting up of National Food Advisory Council	32
820	तमिलनाडु में भुखमरी से हुई मौतें	Starvation Deaths in Tamil Nadu	32
821	खुले बाजार में बिक्री हेतु चीनी के कोट में वृद्धि	Increase in Quota of Free-Sale Sugar	32–33
822	ऐतिहासिक दस्तावेजों का नष्ट किया जाना	Destruction of Historical Documents	33–34
823	सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता	World Banks Assistance for Irrigation Projects	34–35
824	नगरीय कला आयोग द्वारा भवनों के डिजायनों को स्वीकृति न देना	Disapproval of designs of Buildings by Urban Arts Commission	35
825	स्टट फार्म कारपोरेशन के फार्मों का कार्य-निष्पादन और उनमें दी जाने वाली मजूरी	Performance and Wages paid in Farms of State Farms Corporation	35–37
826	जनवरी, 1974 से जनवरी 1975 तक राज्यों द्वारा मांगे गये, उन्हें आबंटित किये गये तथा सप्लाई किये गये खाद्यान्न की मात्रा	Foodgrains demanded by allocated and supplied to States from January, 1974 to January, 1975	37
827	काबिनी और हेमावती जलाशयों के जल उपयोग के बारे में विवाद	Dispute over use of Water from Kabini and Hemavathi Reservoirs	37–38
828	तमिलनाडु के चीनी कारखानों में गन्ने की कीमतों की क्रियान्विति	Implementation of Sugarcane Price by Sugar Factories in Tamil Nadu	38–39
829	उड़ीसा में खाद्यान्न का अभाव	Food Shortage in Orissa	39
830	राजस्थान के गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	Provision for Clean Drinking Water in Rajasthan Villages	39

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
831	राज्य की वसूली एजेंसियों को अपना उत्पादन देने हेतु हरियाणा के किसानों को बोनस	Bonus to Haryana Farmers for contributing their produce to State Procuring Agencies	40
832	सूर्य-ऊर्जा से खाद्य उत्पादन	Food production through Solar Energy	40
833	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दूसरी श्रेणी के सहायक इंजीनियर	Assistant Engineers, Class II in CPWD. . . .	40–41
834	आयातित गायों के विभिन्न स्थानों पर अविवेकपूर्ण वितरण द्वारा दुध का उत्पादन	Milk Production through Indiscriminate introduction of Imported Cows . . .	41–42
835	उंजित दर की दुकानों से खाद्यान्नों की सप्लाई बंद करने का प्रस्ताव	Proposal to stop supply of foodgrains through Ration Shops	42
836	पब्लिक स्कूल	Public Schools . . .	42–43
837	आयात किये गये खाद्यान्नों के मूल्य और मात्रा	Value and Quantity of Foodgrains imported . . .	43
838	खाद्यान्न की वसूली का तरीका और व्यवस्था	Methods and Mechanism of Procurement of Foodgrains .	44–45
839	विदेशों में रहने वाले भारतीयों को दिल्ली में भमि का आबंटन	Allotment of Land in Delhi to Indians Abroad . .	45
840	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains . .	45–46
841	अध्यापकों के वतन के बारे में कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Kothari Commission regarding Salaries of Teachers .	46
842	सूखे मौसम में प्रयोग करने के लिये मौनसून के अतिरिक्त जल को जमा करना	Storing of Excess Monsoon Water for use in dry season	46–47
843	दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधयेक	Delhi Rent Control (Amendment) Bill . . .	47
844	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के सहायक इंजीनियरों की वरीयता	Seniority of Assistant Engineers Class II in C.P.W.D. .	47–48
845	गेहूं और चावल की वसूली तथा वितरण को अपने अधिकार में लेना	Take over of procurement and Distribution of wheat and rice	48
847	चावल की सप्लाई करने के लिए आंध्र प्रदेश और पंजाब को तमिलनाडु का अनुरोध	Request from Tamil Nadu to Andhra Pradesh and Punjab for Supply of Rice . .	48–49
848	सिचाई परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Irrigation Projects . . .	49
849	बफर स्टाक के लिए अनाज का आयात और वसूली	Procurement and import of foodgrains for buffer stock . .	49–50

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
850	अन्वेषी नलकूप बहराइच, उत्तर प्रदेश	Exploratory Tube Wells in Bahraich U.P.	50
851	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	50–51
852	आसाम में खाद्यान्न का अभाव	Foodgrain shortage in Assam	51
853	खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के कोटे में वृद्धि का सरकारी वितरण व्यवस्था पर प्रभाव	Effect of increase in free sale quota of sugar on public distribution system	51–52
854	राज्यों को वर्ष 1974 और जनवरी, 1975 में खाद्यान्न, उर्वरकों और चीनी का आबंटन	Allocation of Food grains Fertiliser's and Sugar to States in 1974 and January, 1975	52
855	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of Executive Engineers Class I in C.P.W.D.	52–53
856	छात्र असंतोष पर समिति	Committee on student unrest	53
857	राष्ट्रीय कृषि आयोग	National Commission on Agricultural	53–54
858	खरीफ की फसल का उत्पादन लक्ष्य	Target for kharif production	54–55
859	दिल्ली में परिक्षाओं की नयी पद्धति	New system of examinations in Deihi	55
861	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के लिये संसदीय फोरम के कार्यालय हेतु क्वार्टरोंका आवंटन	Allotement of quarters for office of the Parliamentary Forum for S.C. and S.T.	56
862	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा 'धीमे कार्य करो' कार्यवाही	"Go-slow action" of Delhi University staff	56
863	बंदरगाहों पर आयातित उर्वरकों को चढ़ाने तथा उतारने के लिए यान्त्रिकी व्यवस्था	Mechanical loading and unloading of imported fertiliser at Ports	56–57
864	गीर वन्य जन्तु संरक्षण स्थल का अतिक्रमण	Encroachment of Gir Sanctuary	57
865	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में स्नातक से निम्नस्तर के उम्मीदवारों के दाखिले पर रोक	Freezing of admission at undergraduate level in Indian Institutes of Technology	57–58
866	केरल में आदिवासियों को बेकार/परती भूमि का वितरण	Distribution of Waste/Fallow Land to Tribals in Kerala	58
867	बिहार में गंडक परियोजना	Gandak Project in Bihar	58–59
868	उडीसा द्वारा खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains by Orissa	59
869	गेहूं, चावल तथा गन्ने की फसल के लिये बीज, उर्वरक तथा सिंचाई और श्रम की लागत	Cost of Seeds, Fertiliser, Irrigation and labour in respect of Wheat, Rice and Sugarcane	59–60

अतां० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject.	पृष्ठ Pages
870	दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों को राशन की दुकान आबंटित करना	Allotment of Ration Shops to Ex-military Personnel in Delhi	60
871	त्रिपुरा की झुमिया बेल्ट में अकाल की स्थिति और इसके लिये केन्द्रीय सहायता	Famine conditions in Jhumia belt of Tripura and Central aid therefor . . .	60–61
872	कालेजों/विश्वविद्यालय अध्यापकों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for implementation of UGC Pay Scales for Colleges/University Teachers . . .	61
873	नगरीय सम्पत्ति अधिकतम सीमा विधेयक	Urban Property Ceiling Bill .	61
874	गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा दिये गये ऋण के उपयोग के बारे में जांच	Enquiry into the utilisation of credit given by Gujarat State Land Development Bank .	61–62
875	अन्तर्राज्यीय नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करना	Declaration of Inter-State Rivers as National Assets . .	62
876	भू-राजस्व को वस्तु के रूप में एकत्र करने सम्बन्धी आचार्य विनोबा भावे का सुझाव	Suggestion by Acharya Vinoba Bhave for Collection of Land Revenue in kind . .	62
877	'प्रोजेक्ट टाईगर' कार्यक्रम का मूल्यांकन	Assessment of 'Project Tiger' Programme . . .	62–63
878	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में वनस्पति की आवश्यकता और उसका उत्पादन	Requirement and Production of Vanaspati in West Bengal and North Eastern States	63–64
879	वर्ष 1974 के दौरान राज्यों की चीनी की मांग तथा उन्हें इसका नियतन	Requirement and Allotment of Sugar to States during 1974	64
880	उर्वरक के निर्गम के लिए परमिट-व्यवस्था के बारे में केन्द्रीय अनुदेश	Central Directive on Permit System for Issue of Fertiliser	65
881	गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में गेहूं, चना और चावल का उत्पादन	Production of Wheat, Gram and Rice during last three years in States . . .	65–66
882	भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से खाद्यान्न की वसूली	Foodgrains Procured from Farmers by F.C.I. . . .	66
883	भूदान आन्दोलन के रजत-जयन्ती वर्ष के दौरान वितरित भूमि	Distribution of Land during Silver Jubilee Year of Bhoodan Movement . . .	67
884	महिला कल्याण गतिविधियों के समन्वय के लिये सैल की स्थापना	Setting up of Cell to Coordinate Women Welfare Activities .	67–68
885	वनस्पति घी की उत्पादन क्षमता और उस का वास्तविक उत्पादन	Production Capacity and Actual Production of Vanaspati	68
886	फोसफेटिक उर्वरक की मांग	Demand for Phosphatic fertilisers	68–69

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
887	आसाम में वनस्पति फैक्टरी के लिये लाइसैंस	Licence for Vanaspati Factory in Assam	69
888	भारतीय खाद्य निगम की पंजाब शाखा के विरुद्ध जांच	Enquiry against FCI branch of Punjab	69–70
889	उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की गन्ने के मूल्य बढ़ाने की मांग	Demand by Cane Growers in U.P. to raise cane price	70
890	गुजरात में सहकारी दुग्ध डेरियां	Cooperative Milk Dairies in Gujarat	70–71
891	कमी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्यों को राशि का अग्रिम रूप से दिया जाना	Release of Funds in Advance to States for scarcity conditions	71–72
892	मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त अनाज	Additional Foodgrains for Madhya Pradesh	72
893	मध्य प्रदेश सरकार के पुनर्विचाराधीन सिचाई परियोजना	Reconsideration of Irrigation Project of Madhya Pradesh Government	72–73
894	ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 'टेस्ट रिलीफ' कार्य	'Test relief' work in Chhattisgarh Region, M.P. under crash programme for rural employment	73
895	12 वर्षीय विद्यालय पद्धति के अन्तर्गत संस्कृत की पढ़ाई	Teaching of Sanskrit in Twelve-Year School Pattern	73–74
896	रिहायशी मकानों का बिना पारी के आबंटन	Out turn allotment of residential accommodation	74
897	गुजरात राज्य में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों को तदर्थ पशन	Ad hoc pension to retiring teachers in Gujarat	75
898	गुजरात के जामनगर तथा राजकोट जिलों में पेय जल की अत्यधिक कमी	Acute shortage of drinking water in Jamnagar and Rajkot districts of Gujarat	75
899	गुजरात राज्य में पेय जल की कमी	Shortage of drinking water in Gujarat	75
900	केरल राज्य सरकार को राहत के रूप में दी गई राशि	Amount of relief granted to state Government of Kerala	75–77
901	कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to C.M.D.A.	77–78
902	उचित मूल्य की दुकानों के लाइसैंस रद्द किया जाना	Cancellation of Licences of Fair Price shops	78
903	विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमंडलों का दौरा	Visits of Foreign Cultural Delegations	78–79
904	शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Change in Education System	79–80
905	हुगली और हावड़ा के बीच लोअर दामोदर नहर का पुनर्निर्माण	Reconstruction of Lower Damodar Canal between Hooghly and Howrah	80

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
906	गुजरात में उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी जॉन समिति	John Committee on Higher Education in Gujarat	81
907	गुजरात में राहत कार्यों के लिये नियुक्त श्रमिकों को दी गई दैनिक मजूरी	Daily Wages Paid to Labours in Gujarat, Employed on relief Works	81
909	मुरैना जिले की सहकारी चीनी मिल, कैलारस द्वारा खरीदा गया गन्ना और उससे बनाई गई चीनी	Sugarcane Purchased and Sugar Produced by Cooperatives Sugar Mill, Kailaras District Morena	81–82
910	मध्यप्रदेश में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना	Crash Programme for rural employment in Madhya Pradesh	82
911	देश में खाद्य स्थिति	Food Position in the Country	82–83
912	वनस्पति की मांग तथा उसका उत्पादन	Demand and Production of Vanaspati	83–84
913	खाद्यान्नों, अनाज तथा दालों का उत्पादन वसूली, उनका निर्गम और स्टाक	Production Procurement Release and Stock of Foodgrains Cereals and Pulses	85–86
914	कृष्णा नदी जल विवाद तथा न्यायाधिकरण	Krishna River Water Dispute Tribunal	86
915	सम्भावित रबी फसल और वसूली अभियान	Expected Rabi Crop and Procurement Drive	87
916	नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वीमेन की परियोजना	Project of National Federation of Indian Women	87
917	जुलाई-दिसम्बर, 1974 के दौरान खाद्यान्न का आयात	Import of Food grains during July December, 1974	88
918	गेहूं का आयात करने के लिये अमरीका के साथ करार	Agreement with U.S.A. for Import of Wheat.	88–89
919	विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान का आधार	Criteria for Financial Grants to Universities	89
921	पोखरा बांध	Pokhara Dam	89–90
922	नगर और देहात योजना के बारे में व्यापक विधान	Comprehensive Legislation on Town and Country Planning	90
923	दिल्ली दुग्ध योजना के दुध तथा दूध के उत्पादों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of D.M.S. Milk and Milk Products	90
924	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, तथा ललित कला अकादमी के पास पड़ी अनबिकी पुस्तकें	Unsold Books Lying with CHD, NBI, Sahitya Akademi and Lalit Kala Akademi	91
925	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों को मकानों के लिए राजसहायता	Subsidised Houses to economically weaker sections	91
926	भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग	Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission	92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
927	गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए नया सूत्र	New Formula for fixing sugar-cane Price . . .	92
928	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के उत्पादन और वितरण की योजना	Scheme for production and distribution of seeds by National Seeds Corporation . .	92–93
929	समाज के दलित वर्गों के लिए उच्चतर शिक्षा	Higher Education for under Privileged Sections of Society .	93–94
930	दुग्ध परियोजना "आपरेशन फ्लड" के लिए विदेशी सहायता	Foreign Assistance for 'operation flood' milk project . .	94–95
931	दुग्ध उत्पादन के सम्बन्ध में प्रगति	Break-Through in milk production	95
932	नीन्दाकारा मत्स्य-ग्रहण, पत्तन केरल का विकास	Development of Neenda Kara Fishing Harbour, Kerala .	96
933	वनस्पति तेल के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Vanaspati Prices	96–97
934	श्यामलाल कालेज, दिल्ली	Shyamlal College, Delhi .	97
935	उत्तर प्रदेश के कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करना	Opening of Post Graduate Classes in Colleges in U.P. .	97–98
936	चीनी के लेवी मूल्य में वृद्धि	Increase in levy price of sugar	98
937	निर्माण कार्यों में सीमेंट और इस्पात की खपत	Consumption of Cement and Steel in construction . . .	98–99
938	विज्ञान भवन और मावलंकर आडिटोरियम के रख-रखाव पर होने वाला व्यय	Expenditure on maintenance of Vigyan Bhawan and Mavalankar Auditorium . . .	99–100
939	दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी निवासी	Hutment dwellers in Delhi .	100
940	पी० एफ० ए० अधिनियम के अन्तर्गत एफ० पी० ओ० लाइसेंसधारियों पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of FPO licence Pholders under P.F.A. Act.	100
941	भारतीय खाद्य नियम के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by F.C.I. employees	101
942	शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी भारत-अमरीका उप-आयोग	Indo-US Sub-commission on Education and Culture .	101
943	खेती योग्य भूमि का सुधार	Reclamation of cultivable land	102–103
944	दिल्ली में नये राशन कार्डों को जारी करने के पूर्व घर-घर जाकर जांच पड़ताल करना	Door to Door checking before issue of New Ration Cards in Delhi . . .	104
945	दिल्ली में जनवरी, 1975 के दौरान उचित दर की दुकानों के लिए रद्द तथा निलंबित किये गये लाइसेंस	Licences of Fair Price Shops Cancelled or Suspended during January, 1975 in Delhi	104
946	भेड़ प्रजनन फार्मों की क्षमता	Capacity of sheep Breeding Farms	104

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
947	जनता को सप्लाई करने से पूर्व गेहूं उत्पादों के निरीक्षण के लिए एजेन्सी	Agency for Inspection of Wheat Products before supply to Public . . .	105
948	माल्पे, कर्नाटक में मत्स्य बन्दरगाह के लिए स्वीकृति	Sanction for Fishing Harbour at Malpe, Karnataka .	105
949	केन्द्रीय पूल में धान और चावल का योगदान और कर्नाटक द्वारा की गई मांग	Paddy and Rice contribution to Central Pool and Demand made by Karnataka .	105–106
950	गेहूं की भूसी का नियंत्रित मूल्य और धान का लेवी मूल्य	Control Price of Wheat Bran and Levy Price of Paddy .	106
951	नटराज की मूर्ति	Nataraja Idol .	106
952	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेवा-निवृत्ति प्राप्त अध्यापकों को लाभ दिया जाना	Award of Benefit to retired teachers by U.G.C. .	107
953	भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों का विविधिकरण	Diversification of FCI activities	107
954	दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों का क्रियान्वित न किया जाना	Non-implementation of U.G.C. grades in Delhi . . .	107–108
955	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण ऋण	House building loan to Central Government Employees .	108
956	रबी फसल की वसूली तथा वितरण सम्बन्धी नीति	Procurement and distribution policy for Rabi crop .	108–109
957	कृषि उत्पादन के लिए अमरीकी सहायता	U.S. aid for agricultural production . . .	109
958	महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति	Committee on Status of Women	109
959	ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल	Higher Secondary Schools in Rural areas . . .	109
960	खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of foodgrains	110
961	कलकत्ता राशनिंग क्षेत्रों में केन्द्रीय चीनी का कोटा	Central Sugar quota to Calcutta rationing area . . .	111
962	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एक एकड़ भूमि से कम वाले व्यक्तियों को ऋण	Loans to persons belonging to SC & ST owing less than one acre of land . .	111–112
963	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन	Amendment of Copyright Act	112
964	अखिल भारतीय कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by All India Federation of University and College Teachers . .	112–113

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
965	आपातकालीन रबी उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का अन्य परियोजनाओं के लिये प्रयोग में लाना	Diversion of funds allotted to States under emergency rabi production programme .	113
966	दिल्ली दुग्ध योजना में अस्वास्थ्यकर स्थिति	Unhygienic conditions in D.M.S. . . .	113–114
967	विदेशों के साथ हस्ताक्षर किये गये सांस्कृतिक समझौते	Cultural agreements signed with foreign countries . .	114
968	अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न बैंक	International Foodgrain Bank	114–115
969	गैर-लेवी वाले गेहूं की उपलब्धता	Availablity of non-levy wheat	115–116
970	भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे वैगनों से खाद्यान्न उतारने में विलम्ब	Delay in unloading of food-grains from railway wagons by F.C.I. . . .	116
971	सिन्धु जल सन्धि के अन्तर्गत रावी, व्यास और सतलुज नदियों के जल का उपयोग	Utilisation of Ravi, Beas and Sutlej Waters under Indus Water Treaty . . .	117
972	राष्ट्रीय स्वस्थता दल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ	Pensionary benefits to retired personnel of N.F.C. .	117–118
973	भारतीय टेबल टेनिस टीम का चयन	Selection of Indian Table Tennis Team . . .	118
974	मध्य प्रदेश में डेरी विकास योजना	Dairy Development Scheme in M.P.	119
975	टेपिओका की खेती	Cultivation of Tapioca . .	119
976	राजस्थान और हरियाणा में खजूर की खेती	Cultivation of dates in Rajasthan and Haryana . . .	119
977	राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता	Central aid to drought affected areas in States . . .	120
978	पांचवीं योजना में लघु सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation Schemes during Fifth Plan . . .	121–122
979	राष्ट्रीय स्वस्थता दल का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में अनिर्णीत मामलों पर समझौता	Settlement of outstanding issues regarding decentralisation of N.F.C. . . .	122–123
980	राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों को स्थायिकता (क्वासी परमानेंट)	Quasi permanency to employees of N.F.C. . .	124
981	वृद्ध और असहाय लोगों के लिए योजना	Scheme for the old and destitutes	124–125
982	राजस्थान में काडियादोह बांध का निर्माण	Construction of Kadiadoh Dam in Rajasthan . . .	125
983	लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों के स्थायी पद	Permanent posts of CPWD Engineers Class II . .	125–126

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
984	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के बारे में स्पष्टीकरण	Clarification on award of Krishna Water Dispute Tribunal .	126
985	कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए केन्द्रीय अनुदान	Central grants for establishment of Command area development authorities . .	126–127
986	गुजरात में सूखा	Drought in Gujarat . .	127
987	चावल की वसूली	Procurement of rice . .	127–128
988	नलकुपों के लिए ऋण	Tubewells loans . . .	128
989	उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद गुजरात में अधिगृहीत भूमि को भूमि के मालिक को वापिस करना	Return of acquired land to the owner in Gujarat after Supreme Courts Judgement . .	128
990	आसाम में कछार में विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of University at Cachar in Assam. . . .	128–129
991	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने से उसका परिणाम सामने आना	Results of modernisation of rice mills by F.C.I. . . .	129
992	दक्षिण तथा पश्चिम एशियाई देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद् की प्रादेशिक शाखा स्थापित करना	Setting up of regional branch of International Council on archieves for South and West Asian Countries . . .	129–130
993	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के स्मारकों की सुरक्षा हेतु विधान	Enactment to protect monuments in Union Territory of Delhi	130
994	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए भूमि	House sites to landless worker in rural areas . . .	130–131
995	हरित क्रांति सिद्धान्त भूमि के अनुपयुक्त	Concept of Green Revolution not suited to soils . . .	131–132
996	वेस्ट बंगाल कालेज टीचर्स ऐसोसियेशन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करना	Implementation of U.G.C. scales of West Bengal College Teachers Association .	132
997	अधिक चावल आवंटित करने के लिए उड़ीसा से अनुरोध	Request for rice from Orissa	132
998	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमानों की क्रियान्विति	Implementation of U.G.C. scales in States and Union Territories . .	133
999	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न, चीनी और उर्वरकों का नियतन	Allocation of Foodgratins, Sugar and Fertilizers to states and Union Territories . .	133
1000	बिहार में "च्योर" भूमि क्षेत्रों में जल निकासी योजनाएं	Drainage schemes for 'Chyor Land' areas in Bihar .	134

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गृह मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re: Question of Privilege against the Minister of Home Affairs	134–136
सभापटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	136–140
सदस्य की गिरफ्तारी—	Arrest of Member—	
श्री शरद यादव	Shri Sharad Yadav	140
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
बाजार में रुई व्यापार में चल रही मंदी से उत्पन्न स्थिति —	Situation arising out of slump in Cotton Market—	
श्री मल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	141–142
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya	141–149
राष्ट्रपति के अभिभाषण परधन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on the President's Address—	
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	150–151
श्री इंद्रजीत गप्त	Shri Inderjit Gupta	151–154
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun	154–155
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	155–156, 161–162
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	162–163
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	163–164
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	164–165
श्रीमती टी० लक्ष्मीकांतम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	165
जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में वक्तव्य—	Statement Re: Jammu and Kashmir—	
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	156–160
आधे घन्टे की चर्चा—	Half-An-Hour Discussion —	
पालिस्टर फइबर के लिए आयात लाइसेंस जारी करना —	Issue of Import Licences for Polyester Fibre—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	165–168
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya.	169–170

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 24 फरवरी, 1975/5 फाल्गुन, 1896 (शक)
Monday, February 24, 1975/ Phalguna 5, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री आर० एन० सिंह देव के दुखद निधन की सूचना देनी है जिनकी मृत्यू बम्बई में 63 वर्ष की आयु में हो गई ।

श्री सिंह देव वर्ष 1952–56 में पहली लोकसभा के सदस्य थे । वह बोलंगीर (उड़ीसा) के भूत-पूर्व शासक और एक लोकप्रिय नेता तथा उड़ीसा के सार्वजनिक जीवन के अग्रणी थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर रह कर राज्य की सेवा की। वह उड़ीसा विधान सभा के सब से पहले 1957 में और बाद में सभी चुनावों में सदस्य निर्वाचित हुए । वह राज्य में समय-समय पर विपक्ष के नेता, वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री रहे । महान प्रशासक होने के साथ-साथ उनकी राज्य के मामलों में गहरी रूचि थी और राज्य की जनता के कल्याण और उत्थान के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया ।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक है । हम उनके पुत्र, श्री आर० आर० सिंहदेव को गहरी संवेदना प्रकट करते हैं, जो संयोग से यहां हमारे साथी हैं और मेरा विश्वास है कि सभा संतप्त परिवार को मेरे साथ संवेदना व्यक्त करती है ।

हम शोक स्वरूप कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे ।

(इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे)
(The members then stood in silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तीस्ता को गंगा से मिलाने के बारे में भारत बंगलादेश वार्ता

*84. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के बारे में हाल में हुई भारत-बंगलादेश वार्ता में तीस्ता को गंगा से मिलाने के प्रश्न पर भी बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या फरक्का बांध के प्रश्न को हल करने के संबंध में कोई प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच फरक्का बराज के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या हाल में बंगला देश सरकार से कोई वार्ता आरम्भ की गई है ? यदि हां, तो कब ?

श्री केदारनाथ सिंह : यह वार्ता दिल्ली में आज से आरंभ हो गई है ।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या किसी और से कोई नए सुझाव दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री केदारनाथ सिंह : वार्ता आज ही आरभ हुई है अत: हमें सुझावों के बारे में शीघ्र ही मालूम हो जाएगा ।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या फरक्का बांध समस्या पर इस प्रकार की बातचीत पहली बार हो रही है ? दूसरे प्रश्न के भाग (क) का मंत्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दिया है जबकि 25 नवम्बर को इसी प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि इस मामले पर संयुक्त जल विकास के लिए बांगला देश सरकार से चर्चा हो रही है । अत: क्या मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे ? तीसरे, क्या यह सच है कि पहले तीस्ता को जोड़ते हुए गंगा को ब्रह्मपुत्र के साथ मिलाने का सुझाव था जिसमें ब्रह्मपुत्र को दाई ओर गंगा को बाई ओर रखकर मालदा जिले में गजालडुबा के आस-पास 3070 फुट का बांध बनाने का प्रस्ताव था ? उसका क्या हुआ ?

श्री केदारनाथ सिंह : तीस्ता को गंगा से मिलाने की चर्चा दोनों सरकारों के बीच कभी नहीं हुई ।

श्री बी० के० दासचौधरी : आप नहीं क्या कहते हैं ।

श्री केदारनाथ सिंह : तीस्ता से होकर ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने के बारे में दोनों सरकारों में चर्चा हुई थी । तीस्ता को गंगा से जोड़ने का कोई सुझाव नहीं आया । अनेक बार चर्चा हुई है । आज जो बातचीत दोनों सरकारों में आरंभ हुई है उससे मुझे आशा है कुछ परिणाम निकलेंगे ।

गुजरात के लिए अधिक खाद्यान्नों की मांग

+

*85. **अरविन्द एम० पटेल** :

श्री वेकारिया :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अधिक खाद्यान्न आबंटित किये जाने की मांग की है, और

(ख) यदि हां तो उन की मांग पर अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1974 में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) गुजरात सरकार समय समय पर अपनी मांगें भेजती रही है । अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1974 के दौरान गुजरात को लगभग 2.41 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे जबकि उन्होंने 5.23 लाख मीटरी टन की मांग की थी ।

Shri Arvind M. Patel : The Central Government have supplied 2.84 lakh tonnes of foodgrains against the Gujarat Government demand. Everyone knows that Gujarat is in the grip of drought for the last three years. I want to know why the policyof short supply is adopted and whether more foodgrain would be supplied to Gujarat in view of drought?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम गुजरात की सहायता करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं । वास्तव में उसका मासिक नियतन 92,000 टन है । इसीलिए तो गुजरात की खाद्य स्थिति उन राज्यों से भी कहीं बेहतर है जहां सूखा नहीं पड़ा है । गुजरात में दाम भी कम हैं । गुजरात द्वारा खाद्य स्थिति पर अच्छे नियंत्रण के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का भी योगदान रहा है । हम समय-समय पर स्थिति का पुर्नविलोकन करते हैं और अधिक से अधिक सहायता करते हैं ।

Shri Madhu Limaye : I want to know the criteria governing the fixation of food quota of various States including Gujarat? I want to know this because the food supply last year was 40 percent of total requirement and 21 percent only in the case of Bihar which was increased to the extent of more than double in the case of Gujarat and three-time in the case of Bihar after agitation in these two States? Whether it was due to agitations or whether there are other criteria ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मेरे विचार में केन्द्रीय नियतन स्थानीय दबाव से संबंधित नहीं हैं । हम राज्य सरकारों की मां ों के आधार पर नियतन करने की स्थिति में नहीं हैं । यदि हम इन मांगों पर जायें तो पता चलता है कि वे कई गुना अधिक है । तथापि मैं सदस्य महोदय द्वारा उठाए गए मूल मुद्दों की सराहना करता हूं । नियतन करने के सिद्धान्त हैं : राज्य में उत्पादन, उसकी जनसंख्या, स्थानीय मूल्य स्तर और केन्द्रीय पूल में वसूली या आयात से प्राप्त स्टाक की उपलब्धता आदि । कमी वाले तथा सूखा-ग्रस्त राज्यों की आवश्यकता-पूर्ति करते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाता है और यथासंभव समान नियतन किया जाता है

श्री एच० एम० पटेल : उपरोक्त सिद्धान्तों के अलावा अधिक नियतन करने में क्या अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाता है ? क्या इसका अर्थ यह है कि खराब प्रबन्ध के लिए अधिक नियतन होता है ? कृपया इसे स्पष्ट करें क्योंकि मूल उत्तर से यही भ्रान्ति होती है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं सदस्य महोदय से पूरी तरह सहमत हूं कि जहां प्रबन्ध बेहतर है वहां स्थिति भी बेहतर है । देश में कहीं तो वितरण ठीक है परन्तु अन्य क्षेत्रों में बहुत से जाली राशन-कार्ड चलते हैं । हां, हमारे लिए सभी राज्य बराबर हैं । परन्तु जहां प्रबन्ध बेहतर होता है, वहां आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान हम देते हैं । फिर भी देश के सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं और हमें सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी राज्य में यह भावना उत्पन्न न हो कि केन्द्र द्वारा भेदभाव बरता जा रहा है ।

Shri Somchand Solanki : According to the hon. Minister the food situation in Gujarat is satisfactory but we know there were no rains, the entire state was in the grip of drought and Rabi Season has not come yet? How then he could say that the food situation is good? Whether the food allocation to Gujarat was more last year as compared to the current year?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष नियतन अधिक है । इस वर्ष 92,000 टन का नियतन है । वास्तव में किसी मास विशेष को छोड़कर गुजरात को इतना अधिक नियतन कभी नहीं किया गया है ।

2—3 LSS (ND)/75

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा

*86. †श्री डी० वी० चन्द्र गौंडा :

श्री झारखंडे राय :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि कृषि अनुसंधान सेवा में लगे हुए, वैज्ञानिकों को, कुछ समय के लिये अनिवार्य रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करना चाहिये, और

(ख) यदि हां, तो कृषि वैज्ञानिकों के लिए कार्मिक नीति का पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सेवा संगठित करने का प्रस्ताव है ईसके अंतर्गत परि- के सभी नियमित कर्मचारी आयेगें । पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों की समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान देने तथा प्रस्तावित सेवा के अन्तर्गत काम करने वाले वैज्ञानिकों को समग्र रूप से कृषि सम्बन्धी वास्तविक स्थितियों से पूर्ण रूपेण अवगत कराने के लिए, यह प्रस्ताव रखा गया है कि सभी कृषि वैज्ञानिकों के लिए ऐसे एक क्षेत्र में एक निश्चित न्यूनतम अवधि तक काम करना अनिवार्य कर दिया जाय । यह अवधि आगे निर्धारित की जाएगी । ऐसी नियुक्तियों के लिए अवधि और सुविधाओं आदि से संबंधित ब्यौरे अभी निश्चित करने हैं । पिछड़े इलाकों में सेवा करने की प्रस्तावित शर्त से कृषि वैज्ञानिकों को क्षेत्र-विशेष से सीधे वहां की विशिष्ट समस्याओं को समझने तथा उनकी कृषि-अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में अपना योग-दान करने का अवसर मिलता है ।

श्री डी० वी० चन्द्रगौडा : वैज्ञानिकों द्वारा किसी पिछड़े क्षेत्र में कार्य करना अनिवार्य बनाने के अतिरिक्त, क्या सरकार द्वारा किसी ऐसी योजना पर भी विचार किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कि पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को आधुनिक अद्यौगिकी, जननिक, नई किस्मों, निर्यात संम्भावनाओं और अन्य बातों के सबन्धी ज्ञान उपलब्ध करवाया जा सके ? क्या पिछड़े क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों को पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए प्रौत्साहित करने का है । अनुसंधान केन्द्रों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाना स्वाभाविक हो है । अब तक का हमारा आम अनुभव यही है कि उपयुक्त सुविधाओं के अभाव के कारण, वैज्ञानिक पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं है । इस नई योजना से स्टशनों को पिछड़े क्षेत्रों के साथ जोड़ना सम्भव हो जायेगा । यह आशा की जाती है कि स्टेशन के विस्तार तथा अन्य गतिविधियों से स्थानीय क्षेत्रों के किसानों को शिक्षित किया जायेगा ।

श्री डी० वी० चन्द्रगौडा : क्या इस योजना को कृषि विश्वविद्यालयों पर भी लागू किया जायेगा और डिग्री प्राप्त करने के लिए एक शर्त यह भी होगी कि उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में कार्य किया हो ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : पिछड़े क्षेत्रों के प्रति हमारी पूर्ण सहानुभूत है परन्तु क्या कृषि कालिजों से निकलने वाले स्नातकों पर भी इस अनिवार्यता को लागू किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है । मैं बिना उपर्युक्त जानकारी के अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Jharkhande Rai : Mr. Speaker, Sir, I want to congratulate the Government for this decision. At the same time, I want to know, whether prior to this decision, the persons with specialised knowledge in this field were moving to foreign countries as is the case of medical and engineering personnel? May I know if Government has received any complaint in this regard?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे उच्च वर्ग के वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान कार्य या अन्य ऐसे कार्य करने वाले लोग आते है । माननीय सदस्य महोदय यह जानते है कि प्रतिमा पलायन की समस्या एक आम समस्या है । हमारे देश की अर्थ व्यवस्था दुर्बल होने के कारण, यह समस्या और भी अधिक है । जहां तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सम्बन्ध है, वह इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि विदेशों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर आकृष्ट करें ताकि वह यही अपने देश की अच्छी सेवा कर सकें ।

Shri Chandrika Prasad: Mr. Speaker, Sir, the backward area of Eastern Uttar-Pradesh has been visited by our Agricultural Minister. In that area the recovery of sugar from sugarcane is less as compared to Maharashtra. We have got a University, Agricultural Scientists as well as I.C.A.R, but for the last 27 years whether any scientist has looked into this problem and submitted his report? Secondly, there are Degree College in each district, so whether Government will attach one Scientist to these colleges who will look into this problem?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुझे माननीय सदस्य के साथ उस क्षेत्र तथा वहां के डिग्री कालिजों की समस्याओं पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था । दुर्भाग्यवश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि कालिज बहुत अशक्त है, उनके पास कृषि के लिए बहुत कम भूमि है, परन्तु हमने इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया है और अब उत्तर प्रदेश में अच्छे कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं और मुझे आशा है कि वे पूर्व उत्तर-प्रदेश की विशेष समस्याओं की ओर ध्यान दे सकगे जिसके लिए हमारी पूर्ण सहानुभूति उनके साथ है ।

श्री राम सहाय पांडे : यह बहुत अच्छी बात है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पिछड़े क्षेत्रों मे वैज्ञानिक भेजने के लिये कहा गया है । मुझे यह समझ नहीं आता कि वैज्ञानिक वहां करेंग क्या, क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों की मुख्य समस्या तो सिचाई की है ।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग बात है ।

श्री राम सहाय पांडे : वैज्ञानिक वहां जायेंगे, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और उस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति के लिए, क्या व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है, क्या व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसके लिए क्या मूलभूत ढ़ांचा तैयार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इस प्रश्न का मूलभूत ढ़ांचा तो अलग है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे है तो हमें लद्दाख, लाहौल और सपिति और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों आदि के बारे में भी सोचना पड़ता है, जहांकि वैज्ञानिक जाने को इसलिए तयार नहीं है क्योंकि वहां सुविधायें उपलब्ध नहीं है ।

श्री राम सहाय पांडे : 27 वर्ष में पहली बार वहां वैज्ञानिक जा रहे हैं । आप हमें कृपया यह बताईये कि आपके पास इसकी व्यापक रूपरेखा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है ? आप थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रखते ? आपने जो प्रश्न पूछा, उसके साथ मूल प्रश्न का सम्बन्ध बहुत दूर का था, परन्तु फिर भी मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए उठ खडे हये । वह आप का प्रश्न समझते हैं ।

श्री राम सहाय पांडे : मैं आपको मना सकता हूं कि प्रश्न तो सम्बद्ध है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या 27 वर्षों के बाद ही सरकार को पिछड़े तथा उपेक्षित क्षेत्रों का ज्ञान हुआ है और वज्ञानिकों को वहां जाने के लिए कहा गया है ताकि वह पता लगाय कि क्या किया जा सकता है । यह गत 27 वर्ष क्या करते रहे है ? इस प्रश्न का इनके पास क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न से तो सहमत हूं परन्तु वह मूल प्रश्न से मेल नहीं खाता ।

श्री राम सहाय पांडे : उसका जो भाग संगत है, उसी का उत्तर दे दिया जाये ।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसका प्रस्ताव प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम कुछ ऐसी मार्गदर्शी योजनायें बनाने का है, जिनके साथ कुछ भूमि-का क्षेत्र भी हो और जहां न केवल अनुसंधान, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के विशषतया गेहूं और चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के कृषकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह प्रश्न भी मुख्य प्रश्न से कुछ अलग ही है ।

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न यह है कि क्या आप का विचार वैज्ञानिकों के अपने लिए 30 खण्ड बनाने का है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : प्रशासनिक ब्लाक इसी कार्यक्रम का ही एक अंग है ।

श्री एच० एम० पटेल : वैज्ञानिकों को पिछड़े क्षेत्रों में भेजना निश्चय ही अच्छी बात है परन्तु मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बाहर के प्रशिक्षण विस्तार कार्यकर्ता की वांछनीयता पर भी विचार किया है जो जानकारी तथा अनुसंधान परिणामों को पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचा सके ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इनका प्रश्न सराहनीय है क्योंकि हमें मूल्यांकन करने पर यह पता चला है कि अनुसंधान के जो परिणाम प्राप्त हुये है, हम उन्हें भी लाखों किसानों तक पहुंचा पाने में असमर्थ रहे हैं । अत: विस्तार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर हम अधिक बल दे रहे हैं और यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अनुसंधानों के परिणाम पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाये जाये ।

Shri Md. Jamilurrahman: Mr. Speaker, Sir, through you, I want to know whether like other backward areas, the area of North Bihar is also backward and whether Government will post agricultural scientists in these areas so that they may study the local needs and prepare infra-structure to suggest to the Government about the needs of farmers, so as to improve their lot?

Mr. Speaker : आप इसके बारे में भूल जाईये । In reply to this, Minister will just say that scientists will be deputed. What satisfaction you will get out of it.

Shir Md. Jamilurrahman : Crores of rupees are short in that area. So the hon. Minister must say something about it.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस दृष्टि से हम उत्तर बिहार को पिछड़ा क्षेत्र नहीं समझते क्योंकि वैज्ञानिक वहां जाते हैं और वहां अनुसंधान स्टेशन भी है । पिछड़े क्षेत्रों से हमारा तात्पर्य लाहुल सपिती तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से है ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फलों तथा सब्जियों जसी नकदी फसलों के उत्पादन की अच्छी सम्भावनायें है । इसके बावजूद भी कृषि मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उत्पादन पर बल दिया जाता है । कुछ समय पूर्व श्री शिन्दे स्वयं टिहरी गढ़वाल गये थे और वहां की भूमि देख कर वह इस बात से सहमत हो गये थ कि वह क्षत्र नकदी फसलों की उपज के लिए काफी उपयुक्त है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उद्यान विकास विशेषज्ञों का एक दल इन क्षेत्रों में भेजा जायेगा ताकि वह वहां के स्थानीय लोगों को अच्छे ढंग से फलों और सब्जियों का उत्पादन करने के बारे में परामर्श दे सके ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि हम इन क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों की उपज करने के लिए जोर दे रहे हैं । वास्तव में हमारा अधिकतम प्रयास उद्यान विकास और इन क्षेत्रों में सब्जियों का उक्त उत्पादन करने का ही है ।

Irrigation Projects in Madhya Pradesh

+

***87. Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of irrigation projects proposed to be launched in Madhya Pradesh during the Fifth Plan period; and

(b) the Central assistance likely to be provided and progress made so far in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) The Fifth Plan proposals of Madhya Pradesh have not yet been finalised.

(b) Irrigation is a State subject and provision for major and medium irrigation schemes is made by the States in their development Plans on an annual basis. Central assistance to State Plans is given in the form of block loans and grants not related to any individual head of development or project.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I want to know from the Hon. Minister the time it would take to give final shape to the irrigation scheme for Madhya Pradesh. The Hon. Minister has stated in his reply that the irrigation scheme in Madhya Pradesh has not been given final shape. What is that scheme? What are the arrangements which you are going to make for irrigation at various places there and how much acreage of land will be irrigated there. I want to know whether the Madhya Pradesh Government have expressed its opinion regarding central assistance for different districts and if so, the number of districts for which assistance has been sought?

Shri Kedar Nath Singh : No district-wise figures are compiled on the basis of discussion held between the State Governments and our Commission Discussion is held on the basis of schemes received from the States. In the Fifth Five Year Plan there is a provision of Rs. 200 crores. Out of which Rs. 76.83 crores are for the existing schemes and Rs 115.17 crores are for the new schemes and Rs. 8 crores are for research and investigation purposes.

Shri Hukam Chand Kachwai : You have not mentioned how much money you have allocated for Madhya Pradesh. You have mentioned the total allocation for the entire country.

Shri Kedar Nath Singh : I have mentioned the amount of allocation made in the Fifth Five Year Plan.

Shri Hukam Chand Kachwai : At the end of the reply you have stated that the Central asistance to State Plans is given in the form of block loans and grants. I want to know how much grant you are gong to give to State Governments under the new proposal and how many schemes will be completed with that money? There is no scheme for Jhabua, Guar, Nimar, Ratlam, Bastar and Chhatisgarh areas. There are backward districts and therefore irrigation schems are essential for these schemes. The land is very fertile there and keeping this point in view how much money you have allocated therefore

Shri Kedar Nath Singh : I have already stated that irrigation is a state subject and the State Government fixes the priorities itself. It is not our duty. It is upto the State Government to decide how much money is to be spent on a particular plan.

Shri Darbara Singh : I want to know from the Hon. Minister why assistance is not given to Madhya Pradesh Government for the irrigation schemes. Only 6 percent land is irrigated there. This is a big state.

Shri Kedar Nath Singh : State Government has itself considered this matter There are some inter state disputes which are still unsolved. So, this is one of the facts

Shri Ram Sahay Pandey : I want to know as to what are the irrigation projects proposed to be launched in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan period? You yourself prepared the Fifth Five Year Plan and now you say that this is a state Subject. What are the proposed projects for Madhya Pradesh for the period of Fifth Five Year Plan. What is the position of the dispute between Gujrat and Madhya Pradesh about the Narmada Waters and what are the proposals for irrigation for Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan?

Shri Kedar Nath Singh : The proposals are prepared by the State Government.

Shri Sharad Yadav : Mr. Speaker Narmada project is of great importance to us. It is of vital significance for the backward areas of Madhya Pradesh. This Scheme has been pending for the last fifteen years but no decision has been taken so far. Whether it is not a fact that the chief Minister Shri Prakash Chand Sethi who has been in Central Cabinet, is not paying attention to the interests of Madhya Pradesh. He makes settlements without consulting any body and that is why this scheme is not being implemented properly. (*interruption*). We belong to Adiwasi area... Mr. Speaker please listen Mr. Sethi has taken decision regarding Narmada scheme without consulting anybody. How much time it will take to seltle this matter so that the scheme is taken up at the earliest?

Mr. Speaker : You sit down then he will give the reply.

Shri Kedar Nath Singh : Hon. member knows that this matter is before a Tribunal and two Governments, especially Gujrat and Madhya Pradesh Governments, are involved in it. These Governments are not able to take any decision. That is why it is getting late ... (*interruptions*)

Shri Shard Yadav : Mr. Speaker why the decision is not being taken immediately.

Mr. Speaker : You sit down. He has replied. This is question hour.

श्री पी० के० देव : मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी से हमे यह पता चला है कि अन्तरजातीय जल विवाद के कारण कुछ परियोजनाओं पर विचार किया जाना है। जहां तक नर्मदा का सम्बन्ध है. मेरा ख्याल है कि इस पर निर्णय लेना प्रधान मंत्री पर छोड़ दिया गया है। वह नर्मदा नदी के जल को गुजरात तथा मध्य प्रदेश में वितरित करने में निर्णय लेने में इतना विलम्ब क्यों कर रही है ?

जहां तक मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी के थाले की अन्य परियोजनाओं का सम्बन्ध हो, यह कृष्णा-कावेरी जल आयोग के निर्णयाधीन है। आयोग ने अधिक समय ले लिया है जबकि देश अनाज और बिद्युत की कमी का सामना कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों के बीच, जिनमें मध्य प्रदेश भी है, इन नदियों के जल के वितरण के बारे में कृष्णा-गोदावरी जल आयोग कब तक अपना निर्णय दे देगा।

Shri Kedar Nath Singh : It requires notice because Krishna Godavari Matte ; not concerned with this.

श्री पी० के० देव : बस्तर में बोधघाट परियोजना गोदावरी घाटी में ही है। यह तो आप जानते ।

श्री केदारनाथ सिंह : मैं जानता हूं। किन्तु वह न्यायाधिकरण के समक्ष है और न्यायाधिकरण लिए अपना प्रतिवेदन पेश करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। वे अपना प्रतिवेदन देने में अपना समय लेंगे।

सूखाग्रस्त तमिल नाडु के लिये केन्द्रीय दल

*89. **श्री एस० ए० गुरुनगन्तम :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल नाडु के विभिन्न जिलों में हाल ही के सूख से पीड़ित लोगो की जिलावार संख्या क्या है ;

(ख) क्या सूखे की स्थिति की गम्भीरता का पता लगाने के लिये किसी केन्द्रीय अध्ययन दल ने इन जिलों का दौरा किया था ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर गया है कि वहां पशुओ को बहुत कम मूल्य पर बेंचा गया है, कृषि उत्पादन को क्षति पहुंची है और राज्य के सब से अधिक सूखाग्रस्त क्षत्रों से बहुत बड़े पैमाने पर खेतिहर श्रमिक अन्यत्र चले गये है ; और

(घ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कितनी सहायता दी गयी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया ।

विवरण

(क) तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में सूखे से प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

चिंगलपुट	14.12 लाख
उत्तरी अर्काट .	17.00 लाख
दक्षिणी अर्काट .	17.76 लाख
थंजावूर . .	6.61 लाख
तिरुचिरापल्ली . .	15.41 लाख
पुदुकोटाई	11.41 लाख
मदुराई .	13.05 लाख
रामनाथपुरम्	20.23 लाख
तिरुनेलवेली	13.55 लाख
सालेम	11.88 लाख
धर्मपुरी	4.79 लाख
कोयम्बतूर	13.77 लाख

(ख) केन्द्रीय अध्ययन दल ने कुछ जिलों का दौरा किया था ।

(ग) सूख के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में हुई हानि के सम्बन्ध में सरकार को सूचना मिली है। परन्तु, राज्य सरकार ने इन प्रेस रिपोर्टों का खण्डन किया है कि लोगों ने मुसीबतों के कारण अपने पशु बेच दिए हैं । पुदुक्कोटाई, रामनाथपुरम और मदुराई, आदि अधिक प्रभावित जिलों के कृषि मजदूर कटाई के मौसम के दौरान रोजगार के अच्छे अवसरों की आशा में थंजावुर जिले में चले गये हैं । राज्य सरकार स्थानीय क्षेत्रों में सूखा राहत कार्य प्रारम्भ करके कृषि मज़दूरों को रोज़गार देने के लिये हर सम्भव कदम उठा रही है ।

(घ) भारत सरकार ने तमिलनडु के लिये योजना सम्बन्धी अग्रिम सहायता के रूप में 7.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार ने भी राहत कार्यों के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : मन्त्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि चार करोड़ की कुल जनसंख्या में से डेढ़ करोड़ से अधिक लोग तमिलनाडु में सूखे से प्रभावित हुये है, स्थिति बहुत अधिक गम्भीर है 15 जिलों में से 12 जिलों में सूखा व्याप्त है, मैं जानना चाहता हूं कि राहत कार्य के लिये कुल अपेक्षित राशि के बारे में केन्द्रीय दल का क्या अनुमान है, केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये कितना धन देना चाहती है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार से परामर्श किया और राज्य सरकार का कहना है कि वतमान वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें लगभग 17 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। 10 करोड़ रुपय की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है और 16 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार मेरा विचार है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तमिलनाडु सरकार अपने पास इतनी पर्याप्त राशि से राज्य में सूखा स्थिति को निपटा लेगी।

श्री एस० ए० मरुगनन्तम : वक्तव्य में कहा ग या है कि राज्य सरकार ने, समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का खण्डन किया है कि पशु बेचे गये है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोट केवल मनर्गढय है। मैंने स्वयम देखा है कि तमिलनाडु में मजबूरी में पश बेचे गये है, चूंकि केन्द्रीय दल के अतिरिक्त मन्त्री महोदय ने स्वयम तमिलनाडु का दौरा किया है, इसलिये वह बतायें कि उनका क्या विचार है और तमिलनाडु में भयानक अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय दल की क्या रिपोर्ट है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : केन्द्र से दो दलों ने तमिलनाडु का दौरा किया है। मैंने स्वयम तमिलनाडु के कई जिलों का दौरा किया। आवश्यक राहत देने के लिये राज्य सरकार भलीभांति संगठित रूप से प्रयास कर रही है। मझे विश्वास है कि तमिलनाडु सरकार जन सहयोग से सूखा स्थिति का सामना भली भांति कर सकेगी। अब स्थिति पर्याप्त रूप से नियत्रण में है। जरूरतमंद लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है और जहां कही अनाज की कमी है, वहां अनाज सप्लाई हो रहा है।

श्री थां किरूतिनन् : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकार को सूखा स्थिति का सामना करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 17-1/2 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं जानना चाहता हूं कि अगले दस महीनों में सूखा स्थिति का सामना करने के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी और तमिलनाडू में इस स्थिति का सामना करने के लिये कुल कितना धन देगी।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : तयार किये गये कार्यक्रमानसार और तमिलनाडु सरकार के अनुमान के अनुसार उनका विचार है कि अगले दस महीनों में सूखास्थिति का सामना करने के लिये लगभग 50–55 क ोड़ रुपये की आवश्यकता होगी उन्हें आशा है कि इसमें 25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सरकार दे देगी किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात ही है कि भारत सरकार द्वारा छटे वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर दिये जाने के परिणामस्वरूप सूखा स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार को केवल अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध की जा सकती है। भारत सरकार ने योजना आयोग के एक सदस्य, श्री शिवरमन के नेतृत्व में इस मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की है। यह समिति समय समय पर स्थिति की जांच करती रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार कहां तक तमिलनाडु सरकार की सहायता कर सकती है

श्री थाँ किरुतिनन् : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली 25 करोड़ की राशि अग्रिम रूप में होगी अथवा नहीं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इसका मैं उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : नायक साहब आप इस विषय में कैसे रूचि रखते हैं ?

श्री बी० वी० नायक : मेरी इस मामले में रूचि इसलिये है कि क्योंकि उन्होंने छठें वित्त आयोग के बारे में बात उठाई है । यह स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकारों की ओर से इसकी काफी आलोचना की गई है । क्या केन्द्रीय सरकार भविष्य में अन्य राज्यों को सहायता देने की वही नीति अपनायेगी जैसा कि सरकार ने तमिलनाडू के बारे में अपनाई है? दूसरे मंत्री महोदय ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे संगठित प्रयासों की सराहना की है कल के समाचार पत्र से पता चला है कि वहां सूखा स्थिति से निपटने के लिये दी गई सहायता का दुरूपयोग किया गया है । क्या आप स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहां तक छटे वित्त आयोग की सिफारिसों का सम्बन्ध है वे किसी विशेष राज्य के लिये ही नहीं है उनमें, उन राज्यों के लिये, जहां प्राकृतिक आपदायें हो जाया करती है, कुछ सिद्धान्त दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार जिस तरह सहायता करेगी । पांचवे वित्त आयोग के फलस्वरूप जो पहले भी नीति थी वह अब नहीं रही । छटे वित्त आयोग की सिफारिशें समूचे देश में कार्यान्वित की जा रही है चाहे यह तमिलनाडू राज्य हो या कोई अन्य राज्य । जहां तक दुरूपयोग का सम्बन्ध है सूखा राज्य का विषय है और इसके लिये राज्य सरकार ही जिम्मेदार है । यदि माननीय सदस्य के मन में कोई विशेष बात है तो वह मेरे पास भेज दें और मैं उसे जांच के लिये राज्य सरकार को भेज दूंगा

श्री पी० के० एम० तेवर : क्या सरकार को पता है कि पूर्वी रामनंद जिले में मुदुकालाथन क्षेत्र में ही तीन लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं और वे वहां से अन्य लोगों राज्यों में जा रहे हैं तथा भुखमरी से लोगों की मौतें हो रही हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : राज्य से दूसरे राज्यों में जाने की बात के बारे में हमने राज्य सरकार को लिखा है । राज्य सरकार कहती है कि यद्यपि बहुत कम लोग अन्य राज्यों में जा रहे हैं तथापि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है । राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जिन क्षेत्रों से लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं वहां अधिकाधिक रोजगार की व्यवस्था की जाय ।

श्री एम० कल्यामुतु : वक्तव्य में भी कहा गया है कि केन्द्रीय दल ने सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है किन्तु मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि केन्द्रीय दल ने राहत कार्यों के लिये अपेक्षित धन राशि का क्या अनुमान लगाया है । राज्य सरकार 55 करोड़ रुपये की मांग करती है किन्तु वक्तव्य में कहा गया है कि केवल $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये दिये गये हैं, अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात सही नहीं है । मैं थंजवर से आया हूं और रामनाथपुरम तथा अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में लोग हमारे क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं । अत: इस प्रकार स्थान छोड़ने का समस्या बहुत गम्भीर है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय दल की रिपोर्ट आ जाने पर क्या सरकार अधिक धन की स्वीकृति देगी ?

श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और दस महीनों के लिये राज्य सरकार के अनुमानानुसार 50-55 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, जो कुछ मैंने कहा है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जहां तक राहत कार्यों का सम्बन्ध है राज्य सरकार उस दिशा में सभी सम्भव कदम उठा रही है ।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

+

*90. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री सरजू पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 300 से अधिक संसद सदस्यों ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सरकार को अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक एसोसियेशन की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है । इस ज्ञापन पर कई संसद सदस्यों के हस्ताक्षर है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि प्राइवेट चीनी उद्योग का सामान्य रूप से और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में विशेष रूप से राष्ट्रीयकरण करने से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को बल मिलेगा ।

(ख) चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में निहित जटिल प्रशासनिक मसलों और भारी वित्तीय परिव्यय की दृष्टि, इस मामले पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री के० लकप्पा : इन दो राज्यों में समानान्तर अर्थ-व्यवस्था मुख्यत: गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योगपतियों द्वारा चलाई जा रही है और इसकी सूचना सभा में और बाहर सरकार को अनेक बार दी जाती रही है और सरकार पर दबाव भी डाला जाता रहा है । चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक है । मैं जानना चाहता हूं कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी निर्णय लेने हेतु कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय न ले सकने के कारण मैं उत्तर के भाग (ख) में बता चुका हूं । आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की सलाह से अब भी विचार किया जा रहा है ।

श्री के० लकप्पा : क्या यह सच नहीं है कि निर्णय लेने में विलम्ब विभिन्न राज्यों में बड़े चीनी उद्योगपतियों द्वारा डाले जा रहे दबाव के कारण हो रहा है और उनका यही प्रयास है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कभी न हो पाय ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सरकार राष्ट्रीयकरण से भयभीत नहीं है, यह बात सदस्य महोदय जानते है । गत कुछ वर्षों में सरकार ने कई क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं, जैसे कोयला उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि । इस से स्पष्ट है कि सरकार राष्ट्रीयकरण करने से डरती नहीं है । जहां तक इस मामले का संबंध है, मेरे विचार में सरकार इस के गुण-दोषों के आधार पर ही निर्णय लेगी । मेरे विचार में सरकार किसी प्रचार अथवा दबाव के सामने नहीं झुकेगी ।

Shri Narsingh Narain Pandey : According to the hon. Minister, Government having difficulty in nationalisaton of sugar industry due to financial stringency. I want know whether the Bhargawa Commission had in their report recommended that all private Sector Sugar factories located in U.P., Bihar and other States could be nationalised within 300 crore rupees on the basis of their value?

Whether it is also fact that the Indian Sugar Mills Association have sought a loan of 500 crores from the Reserve Bank for modernisation of those mills and they are pressurising Government therefor ?

If both these are correct, why the hon. Minister is bowing to the pressure to change the credit-squeeze policy of the Reserve Bank for rehabilitating these Mills rather than spending money on their nationalisation? Why they are being encouraged in free sugar whereas they are not being taken over when crores of foreign exchange can be earned by exporting sugar when the country is in acute need of foreign exchange? I want to know the difficulty in taking them over?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : ईस समय चीनी उद्योग का सरकारीकरण न करने से चीनी का उत्पादन कम नही है। चिधो के ऊत्पादन और निर्यात की स्थिति बहुत अच्छी है । अत: यह बातें चीनी उद्योग के आड़ नहीं आ रही है । आधुनिकीकरण संबंधी सुझावों के प्रति भारत सरकार और रिजर्व बैंक में विरोधाभास के प्रश्न के उत्तर में बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया

है परन्तु मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि चीनी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसका सरकारीकरण हो या नहीं, इसका आधुनिकीकरण बहुत आवश्यक है । जब कभी भी सरकार यह निर्णय करेगी रिजर्व बैंक का निर्णय या अन्य कोई बात उसके आड़े नहीं आएगी ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैंने विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या उन्होंने 500 करोड़ रुपये उद्योग के पुनर्स्थापन के लिए मांगे हैं या नहीं और क्या भार्गव आयोग के अनुसार केवल 300 करोड़ रुपये लगा कर इस उद्योग का सरकारीकरण किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या संसद-सदस्यों ने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है ?

श्री नरसिंह नारायण पांडे : उन्होंने धन की दिक्कत बताई थी, इसीलिए मैंने यह विशिष्ट प्रश्न पूछा है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रतिवेदन पेश किया जा चुका है और सदस्यगण उनका हवाला देकर उसमें उल्लिखित आंकड़ों से कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक के प्रस्तावों के बारे में मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं है कि उन्होंने कितनी राशि का सुझाव दिया है । मैं इसका पता लगाऊंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकरण के निर्णय को टालने से 30 या 40 वर्ष पुरानी चीनी मिलें आधुनिक नहीं बनाई जा रही हैं? निजी क्षेत्र की इसमें कोई रूचि नहीं है परन्तु उत्पादन घटता जा रहा है और शीघ्र निर्णय न लेने से राष्ट्रीयकरण से भी लागू नहीं होगा । क्या यह भी सच है कि इस निर्णय को टाल कर चीनी मिल-मालिकों से सरकार धन वसूल करना चाहती है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सदस्य महोदय जहां चीनी उद्योग की समस्याएं भली प्रकार जानते हैं, वहां वह सरकार की नियत पर शक कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है । सरकार को सभी पहलुओं पर विचार के बाद ही निर्णय लेना होता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा विशिष्ट प्रश्न उत्पादन के मुकाबले ठोस परिणामों के बारे में था ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : उत्पादन तो इस समय चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता जितना ही होता जा रहा है और इस वर्ष इसके 42-44 लाख टन हो जाने की आशा है । अतः इस पहलू पर उन्हे चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। वह जानते ही हैं कि निर्णय लेने से पूर्व सभी पहलुओं पर ध्यान देना होता है । यह बहुत ही जटल प्रश्न है और हमें देश की अर्थ-व्यवस्था और अन्य जटिलताओं पर विचार करना होता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय आशा तो व्यक्त कर सकते हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्द : जी नहीं । इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें किसी पर संदेह नहीं करना चाहिये । यह किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं है ।

श्री एम० ए० कादर : किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना किसानों और श्रमिकों को राहत देना और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर उत्पाद सुनिश्चित करना होता है । अब तक जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनसे क्या सरकार के विचार में इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है ?

दूसरे क्या चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करते समय सहकारी चीनी उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण किया जाएगा ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं राष्ट्रीयकरण की सामान्य समस्याओं पर तो प्रकाश नहीं डाल सकता परन्तु यदि सदस्य महोदय वास्तव में जानना ही चाहें तो यह प्रश्न सम्बद्ध मंत्रालय से पूछा जा सकता है। चीनी उद्योग संबंधी आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है और उन पर अभी निर्णय किया जाना है। यह निर्णय करते समय सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। तथापि मेरे विचार में सहकारी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण उचित नहीं होगा। इस उद्योग के भावी ढांचे में हम श्रमिकों, उत्पादकों तथा अन्य वर्गों का शामिल किया जाना सुनिश्चित करेंग और हम चीनी उद्योग के विकास में सहकारी रूपरेखा अही पनाएंगे।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या बिहार में चीनी कारखाने के उपकरण पुराने होने के कारण वहां गन्ने से बहुत कम चीनी निकलती है ?

दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी भ्रान्ति की शिकार है क्योंकि कांग्रेस ने 1970 में ही चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास किया था जबकि सरकार ने इस पर विचार करने में ही पांच वर्ष से भी अधिक लगा दिए है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह सच है कि बिहार में अनेक चीनी मिलें कई दशक पूर्व लगाई गई थीं। अत: उनकी अधिकांश मशीनें पुरानी है। और उन्हें आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। यह बात तो सभा और सदस्य स्वयं भली भान्ति जानते है। जहां तक कांग्रस के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का प्रश्न है, वह जानते ही है कि उक्त प्रस्ताव पास होने के बाद ही यह आयोग नियुक्त किया गया था। हमें सभी पहलुओ पर विचार तो करना ही होता है। हमें भावना में बह कर नहीं अपितु, अर्थ-व्यवस्था के हित में और वर्तमान वस्तु स्थिति को देखते हुए ही निर्णय करना है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whether Government is in a position to declare that the Sugar Industry will not be nationalised for the next two years and this issue shall not be raised in between in order to remove the State of uncertainty prevailing in the industry at present?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : ऐसी निश्चित घोषणा नहीं की जा सकती। परन्तु सरकार का इरादा निकट भविष्य में आयोग की सिफारिशों पर कुछ निर्णय करने का अवश्य है।

श्री डी० के० पंडा : मंत्री महोदय ने निर्णय लेने में ठोस प्रशासनिक या वित्तीय बाधाओं का उल्लेख नहीं किया है। प्रधान मंत्री को तीन सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करने और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी यें प्रस्ताव पास होने के बाद भी अभी तक इस मामले पर सक्रिय विचार ही हो रहा है। सभी पहलुओं पर विचार के बाद ही उन्होंने राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की है। विधान सभा स्तर पर भी उन्होंने ये प्रस्ताव पास किए है जो सर्वसम्मत है। हाल में उत्तर प्रदेश विधान सभा के 200 सदस्यों ने एक पत्र पर भी हस्ताक्षर किए है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि ठोस कठिनाइयां क्या है जबकि इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है और वित्तीय स्थिति भी स्पष्ट है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस पर अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जैसा कि मैं बता चुका हूं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रबन्ध सम्बन्धी और वर्तमान आर्थिक स्थिति आदि जैसे अनेक पहलुओं पर ध्यान देना होगा। हम माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हैं। हम जानते हैं कि सभा के सदस्य राष्ट्रीयकरण के कट्टर समर्थक हैं। अंतत: यह निर्णय मामले के गुण-दोषों के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों और राष्ट्रीय वरीयता के आधार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों के ध्यान में रखकर ही होना है। मेरे निचार में ये निर्णय किसी पक्ष के दबाव में आकर शीघ्रता से नहीं किए जा सकते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हरियाणा में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी

*81. श्री एम० एम० जोजफ : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में पहले से अधिक भूमि में अधिक उपज देने वाली फसलें उगाये जाने के बावजूद खाद्यान्न के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) उक्त राज्य की खाद्य की वर्तमान कमी की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने राज्य में वर्तमान खाद्यान्नों के उत्पादन की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) किसानों में उन्नत किस्मों के बढ़िया आधारी तथा प्रमाणित बीजों का वितरण करना ;

(2) नलकूप लगाने और कुए खोदने के लिए किसानों को ऋण देकर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ;

(3) क्षारीय तथा लवणीय भूमि का सुधार करना ;

(4) बड़े पैमाने पर मृदा परीक्षण कार्यक्रम तैयार करके उर्वरकों को सही ढंग से प्रयोग में लाने के लिए किसानो को सलाह देना ;

(5) वनस्पति रक्षण उपायों को गतिमान करना ;

(6) उत्पादन की नवीनतम तकनीकों के विषय में किसानों तथा विस्तार कार्यकर्ताओं की सघन प्रशिक्षण देन का कार्यक्रम शुरु करना ;

(7) अधिक उत्पादनशील किस्मों के गेहूं तथा नरसरी सम्बन्धी अभियान के विषय में जन सम्पक अभियान की व्यवस्था करना ;

(8) बाजरा की निराई के लिए अभियान शुरू करना ;

(9) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के स्टाफ की सहायता से चुने हुए गावों में गेहू तथा धान के सम्बन्ध में प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू करना ;

(10) किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन उत्पादन ऋण देने की व्यवस्था करना । छोटे तथा सीमान्त किसानों को राज सहायता तथा ऋण देने की व्यवस्था करने पर विशेष बल देना ।

(11) बारानी खेती की पद्धतियों को लोकप्रिय बनाना ।

कृषि कार्यों में विद्यार्थियों को सम्मिलित करना

*82. श्री पी० ए० सामिनायन :

श्री प्रसन्नाभाई मेहता :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय कृषि कार्यों में विद्यार्थी समुदाय को सम्मिलित करने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह विषय कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से संबद्ध है, इसलिये कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के साथ परामर्श करके उन्हें विद्यार्थियों को संगठित करने, प्रशिक्षित करने और उचित समय पर रबी और खरीफ दोनों मौसमों में कृषि कार्यों में सम्मिलित करने की सलाह दी गयी है। उपकुलपतियों से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य के कृषि विभागों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर दो उद्देश्यों की पूर्ति के विचार से कृषि कार्यों में विद्यार्थी समुदाय को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कर रही है। ये दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

(1) कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करना, और

(2) विद्यार्थियों को इन कार्यों में लगातार खेती के लिए आवश्यक व्यावहारिक और परिचालन कुशलता प्राप्त करने में उनकी मदद करना। विभिन्न कृषि क्रियायों के समय तो सालों भर विद्यार्थियों को संलग्न रखना ही चाहिए। पर कीट व्याधियों और रोगों आदि की महामारी के समय उनको बड़े पैमाने पर इनकी रोक थाम के काम में शामिल करने की सिफारिश की गयी है।

1974 के खरीफ मौसम के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को मिलाकर फसल परिरक्षण सेवा दल गठित करने की योजना तैयार की गयी थी। इसे सभी कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के कृषि विभागों में भेज दिया गया था। इस परियोजना के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे :—

1. सम्बद्ध राज्य के ऐसे क्षेत्रों को पहचानना जहां की प्रमुख फसलों की उपज कीट व्याधियों और रोगों के प्रकोप से बहुत कम हो जाती है।
2. राज्य में कीट व्याधि एवं रोग सर्वेक्षण और निगरानी कार्यक्रमों का परीक्षण तथा सरलीकरण करना, तथा राज्य के कृषि निदेशक और विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक के कार्यालयों में, जहां सर्वेक्षण दलों से नवीनतम स्थितियां सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त करके विश्लेषित किया जाता है, नियंत्रण यूनिट स्थापित करना।
3. भयानक कीट व्याधियों और रोगों के नियंत्रण-कार्यों के संबंध में कृषि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करना।
4. प्रशिक्षित नेता के अधीन नियमित फसल परिरक्षण सेवा दलों को गठित करना जो आवश्यकता पड़ने पर कार्य करने के लिए खेतों में जा सके।
5. राज्य पौध परिरक्षण निदेशालय को उनके साज-सामान को काम देने लायक स्थिति में रखने में सहायता देना।
6. रेडियो और समाचार पत्रों द्वारा कीट-व्याधि-नियंत्रण की प्रभावकारी विधियों को लोकप्रिय बनाने में सहायता देना।

अकार्बनिक खाद

*83. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान शील धर इंस्टीट्यूट आफ साइंस इलाहाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर एन० आर० धर के उन निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है कि अकार्बनिक खाद भारतीय मिट्टी के लिये अनुपयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी, हां, हाल के डा० एन० आर० धर के वक्तव्य की जानकारी सरकार को है ।

देश में किये गये दीर्घ-कालीन उर्वरक परीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि यदि अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिकसमय तक समझदारी से किया जाय तो इनका मिट्टी और फसल पर हानिकर प्रभाव नहीं पड़ता ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने फसल-उत्पादन के लिए हमेशा उपयुक्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खादों का उपयोग करने की सिफारिश की है । आमतौर पर किसान मिट्टी में अधिक मात्रा में जैविक खाद या जैविक सामग्री नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वे उसका उपयोग ईंधन या पशु के चारे के रूप में भी करते हैं । गोबर गस संयंत्रों को लोक प्रिय बनाने की योजना शुरू की गयी है, ताकि जैविक अवशिष्ट पदार्थों का खाद के रूप में उपयोग करने के लिए संरक्षित किया जा सके । और किसानों की ईंधन की आवश्यकता की भी पूर्ति हो सके ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने "सम्पूर्ण ग्राम समाकलित पोषण आपूर्ति" तंत्र संचालन अनुसंधान सम्बन्धी एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें जैविक खाद, जैविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और रासायनिक उर्वरक का उपयोग शामिल है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं पर किया गया व्यय

*88. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं पर किये गये व्यय के बारे में 16 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 488 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 से 1973–74 के दौरान, वर्षवार, योजना के लिये राज्यवार, कितना केन्द्रीय आबंटन किया गया और वास्तविक रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई, और प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य ने वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया ; और

(ख) वर्ष 1971–72 से 1973–74 के दौरान योजना के अन्तर्गत, राज्यवार, कितने भूमि-हीन श्रमिकों को लाने की योजना बनाई गई और वास्तव में कितने भमिहीन श्रमिक लाभान्वित हुये ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अधीन, जबकि यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र में थी, केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार कोई नियतन नहीं किया गया था ।

यद्यपि, यह योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी किन्तु इसके अधीन 1971-72 में कोई परियोजना मंजूर नहीं की गई थी। निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना अनुलग्नक [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8968/75] में दी गई है :---

(i) 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को दी गई राशि;

(ii) बताई गई अब तक उपयोग में लाई राशि गई ; तथा

(iii) 1973-74 तक स्वीकृत आवास-स्थलों की संख्या तथा अब तक विकसित किए गए आवास-स्थलों की संख्या

राज्य सरकारों ने इस योजना के अधीन वर्षवार खर्चे अथवा लाभ भोगियों की सही संख्या के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं दी है।

वर्ष 1974-75 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई भारी हानि

*91. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को 1974-75 में बहुत अधिक हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के 1974-75 के लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि यह वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेख को अन्तिम रूप देने के बाद ही स्थिति मालूम होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वनस्पति घी से नियंत्रण हटा लिये जाने के पश्चात् इसका उत्पादन और सप्लाई

*92. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी से नियंत्रण हटा लिये जाने के पश्चात इसके उत्पादन और सप्लाई में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो नियंत्रण हटाये जाने से पहले वनस्पति का मूल्य क्या था और नियंत्रण हटाये जाने के पश्चात इसका मूल्य क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। वनस्पति का उत्पादन दिसम्बर, 1974 के 29,900 मीटरी टन से बढ़कर जनवरी, 1975 में 38,800 मीटरी टन हो गया है ।

(ख) विभिन्न ज़ोनों में नियंत्रण उठाने से पहले वनस्पति के सरकार द्वारा अधिसूचित खुदरा मूल्य, जिसमें बिक्री कर सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार था :--

(रुपयों में)

पैक का परिमाण	उत्तरी ज़ोन	दक्षिणी ज़ोन	पूर्वी ज़ोन	पश्चिमी ज़ोन (गुजरात के अलावा)	पश्चिमी ज़ोन (गुजरात)
16.5 किलो टिन	160.49	160.25	166.82	161.78	158.32
4.0 किलो टिन	42.03	41.98	43.57	42.34	41.50
2.0 किलो टिन	21.05	21.82	22.62	22.81	21.59
खुला प्रति किलो	9.71	9.69	10.09	9.79	9.58

पता चला है कि नियंत्रण उठाने के बाद 16.5 किलो के टिनों में या खुले रूप में विकने वाले वनस्पति का खुदरा मूल्य नियंत्रण उठाने से पहले मूल्य के लगभग बराबर ही चल रहा है और छोटे परिमाण के डिब्बों के मामले में इसके मूल्य में लगभग 40 से 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि हुई है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं की स्थायी वितरण पद्धति की योजना

*93. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता को अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु एक स्थायी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने तथा वितरण प्रणाली का बाधारहित चालू रखने के लिए वस्तुओं की अधिक मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु चावल तथा तेल मिलों के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के अधीन खाद्यान्नों की सरकारी वितरण प्रणाली कई वर्षों से लागू है। जनसंख्या के जरूरतमंद और गरीब वर्गों की अग्रता के आधारपर और उनकी आवश्यक जारूरतों के अनुसार सरकारी वितरण प्रणाली के विस्तार करने और उसे सशक्त बनाने के प्रश्न पर उत्तरी तथा मध्य क्षेत्र, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 4 क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्य के खाद्य मन्त्रियों, सिविल सप्लाई अधिकारियों और निगम के साथ विचार विमर्श हुआ था । यह निर्णय हुआ है कि अत्यावश्यक जिन्सों के वितरण को प्रथमत: अग्रता दी जानी चाहिए जिनमें खाद्यानों, जिसमें मोटे अनाज और दालें जहां आवश्यक हों, भी शामिल हैं , चीनी, स्टैंडर्ड कपड़े, खाद्य तेलों समेत वनस्पति, सस्ता ईंधन (कोयला और मिट्टी का तेल) और नमक शामिल है और वह महानगर और बड़े शहरी क्षेत्रों, खानों, औद्योगिक और प्लांटेशन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों, जिला प्रधान कार्यालयों और उन जिलों जोकि अक्सर कमी से प्रभावित रहते हैं जैसे जरुरतमंद क्षेत्रों के लिए होना चाहिए ।

यहभी निर्णय हुआ कि सीमेंट, विद्यार्थियों के लिए कागज और स्टेशनरी, कृषि प्रयोजन के लिए डीज़ल तेल आवश्यक दवाईयां, साबुन दियासलाई, शिशु आहार, टायर तथा ट्यूब, साधारण जूत और सोडाऐश के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए।

चावल, आटा और तेल के मिलों की राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नगरीयकरण के बारे में राष्ट्रीय नीति

*94. **श्री बसंत साठे :**

श्री धामनकर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण तथा आवास मन्त्रालय द्वारा नगरीयकरण का भावी ठांचा संबंधि राष्ट्रिय नीति निर्धारित करने हेतु 28 जनवरी, 1975 को दिल्ली में बुलाई गई विशषज्ञों की बैठक में सरकार से ठोस सिफारिशें की गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) नीति सम्बन्धी संकल्प को अन्तिम रुप देने के उद्देश्य से नगरीकरण के विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन ने नई दिल्ली में 28 जनवरी, 1975 को विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई। नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन ने बैठक द्वारा सर्व सर्वसम्मति से अपनाया गया संकल्प सरकार को भेजा है। संकल्प में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों से राष्ट्रीय नगरीकरण नीति संकल्प अपनाने के लिये अनुरोध किया गया है: जिसमें (i) नगरीकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य, (ii) इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली स्थानिक तथा आर्थिक योजनाएं, और (iii) उन योजनाओं के पालनहेतु केन्द्रीय, राज्य तथा नगर पालिका निकायों की क्षमता तथा सार्थकता को बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्यवाही का उल्लेख हो। संकल्प में यह अनुरोध भी किया गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं में कम से कम साधनों की वचनबद्धताएं स्वीकृत की जायें ताकि नगरीय समस्याओं को ध्यान दिया जाता रहे।

2. संकल्प में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली के आस-पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत विकास

*95. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत दिल्ली से लगते हुये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों का विकास करने का है,

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन नगरों चुना गया है ; और

(ग) सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में नरेला के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय प्लान में निम्नलिखित उन उप-नगरों को ध्यान में रखा गया है जिनमें विकास की काफी अच्छी सम्भावना है :—

उत्तर प्रदेश	हरियाणा	राजस्थान
1. मरठ	1. रोहतक	अलवर
2. हापुड़	2. पानीपत	
3. बुलन्दशहर	3. फरीदाबाद—बल्लमगढ़	
4. खुर्जा	4. सोनीपत	
5. सिकन्दराबाद	5. गुड़गाव	
6. गाज़ियाबाद	6. रेवाड़ी	
7. मोदी नगर	7. पलवल	
	8. बहादुरगढ़	

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उच्चशक्ति प्राप्त बोर्ड ने 27 सितम्बर, 1974 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया है कि आरम्भ में इस क्षेत्र के संघटक राज्य अपने उप क्षेत्र में एक प्राथमिकता प्राप्त नगर चुन ले तथा विस्तृत विकास परियोजनाएं तैयार करें। इस निर्णय के आधार पर उत्तर प्रदेश में मेरठ, हरियाणा में गुड़गाव और राजस्थान में अलवर के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उन पर विचार किया जा रहा है इसी प्रकार की रिपोर्ट दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के नरेला के बारे में भी प्राप्त होने वाली है।

3. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है तथा इन निधियों को राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को करने के प्रयत्नों की अनुपूर्ति के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना में वर्ष 1974–75 के लिए 40 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।

बेकार पड़े हुए ट्रैक्टर

*96. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फालतू पुर्जों के अभाव के कारण 50,000 ट्रेक्टर या तो बेकार पड़े हुए हैं या उनका पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे कब से बेकार पड़े हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि अब तक प्राप्त की गई रिपोर्टों के अनुसार देश में अतिरिक्त पुर्जों की सामान्य कमी नहीं है, यद्यपि 2 या 3 राज्यों में कुछ ट्रैक्टरों के बेकार पड़े होने की सूचना मिली है।

उर्वरकों की उपलब्धि में कमी और उनका नकदी फसलों में प्रयोग

*97. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू कृषि वर्ष के दौरान बढ़ाये हुए कृषि उत्पादन के लिये अपेक्षित उर्वरकों के ईष्टतम उपयोग के लिए उर्वरकों की उपलब्धि 28 प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत जून में उर्वरकों के मूल्य में हुई भारी वृद्धि से पूर्व यह अनुमान लगाया गया था , और

(ग) क्या ऐसी कोई जानकारी मिली है कि खाद्यानों के लिए प्रयोग होने वाले कुछ उर्वरकों का प्रयोग नगदी फसलों के लिए किया गया है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) शुरु में खरीफ 1974 और रबी, 1974–75 के लिए सभी राज्यों की कृषि के लिये 41.56 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। तथापि वर्ष के दौरान ये आवश्यकतायें बहुत कम हो गईं क्योंकि मौसमी स्थितियां प्रतिकूल थीं जिनसे खरीफ, 1974 और रबी, 1974–75 के दौरान कई राज्यों पर असर पड़ा। जहां तक सप्लाई का सम्बन्ध है, खरीफ 1974–75 के दौरान शुरू में अनुमान लगाई गई आवश्यकताओं की तुलना में 81 प्रतिशत से अधिक सप्लाई हुई थी। रबी 1974–75 के लिए अनुमानित आवश्यकताओं से कुछ कम सप्लाई हुई थी। किन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसका मुख्य कारण यह था कि कुछ राज्य सूखे, बाढ़ आदि जैसी प्रतिकुल मौसमी स्थितियों के कारण उन्हें आबंटित की गई उर्वरकों की पूरी मात्रा नहीं उठा सकें ।

(ख) पांचवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए उर्वरक की आवश्यकताओं का अनुमान पांचवीं योजना वधि शुरू होने से पहले लगाया गया था । तथापि आवश्यकताओं का विस्तृत जायजा प्रत्येक मौसम शुरू होने से पहले लिया जाता है । खरीफ, 1974 के लिये जनवरी 1974 में और रबी, 1974-75 के लिए जुलाई, 1974 में विस्तृत जायजा लिया गया था ।

(ग) खाद्यान्नों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उर्वरकों का नकदी फसलों के लिए बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ है ।

विजिंजम मत्स्य ग्रहण पत्तन, केरल सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन

*98. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने अनुमानत: 295 लाख रुपये की लागत वाले विजिंजम मत्स्य ग्रहण परियोजना के वित्तीय चरण सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या उत्तर पश्चिम की ओर रेत जमा हो जाने की बात को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को इस परियोजना पर काम को तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए अब तक कुल कितनी सहायता दी गई और इस चरण पर कितना काम पूरा हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया है। अभी इसकी प्रतीक्षा है।

(घ) राज्य सरकार को मंजूर की गई 173 लाख रुपए की राशि में से कुल 166 लाख रुपए की राशि दी गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बांध, पहुंच मार्गों कार्यालय भवनों, क्वार्टरों, कर्मशालाओं आदि का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। जेटी तथा जलावतरण-मंच सम्बन्धी कार्य 1974-75 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

मिदनापुर पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय की स्थापना

***99. श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री समर गुह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव है ; जैसी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति द्वारा सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उस पर कितना धन व्यय होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन):(क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित की गई विभिन्न सिफारिशों पर, राज्य सरकार तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के विचार प्राप्त होने के पश्चात आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए इस स्तर पर उन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में कोई प्रगति बताना संभव नहीं है।

तमिल नाडु से चावल के लिये अनुरोध

***100. श्री एम० के० कृष्णन :**

श्री वी० मायावन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से तमिल नाडु को 1 लाख मीटरी टन चावल देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) तमिल नाडु सरकार ने जनवरी, 1975 से चावल सहित 1 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के मासिक आबंटन के लिए अनुरोध किया है। एक अन्य पत्र में, उन्होंने अक्तूबर, 1975 तक प्रतिमास 50,000 मीटरी टन चावल का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया है।

केन्द्रीय पूल में चावल की सीमित उपलब्धता और केरल तथा पश्चिमी बंगाल जैसे चावल की खपत करने वाले भारी कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तमिल नाडु को केन्द्रीय पूल से चावल आबंटित करना सम्भव नहीं हुआ है । तथापि, तमिल नाडु को सरकारी वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के कोटे को अक्तूबर-दिसम्बर, 1974 के 5,000 मीटरी टन प्रति मास से बढ़ाकर जनवरी, 1975 के लिए 16,000 मीटरी टन और फरवरी, 1975 के लिए 41,000 मीटरी टन कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, तमिल नाडु को रोलर आटा मिलों को सप्लाई करने के लिए प्रति मास 9,000 मीटरी टन गेहू आबंटित किया जा रहा है ।

मद्य निषेध का लागू किया जाना

801. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री एम० एन० सिद्दम्या :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् ने अपने प्रतिवेदन में मद्य निषेध लागू करने पर बल दिया है ताकि अवैध रूप से शराब न बनायी जाए और उसकी तस्करी न हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद ने हाल में अवैध रुप से शराब बनाए जाने के सम्बन्ध में अध्ययन किया है और वह इस नतीजे पर पहुंची है कि इसका उपचार मद्यनिषेध को लागू करना ही है ।

(ख) राज्य सरकारों को मद्य निषेध को लागू करने के पूरे अधिकार हैं । केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं दे सकती है । तो भी, केन्द्रीय सरकार हमेशा से ही मद्यनिषेध सम्बन्धी समान नीति का समर्थन करती रहती है और राज्य सरकारों को इस बात के लिए मनाती रहेगी ।

वर्ष 1975 में उर्वरक की आवश्यकता

802. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में अनुमानत: कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी ; और

(ख) उर्वरक का देश में उत्पादन कितना होगा और कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक के आयात के लिए कौन से प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) अनुमान लगाया गया है कि 1975 के खरीफ और 1975-76 के रबी के मौसमों के लिए 34 लाख मीटरी टन 'एन', 10.35 लाख मीटरी टन 'पी', और 6.50 लाख मीटरी टन 'के' उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ख) आशा है 1975 के दौरान देश में 'एन' और 'पी' का उत्पादन क्रमश: 15.5 लाख मीटरी टन और 3.63 लाख मीटरी टन होगा । देश में उपलब्ध भण्डार पहले तय हुए करारों के अन्तर्गत अभी तक न पहुंचने वाले माल और 1975 के दौरान आयात

के लिए पहले से तय हुए करारों के अनुसार उर्वरकों की मात्रा, 8.22 लाख मीटरी टन 'एन' 5.41 लाख मीटरी टन 'पो' और 3.04 लाख मीटरी टन 'के' है ।

केरल में खारे पानी के कारण धान की खेती की हानि

803. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में समुद्र के खारी पानी के आने के कारण बड़े क्षेत्र में धान की खेती को क्षति हुई है ;

(ख) क्या उक्त क्षति की पुनरावृति को उस क्षेत्र में तेन्निरमुक्कोम बांध के निर्माण को तेजी से पूरा कर रोका जा सकता है जिसके निर्माण कार्य में धन की कमी के कारण विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त राज्य को इस परियोजना के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का है जिससे कई लाख एकड़ भूमि पर खेती को स्थायी तौर पर बचाया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) तीन चरणों में निर्माण करने के लिए प्रस्तावित थन्नूरमोक्कन नियामक स्कीम में पश्च जल से दूर धान की खेतों के संरक्षण के लिए खारे पानी के प्रवेश का नियमन करना परिकल्पित है । प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा दूसरे चरण का कार्य 1975 के मध्य तक पूर्ण होना संभावित है । इस चरण को पूर्ण करने के साथ, यह प्रत्याशा है कि खारे पानी का प्रवेश पूर्णतः रोका जा सकता है । इस स्कीम के पूर्ण होने में देरी, राज्य सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध करने में असमर्थता के कारण हुई है ।

(ग) इस परियोजना के लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी परियोजनाओं की स्वीकृति

804. श्री टुना उरांव :

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी राज्यों से, राज्यवार प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी उन परियोजना प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं जो स्वीकृति के लिये कृषि मन्त्रालय के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय किये जाने में विलम्ब के क्या कारण है और इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8969/75]**

गवर्नमेंट माडर्न हायर सैकेन्डरी स्कूल, लूडली कैसल, दिल्ली की व्यायामशाला की छत का गिरना

805. श्री के० एम० मधुकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जनवरी, 1975 को गवर्नमेंट माडर्न हायर सैकेन्डरी स्कूल, लूडली कैसल, दिल्ली की व्यायामशाला की छत के गिर जाने संबंधी दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है ।

Expenditure incurred on storage and transportation by F.C.I.

806. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) the per quintal expenditure incurred by the Food Corporation of India during the last two years on storage and transportation of foodgrains i.e. per quintal expenditure on various heads such as its procurement right from the producers to its supply to the consumers; and

(b) the efforts made to reduce this expenditure and the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Anna-Saheb P. Shinde) : (a) The per quintal handling expenditure comprising the procurement and distribution cost incurred by the Corporation for wheat and rice during the last two years are as under:

	Rs./Quintal	
	Wheat	Rice
1972-73	22.76	19.15
1973-74 (prov.)	24.97	21.99

The element-wise details of these expenses are given in Annexure I. [*Placed in the Library. See No. LT* 8970/75].

(b) The Corporation has taken a number of steps to bring down the expenditure on transportation and storage of foodgrains. Some of the important steps taken by the Corporation are given in Annexure II. [*Placed in the Library. See No. LT* 8970/75].

पश्चिम बंगाल में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता

807. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में किन क्षेत्रों को हमेशा सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के रुप में वर्गीकृत किया गया है ; और

(ख) इन क्षेत्रों को सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गयी अथवा दिये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल में दो यूनिटों अर्थात पुरूलिया के सम्पूर्ण जिले और दूसरी यूनिट, जिसमें बांकुरा और मिदनापुर जिलों के सुखे से अधिक ग्रसित होने वाले इलाके शामिल है, को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) इन क्षेत्रों के लिए केन्द्र छः करोड़ रुपये देगा और इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी है ।

विभिन्न तरीके से खांडसारी चीनी का उत्पादन करने वाले एकक

808. श्री शिब्बन लाल सक्सेना : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के मौसमों में जनवरी, 1975 के अन्त तक क्रमशः हाइड्रालिक सल्फिटेशन प्रक्रिया, साधारण सल्फिटेशन प्रक्रिया और देशीय तरीकों से खांडसारी चीनी का उत्पादन करने वाले एककों की कुल संख्या कितनी थी और देश में राज्य-वार इनका कुल उत्पादन कितना था ;

(ख) इन में से प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने खांडसारी चीनी एककों से कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया; और

(ग) इन में से प्रत्येक वर्ष में इन तीनों तरीकों से, अलग-अलग, खांडसारी चीनी की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और अन्य संबंधित अधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

हीराकुन्ड बांध में दरार

809. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री हीराकुण्ड बांध में दरार के बारे में 25 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1988 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरार का क्या कारण है और उसकी मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के घटना स्थल पर अध्ययन करने और दीर्घावधि उपाय सुझाने वाले विशेषज्ञ दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) दरारों के पड़ने के कारण को अभी सुनिश्चित किया जाना है । परियोजना प्राधिकारियों ने कुछ अस्थायी मरम्मत कार्य किए है ।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों न, जिन्होंने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया था, अपनी रिपोर्ट में इस समस्या के विश्लेषण के लिए अपेक्षित अन्वेषणों एवं आंकड़ों का ब्यौरा दिया है ।

(ग) अपेक्षित आंकड़े शीघ्र ही मिलने की संभावना है। आंकड़ों के प्राप्त होने के तुरन्त उपरांत दरारों के कारण का पता लगाने के लिए विश्लेषण और अध्ययन किए जाएंगे तथा मरम्मत के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश की जाएगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में बारानी कृषि के लिए प्रोत्साहन की योजना

810. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारानी कृषि के लिए प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की संक्षिप्त रुपरेखा क्या है और उससे राज्यों को कितना लाभ हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, बारानी स्थितियों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाएं चलाई गयी हैं।

(ख) बारानी स्थितियों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजना-कालों में अनेक अनुसंधान और विकास प्रायोजनाएं चलायी गयीं। इनमें से एक प्रमुख परियोजना है मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम जिसे पहली पंचवर्षीय योजना से ही चलाया जा रहा है। इससे मुख्यत: देश के बारानी इलाकों को लाभ मिलता है, जिनमें पहाड़ी प्रदेश भी शामिल हैं। चौथी योजना के अंत तक मिट्टी और जल संरक्षण पर लगभग 347 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जिससे देश को लगभग 1 करोड़ 70 लाख हैक्टर भूमि को लाभ पहुंचा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पांचवें योजना-काल में 291 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 80 लाख हैक्टर भूमि को लाभ पहुंचेगा।

बारानी स्थितियों में कृषि उत्पादन में सुधार लाने के प्रयत्नों में तेजी लाने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित बारानी कृषि अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अन्तर्गत चौथे योजना-काल में देश के विभिन्न भागों में 24 अनुसंधान केन्द्र खोले गये। 1 करोड़ 78 लाख रुपये की वित्त व्यवस्था के साथ यह योजना शुरू की गयी थी। पांचवीं योजना में 3 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय पर इसे जारी रखा गया है। बारानी कृषि उत्पादन को स्थिर करने के लिए बारानी कृषि अनुसंधान प्रायोजना नयी प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है। इसके साथ ही 20 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था के साथ चौथी योजना की अवधि में केन्द्र की स्वीकृति से बारानी कृषि विकास की एक समाकलित परियोजना चलायी गयी। इस परियोजना के अंतर्गत 12 राज्यों में बारानी कृषि अनुसंधान केन्द्रों के निकट बारानी कृषि विकास की 24 अग्र प्रायोजनाएं क्रियान्वित की गयीं, ताकि नयी बारानी कृषि प्रौद्योगिकी को किसान के खेतों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। इन बारानी कृषि विकास प्रायोजनाओं में से एक को बिहार के पलामू जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में चालू किया गया है। बारानी कृषि विकास की ये समाकलित प्रायोजनाएं पांचवें योजना-काल में भी जारी रहेंगी। इनके लिए 10 करोड़ रुपयों की वित्त व्यवस्था की गयी है।

इसके अलावा, फसल सुधार, सस्य विज्ञान प्रयोग, मिट्टी और जल-प्रबंध के लिए अनेक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाएं हैं, जिन्हें देश भर के (जिसमें पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल है) अनुसंधान केन्द्रों द्वारा चलाया जा रहा है। इन अनुसंधान प्रायोजनाओं के अंतर्गत समुचित फसल की किस्मों, कृषि क्रियाओं तथा मिट्टी और जल-प्रबंध प्रौद्योगिकी को विकसित करने के प्रयोग किये जाते हैं, ताकि देश के विभिन्न भागों में, जिनमें पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल है बारानी स्थितियों में कृषि उत्पादन को सुधारा जा सके।

सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) के लिए भी एक प्रायोजना है। इसका उद्देश्य 13 राज्यों के 74 जिलों में जहां की बारानी स्थितियों में मानसून की अनिश्चितता और सूखा के प्रकोप के कारण कृषि उत्पादन स्थिर नहीं है, कृषि उत्पादन को स्थिर करना है।

River water disputes

811. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to tate:s

(a) the number of rivers which are subject of disputes between two or more States and the estimated loss being suffered as a result of such disputes; and

(b) the number of disputes which have been resolved and further action being taken by Government in this regard?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Jagjivan Ram) : (a) The major disputes pending settlement are those relating to the Narmada, Godavari, Krishna, Yamuna, Cauvery, Ravi-Beas (Surplus waters) and the Damodar rivers.

While the development of irrigation and power potential has suffered in river basins where there are disputes, the country as a whole has not suffered any significant loss since the funds available for irrigation and power development have been utilised on development this potential in other rivers.

(b) Settlement of water disputes is a complex problem involving study of voluminous data and their analysis. In the recent past, discussions were held with the concerned Chief Ministers with regard to sharing of surplus waters of Ravi-Beas, control of distributaries of Agra Canal and Western Yamuna Canal, Cauvery waters and the Subernrekha Project of Bihar. Progress has been made towards settlement. Efforts are being continued to resolve disputes, other than those referred to the Tribunal, by negotiations.

Repairing of 'Patwon ki Haveli' in Jaisalmer

812. **Shri Onkarlal Berwa :** Will the Minister of **Education, Social Welf re and Culture** be pleased to state whether a proposal is being considered to repair and beautify the "Patwon Ki Haveli" in Jaisalmer in Rajasthan after declaring it a protected monument?

The Minister of Education, Social welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) The Patwon-ki-Havelies of Jaisalmer have already been declared as protected monument by the Government of Rajasthan under their Act, namely the Rajasthan Monuments Archaeological Sites and Antiquities Act, 1961. The Government of Rajasthan have initiated necessary action for their acquisition and preservation.

वनकला और दस्तकारी का संग्रहालय

813. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनकला और दस्तकारी का एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुरातत्व विभाग में निलम्बित पड़े पेंशन के मामले

814. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विभाग में गत तीन वर्षों से कितने कार्य-भार कर्मचारियों के पेन्शन मामले निलम्बित पडे हैं;

(ख) आगे और विलम्ब न होने देने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) मामलों की संख्या 27 है ।

(ख) निलम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

Mahavir Nirvan Centenary programme

815. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Education, Social welfare and culture** be pleased to state :

(a) the programme implemented by the Government on the occasion of Mahavira Nirvana Centenary and the expenditure incurred thereon so far; and

(b) the amount yet to be spent and the programmes which remain incomplete or have not been undertaken so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The following programmes in connection with the 2500th anniversary of Bhagwan Mahavira Nirvan have been implemented so far:

(i) At the request of the Government of India, UNESCO included the 2500th anniversary of the Nirvana of Bhagwan Mahavira in its list of anniversaries of Great Personalities and Events in its Calendar for 1973-74. This list was brought to the attention of all National Commissions in the Member-States, non-governmental organisations and they were asked to arrange commemoration functions as might be considered suitable by them.

No expenditure on the part of the Government was involved.

(ii) A commemorative postage stamp of the denomination of 25 paise was issued by the Indian Posts and Telegraphs Department on 13-11-1974 to commemorate the 2500th Anniversary of Bhagwan Mahavir's Nirvan. The issue of this stamp involved an expenditure of about Rs. 48,630/-which would be recouped by philatelic sale of the stamp, first day covers, etc.

(iii) The film 'Jain Temples of India' was re-released on 8-11-1974 by the Films Division, Government of India.

The Song and Drama Division presented suitable programmes in connection with the celebrations.

Special news coverage and broadcasts were held by the All India Radio.

Since these programmes are part of the normal activities of the Ministry of Information and Broadcasting, no separate accounts of the expenditure incurred are available.

(iv) A public meeting was held at the Ramlila Grounds, New Delhi, on 17-11-1974. It is proposed to sanction a grant-in-aid of Rs. 35,000, being approximately 50% of the expenditure incurred for the organization of the meeting.

(v The University Grants Commission approved proposals for organising meetings and discussions on Jainism and the teachings of Bhagwan Mahavir to celebrate the 2500th Anniversary of Nirvan Mahotsav of Bhagwan Mahavir, in Karnatak University, Poona University, Udaipur University and Visva-Bharati.

So far grants amounting to Rs. 12,848/- have been released for the purpose to Universities of Poona and Udaipur.

(b) The programmes for the 2500th anniversary of Bhagwan Mahavir's Nirvana recommended by the National Committee set up for the purpose, and approved in principle by the Government of India, provide for a total allocation of Rs. 50 lakhs. It is expected that such expenditure on specific programmes relating to their activities will be met by various Central Government Departments from their own budgetary allocations.

बिहार में लघु कृषक विकास एजंसी द्वारा पम्पों की खरीद के लिए दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

816. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व चम्पारन जिला (बिहार) आदापुर ब्लाक में डीजल पम्प सेटों की खरीद के लिए लघु कृषक विकास एजेन्सी द्वारा मंजूर ऋणों के संबंध में लगभग 50,000 रुपये के घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) छोटा किसान विकास एजेन्सीयों कोई ऋण नहीं देती हैं। छोटा किसान विकास एजेंसी, चम्पारण ने भी डीजल पम्प सैट खरीदने के लिए कोई ऋण नहीं दिए हैं। इसलिए, इस एजेंसी द्वारा ऐसे ऋण मंजूर करने में घोटाले का प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से खाद्य सहायता

818. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी वर्ष 1974–75 के दौरान भारत को खाद्य अनुदान देगा,

(ख) क्या भारत–यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अनाज खरी देगा,

(ग) यदि हां, तो क्या खाद्य अनुदान की शर्तें तैयार कर ली गई हैं, और

(घ) यदि हां तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1974–75 के दौरान भारत को 1.5 लाख मीटरी टन गेहूं खाद्य सहायता के रूप में देने के लिए सहमत हो गया है। योरूपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों के अंशदान के रूप में 1.5 लाख मीटरी टन और खाद्य सहायता प्राप्त होने की आशा है । सहायता के रूप में प्राप्त गेहूं की मात्रा के लिए कोई भूगतान नहीं करना होगा लेकिन इसका भाड़ा भारत सरकार को देना होगा ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अब तक 5 लाख मीटरी टन गेहूं **वाणिज्यक आधार पर खरीदा** गया है ।

राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद की स्थापना

819. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् की स्थापना की है अथवा उसकी स्थापना का मामला विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं, और परिषद् के कृत्य क्या हैं,

(ग) क्या परिषद् की अब तक कोई बैठक हुई है, और

(घ) यदि हां, तो कोई निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद् की संरचना और कृत्यों पर सरकार विचार कर रही है। परिषद् का फिर से गठन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तमिलनाडु में भुखमरी से हुई मौतें

820. **श्री एम० कतामुतू :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री वरके जार्ज :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल के महीने में तमीलनाडु में खाद्यान्न की अत्याधिक कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या हाल ही में तमिलनाडु में भुखमरी से 100 व्यक्तियों की मौतें हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खुले बाजार में बिक्री हेतु चीनी के कोटे में वृद्धि

821. **प्रो० मधु दण्डवते :**
चौधरी राम प्रकाश :
श्री के० मालप्पा :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री डी० के० पंडा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या खुले बाजार में बिक्री हेतु चीनी के कोटे को 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसो कार्यवाहो किन कारणों से करनो पड़ो, और

(ग) खुले बाजार में बिक्रो हेतु चोनो के कोटे में को गई इस वृद्धि से चोनो उद्योग का कितना अतिरिक्त लाभ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जो हां।

(ख) देश में लेवो चोनो के खुदरा निर्गम मूल्य को अपरिवर्तित रूप में बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो गया था ।

(ग) यह बताना जल्दबाजो होगी कि इसके परिणामस्वरूप उद्योग को अतिरिक्त लाभ पहुंचेगा अथवा नहीं। वर्ष में मुक्त बिक्रो को चोनो को बेचने से उद्योग द्वारा प्राप्त औसत लाभ पर यह निर्भर करेगा ।

ऐतिहासिक दस्तावेजों का नष्ट किया जाना

822. **श्री शशि भूषण :**
श्री वरके जार्ज :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेजों को नष्ट किया गया है; किया जा रहा है या रद्दो कागज के रूप में बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो संक्षिप्त विवरण क्या है और इस प्रकार उन का निपटान किये जाने के विशेष कारण क्या हैं ;

(ग) क्या मूल्यवान ऐतिहासिक रिकार्डों के उस प्रकार के नष्ट किए जाने को रोकन के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के प्रति सरकार को प्रतिक्रिया क्या है ; और इस संबंध में भारतीय ऐतिहासिक रिकार्ड आयोग द्वारा क्या कार्यवाहो को गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) केन्द्रोय सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, तमिलनाडु अभिलेखागार में ऐतिहासिक महत्व के 86,000 पुराने अभिलेख नष्ट कर दिये गये हैं। मध्य प्रदेश और दरभंगा में अभिलेख नष्ट करने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुए हैं, परन्तु केन्द्रोय सरकार के पास इस बारे में कोई अधिकृत सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) हालांकि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रोय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों अथवा व्यक्तियों के पास उपलब्ध अभिलेखों को नष्ट करने को नियमित बनाने के लिए कोई विधान लागू नही किया है किन्तु केन्द्रोय सरकार ने अभिलेखीय विधान समिति (डा० ताराचन्द समिति) की रिपोर्ट पर समुचित विचार करने के बाद 1972 में एक अभिलेखीय नीति संकल्प पारित किया था जो केन्द्रोय सरकार के अभिलेखों के रख-रखाव और प्रशासन को नियमित करता है। अभिलेखीय नीति संकल्पों को प्रतियाँ राज्य सरकारों को भेज दी गई थी ताकि यदि वे चाहें, तो इसी प्रकार की क्रियाविधि अपना सकें।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने, जो अभिलेख सम्बन्धी नीति के मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है, विगत में पुराने अभिलेखों की उचित रूप से छंटाई करने के संबंध में अनेक सिफारिशें की थी। लखनऊ में 28 जनवरी, 1975 को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की बैठक में इस मामले पर फिर से विचार-विमर्श किया गया था और निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था :-

आयोग द्वारा (1925 को संकल्प संख्या ii, 1942 को संकल्प संख्या-vii 1943 को संकल्प संख्या v, 1951 को संकल्प संख्या vi में) बार बार की गई सिफारिशों के बावजूद अनेक राज्यों में तथाकथित व्यापक पैमाने पर पुराने सार्वजनिक अभिलेखों के नष्ट किए जाने पर आयोग अत्यन्त चिन्तित है तथा यह तय करती है कि आयोग के पांच सदस्यों की एक उप-समिति गठित की जाए जो स्थायी समिति को छः मास के भीतर निम्नलिखित बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे :-

(क) उपरोक्त संकल्पों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान नष्ट किए गए अभिलेखों की अवधि और प्रकार।

(ग) पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त स्टाफ की योग्यताएं तथा उपर्युक्तता; और

(घ) स्थायी महत्व के अभिलेखों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कौन से कदम उठाए जा सकते हैं।

आयोग राज्य सरकारों को इस बात की भी सिफारिश करता है कि जब तक उक्त समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती, तब तक वे 1947 से पूर्व के अभिलेखों को नष्ट न करें।

केन्द्रीय सरकार इस मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

823. श्री गजाधर माझी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुछ सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक, विश्व बैंक सहायता से पूर्ण की गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए मिली यह सहायता 54.88 मिलियन अमरीकी डालर की है। विश्व बैंक ऋण सहायता के साथ पूर्ण की गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, दो निर्माण की जा रही परियोजनाएं, नामशः गुजरात में कडाना तथा आन्ध्र प्रदेश में पोचम्पाद परियोजना भी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण-सहायता प्राप्त कर रही है। कडाना परियोजना के लिए 35 मिलियन डालर तथा पोचम्पाद परियोजना के लिए 39 मिलीयन डालर का ऋण समझौता हुआ है।

हाल ही में, विश्व बैंक आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी बराज परियोजना के लिए 45 मिलियन डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।

विवरण

पहलें से पूर्ण की गई परियोजनाओं के लिए ऋण

क्रमांक	परियोजना का नाम	समझोते की तारीख	सनझौते में उल्लीखित धनराशि (मिलियन डालर)	अंतिम अदायगी की तारीख	ली गई धनराशि (मिलियन डालर)
1.	सोन बराज (विहार)	29-6-1962	15.00	4-12-67	15.00
2.	शतरुंजो (गुजरात)	22-11-1961	4.50	2-3-1966	33.38
3.	पूर्णा (महाराष्ट्र)	18-7-1962	13.00	7-8-1968	13.00
4.	सालंदी (उड़ीसा)	22-11-1961	7.50	1-7-1969	7.50
5.	नलकूप परियोजना (उत्तर प्रदेश)	6-9-1961	6.00	1-10-1964	6.00
6	बाढ़–सुरक्षा तथा जल निकास कार्य (पंजाब)	22-11-1961	10.00	18-9-1966 तक	10.00
					54.88

नगरीय कला आयोग द्वारा भवनों के डिजायनों की स्वीकृति न देना

824. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय कला आयोग ने नेहरु प्लैस, सर्वोच्च न्यायालय के विस्तार और नई दिल्ली में प्रस्तावित संसद् पुस्तकालय भवन के डिजायनों को स्वीकृति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर कला आयोग ने, नेहरु प्लैस, सर्वोच्च न्यायालय भवन के विस्तार तथा संसद् पुस्तकालय भवन परियोजनाओं के प्लानों , नक्शों और नमूनों का परीक्षण किया और उनमें कुछ कमियां तथा त्रुटियां पाई। इन त्रुटियों पर प्रवर्तकों तथा संबंधित वास्तुकों के साथ विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया गया जबकि आयोग द्वारा, कानूनी तथा अन्य वचनबद्धताओं को देखते हुए कतिपय सुधार और संशोधन सुझाए गए। पुनरीक्षित प्रस्ताव अभी तक आयोग को प्रस्तुत नहीं किए गये है।

स्टेट फार्म कारपोरेशन के फार्मों का कार्य निष्पादन और उनमें दी जाने वाली मजूरी

825. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट फार्म कार्पोरेशन द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रीय कृषि फार्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1974–75 के दौरान अब तक उन की वित्तीय निष्पादन तथा उत्पादन क्या रहा;

(ग) क्या स्टेट फार्मों में कृषि श्रमिकों को दिये जाने वाली मजूरी स्थानी प्रचलित मजूरी दर से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क)

1. केन्द्रीय राज्य फार्म
   डाक जैतसर, जिला श्री गंगानगर,
   (राजस्थान)
2. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़,
   जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)
3. केन्द्रीय राज्य फार्म,
   10 किलोमीटर, सिरसा रोड,
   हिसार(हरियाणा)
4. केन्द्रीय राज्य फार्म,
   डाक लाढोवल,
   जिला लुधियाना (पंजाब)
5. केन्द्रीय राज्य फार्म, (बन्द किया जा रहा है)
   लच्छिपालो, वाया–अनहेलापादा
   जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)
6. केन्द्रीय राज्य फार्म,
   डाक : ज्वालगेरा, सिधानूर ताल्लकु,
   जिला रायचुर (कर्नाटक)
7. केन्द्रीय राज्य फार्म, लोकीचेरा,
   मिजोरम, डाक : पत्थर कन्डो (दो एककें)
   मिजोरम
8. केन्द्रीय राज्य फार्म,
   डाक : अरालम, वाया पोरावूर,
   जिला कन्नोनों (केरल)
9. केन्द्रीय राज्य फार्म,
   कोकोलाबाडो, डाक : पाठशाला,
   जिला कामरूप (असम)
10. केन्द्रीय राज्य फार्म,
    गांव और डाक : मलपल्लपिट्टू—606703,
    जिला उत्तरो अर्काट (तमिलनाडु)

11. केन्द्रीय राज्य फार्म अचितापुरम्,
डाक: नरावारीमुंडम, वाया असवारीपेट,
खम्माम (आन्ध्र प्रदेश)

12. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली,
डाक: लालगंज,
रायबरेली (उत्तर प्रदेश)

13. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच,
डाक: गिरजापुरी,
जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश)

(ख) निगम का कृषि वर्ष जुलाई से जून तक होता है, इसलिए वर्ष 1974-75 के उत्पादन और वित्तीय निष्पादन के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। वर्ष 1973–74 के वास्तविक आंकड़ों और वर्ष 1974-75 के अनुमानों को प्रदर्शित करने वाल विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध 1,2 और 3)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8271/75]**

(ग) और (घ) केरल सरकार के कुछ फार्मों के सिवाय, भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों में कार्य करने वाले दैनिक मजदूरों को मजदूरी की दरें प्राय: स्थानीय दैनिक मजदूरी की दरों से कम नहीं है। भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों के कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी को निश्चित करते समय राज्य/केन्द्र सरकारों द्वारा निम्नतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाली मजदूरी को ध्यान में रखा जाता है। कुछ फार्मों में ये मजदूरी केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई निम्नतम मजदूरी से भी अधिक है।

जनवरी, 1974 से जनवरी, 1975 तक राज्यों द्वारा मांगे गये, उन्हें आवंटित किये गये तथा सप्लाई किये गये खाद्यान्न की मात्रा

826. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 से जनवरी, 1975 तक खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा कितने खाद्यान्न का आवंटन किया गया और कितना खाद्यान्न वास्तव में सप्लाई किया गया?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई खाद्यान्नों की मात्रा और उनको जनवरी, 1974 से जनवरी, 1975 तक केन्द्रीय पूल से सप्लाई की गई मात्रा का ब्यौरा विवरणों (अनुबंध 1,2 और 3) में दिया गया है। **[ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिए संख्या एन० टी० 8972/75]**

काबिनी और हेमावती जलाशयों के जल उपयोग के बारे में विवाद

827. श्री पी० आर० शिनाय :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी के जल के बारे में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार तब तक काबिनी और हेमावती जलाशयों के जल का उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए स्वेच्छातापूर्वक नहीं कर सकती जब तक कि यह विवाद अनिर्णित पड़ा है यद्यपि इन जलाशयों पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं ; और

(ग) विवाद का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ग) कावेरी जल के समुपयोजन और विकास के संबंध में तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्यों के बीच मतभेद हैं। इस प्रश्न पर केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 28 और 29 नवम्बर, 1974 तथा 15 और 16 फरवरी, 1975 को विचार विमर्श किया था। परन्तु कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। राज्यों के बीच इन मतभेदों को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा काबिनी तथा हेमावती परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। बहरहाल, कर्नाटक सरकार ने उनके निर्माण संबंधी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पिछले मानसून के दौरान काबिनी जलाशय में जल संचय भी किया गया था। काबिनी जलाशय के जल समुपयोजन के संबंध में भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मतभेद हैं। कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु में प्रयोग के लिए काबिनी जलाशय के कुछ जल छोड़ा है ;

तामिलनाडु के चीनी कारखानों में गन्ने की कीमतों की क्रियान्विति

828. **श्री एम०आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सुझाव के अनुरूप 1973-74 के सीजन के लिए तमिलनाडु के सभी चीनी कारखानों में गन्ने के मूल्यों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार द्वारा सभी चीनी कारखानों को गन्ने का क्या मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है;

(ग) यदि मूल्यों में अंतर अधिक है तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) केन्द्रीय सरकार का ऐसी चीनी कारखानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो तमिलनाडु सरकार द्वारा सुझाये गये मूल्य को क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं क्योंकि कारखाने वालों का कहना यही है कि राज्य सरकार को मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहानवाज खां) : (क) जी नहीं)

(ख) और (ग) 1973-74 के दौरान तमिलनाडु में प्रत्यक फैक्ट्री द्वारा दिया जाने वाला गन्ने का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तिम मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8973/75]** तमिलनाडु सरकार ने सभी ज्वाइंट स्टाक फक्ट्रियों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मूल्यों से 25 प्रतिशत अधिक मूल्य बताए थे। सहकारी चीनी मिलों द्वारा दिए जाने वाले मूल्य के बारे में राज्य सरकार ने जो फार्मूला अपनाया था, वह मालूम नहीं है। तथापि, क्योंकि प्रत्येक फैक्ट्री की चीनी की वसूली के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित और अधिसूचित किये जाते हैं इसलिए ये मूल्य समान नहीं होते हैं । अतः न्यूनतम मूल्यों से अधिक भुगतान करने के लिए किसी फार्मूले के लागू करन से विभिन्न फैक्ट्रियों के भिन्न-भिन्न मूल्य हो सकते हैं।

(घ) जिस किसी फैक्ट्रि ने गन्ने का केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम का भुगतान किया है उसके विरुद्ध दण्डीय कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तमिलनाडु सरकार शेष फैक्ट्रियों को भी अपने द्वारा बताये गये गन्ने के अन्तिम मूल्यों का भुगतान करने के लिए राजी करने के बराबर प्रयत्न कर रही है।

उड़ीसा में खाद्यान्न का अभाव

829. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्ना केन्द्रीय सरकार को मालूम है चालू वर्ष में उड़ीसा राज्य को 10 लाख टन खाद्यान्न के अभाव का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संकट पर काबू पाने के लिए राज्य को उदारतापूर्ण सहायता दिए जाने की सभावना है क्योंकि इस संकट के आगामी अक्तूबर महीने तक चलने की आशा है जब तक कि बाजार में धान की अगली फसल आयेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूखा पड़ने के कारण खरीफ मौसम 1974–75 के दौरान उत्पादन को धक्का पहुंचने के कारण उड़ीसा में खाद्यस्थिति कठिन बतायी जाती है 1974–75 के लिए उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं और इसलिए यह ठीक ठीक बताना संभव नहीं है कि इसमें कितनी कमी होगी।

इस स्थिति पर काबू पाने के लिए उड़ीसा सरकार की मदद करने हेतु, राज्य के गेहूं के कोटे को जुलाई–अगस्त, 1974 के 8000 मीटरी टन प्रतिमास से बढ़ाकर जनवरी, 1975 के लिए 25,000 मीटरी टन, और फरवरी, 1975 के लिए 28,000 मीटरी टन कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य को अक्तूबर, 1974 के दौरान 5,000 मीटरी टन धान भी आबंटित की गई थी। उड़ीसा में खाद्य स्थिति के बारे में बराबर समीक्षा की जा रही है।

राजस्थान के गावों में स्वछ पेयजल की व्यवस्था

830. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राजस्थान में लगभग 22000 गांवों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी राष्ट्रीय योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत एक समय बद्ध कार्यक्रम के भीतर देश में सभी गांवों में कम से कम पेय जल की व्यवस्था कर दी जायेगी ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कितनी सहायता दी है और क्या केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त प्रावधान करना चाहती है ताकि इस काम को शीघ्र पूरा किया जा सके ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य की वसूली एजंसियों को अपना उत्पादन देने हेतु हरियाणा के किसानों को बोनस

831. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य की वसूली एजेंसियों को अपना उत्पादन देने वाले हरियाणा के किसानों को बोनस देने के लिए कुछ राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) वर्ष 1974–75 में अब तक केन्द्रीय पूल में हरियाणा राज्य द्वारा कितना चावल दिया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) धान के उत्पादकों को देने के लिए राज्य सरकारों को बोनस का भुगतान करने के बारे में एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ग) 12 फरवरी, 1975 तक 2.02 लाख मीटरी टन।

सूर्य-ऊर्जा से खाद्य उत्पादन

832. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सूर्य–ऊर्जा और 'री-साइकल्ड वैस्ट्' से प्राप्त की गई ऊर्जा द्वारा खाद्य उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं अतः सघन **फ**सलों से सूर्य की अधिक ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलती है। कटी हुई फसल को सुखाने **के** लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने के संबंध में अब तक कोई अन्य कार्य नहीं किया गया है।

निम्नलिखित अवशिष्ट पदार्थों का खाद के रुप में पुनर्चक्रण करने के संबंध में अनुसंधान किया गया है :—

(1) **अवशिष्ट गारा** : गैस संयंत्र में किण्वन के समय मिलाये गये गोबर का लगभग 30 प्रतिशत भाग मिथेन गैस बन जाता है और उसका लगभग 70 प्रतिशत भाग शेष रह जाता है। इसे खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अवशिष्ट गारे के निपटान और उपयोग के संबंध में अनेक प्रयोग किये गये हैं। संस्थान की दुग्धशाला से प्राप्त गारे का वीश्लेषण करने से पता चला कि फसल की बढ़वार को प्रभावित करने तथा मिट्टी के भौतिक गुणों को सुधारने की दृष्टि से यह धूरे की खाद से भी अधिक अच्छा है।

(2) **अवशिष्ट पदार्थों से खाद**:—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट जैविक पदार्थों जैसे पशुओं की हड्डियों, उनके बाल, ऊन तथा चमड़े के छीजन आदि से रसायनों द्वारा खाद तैयार करने के प्रयोग किये गये इन खादों का पौधों की बढ़वार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दूसरी श्रेणी के सहायक इंजीनियर

833. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 और 19 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2841 के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि 1 जुलाई, 1974 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के (167+9) 176 सहायक इंजीनियर 15 वर्षों से स्थानापन्न वेतनमानों में काम कर रहे थे और 432 सहायक इंजीनियर 10 वर्षों से स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे है जबकि परिवीक्षा अवधि के लिए निर्धारित कार्यकाल केवल दो वर्ष ही है; और

(ख) रिक्त पड़े हुए 507 सिविल और 137 इलैक्ट्रिकल स्थानों पर उनका स्थायीकरण करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गयी है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सहायक इंजीनियर के रिड में 2 वर्षों की परीवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है ताकि किसी व्यक्ति के उस ग्रेड में रखे रहने की उपयुक्तता जांची जा सके इसका पुष्टिकरण से कोई सीधा संबंध नहीं है।

सहायक इंजीनियरों के ग्रेड़ में नियुक्तियां विभिन्न तरीकों से की जाया करती थीं और ऐसा कोटे के अनुसार किया जाता था। क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री एम० रामैया तथा अन्य सहायक इंजीनियरों द्वारा दायर की गई याचिका में यह निर्णय दिया है कि सहायक इंजीनियरों के ब्रेड में नियुक्ति के लिए कोटे का उचित प्रकार से निधारिण नहीं किया गया है। वरिष्ठता सूफ़ीच, जो कोटा नियम पर आधारित थी, का पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार एक पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची तैयार की गई लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने उनके द्वारा सुझाये गये कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर सूची पर पुनः विचार करन की सलाह दी है। वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण किए जाने पर स्थायीकरण किया जा सकता है। तो भी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऐसे स्थायीकरणों का, कतिपय सीधे भर्ती के सहायक इंजीनियरों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका पर उस न्यायलय के अंतिम निर्णय के परिणामस्वरू अन्तिम समायोजन करना होगा।

आयातित गायों के विभिन्न स्थानों पर अविवेकपूर्ण वितरण द्वारा दूध का उत्पादन

834. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1975 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक पशुविशेषज्ञन चेतावनी दी है कि देश के प्रत्येक भाग में आयातित पशुओं के अविवेकपूर्ण वितरण द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि अधिक दूध देने वाली गायों को केवल उन राज्यों भेजा जा सकता है जहां उपयुक्त कृषि–जलवायु दशायें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक डा० एहसानुल्लाह खान ने, जो पशु धन उत्पादन/पशुपालन के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हैं, जनवरी, 1975 के पहले सप्ताह में नयी दिल्ली में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस में ,,पशु धन विकास तथा जीन–वातावरण के बीच प्रतिक्रिया का जीवाश्न

रिकार्ड" विषय पर एक प्रबंध प्रस्तुत किया था। उन्होंने उक्त प्रबंध में यह विचार व्यक्ति किया था कि देश के प्रत्येक भाग में आयातित पशुओं के अविवेकपूर्ण वितरण द्वारा दूध के उत्पादन में वृधि नहीं की जा सकती।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न राज्यों विशेषकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, और असम में स्थानिय पशुओं का विदेशी पशुओं के साथ संकर प्रजनन करने की दृष्टि से अध्ययन किये गये। अनुसंधान कार्य के परिणामों से पता चला है कि आयातित किये गये पशु, विशेषकर, जर्सी, ब्राउन स्वीश और होल्सटीन फ्रेजियन नस्ल के पशु विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह जीवित रह सकते हैं। इसलिऐ अधिक दूध उत्पादन के उद्देश्य से संकर नस्ल के पशुओं के स्थानीय पशुओं के साथ संकर-प्रजनन के लिए विदेशी सांड़ों को काम में लाया गया है।

उचित दर की दुकानों से खाद्यान्नों की सप्लाई बंद करने का प्रस्ताव

835. **श्री हरी सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत उचित दर की दुकानों से राशन कार्डों पर खाद्यान्नो की सप्लाई को बंद किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को कब तक घोषित करने का सरकार का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Public Schools

836. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of public schools in the country, State-wise;

(b) the number of students studying in these schools;

(c) the State-wise number of such students; and

(d) the number of students belonging to scheduled castes and other backward classes studying in these schools?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P Yadav) : (a) Public Schools are taken to be those schools which are members of the Indian Public Schools Conference. The number of such Public Schools is 49 and their State-wise distribution is given in the attached Statement.

(b) to (d) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

Statement Giving State-Wise No. of the Publice Schools in the Country which are Members of Indian Public Schools Conference

Sl.No.	Name of State	Number of Schools
1	Andhra Pradesh	3
2	Bihar	2
3	Gujarat	3
4	Haryana	1
5	Himachal Pradesh	3
6	Karnataka	4
7	Kerala	1
8	Madhya Pradesh	5
9	Maharashtra	5
10	Orissa	1
11	Punjab	3
12	Rajasthan	7
13	Tamilnadu	2
14	Uttar Pradesh	5
15	West Bengal	1
16	Delhi	3
	TOTAL	49

आयात किये गये खाद्यान्नों के मूल्य और माधा

837. श्री शंकरराव सावन्त :

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, वर्ष 1973–74 और वर्ष 1974–75 में जनवरी, 1975 के अन्त तक देशवार, आयात किए गए खाद्यान्नों की विभिन्न किस्मों की मात्रा तथा मूल्य क्या है और इनके आयात की शर्तें क्या है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ख) इसी अवधि में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[ग्रंथालयमें रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8974/75]**

(ख) खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से कृषि उत्पादनमे वृद्धि दर में बढ़ोतरी करने के लिए एक बहु–उद्देश्यीय योजना अपनायी गई है। हालांकि वास्तविक उत्पादन पर मौसमी परिस्थितियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, लेकिन बढ़ोतरी की सम्भावना में वृद्धि हुई है और 1973–74 में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन 1036 लाख मीटरी टन आंका गया है जबकि 1972–73 में 970 लाख मीटरी टन की पैदावार हुई थी।

खाद्यान्न की वसूली का तरीका और व्यवस्था

838. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री वयालर रवि :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत खरीफ फसल का कुल अनुमानित उत्पादन क्या है, वसूली के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है और राज्यवार अब तक वसूल की गई वास्तविक मात्रा क्या है और कुछ विशेष राज्यों में वसूली कम होने के क्या कारण हैं;

(ख) गेहू का अनुमानत: कितना उत्पादन होने की आशा है, वसूली किस तरीके से की जायेगी और राज्यवार वसूली का कितना लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा,

(ग) क्या खरीफ के पूरे बिकाऊ फालतू माल और गेहूं को वसूल करने का प्रस्ताव है और ग्रामीणतथा शहरी क्षेत्रों म बड़े उत्पादकों तथा व्यापारियों से कितना वसूल किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पिछले खरीफ फसल अर्थात् 1973–74 का कुल अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है :—

खाद्यान्न	(हजार मीटरी टन में) अनुमानित उत्पादन
चावल	43,742
ज्वार	8,992 (रबी ज्वार सहित)
बाजरा	7,087
मक्का	5,643
रागी	2,131
छोटी मिलेट	1,864
जोड़ .	69,459

जहां तक खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की पद्धति तथा तंत्र और चालू विपणन मौसम में अब तक अधिप्राप्त वास्तविक मात्राओं का संबंध है, यह निर्णय किया गया कि प्रत्यक राज्य में चल रही अधिप्राप्ति–प्रणाली को सशक्त तथा और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि धान/चावल की अधिक से अधिक अभिप्राप्ति की जा सके। धान/चावल के मौजूदा जोनों को बनाए रखा गया है। मोटे अनाजों के मुक्त संचलन की नीति भी जारी रखी गई है और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उत्पादकों पर लेवी लगाएं। राज्य सरकारों को यह भी अनुमति दी गई है कि वे अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए यदि आवश्यक हो तो खरीफ के मोटे अनाजों के बारे में व्यापारियों पर लेवी लगाएं लेकिन शर्त यह है कि राज्यों के अन्दर अथवा राज्य के बाहर उनके संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया जाए।

खरीफ विपणन मौसम 1974–75 के दौरान, राज्यवार खरीफ खाद्यान्नों की क्रमिक अधिप्राप्ति को बताने वाला एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**

8975/75] । खरीफ खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति अभी भी जारी है और इस समय चालू विपणन मौसम के दौरान होने वाली सम्भावित अधिप्राप्ति के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) से (घ) 1974–75 फसल मौसम के दौरान गेहूं के उत्पादन के अन्तिम अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1975 में किसी समय उपलब्ध होंगे । तथापि, यदि रबी मौसम की शेष अवधि में मौसमी स्थिति अनुकूल बनी रही तो चालू वर्ष में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना बनेगी ।

रबी विपणन मौसम 1975–76 की नीति को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और आगामी रबी के दौरान मौसम गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

फिलहाल, खरीफ की मौजुदा नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है । तथापि आगामी खरीफ मौसम की नीति बनाते समय स्थिति की समीक्षा की जाएगी ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को दिल्ली में भूमि का आवंटन

839. **श्री वरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विदशों में रहने वाले भारतोयों को मकान बनाने के लिये दिल्ली में भूमि का आबंटन करने सम्बन्धी योजना की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) वह व्यक्ति जो विदेश जाने से पूर्व दिल्ली/नई दिल्ली का एक स्थायी निवासी रहा हो, अथवा विदेश जाने से पूर्व दिल्ली/नई दिल्ली का पांच वर्ष निवासी रहा हो तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उसके नाम या उसकी पत्नी और आश्रितों के नाम कोई रिहायशी भू-खण्ड तथा/अथवा मकान न हो, भू-खण्ड के आबंटन का पात्र है ।

(ii) भू-खण्ड का मूल्य तथा उस पर निर्माण की लागत विदेशी मुद्रा में देय होगी ।

(iii) भू-खण्ड का आबंटन पट्टा आधार पर होगा तथा निर्माण निर्धारित अवधि के दौरान करना होगा ।

(iv) यदि आवेदकों की संख्या भू-खण्ड की संख्या से अधिक होगी तो भू-खण्ड का आबंटन पर्ची डाल कर किया जायेगा ।

खाद्यान्न का आयात

840. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अच्छी फसलों की सम्भावना के बावजूद भी 1975 के दौरान विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पडेगा;

(ख) यदि हां, तो इन देशो के नाम क्या है जहां से खाद्यान्न आयात किया जाएगा तथा आयात की शर्तें और आयात की जाने वाली खाद्यान्नों की विभिन्न मदों की मात्रा क्या होगी; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्द) : (क) से (ग) जी हां। लेकिन सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं, फसल की सम्भावनाओं, खाद्यान्नों की अतिरिक्त उपलब्धता, मूल्य-स्थिती और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर आयात संबधी आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा की जाती है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि 1975 के दौरान कुल कितनी मात्रा आयात की जाएगी। गेहूं और माईलो की खरीद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जन्टाईना, आस्ट्रेलिया, स्वीडन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों आदि जैसे निर्यातिक देशों से वाणिज्यिक आधार पर की जाती है। 1975 के दौरान आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी वह आयात की मात्रा पर निर्भर करेगा।

अध्यापकों के वेतन के बारे में कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

841. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में कालेज हाई स्कूल और प्राइमरी अध्यापकों के वेतन के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों के संबंध में हाल ही के वर्षों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है; तथापि वर्ष 1968 में, स्कूल अध्यापकों के संबंध में राज्य सरकार से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी जो स्वीकार नहीं की गई थी। जहां तक विश्वविद्यालय तथा कालेजो के अध्यापकों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए 1966–71 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

सूखे मौसम में प्रयोग करने के लिए मानसून के अतिरिक्त जल को जमा करना

842. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांध निर्माण को अधिक लागत, समतल और उर्वरक भूमि के बड़ी मात्रा में डूब जाने, वाष्पीकरण तथा रिसने से पानी की बहुत अधिक हानि होने और गंगा बेसिन में भारी गाद जम जाने के कारण बांधों के कमजोर पड जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सूखे मौसम में उपयोग करने हेतु गंगा बेसिन की नदियों के अतिरिक्त मानसून जल को जमा करने के बारे में सोचा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है और इसमें कितनी लागत आयेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) गंगा बेसिन में चम्बल, रामगंगा, रिहन्द और दामोदर जैसी नदियों पर बृहत संचयन परियोजनाएं उनके लाभ–लागत के पहलूओं, जलमग्नता, जल की तंगी, गाद की मात्रा और बाष्पीकरण हानियों के सावधानीपूर्वक अन्वेषण करने के पश्चात्, पहले ही निर्मित की जा चुकी है। ये पूर्णतः सफल सिद्ध हुई है। इस समय टिहरी और कंसावती परियोजनाएं निर्माणाधीन है। गंगा बेसिन में बानसागर, राजघाट, कन्हर, उत्तरी कोयल, पार्बती आदि नई जल संचयन परियोजनाओं के प्रस्तावों पर भी राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

गंगा बेसिन में, इसकी गहन आप्लावनता के कारण, मानसूनी प्रवाहों के अतिरिक्त जल का भूमिगत संचयन करना संभव प्रतीत होता है। इस प्रकार के भूमिगत संचयन की संभावनाओं की छानबीन करने पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक

843. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन को कहा गया था कि दिल्ली महानगर परिषद् के विशेष रूप से बुलाये गये एक सत्र में दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाये और दिल्ली प्रशासन ने इसे पारित करके संसद् में पुर:स्थापित करने के लिये मंत्रालय के पास भेज दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक को संसद् में अब तक पुन:स्थापित करने, इस पर विचार करने और पारित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लोक सभा में बारहवें सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि इस विधेयक को उस सत्र में पुन:स्थापित करने का प्रस्ताव है लेकिन यह विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया किया गया था ; और

(घ) इस विधेयक को निश्चित रूप से संसद् के समक्ष कब तक पेश करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली प्रशासन को नवम्बर, 1972 में कहा गया था कि वह दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के संशोधन संबंधी मामले को महानगर परिषद् दिल्ली के सामने रखे तथा अपने विचार इस मंत्रालय को भेजे। दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, जिसकी महानगर परिषद् ने अल्प सूचना सत्र में सिफारिश की है, की एक प्रतिलिपि दिल्ली प्रशासन से अगस्त, 1973 में प्राप्त हुई।

(ख) महानगर परिषद् ने कई सुझाव दिए थे तथा इन पर विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जाना था।

(ग) जी, हां।

(घ) विधेयक को संसद् के चालू सत्र में पेश किए जाने की आशा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के सहायक इंजीनियरों की वरीयता

844. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे और सभा पटल पर रखेंगे ;

(क) 5 नवम्बर, 1971 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का सारांश–बशर्ते कि यह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के सहायक इंजीनियरो को स्थायी करने तथा पदोन्नति करने के संबंध में न हो;

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय का 5 नवम्बर, 1971 को दिये गये निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के निदेश की एक प्रति ; और

(ग) 5 नवम्बर, 1971 के बाद सहायक इंजीनियरों श्रेणी दो को उपरोक्त (ख) के निदेश के अनुसार स्थायी न करने के कारण बताने वाला विवरण?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की एक प्रतिलिपि सहित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की एक प्रतिलिपि प्राप्त की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जैसे कि 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर में पहले ही बताया गया है, कि सहायक इंजीनियरो के ग्रेड में नियुक्तियां विभिन्न तरीकों से की जाया करती थीं तथा ऐसा एक कोटे के अनुसार किया जाता था। जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में नियुक्ती के लिए कोटों का निर्धारण उचित प्रकार से नहीं किया गया है, वरिष्ठता सूची, जोकि कोटा नियम पर बनाई गई थी, का पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। तदनुसार, एक पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची बनाई गई परन्तु संघ लोक सेवा आयोग ने, उनके द्वारा सुझाये गये कतिपय सिद्धान्तों के अनुसार सूची पर पुनः विचार करने की सलाह दी है। वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण किये जाने पर ही स्थायीकरण किया जा सकता है । तो भी, सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार ऐसे स्थायीकरणों का, कतिपय सीधी भर्ती के सहायक इंजीनियरों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका पर उस न्यायालय के अन्तिम निर्णय के परिणामस्वरूप अन्तिम समायोजन करना होगा।

गेहूं और चावल की वसूली तथा वितरण को अपने अधिकार में लेना

845. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं और चावल की वसूली तथा वितरण को अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया जा चुका है;

(ख) क्या अनाज विक्रेताओं द्वारा दबाव डाले जाने के कारण अभी तक निर्णय नहीं लिया गया; और

(ग) कब तक निर्णय होने की संभावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अधीन, सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए गेहूं और चावल सहित खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पहले ही की जा रही है।

चावल की सप्लाई करने के लिए आंध्र प्रदेश और पंजाब को तमिलनाडु का अनुरोध

847. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाडु सरकार ने आंध्र प्रदेश और पंजाब को शीघ्र ही कुछ चावल तामिलनाडु को सप्लाई करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) तामिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जनवरी के आरम्भ में आंध्र प्रदेश और पंजाब

सरकारों से चावल सप्लाई करने के लिये अनुरोध किया था ; लेकिन उन्होंने सूचित किया था कि इस संबंध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कि जाए क्योंकि उनके पास फालतू पडी मात्रा केन्द्रीय पूल के लिए है ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता

848. **श्री अण्णासाहिब गोटखिड़े** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को सहायता के लिए किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को भेजा गया है और ये परियोजनायें कहा-कहां पर स्थित हैं ।

(ख) क्या विश्व बैंक को सहायता देने के लिए कुछ सिंचाई परियोजनायें का सुझाव दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या है तथा वे कहां पर स्थित है; और

(घ) इन संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने को संभावना के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आवश्यक सूचना का विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये और सिंचाई परियोजनाओं को भेजने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) गोदावरी बराज परियोजना के लिए 45 मिलियन डालर की ऋण सहायता देने के लिये विश्व बैंक ने हाल ही में, अपनी स्वीकृति दे दी है । विश्व बैंक से और सहायता प्राप्त करने की संभावनाओ की छान बीन की जा रही है ।

सहायता प्राप्त करने के लिए अंतराष्ट्रोय विकास संघ को भेजी गई परियोजनाएं ।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	जहां स्थित है
1,	गोदावरी बराज परियोजना	आंध्र प्रदेश
2,	उत्तर कोयल (पलामऊ)	बिहार
3.	दमनगंगा	गुजरात
4.	अपर कृष्णा	कर्नाटक
5.	कल्लाडा	केरल
6.	वर्ना	महाराष्ट्र
7.	कृष्णा	महाराष्ट्र
8.	भीमा	महाराष्ट्र
9.	आनन्दपुर बराज	उड़ीसा
10.	राजस्थान नहर चरण–दो	राजस्थान

बफर स्टाक के लिए अनाज का आयात और वसूली

849. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय पर वर्षा हो जाने के कारण देश में अच्छी रबी फसल होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य घरेलू आवश्यकताओं के पूरा करने के बाद सरकारों को किस सीमा तक बफर स्टाक में अनाज वसूली होने की आशा है ; और

(ग) आयातित खाद्यान्न किस सीमा तक देश की खाद्यान्न स्थिति को सुधारने तथा बफर स्टाक में वृद्धी करने में सहायक होंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उत्तरी भारत के कई भागों में शीतकालीन वर्षा होने से रबी फसल को लाभ पहुंचा है और यदि मौसम के शेष भाग में भी मौसमी स्थिति अनुकूल बनी रहती है तो आशा है कि इस वर्ष रबी की पैदावार में पर्याप्त वृद्धि होगी। रबी फसल की अभिप्राप्ति मार्च–अप्रैल, 1975 से शुरू होगी और इसलिए 1975-76 रबी विपणन मौसम के दौरान गेहूं की सम्भावित अधिपप्ति की मात्रा के बारे में कोई ठीक–ठीक अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है। देश की मौजूदा खाद्य अर्थव्यवस्था के उचित प्रबंध संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकारी वितरण प्रणाली को बनाऐ रखने और न्यूनतम आरक्षित स्टाक रखने के लिए यथावश्यक मात्रा में खाद्यान्नों के आयात किए जाते हैं।

अन्वेषी नलकूप बहराइच, उत्तर प्रदेश

850. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री 25 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1849 और 29 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 917 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की गहरी खुदाई करनेवाली रिगों के उपलब्ध होने के बावजूद, जिला बहराइच (उ० प्र०) के सिरसिया, जमानाहा ब्लाकों के क्षेत्रों में अन्वेषी नलकूपों के निर्माण का काम आरम्भ नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या बहराइच जिले की सिरसिया, जमानाहा में समय-समय पर सूखा पड़ता रहता है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस आधार पर काम आरम्भ नहीं कर रही है कि सम्बन्धीत क्षेत्रों में गहरी खुदाई करनेवाली रिगों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार सहयोग नही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णसाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की सात ड्रिलिंग रिंग काम कर रहे है। तथापि बहराईच जिला के सिरसिया, जमानाहा खण्डों में पाई जाने वाली गोलाश्म वाली जमीन की तहों का छिद्रण करने के लिये इनमें से कोई भी रिंग उपयुक्त नहीं है। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड जमीन की ऐसी तहों का छिद्रण करने के लिए उपयुक्त रिग प्राप्त करने के उपाय कर रहा है। इस दौरान इस क्षेत्र का जल-भूविज्ञान संबंधी एक प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की गोलाश्म काली जमीन की तहों का समन्वेषी छिद्रण शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। तथापि केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड उपयुक्त रिंगों के अभाव में यह छिद्रप कार्य अभी हाथ में नहीं ले सका है।

राजस्थान नहर परियोजना

851. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष (1974-75) के लिए राजस्थान नहर परियोजना के लिए वित्तीय आबंटन की अंतिम स्वीकृति अभी तक घोषित नहीं की गई है जब कि यह वर्ष समाप्त होने जा रहा है ;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण है ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए वित्तीय आबंटन और कच्चे माल की उपलब्धता की अनिश्चितता ने राजस्थान नहर परियोजना की प्रगति में काफी हद तक रुकावट डाली है ; और

(घ) यदि हां तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि देश को इस सबसे बडी सिंचाई योजना के लिए राशि पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर आबंटित की जाये जो कि राजस्थान को अप्रयुक्त रेतीली भूमि तथा आसपास के राज्यों की भूमि का खेती के लिए उपयोग करने के लिए बहुत आवश्यक है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जनवरी 1974 में जबकि 1974–75 के लिये राजस्थान की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया था, राजस्थान नहर परि-योजना के लिए 9.5 करोड़ रुपये का प्रावधान नियत किया गया था तथा तदनुसार इस वर्ष के लिए राज्य के बजट में व्यवस्था कर दी गई थी। उसके पश्चात राजस्थान नहर परियोजना पर सूखा–पीड़ित श्रमिकों को रोजगार देने के लिए राजस्थान सरकार को 5.24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अग्रिम सहायता इस शर्त पर उपलब्ध की गई थी कि व्यय उपरोक्त प्रावधान से अतिरिक्त किया जाए।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल कोयले की सप्लाई के संबंध में कुछ कठिनाई अनुभव की है। इस मामल को संबद्ध प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है।

आसाम में खाद्यान्न का अभाव

852. **श्री रानेन सेन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में खाद्यान्न का अत्यधिक अभाव है जिसके कारण वहां भूख से और अधिक मौतें होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम को कुछ सहायता भेजी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बाढ़ों के कारण खरीफ की फसल को धक्का पहुंचने के कारण असम में खाद्य स्थिति कठिन बतायी जाती है। राज्य को गेहूं के कोटे को सितम्बर के 10,000 मीटरी टन से बढ़ाकर अक्तूबर और नवम्बर के लिए 17,500 मीटरी टन प्रति मास और दिसम्बर, 1974 तथा जनवरी, और फरवरी, 1975 के लिए 20,000 मीटरी टन प्रति मास कर दिया गया है ताकि राज्य इस स्थिति पर काबू पा सके। इसके अतिरिक्त राज्य को सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के लिए क्रमशः 5,000 मीटरी टन चावल और 600 मी० टन मोटे अनाज भी आबंटित किए गए हैं। असम को पंजाब तथा हरियाणा से व्यापार खाते पर 65,680 मीटरी टन लेवी मुक्त गेहूं भी भेजा गया बताया जाता है। असम सरकार को अग्रिम योजना सहायता के रूप में 4 करोड़ रुपये की धनराशि भी दी गई है।

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के कोटे में वृद्धि का सरकारी वितरण व्यवस्था पर प्रभाव

853. **श्री डी० के० पंडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खुले बाजार में बिकने वाली चीनी की मात्रा 30 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाने के बाद सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि इसका चीनी के सरकारी वितरण व्यवस्था पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ख) चीनी के सरकारी वितरण व्यवस्था को जारी रखने के लिए इस समय कुल कितनी चीनी की आवश्यकता है और उगाही से कुल कितनी चीनी उपलब्ध होगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) : (क) उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से वितरण के लिए लेवी चीनी की मासिक निर्मुक्ति की मात्रा को अपरिवर्तित बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

(ख) थोड़े से अंतराल को छोड़कर, 1963 से चल रही नियंत्रित परिस्थितियों के अधीन सरकारी वितरण के लिए लेवी चीनी की आवश्यकताएं समय-समय पर उपलब्धता की सीमा के अन्दर रखी जाती है। जुलाई, 1974 से इस प्रयोजन के लिए प्रति माह 1.80 लाख मी० टन लेवी चीनी दी जा रही है।

राज्यों को वर्ष 1974 और जनवरी, 1975 में खाद्यान्न, उर्वरकों और चीनी का आवंटन

854. श्री मधु लिमये : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न, उर्वरकों और चीनी के आबंटन के लिए मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1974 से जनवरी, 1975 तक इनमें से प्रत्येक वस्तु का आबंटन राज्यवार कितना-कितना किया गया ;

(ग) क्या राज्यों को उक्त आबंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या मुख्य कसौटियां अपनाई गई ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) दो विवरण संलग्न है जिनमें जनवरी, 74 से जनवरी, 75 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों तथा चीनी और उसी अवधि में उर्वरकों के आबंटन का ब्यौरा दिया गया है। (अनुबंध 1 तथा 2)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-8976/75।]**

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आबंटन पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता राज्य सरकारों की जरूरतों, स्थानीय बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर किया जाता है। विभिन्न राज्यों को उर्वरकों का आबंटन उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का लेवी चीनी का मासिक कोटा जनसंख्या संबंधी तथ्य और वर्ष 1967-68 के दौरान खपत के प्रतिमान को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है और लेवी चीनी की उपलब्धता के अनुसार राज्य के कोटे के आबंटन में समायोजन किया जाता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची

855. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1975 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल तथा इलेक्ट्रिकल दोनों प्रकार के प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची क्या है ; और

(ख) क्या उक्त वरिष्ठता सूची वर्ष 1972 की रिट याचिका संख्या 489 पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 दिसम्बर, 1974 को दिय गये निर्णय के अनुकूल है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) श्री ए० के० सुब्रामन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11-12- 74 को दिये गये निर्णय के फलस्वरूप, कार्यपालक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जटिलताओं पर कार्मिक विभाग तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है तथा तदोपरान्त, एक पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची तयार की जाएगी।

छात्र असंतोष पर समिति

856. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छात्र असंतोष संबंधी समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) उसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग

857. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**
श्री दिनेश जोरदर } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) यह आयोग अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दे देगा ; और

(ग) क्या अब तक कोई अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग विभिन्न विषयों पर पहले ही 21 अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है, जोकि अनुबंध में दी गई हैं। दो और अंतरिम रिपोर्टों के शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की संभावना है । इन सिफारिशों की मुख्य बातें सम्बन्धित अंतरिम रिपोर्टों में शामिल सिफारिशों के सार में दी गई हैं । रिपोर्टों की प्रतियां लोक सभा-पटल पर तथा संसद के पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी हैं ।

(ख) इस आयोग की वर्तमान कार्यावधि 30 जून, 1975 तक है । आशा है आयोग उस तारीख तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्ट	प्रस्तुत करने की तारीख
1. धान्यों के अधिक उत्पादनशील एवं संकर किस्मों के अच्छे बीजों का वर्धन तथा वितरण ।	29-11-1971
2. उर्वरक वितरण ।	
3. कृषि अनुसन्धान, विस्तार एवं प्रशिक्षण के कुछ पहलू ।	
4. लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिय (ऋण सेवाएं	1-1-1972
5. लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के माध्यम से दुग्ध-उत्पादन ।	
6. कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि-मौसम-विज्ञान प्रभागों की स्थापना ।	
7. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए आवास-स्थल ।	21-8-1972
8. उत्पादन वानिकी-मानव निर्मित वन ।	
9. मृदा सर्वेक्षण एवं भारत का मृदा सम्बन्धी मानचित्र ।	
10. आलू के बीज ।	
11. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के संगठनात्मक पहलू ।	13-3-1973
12. सिंचाई की प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं कमांड क्षेत्रों का समेकित विकास।	
13. समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम ।	
14. जिस विकास परिषदों तथा निदेशालयों का संगठन तथा उनके कार्य ।	
15. लघु कृषकों एवं सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की विकास एजन्सियों के कार्यक्रमों का पुनरभिविन्यास ।	16-8-1973
16. लघु कृषकों एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिये उनके माध्यम से कुक्कुट, भेड़ तथा सुअर पालन ।	
17. रेशम उत्पादन ।	
18. सामाजिक वानिकी ।	
19. वन अनुसन्धान तथा शिक्षा ।	
20. मरु विकास ।	19-4-1974
21. चुनींदा निर्यातोन्मुखी कृषि जिन्सों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू ।	

Target for Kharif Production

858. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government had laid down any target for Kharif production this year;

(b) if so, the particulars thereof and whether procurement target would be achieved;

(c) the quantity of foodgrains procured so far by the Government and its percentage to the target fixed, ; and

(d) whether Government propose to procure more foodgrains?

The Deputy Minister in the Ministry of Agricultural & Irrigation (Shri Prabhudas Patel);(a) No, Sir. No separate target for kharif production has been fixed for 1974-75.

(b) to (d) Procurement target for rice has been fixed at 41 lakh tonnes but no target for procurement of course kharif cereals has been fixed.

Data available upto 22nd February, 1975 on the quantity of kharif foodgrains procured during the 1974-75 kharif season are given below:

Rice	25.18 lakh tonnes
Coarse grains.	2.00 lakh tonnes
TOTAL	27.18 lakh tonnes

All efforts are being made to achieve the procurement target fixed for rice and also to procure more of other foodgrains.

दिल्ली में परीक्षाओं की नयी पद्धति

859. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली में परीक्षा की हाल ही में नई पद्धति निकाली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां ।

(ख) 1977 से शुरू की जाने वाली नई परीक्षा-पद्धति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम शिक्षा का परिणाम पांच-सूत्री पैमाने के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए ग्रेडों के अनुसार निम्न प्रकार तैयार किया जायेगा :—

ग्रेड-1	उत्कृष्ट
ग्रेड-2	बहुत अच्छा
ग्रेड 3	अच्छा
ग्रेड 4	साधारण
ग्रेड-5	घटिया

(2) प्रमाणीकरण के लिए कोई समग्र ग्रेड प्रदान नहीं किया जाएगा । प्रमाणपत्रों में छात्रों की प्रत्येक विषय में उपलब्धि को ग्रेड़ों के रूप में अंकित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई छात्र माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम परीक्षा के किसी विषय (विषयों) में अपने ग्रेड में सुधार करना चाहे तो उसे अगली परीक्षा में उस विषय में फिर से बैठने की अनुमति दी जाएगी ।

(4) यदि कोई होनहार छात्र, सामान्यत: परीक्षा में बैठने के एक वर्ष पूर्व बोर्ड की परीक्षा में बैठने का इच्छुक हो तो उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी जाएगी बशर्ते कि संबंधित संस्था का प्रमुख यह प्रमाणित करे कि परीक्षा के पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्र की प्रगति उत्कृष्ट रही थी ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये संसदीय फोरम के कार्यालय हेतु क्वार्टरों का आबंटन

861. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये संसदीय फोरम ने अपने कार्यालय के प्रयोगार्थ सरकारी क्वार्टर आबंटन करने के लिये कब आवेदन किया था ;

(ख) क्या आबंटन कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सितम्बर, 1972 में नार्थ/साऊथ एवन्यू में निचली मंजिल के फ्लैट के लिए तथा मार्च, 1973 में सामान्य पूल वास के लिए ।

(ख) तथा (ग) मुख्यतया सरकारी वास की कमी के कारण इस फोरम को वास देना सम्भव नहीं हो पाया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा धीमे कार्य करो कार्यवाही

862. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा 10 जनवरी, 1975 से 'धीमे कार्य करो' कार्यवाही करने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, कर्मचारियों की ओर से "धीमे कार्य करो" नामक कोई कार्यवाही नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Mechanical Loading and Unloading of Imported Fertiliser at Port

863. **Shri Mahadeepak singh shakya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government took a decision to mechanise loading and unloading operations of imported fertilizers at Bombay and Madras Ports in 1973-74; and

(b) if so, the expenditure incurred thereon and the number of such ports which will require this facility?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel); (a) & (b); The Government decided to mechanise unloading and handling operations in respect of imported bulk fertilizers at Kandla, Haldia, Madras, Bombay and Vizag. The Kandla High Speed Project was sanctioned on 9-2-70, Haldia High Speed Project on 9-3-72, Madras Medium Speed Project on 18-4-74 and Bombay Medium Speed Project on 5-2-75. A High speed Project at Madras and a Medium Speed Project at Visakhapatinam are also included in the composite scheme for this purpose for the Fifth Five Year Plan, and the sanctions for these two projects are likely to be issued shortly.

The total scheme for the Fifth Five Year Plan has an approved outlay of Rs. 15 crores. So far an expenditure of Rs. 10 lakhs has been incurred for Medium Speed Projects at Madras and Bombay. The expenditure incurred on the bulk fertilizer mechanised handling projects of all the ports mentioned above has been about Rs. 4.83 crores in the 4th Plan Period and about Rs. 3.12 crores in the Fifth Plan Period so far.

गीर वन्य जन्तु संरक्षण स्थल का अतिक्रमण

864. **श्री निम्बालकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शहरों के लिये संरक्षण स्थल, गीर में होमो सेपियन्स द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किय हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात सरकार ने "गीर सिंह" नामक परियोजना तैयार की है जिसे 1972 से कार्यरूप दिया जा रहा है । इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) मानव हस्तक्षेप को रोकना ।

(2) गीर आश्रम-स्थल के चारों ओर पत्थर डालकर दीवार बनाना ताकि आश्रम-स्थल में पशु न घुसने पाएं ।

(3) गीर वन क्षेत्र में बसे हुए 845 मालधारी परिवारों को वहां से हटाकर गीर वन के बाहर बसाना । 92 परिवार 1973-74 में वहां से हटाए गए थ और 100 परिवार 1975 में हटाए जा रहे हैं ।

(4) गीर आश्रय-स्थल के एक भाग को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित करना । भविष्य में पूरे आश्रय-स्थल को परिवृत्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है ।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में स्नातक से निम्नस्तर के उमिदवारों के दाखिले पर रोक

865. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पांचों प्रौदयोगिकी संस्थानों में स्नातक से निम्नस्तर के उम्मीदवारों के दाखिले पर रोक लगाने के निर्णय के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन संस्थानों को हाल में इस आशय का कोई निदेश दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) विजिटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति ने, प्रौदयोगिकी संस्थान अधिनियम 1961 (1961 की संख्या 59) के खण्ड 9 के अधीन प्रत्येक संस्थान के विकास तथा प्रत्येक भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थान के भावी विकास पर अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए अलग-अलग पुनरीक्षण समितियां नियुक्त की थी । पुनरीक्षण समितियों की रिपोर्टें, क्रमश: भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थानों के अभिशासी बोर्डों द्वारा जांची गई थी । कुछ रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया था कि संस्थानों में लगी पूंजी को देखते हुए उन्हें अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले प्रतिबंधित कर इन संस्थानों के स्नातकोत्तर तथा अनुसधान पाठ्यक्रमों के दाखिलों में वृदिध करनी चाहिए । प्रौदयोगिकी संस्थानों की परिषद ने अभिशासी बोर्डों की क्रमश: टिप्पणि

प्राप्त होने पर इस मामले की जांच की और उनकी सलाह पर, विजिटर ने 5-9-1974 को यह आदेश दिया था कि भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थानों में दाखिले अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में उस तारीख के क्षमता स्तर के आधार पर प्रतिबंधित होने चाहिए और इस प्रतिबंध के दायरे में दाखिलों की विभिन्न पाठ्य चर्याओं में पुन: व्यवस्था की जा सकती है ।

केरल में आदिवासियों को बेकार/परती भूमि का वितरण

866. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में भूमिहीन आदिवासियों की संख्या कितनी है और राज्य में बेकार भूमि अथवा परती भूमि का क्षेत्रफल कितना है ; और

(ख) राज्य में उपलब्ध बेकार भूमि भूमिहीन आदिवासियों को देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य में आदिवासियों की कुल आबादी 269356 है । जनगणना से भूमिहीन आदिवासियों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है । कुल बेकार भूमि (पोरमबोक) 35501 हैक्टार है ।

(ख) प्रत्येक गाँव में उपलब्ध सरकारी पोरमबोक भूमि को केरल लैण्ड असाइनमेन्ट रूल्स के रूल 13(3) के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और सदस्यों को देने के लिये आरक्षित रखा गया है । केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 के अनुसार किसी ताल्लुक में विवरण के लिये उपलब्ध कुल फालतू भूमि में से 87.5 भूमि भूमिहीन कृषि मजदूरों को देने के लिये आरक्षित की जाती है, जिसमें से आधी भूमि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन कृषि मजदूरों को देने के लिये आरक्षित की जाएगी । निर्धारित नियमों में, अकेले अनुसूचित जनजातियों के लिये ही आरक्षण करने की व्यवस्था नहीं है । भूमि देने के लिये सरकार ने ताल्लुक लेण्ड असाइनमेन्ट कमेटियां बनाई है । भूमि वितरण का कार्य तहसीलदारों और उप-तहसीलदारों को सौंपा गया है । इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जिलाधीशों, रेवेन्यू बोर्ड और सरकार द्वारा समय समय पर संवीक्षा की जाती है ।

Gandak Project in Bihar

867. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether in spite of incurring expenditure of about Rs. 140 crores on the Gandak Project in Bihar, water could not be made available for Agahani Paddy crop due to failure of seasonal 'Hathia' rains;

(b) whether water was also not made available at the time of sowing of rabi crop when land had become hard due to the failure of 'Hathia' rains; and whether water was not made available even 22 days after the sowing of rabi crop during which it should have been made available as a matter of principle;

(c) whether the farmers depending on waters from Gandak have to suffer loss in Agahani paddy crop and rabi crop; and

(d) the measures Government propose to make to ensure timely supply of water from Gandak?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh); : (a) Water was made available to the Tribeni canal and Don canal during the Hathia period whenever there was demand for water in the upper reaches of the canals. These canals were closed only after full irrigation through them had been given.

(b) Water for rabi irrigation was released into the Gandak canal system on 15th December, 1974 and the water was supplied to the fields within three weeks of the sowing of the rabi crops.

(c) Does not arise.

(d) Water is released into Gandak canal as per advice of Agriculture Department, under the guidance of Area Development Authority.

उड़ीसा द्वारा खाद्यान्नों की वसूली

868. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 1973-74, 1974-75 की खरीफ तथा रबी दोनों फसलों में क्रमशः खाद्यान्नों की कितनी कितनी वसूली की गई ; और

(ख) वर्ष 1975-76 में उड़ीसा सरकार द्वारा खरीफ की फसल की कितनी वसूली किए जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) खरीफ और रबी 1973-74, 1974-75 के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा खाद्यान्नोंकी को गई अधिप्राप्ति इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

	खरीफ	रबी
	चावल	गेहूं
1973–74	214.1	0.5
1974–75	27.5	..
(15-2-1975 तक)		

(ख) खरीफ 1975-76 के लिए धान की फसल अभी बोई जानी है और विपणन मौसम पहली नवम्बर, 1975 से शुरू होगा। उड़ीसा की खरीफ की प्रत्याशित अधिप्राप्ति के बारे में इस समय कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी ।

Cost of seeds, fertiliser, Irrigation and Labour in Respect of wheat, Rice and Sugarcane.

869. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannathrao Joshi :
Shri R.V. Bade :
Shri R. R. Sharma :
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Agriculture and irrigation** be pleased to state:

(a) the average per acre cost of seeds, fertilisers irrigation and labour in respect of the crops of wheat, rice and sugarcane during 1971 and at present;

(b) the official procurement price of these crops in 1971 and at present; and

(c) the Government's policy to make the farmers feel reassured in this regard:

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) The estimates of cost of seeds, fertilisers, irrigation and labour per hectare of paddy and wheat, as have become available under the Comprehensive Scheme for studying the Cost of Cultivation of Principal Crops in India, launched by the Ministry, are given in enclosed statement I, [*Placed in the Library. See No. LT—8977/75*]. As for

sugarcane, the cost data have been collected in the States of Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh for 1973-74; these are presently under scrutiny and compilation. For 1974-75, the cost data are being collected in U.P. and Maharashtra.

(b) The procurement prices of Paddy, rice and wheat fixed for the kharif/rabi season from 1970-71 to 1974-75 are set forth in enclosed Statement II. [*Placed in the Library Sec No. LT—8977/75*] As regards sugarcane, no procurement price as such is fixed. However, a statutory minimum price payable by the sugar factories is fixed from year to year; details are given in Statement III. [*Placed in the Library. Sec No. LT—8977/75.*]

(c) The minimum/procurement prices are fixed on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission and in consultation with the State Government. In doing so, all relevant factors, including the need to Pay a remunerative price to the farmer are taken into consideration. Further in the case of sugarcane under the existing policy of partial central on sugar, the sugar factories are expected to Pay, and infact many of them actually pay, higher prices from their excess realisatsion from disposal of the freesale quotas of sugar. From 1974-75 season, it has been made statutorily compulsory for the factory to part with at least 50% of these higher realisations to the canegrowers as additional cane price.

Allotment of Ration shops to Ex-Military personnel in Delhi

870. Shri L. D. Katoki : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state

(a) whether Government's policy is to give preference to ex-military personnel over others in the matter of providing employment;

(b) if so, the number of such ex-military personnel given ration shops in Delhi during the last three years and of those whose applications were rejected despite recommendations from the area residents; and

(c) whether the applications of the aforesaid personnel for the ration shops are under consideration and if so, the time by which they will be disposed of?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Government have provided reservations for Ex-servicemen in Class III and Class IV posts/Services at the rate of 10% of vacancies and 20% of vacancies respectively, which are to be filled by direct recruitment.

(b) & (c) The Delhi Administration has reported that 6 ration shops were given to the ex-servicemen during the last three years and that no record of rejected applications is kept by them. Some applications from ex-servicemen for sanction of ration shops are under consideration of Delhi Administration and decisions on these applications will be taken in due course.

त्रिपुरा की झुमिया बैल्ट में अकाल की स्थिति और इसके लिये केन्द्रीय सहायता

871. **श्री दशरथ देव :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सम्पूर्ण झुमिया बैल्ट में विशेषतया त्रिपुरा राज्य की कैलासतर, कमालपुर तथा खोवाई सब-डिवीजिनों में अब अकाल की भयानक स्थिति चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो अकालग्रस्त झुमिया क्षेत्र के संरक्षण के लिये इस समय क्या कदम उठाये जा रहे है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पीड़ित आदिवासी परिवार को वैसा ही नकद मासिक सहायता देने का है जैसा कि बंगलादेश से आये शरणार्थियों को आज भी दिया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) स (ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कालेजों/विश्वविद्यालय अध्यापकों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

872. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों और विश्वविद्यालय अध्यापकों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने की पेशकश को दोहराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यान्वयन के आदेश जारी कर दिए है जबकि बिहार सरकार ने परिशोधित वेतनमानों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । केरल सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों से, मूल रूप से भिन्न परिशोधित वेतनमानों को लागू करने का प्रस्ताव किया है । अन्य राज्य योजना को वित्तीय तथा अन्य जिम्मेदारियों पर विचार कर रहे हैं ।

नगरीय सम्पत्ति अधिकतम सीमा विधेयक

873. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बजट सत्र में संसद् में नगरीय सम्पत्ति अधिकतम सीमा विधेयक पुरःस्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक के उद्देश्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है । विधेयक को संसद में शीघ्र ही पेश करने के प्रयास किय जा रहे हैं ।

गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा दिये गये ऋण के उपयोग के बारे में जांच

874. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा कच्छ और पंचमहल जिलों में दिये गये गये ऋण के उपयोग के बारे में की गई जांच से पता चला है कि दोनों जिलों में 26–26 लाख रुपये के ऋण का दुरूपयोग किया गया है अथवा आंशिक उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने कच्छ और पंचमहल जिलों में इसके द्वारा दिये गये ऋणों के उपयोग के बारे में अध्ययन किया । अध्ययन से पता चला कि इनमें से हर जिले में सम्भावित अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण 26 लाख रु० के लगभग हैं ।

(ख) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने कच्छ जिले में 3180 ऋण मामलों का पुनर्निरीक्षण किया, जिससे पता चला कि 1671 मामलों में ऋणों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया था जिनके लिए वे दिये गये थे। इसी प्रकार का निरीक्षण पंचमहल जिले में किया जा रहा है। बैंक ने इन मामलों में देय राशियों को लगान के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत कार्यवाही की है। इन जिलों में कड़ी सतर्कता रखी जा रही है। बैंक ने भी 30 जून, 1974 को समाप्त हुये वर्ष के अपने लाभ-हानि लेखा में अशोध्य अथवा संदिग्ध ऋणों के लिए 67 लाख रु० की व्यवस्था की है।

अन्तर्राज्यीय नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करना

875. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवाद गत 25 वर्षों से यह संकेत देते रहे हैं कि जल से साधनों के राष्ट्र हित में उपयोग की समस्या के बारे में एक तर्क सम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाये ; और

(ख) क्या इस समस्या से सदा के लिए निपटने के लिए अन्तर्राज्यीय नदियो को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने वाला कोई विधान विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जल राज्य विषय है और राज्य सरकारें अपनी-अपनी सीमा के अंतर्गत नदियों के जल के विकास और प्रयोग के लिए अपनी-अपनी योजनाएं तैयार करती हैं। अक्सर दो अथवा अधिक राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के आयोजन और प्रयोग पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और उनके बीच मतभेदों को आपसी बातचीत द्वारा अथवा केन्द्र की सहायता से हल कर लिया जाता है। जब केन्द्र यह समझता है कि जल-विवाद बातचीत द्वारा हल नहीं किया जा सकता, तो उसे अंतर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1966 के अंतर्गत गठित किए गए न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करना होता है।

जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानने की धारणा को प्रतिबिम्बित करने तथा विवादों को आपसी सद्भावना तथा शीघ्रता से हल करने के लिए अपनाए जा सकने वाले निश्चयात्मक मान-दण्ड तयार करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करने के सुझाव पर राज्य सरकारों के विचार मांगे थे। अधिसंख्यक राज्य सरकारों ने इस सुझाव पर अभिरक्षण (रिजर्वेशन्स) व्यक्त किए हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है। अतः इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

भू-राजस्व को वस्तु के रूप में एकत्र करने सम्बन्धी आचार्य विनोबा भावे का सुझाव

876. श्री अरविंद एम० पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री भू-राजस्व को वस्तु के रूप में एकत्र करने सम्बन्धी आचार्य विनोबा भावे के सुझाव के बारे में 22 अप्रैल, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 772 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभदास पटेल) : (क) और (ख) चूंकि भू-राजस्व राज्य का विषय है, अतः जिस के रूप में भू-राजस्व एकत्र करने का आचार्य विनोबा भावे द्वारा दिया गया सुझाव राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेज दिया गया था।

"प्रोजेक्ट टाईगर" कार्यक्रम का मूल्यांकन

877. श्री टुना उरांव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'प्रोजेक्ट टाईगर' कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा असफलतायें विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और आसाम के बारे में क्या है ; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं :—

1. परियोजना को वैज्ञानिक आधार पर क्रियान्वित करने के लिये बाघों के सब आरक्षित स्थलों के लिये सुव्यवस्थित लेखबद्ध योजनाएं तैयार की गई हैं ।

2. बाघ के प्रत्येक आरक्षित स्थल में कम से कम 300 वर्ग किलोमीटर विशेष क्षेत्र को चरागाह वनों की कटाई और शिकार, आदि से मुक्त रखा गया है । बाघ के 9 आरक्षित-स्थलों के बफर क्षेत्रों में शिकार करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है ।

3. क्षेत्रों की सुरक्षा एवं आरक्षित-स्थलों की व्यवस्था करने के लिये स्वीकृत किये गये क्षेत्र कर्मचारियों की नियुक्ति करके उन्हें क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है । परियोजना के अतिरिक्त कर्मचारियों ने जंगल की चोरी रोकने में भी सहायता की है ।

4. जानवरों के लिये नये जल-स्थलों की व्यवस्था की गई है ।

5. सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल), मानस (असम), कान्हा (मध्य प्रदेश) और रंथम्भोर (राजस्थान) बाघ-आरक्षित-स्थलों में चोरों को पकड़ने के लिये बन्दूक, राइफल, आदि उपकरणों की व्यवस्था की गई है । सब आरक्षित-स्थलों में जीपों की व्यवस्था भी की गई है ।

6. चोरी से होने वाली हानि से बचने तथा आग तथा आग से सुरक्षित रहने के लिये वायरलेस की स्थापना करने के लिए कार्बेट पार्क तथा मानस आरक्षित-स्थल में सर्वेक्षण किया गया है।

यह योजना पश्चिम बंगाल तथा असम के बाघ-आरक्षित स्थलों में भी कारगर ढंग से लागू की जा रही है । पश्चिम बंगाल सरकार आरक्षित स्थल कर सुधार पर 30,92,000 रुपये की राशि व्यय कर रही है । असम के मानस आरक्षित स्थल में निगरानी रखने के लिये हाथियों की व्यवस्था की गई है । सड़कों की मरम्मत की गई है, ताकि आने जाने की अच्छी व्यवस्था होने से चोरी को रोका जा सके । बाघ इस आरक्षित-स्थल के लिये 40.90 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है ।

प्राकृतिक -वास एवं जंगली जानवरों की कारगर रूप से सुरक्षा करने से प्राकृतिक-वास के सुधार एवं शिकारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई है । रंथम्भोर आरक्षित-स्थल में मादा बाघ के बच्चे देखे गये हैं और कुछ अन्य आरक्षित स्थलों में बाघ की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ रही है ।

परियोजना के जनसम्पर्क अभियान से देश भर में वन्य-प्राणियों के संरक्षण के सम्बन्ध में जागृति पैदा हुई है ।

(ख) परियोजना ने छोटी अवधि के दौरान जो प्रोत्साहनात्मक कार्य किया है उस से सरकार संतुष्ट है ।

पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में वनस्पति की आवश्यकता और उसका उत्पादन

878. श्री टुना उरांव : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में, राज्यवार वनस्पति की कितनी आवश्यकता रही और उसका उत्पादन कितना हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

राज्य का नाम	प्रतिवर्ष अनुमानित आवश्यकता (मीटरी टन)	उत्पादन (फरवरी, 74—जनवरी-75) (मीटरी टन)
पश्चिमी बंगाल . .	37,920	29,658
असम	9,156	शून्य
मणिपुर .	300	,,
मेघालय . . .	180	,,
नागालैंड . . .	1,140	,,
त्रिपुरा . . .	72	,,
अरुणाचल प्रदेश	144	,,
मिजोराम	180	,,

वर्ष 1974 के दौरान राज्यों की चीनी की मांग तथा उन्हें इसका नियतन

879. **श्री टुना उरांव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान प्रत्येक राज्य की मास-वार चीनी की मांग कितनी थी और कितनी मात्रा का नियतन किया गया ; और

(ख) चीनी की कमी को पूरा करने तथा मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) चीनी पर आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के अधीन, देश भर में खोली गई उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2.15 रु० प्रति किलोग्राम के एक से मूल्य पर चीनी उपलब्ध कर घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है । जिन थोक उपभोक्ताओं और घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चीनी की आवश्यकता होती है, उन्हें खुले बाजार पर निर्भर करना पड़ता है । एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 1974 के दौरान लेवी चीनी के किए गए मासिक आबंटनों का ब्यौरा दिया गया है । **[ग्रन्थालय म रखा गया । दखियें संख्या एल० टी०-8978/75 ।]**

(ख) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने और उसके मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित पग उठा कर प्रयत्न किए जा रहे हैं :—

(1) आंशिक नियंत्रण की नीति को जारी रख कर;

(2) उत्पादन शुल्क में छूट के रूप में प्रोत्साहन देकर;

(3) नए कारखाने चालू कर और मौजूदा कारखानों के विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम में तेजी लाकर; और

(4) मात्रा-वार और किस्म-वार गन्ने का विकास कर ।

उर्वरक के निगम के लिए परमिट-व्यवस्था के बारे में केन्द्रीय अनुदेश

880. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या कृषि मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को ये अनुदेश दिये हैं कि वे उर्वरक के निर्गम की परमिट व्यवस्था—जिसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और अधिक समय लेती है—के बारे में पुनः करें;

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय द्वारा दिये गये अनुदेश के प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) परमिट व्यवस्था को समाप्त करने और कृषकों को उर्वरक वितरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) कृषि मन्त्रालय ने उर्वरकों के वितरण के लिए कार्ड/परमिट प्रणाली प्रारम्भ करने वाली सरकारों से अनुरोध किया था कि वे इसकी उपयुक्तता का पुनरीक्षण करें क्योंकि ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि ऐसी प्रणाली का उर्वरकों खरीद पर कुप्रभाव पड़ रहा था ।

(ख) प्रायः सभी राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रणाली से उर्वरकों को खरीद में कोई रुकावट न पड़े, राज्य में प्रचलित उर्वरकों को वितरण प्रणाली का पुनरीक्षण करना स्वीकार कर लिया है । वास्तव में इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल ने अपने राज्यों में प्रचलित कार्ड/परमिट प्रणाली को समाप्त कर दिया है । इस प्रणाली को कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में भी शिथिल कर दिया गया है ।

(ग) भारत सरकार केवल आयातित तथा देशी उर्वरकों का राज्यवार आधार पर आबंटन करती है । राज्य के अन्तर्गत उर्वरकों का वितरण करना सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । भारत सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि वितरण की प्रणाली से उर्वरकों को खपत में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो ।

Production of Wheat, Gram and Rice during last three years in States

881. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the State-wise production of wheat, gram and rice during the last three years, year-wise;

(b) the concrete suggestions given by the Centre to State Governments to boost production; and

(c) the extent to which the State Governments implemented these suggestions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) A statement indicating Statewise production of wheat, gram and rice during the last three years is enclosed. [*Placed in the Library. See No. LT*—8979/75.]

(b) The State Governments were advised to undertake the following measures to increase production

1. WHEAT :

(i) Timely sowing of wheat. Late sowings to be specifically avoided with the medium late maturing varieties like Kalyan Sona. Where sowings are delayed, early maturing varieties like Sonalika should be grown, with higher seed rate and closer spacing.

(ii) Proper application of balanced doses of fertilisers. Where there is zinc deficiency, Zinc Sulphate should be applied.

(iii) As a precaution against rust-disease, the cultivation of Sonalike was advocated.

(iv) Four to six timely irrigations.

(v) Mass scale education and training of farmers and extension workers.

2. GRAM :

(i) Use of improved seeds.

(ii) Use of phosphatic fertilisers.

(iii) Adoption of plant protection measures.

3. RICE :

(i) Raising of community nurseries where assured irrigation is available so as to ensure timely transplantating.

(ii) To advance the sowing date so as to harness the full yield potential of the high-yielding varieties.

(iii) To re-schedule the release of canal water so as to suit improved rice cultivation.

(iv) Are under summer paddy should be extended wherever irrigation facilities are available.

(c) All efforts are being made by the State Governments to implement these suggestions.

Foodgrains procured from farmers by F.C.I.

882. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total quantity of foodgrains procured from farmers by the Food Corporation of India during the last three years, year-wise;

(b) the quantity of foodgrains imported during each of these years;

(c) the quantity of foodgrains distributed among the consumers out of that; and

(d) the position in regard to the remaining quantity?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Anna-Saheb P. Shinde) : (a), (b) & (c) The total quantity of foodgrains procured by various Public agencies (including Food Corporation of India), quantity imported and distributed among consumers through Public Distribution system, during the last three years, calendar year-wise, is as follows:

(In million tonnes)

Year	Procurement	Imports	Public Distribution
1972	7.7	0.4	10.5
1973	8.4	3.6	11.4
1974	5.7	4.9	11.0 (tentative)

(d) The estimated stock with Government (both Central and States) at the end of 1974, was about 2.4 million tonnes. These stocks are meant for release for public distribution in accordance with the requirements of different States.

भूदान आन्दोलन के रजत-जयन्ती वर्ष के दौरान वितरित भूमि

883. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भूदान आन्दोलन के रजत जयन्ती वर्ष के दौरान भूदान भूमि के साथ-साथ कितनी फालतू सरकारी भूमि का वितरण करने की सम्भावना है

(ख) क्या उन व्यक्तियों की कोई सूची तैयार की गई है जिनको यह भूमि वितरित की जानी है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या सावधानी बरती गयी है कि इस सम्बन्ध में कोई शोषण अथवा गड़बड़ न होने पाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिला कल्याण गतिविधियों के समन्वय के लिए सैल की स्थापना

884. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कल्याण गतिविधियों के समन्वय के लिये सैल स्थापित करने का निर्णय इस बीच ले लिया गया है ; और

(ख) देश में गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में महिला वर्ग की दशा में सुधार करने के लिये सैल के माध्यम से क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और उक्त योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेतम) : (क) और (ख) समाज कल्याण विभाग में पहले से ही एक महिला कल्याण और सामाजिक रक्षा प्रभाग है, जो महिला कल्याण के कार्यक्रमों सम्बंधी काम को देखता है। यह प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के महिला कल्याण के कार्यक्रमों का समन्वय करेगा और उक्त काम के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष से सम्बंधित कार्यक्रमों को तथा भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बद्ध समिति की रिपोर्ट से उत्पन्न काम को भी देखेगा। यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रभाग को उचित रूप से और मजबूत किया जायेगा।

2. प्रसूती अस्पतालों को खोलने, फैक्ट्री अधिनियम के अधीन महिला कामगारों के लिए कार्यक्रमों, लड़कियों और स्त्रियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं आदि सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्त्रियों, विशेषतया जो गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में रहती हैं, के लाभ के लिए निम्नलिखित विशेष कायक्रम हैं :—

(1) प्रौढ़ स्त्रियों के लिए रोजगार और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम ;

(2) स्त्रियों के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम ;

(3) प्रौढ़ स्त्रियों के लिए वृत्तिमूलक साक्षरता ;

(4) नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए होस्टलों का निर्माण करने तथा उनका विस्तार करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना ;

(5) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी, पुराने ढंग की तथा समन्वित ढंग की) सीमान्त क्षेत्र परियोजनाएं आदि ;

(6) परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम ;

(7) लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं (पुस्तकें और कपड़े प्रदान करना, अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टरों का निर्माण, आदि) ;

(8) व्यवहारिक पौष्टिक आहार कार्यक्रम (स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य शिक्षा);

(9) सहायक महिला कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण ;

(10) महिला मंडलों को प्रोत्साहन पुरस्कार ;

(11) महिला मंडलों का विकास ;

(12) वंशानुगत दाइयों का प्रशिक्षण ;

(13) गर्भवती स्त्रियों के प्रशिक्षण तथा माताओं में पोषाहारात्मक रक्तक्षीणता को रोकने के लिए रोग निरोधक उपचार ;

(14) डाक्टरों और नर्सिंग शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्त्रियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना ।

3. उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पांचवीं योजना के मसौदे में 129.54 करोड रुपये की कुल व्यवस्था की गई है ।

वनस्पति घी की उत्पादन क्षमता और उसका वास्तविक उत्पादन

885. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनस्पति घी का उत्पादन करने वाली मिलों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनको लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता कितनी है और गत वर्ष के दौरान उनका प्रत्येक महीने यूनिटवार वास्तविक उत्पादन कितना था ;

(ग) देश में, राज्यवार, वनस्पति घी की महीनेवार आवश्यकता कितनी है ; और

(घ) सरकार बाजार में वनस्पति घी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-8980/75]**

(घ) 1974 के दौरान उत्पादन में कमी वनस्पति के नियंत्रित मूल्यों के अनुपात में लाभकारी मूल्यों पर कच्चे तेलों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण हुई थी । मूल्य नियंत्रण हटाने से, जो कि 5 जनवरी, 1975 से लागू हुआ है, अब यह कठिनाई नहीं होनी चाहिए । वस्तुतः अब वनस्पति घी बाजार में आसानी से मिल जाता है ।

फ़ोसफ़टिक उर्वरक की मांग

886. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में राज्यवार फोसफेटिक उर्वरक की कितनी मांग थी ;

(ख) इसी अवधि के दौरान देश भर में एकक-वार फ़ासफ़ेटिक उर्वरक का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इस समय तक देश भर में विशेषकर पश्चिम बंगाल और उत्तरपूर्व क्षेत्र के राज्यों की राज्य वार फ़ासफ़ेटिक उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के लिए फास्फेटिक उर्वरकों की निवल मांग का राज्यवार विवरण अनुबंध-1 में संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-8981/75]**

(ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान प्रत्येक कारखाने में फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन का विवरण अनुबंध-2 में संलग्न है।

(ग) देश में फास्फेटिक उर्वरकों की मांग कुछ अंश तक देशी उत्पादन के माध्यम से और कुछ अंश तक आयात के जरिए पूरी की जा रही है। यह सभी राज्यों के मामले में सही है। इनमें पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य भी शामिल हैं।

आसाम में वनस्पति फैक्टरी के लिए लाइसेंस

887. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में एक वनस्पति फैक्टरी लगाने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) एकक की स्थापना के लिए अब तक क्या कार्य किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) असम में वनस्पति फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए नवम्बर, 1971 में दो लाइसेंस जारी किए गए थे जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

पार्टी का नाम	क्षमता मी० टन/दिन	संयंत्र लगाने का स्थान
मैसर्स असम वेजोटेबल प्रोडक्ट्स, गोहाटी . .	50	कामरूप/नवगोंग जिला
मैसर्स असम वनस्पति प्रोडक्ट्स, गोहाटी . .	50	गोलपारा या कछार

(ग) किसी भी लाइसेंसधारी ने इस सम्बन्ध में हुई किसी प्रगति की सूचना नहीं दी है।

भारतीय खाद्य निगम की पंजाब शाखा के विरुद्ध जांच

888. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गड़बड़ी करने तथा पश्चिम बंगाल को घटिया चावल भेजने के बारे में भारतीय खाद्य निगम की पंजाब शाखा के विरुद्ध जांच-कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए उत्तरदायी भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की गन्ने के मूल्य बढ़ाने की मांग

889. **सरदार स्वर्णसिंह सोखी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों ने गन्ने का मूल्य बढ़ा कर 20 रुपया प्रति क्विंटल करने के लिए हड़ताल की थी ;

(ख) क्या सरकार ने गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि स्वीकार की है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना मूल्य निर्धारित किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश की कुछ फैक्ट्रियों के अपने क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों ने गन्ने का अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए अपनी मांग को मनवाने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों को गन्ना सप्लाई करने में देरी की थी ।

(ख) और (ग) समूचे 1974-75 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत अथवा उससे कम वसूली पर 8.50 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य अधिसूचित किया गया है और उसमें वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर 10 पैसे प्रीमियम देने की व्यवस्था है । तथापि, उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श करके गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य देने को कहा है । प्रारम्भ में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रमशः 12.50 रुपये प्रति क्विंटल और 13.25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का मूल्य दिया गया था । बाद में, 7 दिसम्बर, 1974 से इन्हें बढ़ाकर गन्ने का मूल्य क्रमशः 13.50 रुपये प्रति क्विंटल और 14.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था ।

गुजरात में सहकारी दुग्ध डेरियां

890. **श्री वेकारिया** :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे गुजरात राज्य में कितनी दुग्ध डेरियां सहकारी तौर पर चल रही हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) उनके उत्पादक आंकड़े क्या हैं तथा पिछले दो वर्ष में उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) इस समय गुजरात राज्य में दुग्ध उत्पाद के पांच सहकारी कारखाने और चार सहकारी दुग्ध योजनाएं कार्य कर रही हैं। उनके उत्पादन के आंकड़े तथा प्रगति और स्थानों के नाम नीचे दिये गय हैं :—

डेरी का नाम	वर्ष जिसमें शुरू की गई	संयंत्र की क्षमता	1973-74 के वर्ष के दौरान कितना दूध निपटाया	अक्तूबर 1974 में (15-10-74 तक) कितना दूध निपटाया
1	2	3	4	5
दुग्ध उत्पादों के सहकारी कारखाने—				
कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०, आनंद . . .	1948	700000	309666	371540
मेहसाना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०, मेहसाना . .	1964	350000	173580	300000
बनासकंथा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०, पालनपुर . .	1969	125000	32300	50000
दुग्ध संरक्षण परियोजना, राजकोट .	1963	37500	7870	19000
साबरकंथा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०, हिमतनगर . .	1964	125000	30000	72000
सहकारी दुग्ध योजना—				
बड़ौदा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०, बड़ौदा . . .	1965	65000	46890	62944
सूरत जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०, सूरत . . .	1967	50000	42603	43500
दूध सरिता डेरी, भावनगर . .	1970	5000	4478	4750
भड़ौच जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०, भड़ोच . . .	1973	5000	3903	9700

कमी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्यों को राशि अग्रिम रूप से दिया जाना

891. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उन्हें राज्यों में कमी की स्थिति का मुकाबला करने के लिये अगले दो-तीन वर्षों के लिए उन्हें नियत राशि इस वर्ष अग्रिम रूप में दे दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि यह मामला अभी भी विचाराधीन है, तो इस बारे में निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय सरकार को कितना समय लगेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) प्रत्येक राज्य में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने उनको निम्नलिखित सीमा तक अग्रिम योजना सहायता तथा अल्पावधि ऋण की सहायता देना स्वीकार किया है :—

राज्य का नाम	अग्रिम योजना की सहायता	अल्पावधि ऋण की सहायता
	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये
उड़ीसा	7.91	3.31
राजस्थान	10.24	1.75
गुजरात	14.14	10.00
मध्य प्रदेश	6.50	5.30

मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त अनाज

892. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र से अतिरिक्त अनाज की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग कितनी है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) दिसम्बर, 74 में मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का 10,000 मीटरी टन अधिक आबंटन करने के लिए कहा था । केन्द्रीय पूल में गेहूं का सीमित स्टाक होन और अन्य राज्यों की मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार को 2,000 मीटरी टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया गया था ।

राज्य में उपलब्ध माइलो की थोड़ी मात्रा के आवंटन के लिए अनुरोध करने पर, राज्य सरकार को गेहूं के पूर्व आवंटनों के प्रति सप्लाई में कमी की मात्रा तक माइलो लेने की अनुमति दे दी गई है ।

Reconsideration of Irrigation Project of Madhya Pradesh Government

893. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have sent any irrigation project to Madhya Pradesh Government for reconsideration; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) & (b) According to the prescribed procedure, State Governments forward to Central Water Commission project reports on new major and medium irrigation schemes. Technical examination of all these reports is carried out and comments on technical and economic aspects are sent to State Governments as found necessary for clarification/modification, if any.

Test relief work in Chhattisgarh region, M.P. under Crash Programme for Rural Employment

894. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether any "Test Relief work" is being carried on in the districts of Chhattisgarh region of Madhya Pradesh at present under the crash progrmme for rural employment;

(b) if so, the number of persons provided with employment and the nature of jobs given to them; and

(c) the expenditure incurred on these works during the period August to 30th September, 1974?

The Minister of States in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Anna Saheb P. Sindhe) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

12 वर्षीय विद्यालय पद्धति के अन्तर्गत संस्कृत की पढ़ाई

895. श्री प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपनाई जा रही नई 12-वर्षीय विद्यालय पद्धति के अन्तर्गत संस्कृत पढ़ाए जाने की कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति की रूपरेखा क्या है तथा कौन-कौन से विषय विशेष (इलेक्टिव) तथा अनिवार्य होंगे, तथा पाठ्यक्रम में संस्कृत का क्या स्थान होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारो की जिम्मेदारी है । स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली भाषा सामान्यत: तीन हैं, अर्थात् एक प्रादेशिक भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी । सामान्यत: मिडिल और माध्यमिक स्तर पर ऐच्छिक भाषा के रूप में अथवा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत अध्ययन की व्यवस्था है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 1977 की नौवीं और दसवीं कक्षाओं के लिए नए पाठ्य-विवरण और अध्ययन के पाठ्यक्रम तैयार किए हैं । नौवी और दसवीं कक्षाओं के लिए अध्ययन की नई योजना में संस्कृत की वैकल्पिक आधार पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन की व्यवस्था है । हिन्दी तथा कुछ अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं से संबंधित पाठ्य विवरण में भी संस्कृत को वैकल्पिक आधार पर पढ़ने की व्यवस्था की गई है ।

भाषाओं से संबंधित अध्ययन की नई योजना के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन मिले हैं । अत: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूरे मामले की फिर से जांच की जा रही है ।

रा० शि० अनु० और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यचर्या समिति ने सामान्य शिक्षा के पहले दस वर्षों के लिए एक पाठ्यचर्या तैयार की है । उसके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यचर्या में सांस्कृतिक को भी सम्मिलित किया गया है तथा उसे मिडिल/निम्न माध्यमिक स्तरों से तीन भाषाओं में से एक भाषा के रूप में चुना

जा सकता है। यह पाठ्यचर्या राज्य शिक्षा विभागों के मार्ग-निर्देशन के लिए तैयार की गई है। रा० शि० अनु० और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यचर्या के अनुसार माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के विषय निम्नलिखित हैं :—

1. तीन भाषाएं

(क) प्राथमिक स्तर पर पहली भाषा, जो सामान्यतः मातृभाषा होगी ।

(ख) मिडिल स्तर पर दूसरी भाषा, जो कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को छोड़ कर अन्य कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी (यदि कोई राज्य उसकी व्यवस्था कर सके तो अंग्रेजी अथवा संस्कृत भी पढ़ाई जा सकती है) ।

(ग) मिडिल अथवा माध्यमिक स्तर पर तीसरी भाषा, जो सामान्यतः अंग्रेजी होगी, किंतु कोई अन्य विदेशी भाषा भी पढ़ाई जा सकेगी, अथवा संस्कृत अथवा फारसी ।

2. गणित

3. विज्ञान

4. इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र

5. कार्य अनुभव

6. कला

7. स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा ।

रिहायशी मकानों का बिना पारी के आबंटन

896 **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष में कितने सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी मकान बिना पारी के आबंटित किये गये थे ; और

(ख) बिना पारी के आबंटनों के लिये किन कारणों को उपयुक्त समझा जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 2500 ।

(ख) तदर्थ (बिना बारी के) आवंटन फिलहाल निम्नलिखित मामलों में करने पर विचार किया जाता है—

(i) अधिकारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी ;

(ii) मंत्रियों, योजना आयोग के सदस्यों, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों निजी कर्मचारी ;

(iii) सेवानिवृत्त होने वाले/मृतक आबंटी सरकारी कर्मचारियों के पात्र आश्रित संबंधियों तथा दिल्ली से बाहर अथवा दिल्ली/नई दिल्ली में किसी अपात्र कार्यालय में स्थानान्तरित आबंटीत अधिकारियों;

(iv) उन अधिकारियों को, जिन्हें सामान्य पूल से आबंटन के पात्र किसी कार्यालय में स्थानान्तरण होने पर, अन्य पूलों के वास को खाली करना पड़ता है ।

(v) अत्यधिक कठिनाई के अन्य संवेदनात्मक आधार पर ।

गुजरात राज्य में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों को तदर्थ पेंशन

897. श्री डी० पी० जनेजा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों को पेंशन देने के लिए कोई व्यवस्था कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां तो अिस बारे में ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर, उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

गुजरात के जामनगर तथा राज जिलों में पेय जल की अत्यधिक

898. अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदज :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में विशेषकर जामनगर तथा राजकोट जिलों में पेय जल की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात राज्य में पेय जल की कमी

699. श्री बेकारिया : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने ग्राम तथा क्षेत्र पेय जल समवर्गी सुविधाओं की अत्यधिक अथवा पूर्ण कमी से पीड़ित हैं ; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए कौन से सुझाव दिये गये हैं और क्रियान्वित किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल राज्य सरकार को राहत के रूप में दी गई राशि

900. श्री सी० के० चन्द्रपन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में केरल को भारी भू-स्खलन, चट्टानों के विस्फोट तथा बाढ़ों के कारण अनुमानत: कितनी क्षति हुई है ;

(ख) राज्य सरकार ने राहत के रूप में कितनी राशि की मांग की है ;

(ग) उसे कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) इस आपदा से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करने हेतु केरल गये केन्द्रीय सरकार के सरकारी दल ने क्या सिफारिशें की हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) केरल को राज्य सरकार द्वारा यथासूचित, 1974 में केरल में बाढ़ों आदि से हुई हानि इस प्रकार है :

फसलों को हानि	12.57 करोड़ रुपये
घरों को हानि . .	1.75 करोड़ रुपये
जन-सुविधाओं को हुई हानि	7.43 करोड़ रुपये
कुल .	21.75 करोड़ रुपये

(ख) जुलाई, 1974 में बाढ़ों तथा भू-स्खलन के आने के तुरन्त उपरांत केरल सरकार ने बाढ़ राहत उपायों के लिए स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किए जाने तक एक करोड़ रुपये की धनराशि तुरन्त देने के लिए अनुरोध किया था। केरल के मुख्य मंत्री ने बाढ़-राहत के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के विषय में भी लिखा था।

(ग) छठे वित्त आयोग की सलाह पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के साथ राहत उपायों के लिए राज्यों को गैर-योजना केन्द्रीय सहायता देने की पहले की स्कीम को छोड़ दिया गया था। इसलिए राज्य सरकारों को राहत व्यय के लिए वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध की गई उपात धनराशि के समुपयोजन योजना के अन्दर समंजन व्यय में मितव्ययिता तथा अतिरिक्त संसाधनों को जुटा कर आवश्यक धन की व्यवस्था अपने आप करनी पड़ती है।

राज्यों को केन्द्रीय राजस्व के अंतरण की स्कीम में राहत व्यय के लिए केरल की राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाती है। इस स्थिति का सामना करने के लिए तत्कालिक उपाय हाथ में लेने हेतु राज्य की धन लगाने की स्थिति में तंगी न आने देने के उद्देश्य से केरल की राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये मार्गोपाय पेशगी के रूप में दिए गए हैं।

(घ) भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य में बाढ़ तथा भू-स्खलन की स्थिति के वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अगस्त, 1974 में गठित किए गए एक तकनीकी दल ने, जिसमें भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, कृषि मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के विशेषज्ञ सम्मिलित थे, दिसम्बर, 1974 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रेक्षण तथा सिफारिशें की हैं :-

(1) पर्वतों के टूटन तथा भू-स्खलन और नदियों तथा सरिताओं के जल-स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि के लिए तात्कालिक कारण दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का देरी से आना तथा जुलाई के उत्तरार्ध के दौरान भारी तथा संतत वर्षा का होना है। शिलाविस्फोट जैसे किसी भू-वैज्ञानिक तथ्य को इन घटनाओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

(2) सिंचाई कार्यों को कोई विशेष क्षति की सूचना नहीं मिली है।

(3) इदकी परियोजना के निर्माण कार्यों को कोई प्रत्यक्ष क्षति नहीं पहुंची है तथा पर्वत-स्खलनों का परियोजना की कार्य सूची पर कोई कु-प्रभाव नहीं पड़ा है।

(4) बंधो की मरम्मत, कृषिगत क्षेत्रों से जल निकास करने के लिए तथा भू-स्खलनो द्वारा गिराए गए मलबे को खेतों से साफ करने के लिए दीर्घावधि तथा लघु अवधि उपाय करना आवश्यक है। धन, बीजों वनस्पति सुरक्षा उपायों और उर्वरकों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है।

(5) विशेषज्ञों के दल अथवा एक विशेषज्ञ को, राज्य में भूमि समुपयोजन की भावी नीति तैयार करने के साथ-साथ भू-संरक्षण के ऐसे उपायों के संबंध में सिफारिशें तैयार करने जिन्हें प्रचलित कृषि पद्धतियों से मेल खाने के लिए अपनाया जाना चाहिए, का कार्य भी सौंपा जाए। यह दल इस बात का भी मूल्यांकन करेगा कि अधिक से अधिक कितनी भूमि वनों के अंतर्गत रखी जाए तथा कितनी कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाए।

(6) यदि, दल के इस दृष्टिकोण के उपरांत भी कि ये स्खलन मुख्यतया, जुलाई, 1974 के उत्तरार्ध में भारी तथा लगातार वर्षा के कारण हुए हैं, स्थानीय लोगों का यह दृष्टिकोण बना रहता है कि इस स्खलन का कारण शिला-विस्फोट जैसी कुछ असामान्य घटनाएं हैं तो इस उद्देष्य के लिए विशिष्ट रूप से गठित अन्य विशेषज्ञ दल द्वारा इस समस्या के विस्तृत अध्ययन करने पड़ेंगे।

कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी को केन्द्रीय सहायता

901. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी के गठन के समय केन्द्रीय सरकार ने यह वचन दिया था कि अगले चार वर्षों में उसे 150 करोड़ रुपये की सहायता राशि विकास कार्यों के लिये दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक दी गई सहायता राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और वर्ष 1974-75 के लिए प्राक्कलन क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कहीं विलम्ब किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं। परन्तु मई, 1970 में चतुर्थ योजनावधि के लिये 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के नगरीय विकास के एक त्वरित कार्यक्रम की सिफारिश की गई थी जिसमें कलकत्ता के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता भी शामिल है।

(ख) निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार चतुर्थ योजना के लिये कुल केन्द्रीय सहायता 31.01 करोड़ रुपये तथा 1974-75 के लिये 7.50 करोड़ रुपये थी--

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वस्ती सुधार अनुदान	विशेष केन्द्रीय सहायता (ऋण)	जोड़
1969–70	..	..	..
1970–71	1.38	4.12	5.50
1971–72	3.12	4.00	7.12
1972–73	3.33	9.00	12.33
1973–74	2.56	3.50	6.06
जोड़ .	10.39	20.62	31.01
1974–75	..	7.50*	7.50

*बशर्ते कि राज्य सरकार समतुल्य अंशदान तथा कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण संतोषजनक खर्च दे।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस रद्द किया जाना

902. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में उचित मूल्य की अनेक दुकानों के लाइसेंस कथित अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिए गए थे ;

(ख) कितनी उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस खो गए हैं ; और

(ग) कितनी लाइसेंसधारी गिरफ्तार किए गए और चालान फार्म के रूप में उनसे अब तक कुल कितनी राशि एकत्र की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1-4-74 से 15-2-75 तक 177 उचित मूल्य की दुकानों की मंजूरी को रद्द कर दिया गया था । उक्त अवधि में उचित मूल्य की दुकानों के 199 लाइसेंसधारियों को गिरफ्तार किया गया था और दोषी पाये गये लाइसेंसधारियों से 3000 रुपये की राशि वसूल की गई थी ।

विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमंडलों का दौरा

903. श्री आर० एन० बर्मन :

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

श्री के० लकप्पा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में कितने विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया ; और

(ग) सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के इस आदान-प्रदान के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) वर्ष 1974 में 76 सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत का दौरा किया । इन प्रतिनिधिमण्डल में लेखक, अध्येता, कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेसर, शिक्षाविद्, चित्रकार (पेंटर संगीतज्ञ, नर्तक, संग्रहालय, पुरालेख, पुरातत्व, थियेटर के क्षेत्रों में विशेषज्ञ आदि शिक्षा तथा संस्कृत मंत्री पत्रकार आदि तथा अभिनय मंडलियां शामिल थी ।

(ख) सरकार द्वारा इन प्रतिनिधिमंडलों पर 20,35,982.43 रुपये खर्च किये गये ।

(ग) सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित करने का प्रमुख उद्देश्य पारस्परिक समझ-बूझाव सद्भावना को बढ़ाना तथा इस देश को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विदेशों में उनके अपने ही राष्ट्रिकों के माध्यम से चित्रित करना है, ताकि इन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाया जा सके। सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों के दौरों से इस उद्देश्य को पर्याप्त सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन

904. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समस्त देश में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा आयोग–1964–66 (कोठारी आयोग) ने देश में शिक्षा की 10+2+3 की प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत स्कूल जाने वाले लगभग 80 प्रतिशत बच्चे वैकल्पिक विषयों के बिना 10 वर्ष की अवधि के सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। बकाया बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् पूर्व-व्यावसायिक ट्रेड पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की सम्भावना है। कार्य-अनुभव, दस वर्षीय स्कूली माध्यम से इस पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होगा। तत्पश्चात् दो वर्षीय उच्चस्तर माध्यमिक पाठ्यक्रम होगा जिसमें अन्ततः 50 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम का, तथा बाकी छात्र सामान्य पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। इन दोनों पाठ्यक्रमों के बीच क्रेडिट अन्तःपरिवर्तनीय होंगे। भारत सरकार ने 1968 में शिक्षा संबंधी एक संकल्प नीति को अपनाया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 10+2+3 पद्धति को अपनाने के मूलभूत उद्देश्य सहित देश के सभी भागों में मोटे तौर पर एक समान शिक्षा के ढांचे का प्रस्ताव किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, जिस में सभी राज्य शिक्षा मन्त्री प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात की सिफारिश करने वाली एक संकल्प को भी पारित किया है कि शिक्षा की 10+2+3 की पद्धति को देशभर में पांचवीं योजना की समाप्ति तक लागू कर दिया जाना चाहिए। इस पद्धति में 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा की व्यवस्था है, उसके बाद दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा तीन वर्षीय प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम होगा।

(ग) नई पद्धति को लागू करने से संबंधित वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

विवरण

उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम जिन्होंने 10+2+3 की पद्धति को पूरी तरह से लागू कर दिया है।	1. आन्ध्र प्रदेश 2. कर्नाटक 3. केरल
उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम जिन्होंने उक्त प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया है तथा उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं।	1. असम 2. गुजरात 3. जम्मू-व-कश्मीर 4. महाराष्ट्र 5. पश्चिम बंगाल 6. गोवा, दमन और दीव।

7. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश चण्डीगढ़, दिल्ली, और लक्ष्यद्वीप समूह

संघशासित प्रदेशों के सभी स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध है। बोर्डने यह निर्णय किया है कि 10+2 वाली स्कूल पद्धति को मई, 1975 से प्रारम्भ होने वाले सत्र से इसके सदस्य- स्कूलों में लागू कर दिया जाए।

बाकी संघ शासित प्रदेशों के स्कूल पड़ौसी राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध हैं तथा उनके अपने अपने राज्यों द्वारा किए गए परिवर्तन उन्हीं संघ शासित प्रदेशों पर लागू होंगे।

8. उत्तर प्रदेश में पहले से ही स्कूल स्तरीय शिक्षा 12 वर्षीय है, परन्तु दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया जाना है।

हुगली और हावड़ा के बीच लोअर दामोदर नहर का पुनर्निर्माण

905. श्री आर० एन० बर्मन: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सहायता के उपलब्ध न होने के कारण हुगली और हावड़ा के बीच लोअर दामोदर नहर का पुनर्निर्माण रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1973, 1974 और 1975 के लिए इस कार्य के लिए कितनी केन्द्रीय राशि का नियतन किया गया था ;

(ग) इसमें से नियतन की गयी कितनी राशि को मंजूरी दी गयी थी और कितनी राशि का उपयोग किया गया ; और

(घ) यदि कोई राशि रुकी पड़ी है, तो उसे देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (घ) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास स्कीमें राज्य योजना के भाग हैं और सामान्यत: किसी विशिष्ट स्कीम के लिए, ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, जो राज्य की योजना स्कीमों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए दी जाती है, कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। बहरहाल, चतुर्थ योजना के अन्तिम दो वर्षों, नामश: 1972-73 और 1973-74 के दौरान पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को कतिपय प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण स्कीमों, जिनमें निम्न दामोदर क्षेत्र के सुधार के लिए स्कीम भी शामिल है, के तीव्र कार्यान्वयन हेतु यह सोचते हुए कि इन प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए पांचवी योजना के दौरान राज्य योजना में प्रर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे, क्रमश: 3 करोड़ रुपये और 8 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता दी गई थी। तथापि, इन दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता का कोई विशिष्ट आबंटन निम्न दामोदर क्षेत्रों के सुधार की स्कीमहेतु नहीं किया गया था। 1972–73 और 1973–74 के दौरान इस स्कीम पर राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय क्रमश: 2.36 करोड़ रुपये और 2.98 करोड़ रुपये है।

1974–75 के लिए राज्य योजना में एक करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है और निम्न दामोदर क्षेत्रों सुधार की स्कीम पर 1.06 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। इन स्कीम के लिए 1974–75 के दौरान केन्द्रीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

इस स्कीम पर कार्य बन्द करने की राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।

गुजरात में उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी जान समिति

906. **श्री बकारिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वो० वो० जान समिति ने गुजरात सरकार के उच्चतर शिक्षा के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया गया है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार समिति की रिपोर्ट, अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है क्योंकि यह अभी भी उनके विचाराधीन है ।

गुजरात में राहत कार्य के लिए नियुक्त श्रमिकों को दी गई दैनिक मजूरी

907. **श्री बेकारिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये नियुक्त श्रमिकों को कितनी दैनिक मजूरी दी जाती है ;

(ख) क्या उनको कोई अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राहत कार्य के लिए मजूरी की औसत दर प्रतिदिन 2 रुपये से 3 रुपये तक होती है। पूरे दिन काम करने के लिए अधिक से अधिक 3 रुपये दिये जाते है।

(ख) तथा (ग) अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को पेयजल, चिकित्सा सहायता और उचित कीमत की दुकानों से अतिरिक्त राशन देने की सुविधायें प्रदान की जा रही है।

Sugarcane purchased and sugar produced by cooperative sugar Mill, Kailaras, District Morena

909. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar manufactured by the Cooperative Sugar Mill, Kailaras District Morena, Madhya Pradesh during each of the years 1972-73 and 1973-74;

(b) the cost of production in the above Mill during each and the steps taken by Government to ensure adequate supply of sugarcane to the Mill; and

(c) the quantity of sugarcane purchased by the Mill, year-wise, since its inception upto the period referred to in part (a) above and the Mills' capacity of purchasing sugar-cane, year-wise, as also the quantity of sugarcane actually supplied to it?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation Shri Annasaheb P. Shinde) (a) : The Morena Mandal S.S.K. Ltd., Kailaras, District Morena Madhya Pradesh, produced 220 and 1801 tonnes of sugar in 1972-73 and 1973-74 crushing seasons respectively.

(b) The ex-factory prices of levy sugar zonewise and not factorywise for 1972-73 and 1973-74 seasons were worked out by the Central Government on the basis of the cost of production, including a reasonable return on the capital employed, as determined by the Tariff Commission on Zonal basis, as well as the statutory minimum cane price payable by the sugar factories and the estimated crushing duration. The price of D-29 grade of levy sugar for factories in Madhya Pradesh zone was Rs. 193.16 and Rs. 178.85 per quintal during 1972-73 and 1973-74 respectively. The responsibility for ensuring adequate cane supplies lies with the State Government.

(b) The factory started its first crushing in 1971-72 on 26-2-72. The sugarcane purchased by the factory was 656,3881 and 26,110 tonnes in 1971-72, 1972-73 and 1973-74 respectively. The Mills' installed cane crushing capacity is 1250 tonnes per day. The actual purchasing capacity depends upon the availability of sugarcane in the factory area, the financial capacity of the factory to purchase cane, etc.

Crash programme for rural employment in Madhya Pradesh

910. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of schemes being implemented at present under crash programme for rural employment in Madhya Pradesh;

(b) whether any such scheme is being implemented in Morena and Ujjain districts of the State and if so, the progress made so far; and

(c) the estimated expenditure incurred and likely to be incurred on these schemes in these districts?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

देश में खाद्य स्थिति

911. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 22 दिसम्बर, 1974 को जयपुर में एक सार्वजनिक समारोह में बोलते हुए यह दावा किया था कि देश में खाद्य संकट समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आशावादी वक्तव्य का आधार क्या है ;

(ग) अक्तूबर से दिसम्बर, 1974 तक की अवधि में खाद्यान्न के थोक मूल्य सूचकांक में थोड़ी सी कमी का खुदरा मुल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या उनको रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अपने मुद्रा तथा वित्त संबंधी प्रतिवेद 1973 74 में की गई इस टिप्पणी का पता है कि इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि हाल ही में हुए परिवर्तन, विशेषकर खुदरा स्तर पर, वास्तविक मूल्यों की अपेक्षा मूल्यां संबंधी आशाओं में अधिक हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1974 की अन्तिम तिमाही से समूची खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है। खाद्यान्नों के बाजार में उपलब्धता अपेक्षाकृत सुगम हो गई है और उनके मूल्यों में कुल मिलाकर स्थिरता आयी है। उत्तरी भारत के कई भागों में सर्दी की वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है और यदि मौसम के शेष भाग में मौसम की स्थिति अनुकूल बनी रहती है तो इस वर्ष रबी की पैदावार में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा की जा सकती है।

(ग) खाद्यान्नों के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक (आधार 1961-62 : 100) में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी, सितम्बर, 74 के अन्त में यह 440.3 थी। जोकि गिरकर दिसम्बर, 74 के अन्त में 406.1 पर आ गयी। औद्योगिक मजदूरों के लिए खाद्यान्नों के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई जोकि सितम्बर 74 के 382 से गिरकर नवम्बर, 74 (अब तक अद्यतन उपलब्ध) में 377 पर आ गया।

(घ) और (ङ) सरकार को भारत के रिजर्व बैंक की इस टिप्पणी के बारे में जानकारी है और सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है।

वनस्पति की मांग तथा उसका उत्पादन

912. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाडे
श्री समर मुखर्जी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1974 से जनवरी, 1975 तक की अवधि में देश में माह-वार, वनस्पति की कुल कितनी मांग रही तथा उसका कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) मार्च, 1974 से जनवरी, 1975 तक की अवधि में क्षेत्र-वार तथा माह-वार, इसका खुदरा नियंत्रित मूल्य क्या रहा, और क्या यह आरोप लगाया गया है कि वनस्पति खुले बाजार में नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस वस्तु पर से सांविधिक मूल्य नियंत्रण हाल में हटा लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस आधार पर ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) देश में मार्च, 1974 से जनवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान वनस्पति की मांग 42,000 मीटरी टन प्रतिमास आंकी गई है। इन अवधि के दौरान उत्पादन इस प्रकार हुआ था :—

मास	उत्पादन (मी० टन)
मार्च, 74	42,229
अप्रैल, 74	40,430
मई, 74	35,152
जून, 74	17,748

मास	उत्पादन (मी० टन)
जुलाई, 74	25,494
अगस्त, 74	18,340
सितम्बर, 74	14,080
अक्तूबर, 74	21,255
नवम्बर, 74	31,152
दिसम्बर, 74	29,926
जनवरी, 75	38,604

(ख) और (ग) मार्च, 1974 से जनवरी, 75 की अवधि के दौरान विभिन्न जोनों में सरकार द्वारा अधिसूचित वनस्पति का खुदरा मूल्य, बिक्री कर सहित, इस प्रकार था :—

अवधि और डिब्बे की मात्रा	उत्तरी जोन	दक्षिणी जोन	पूर्वी जोन	पच्छिमी जोन (गुजरात के अलावा)	पश्चिमी जोन (गुजरात)
मार्च 1—जून 14					
16.5 किलो	129.96	128.07	130.52	129.61	128.62
4.0 ,,	34.09	33.38	34.23	34.01	33.77
2.0 ,,	17.71	17.48	17.77	17.66	17.54
खुला प्रति किलो	7.86	7.74	7.89	7.84	7.78
जून 15—					
16.5 किलो	160.49	160.25	160.82	161.78	158.32
4.0 ,,	42.03	41.98	48.57	42.34	41.50
2.0 ,,	21.85	21.82	22.62	22.01	21.59
खुला प्रति किलो	9.71	9.69	10.09	9.79	9.58

(घ) और (ङ) वनस्पति के मूल्य से 5 जनवरी, 1975 को नियन्त्रण उठा लिया गया था। इस निर्णय से वनस्पति की सप्लाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ और उद्योग की ओर से भारत की वनस्पति निर्माता एसोसिएशन ने उत्पदन में सुधार लाने और फर्मों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य पर निगरानी रखने का आश्वासन दिया था।

खाद्यान्नों, अनाज तथा दालों का उत्पादन, वसूली, उनका निर्गम और स्टाक

913. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के लिए खाद्यान्नों, अनाज तथा दालों का पृथक-पृथक उत्पादन का अन्तिम अनुमान क्या है ;

(ख) वर्ष 1974-75 का अनुमानित उत्पादन कितना है ;

(ग) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान राज्यवार, वसूली लक्ष्य क्या था तथा वास्तविक वसूली कितनी हुई ;

(घ) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से हर मास औसतन कितना खाद्यान्न रिलीज किया गया ;

(ङ) वर्ष 1973 और 1974 के अन्त में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास इनका कुल कितना स्टाक था ; और

(च) वर्ष 1973 और 1974 के अन्त में (एक) सांविधिक तथा (दो) संशोधित राशनिंग पद्धति कितने लोगों तथा कितने प्रतिशत लोगों ने लाभ उठाया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 1973-74 में अनाजों, दालों और कुल खाद्यान्नों के उत्पादन के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान नीचे दिए गए हैं:—

फसल	उत्पादन (लाख मोटरी टन में)
अनाज	938.6
दालें	97.5
कुल खाद्यान्न	1036.1

(ख) 1974-75 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने के बाद अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1975 में किसी समय उपलब्ध होंगे ।

(ग) एक विवरण संलग्न है—अनुबंध-1, जिसमें 1973-74 के दौरान अधिप्राप्ति के लक्ष्यों और वास्तव में अधिप्राप्त की गई मात्रा (राज्यवार) का ब्यौरा दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-8982/75]** रबी विपणन मौसम 1974-75 के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए ही ट्रेड्स लेवी थी और इन परिस्थितियों में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सके थे । 1974-75 के लिए चावल की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों और रबी तथा खरीफ 1974-75 में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों की वास्तव में की गई अधिप्राप्ति का ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध -2 में दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-8982/75]** 1974-75 के लिए खरीफ के मोटे अनाजों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि इन अनाजों के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(घ) 1973 और 1974 के दौरान सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की औसत मासिक निर्मुक्ति क्रमशः 9.50 लाख मोटरी टन और 8.84 लाख मोटरी टन (अस्थायी) थी ।

(ङ) 1973 और 1974 के अन्त को सकार के पास (केन्द्र और राज्य सरकारों–दोनों) कुल निम्न लिखित स्टाक थे :––

1973 के अन्त को	29 लाख मीटरी टन
1974 के अन्त को	24 लाख मीटरी टन
(अनुमानित स्टाक)	

(च) 1973 और 1974 के अन्त को राशन की प्रणाली के अन्तर्गत जितनी जनसंख्या को लाया गया उससे संबंधित आंकड़े और 1973 तथा 1974 में देश की मध्य-वर्ष की अनुमानित जनसंख्या के संदर्भ में उनकी प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :––

	1973	1974†
(1) सांविधिक राशन की प्रणाली के अंतर्गत लाई गई जनसंख्या	170 लाख	178 लाख
(2) देश की कुल जनसंख्या के संदर्भ में (1) की प्रतिशतता	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
(3) अनौपचारिक/संशोधित राशन की प्रणाली के अंतर्गत लाई गई जनसंख्या	4182 लाख	4179 लाख
(4) देश की कुल जनसंख्या के संदर्भ में (3) की प्रतिशतता .	73.2 प्रतिशत	71.3 प्रतिशत

कृष्णा नदी जल विवाद तथा न्यायाधिकरण

914. श्री एस० ए० मरुगनन्तम :
श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कर्नाटक के मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राज्य कृष्णा नदी न्यायाधिकरण के सामने कर्नाटक का मामला रखने के लिए देश के बाहर से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के एक न्यायविद की सेवाओं को प्राप्त करेगा (टाईम्स आफ इंडिया, दिनांक 7 जनवरी, 1975);

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी, हां ।

(ख) कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से कृष्णा न्यायाधिकरण की रिपोर्ट पर अमरीका के किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता का परामर्श प्राप्त करने तथा इसके लिए परामर्श-शुल्क के रूप में 25,000 अमरीकी डालर की धनराशि विदेशी मुद्रा में देने के उनके प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए अनुरोध किया था ।

(ग) भारत सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई है ।

†आंकड़े अस्थायी हैं ।

सम्भावित रबी फसल और वसूली अभियान

915. **श्री सरजू पांडे :**
श्री नरेंद्र कुमार सांधी :
डॉ० लक्ष्मी नारायन पांडेय :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से खाद्य की अद्यतन स्थिति क्या है ;

(ख) इस मौसम में कितनी रबी फसल होने की संभावना है;

(ग) वसूली अभियान किस हद तक सफल रहेगा;

(घ) क्या सरकार ने इस के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 1974 की अन्तिम तिमाही से कुल मिलाकर खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है। इस समय मंडी में खाद्यान्नों की उपलब्धता अपेक्षाकृत सुगम है और कुल मिलाकर उनके मुल्य स्थिर है।

(ख) उत्तरी भारत के कई भागों में शीतकालीन वर्षा होने से रबी की फसल को लाभ पहुंचा है और यदि मौसम के शेष भाग में भी मौसम स्थिति अनुकुल बनी रहती है तो आशा है कि इस वर्ष रबी की पैदावार में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

(ग) से (ङ) रबी का अधिप्राप्ति मौसम अप्रैल, 1975 से शुरू होगा। रबी की अभिप्राप्ति के बारे में इस समय कोई अनुमान लगा पाना संभव नहीं है ।

"नैशनल फैडरेशन आफ इन्डियन वीमेन" की परियोजना

916. **श्री सरजू पांडे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'नेशनल फैडरेशन ऑफ इन्डियन वीमेन' ने वर्ष 1975 में दो लाख महिलाओं को साक्षर बनाने की एक परियोजना सरकार को प्रस्तुत की है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बातें क्या है; और

(ग) इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रीय महिला संघ ने वर्ष 1975 के दौरान 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक महिलाओं को साक्षर बनाने के प्रस्ताव भेजे हैं ।

(ग) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

जुलाई-दिसम्बर, 1974 के दौरान खाद्यान्न का आयात

917. **श्री डी० पी० जदजा :**

श्री विजय पाल सिंह :

श्री हरी सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों, अर्थात्, जुलाई से दिसम्बर, 1974 के दौरान कुल कितना खाद्यान्न आयात किया गया; और

(ख) उक्त खाद्यान्न किन-किन देशों से मात्रावार, आयात किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जनवरी से दिसम्बर, 1974 के दौरान विभिन्न देशों से कुल 24.19 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात किया गया था जिसका विवरण इस प्रकार है :--

(हजार मी० टन में)

निर्यातक देश	गेहूं	माइलो	कुल मात्रा
अर्जेन्टाइना	83	364	447
आस्ट्रेलिया	20	..	20
कनाड़ा	207		207
संयुक्त राज्य अमेरिका . . .	1543		1543
सोवियत संघ	202	..	202
	2055	364	2419

गेंहू का आयात करने के लिए अमरीका के साथ करार

918. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री नरेंद्र कुमार सांघी :

श्री एम० रामगोपाल रेडडी :

श्री समर मुखर्जी :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री अनादि चरण दास :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका चालू वर्ष में भारत को 10 लाख टन गहू सप्लाई करने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में किये गये करार की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या चीन और रूस ने अमरीका के साथ गेहूं व्यापार सम्बन्धी करार रद्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी परिस्थितियों में अमरीका से अधिक गेहूं सप्लाई करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्सम्बधि तथ्य क्या है ।

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यान्नों के आयात का प्रश्न और आयात की शर्तें विचाराधीन है ?

(ग) और (घ) समाचार पत्र में प्रकाशित ऐसी खबरें सरकार के ध्यान में आई है । तथापि, भारत सरकार ने इस के फलस्वरूप अमरीकी सरकार से अधिक गेंहू की सप्लाई के लिये अनुरोध नहीं किया है ।

विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान का आधार

919. श्रीमती रोझा देशपांडे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को नये वित्तीय अनुदान के लिये एक नया आधार अपनान का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(क) के अधीन केन्द्रीय सरकार, आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन द्वारा किसी ऐसे विश्वविद्यालय को, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के पश्चात् स्थापित किया गया हो, तबतक अनुदान नहीं दिया जाएगा जब तक आयोग यथानिर्धारित बातों में स्वयं को संतुष्ट करके उक्त विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित न कर दे । उन नियमों को, जिनके अधीन आयोग किसी विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित कर सकता है, वे अब अधिघोषित कर दिये गए है । तत्सम्बन्धी अधिसूचना की एक प्रति 2 दिसम्बर, 1974 को सभा पटल पर रख दी गई थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों को, पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्ताव तयार करने हेतु जो मार्गदर्शी रुपरेखाए भेजी गई है, उनकी एक-एक प्रतिलिपि संसद के पुस्तकालय में रखी गई है ।

पोखरा बांध

921. श्री एम० एस० पुरती :

श्री एन० ई० होरो :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विरोधी तत्व पोखरा बांध के टूट जाने के लिए भारतीय डिजाइन और इंजीनियरों को दोषी ठहरा रहे है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध विभाग द्वारा बांध के रख-रखाव के बारे में जांच को मांग की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) 2 जनवरी, 1975 को पोखरा में पार्डी बांध के टट जाने के लिए नेपाल सरकार ने किसी प्रकार से भी भारत को दोषी नहीं ठहराया है। किसी भी प्रमुख पत्र ने ऐसा आरोप नहीं लगाया है। वहरहाल, तीन नेपाली प्रकाशनों ने, जिनका प्रचलन बहुत सीमित है तथा जो कि भारत विरोधी भावना के लिए सर्वविदित है, इस दुर्घटना के साथ भारत का नाम जोड़ना चाहा है।

(ख) और (ग) नेपाली प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, नेपाली सरकार ने इस बांध के टूटने के कारणों का पता लगाने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि बांध के टूटने का कारण प्राकृतिक है अथवा बांध के रख-रखाव में कोई चूक हुई है। समिति के निष्कर्ष ज्ञात नहीं हुए है।

नगर और देहात योजना के बारे में व्यापक विधान

922. **श्री वसन्त साठे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर और देहात और विकास योजना सम्बन्धी कोई व्यापक विधान बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्थिति में है और प्रस्तावित विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, नहीं। इस विषय पर राज्यों द्वारा कार्यवाही की जाती है। तथापि, नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा राज्यों को परिचालन कर ने के लिए एक संशोधित आदर्श नगर तथा ग्राम आयोजना विधेयक बनाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध तथा दूध के उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

923. **श्री वसन्त साठे** :

श्री धामनकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के उत्पादों के मल्यों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने 26 दिसम्बर, 1974 से दूध के उत्पादों के विक्रय मूल्य संशोधित किए थे। यद्यपि दूध के उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि दूध के विक्रय मूल्य में संशोधन करने /उसे तर्क सम्मत बनाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, तथा ललित कला अकादमी के पास पड़ी अनबिकी पुस्तकें

924. **श्री वसन्त साठे :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास 60 हजार रुपये की, नेशनल बुक ट्रस्ट के पास 53 लाख रुपये की, साहित्य अकादामी के पास 25 लाख रुपये की तथा ललित कला अकादमी के पास 10 लाख रुपये की पुस्तकें अनबिकी पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) इन संगठनों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बिक्री मूल्य पर परिकलित अनबिकी पुस्तकों का मूल्य इस प्रकार है :—

	मूल्य रुपये लाखों में	को
1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	19.27	13–2–75
2. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	65.61	31–12-74
3. साहित्य अकादमी	23.00	31–3–74
4. ललितकला अकादमी	9.87	15–2–75

(ख) अनबिकी पुस्तकों को शीघ्र बेचने के लिए कदम उठाने हेतु एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया जा रहा है ।

आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों को मकानों के लिए राजसहायता

925. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों को राजसहायता प्राप्त मकान देने और उन मकानों को आवास और नगरीय विकास निगम के माध्यम से 'न लाभ न हानि' के आधार पर बेचने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उस पर क्या खर्च आयेगा ?

निर्माण और अवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग

926. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1975 में नई दिल्ली में भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या विचार विमर्श हुआ ; और

(ग) क्या निर्णय लिये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां । आयोग की बारहवीं बैठक नई दिल्ली में 31 दिसम्बर, 1974 से 7 जनवरी, 1975 तक हुई थी ।

(ख) और (ग) इस बैठक में आयोग ने गंगा के गैर-मानसून प्रवाह में वृद्धि करने के सर्वोत्तम उपायों पर दोनों सरकारों को प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त रिपोर्ट तयार करने के संबंध में विचार-विनियम किया था । दोनों पक्ष इस रिपोर्ट को शीघ्र ही आंतिम रूप देने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखने पर सहमत थे ।

गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए नया सूत्र

927. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिये किसी नये सूत्र पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं । तथापि, चीनी उद योग जांच आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, 50 : 50 के आधार पर उत्पादकों को लेवी मुक्त चीनी की बिक्री से फैक्ट्रियों को प्राप्त अतिरिक्त राशि में से पहली अक्तूबर, 1974 से हिस्सा देने के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में एक कानूनी व्यवस्था की गई है ;

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के उत्पादन और वितरण की योजना

928. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकृशिन मोदी :

श्री राजदेव सिंह :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना राष्ट्रीय बीज निगम के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में वितरण व्यवस्था में सुधार भी उक्त योजना के अन्तर्गत आता है ;

(ग) उक्त योजना की कुल लागत क्या है ; और

(घ) क्या उक्त योजना का लक्ष्य बढ़िया किस्म के बीजों का 'बफर स्टाक' बनाने का है और यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी होगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय बीज निगम ने आधारी और प्रमाणित बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये एक योजना तैयार की है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान इस योजना पर कुल 11.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के लिये कार्य-पूंजी ऋण और ईक्वेटी शेयर अंशदान के लिये निगम को सरकारी सहायता देने हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना में 300 लाख रुपये के परिव्यय के लिए मंजूरी दे दी गई है। अनुमान लगाया गया है कि 1978–79 में प्रमाणित बीजों के उत्पादन का स्तर 71,000 मीटरी टन और आधारी बीजों के उत्पादन का स्तर 5,700 मीटरी टन तक पहुंच जायेगा। इस योजना में विपणन और वितरण प्रणाली में विस्तार करने की भी व्यवस्था की गई है।

(ख) निगम ने 654.27 लाख रुपये की लागत से अच्छी किस्म के बीजों का बफर स्टाक बनाने के लिये भी अलग से एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत, निगम द्वारा प्रति वर्ष आधारी और प्रमाणित बीजों की निम्नलिखित मात्रा रिजर्व आरक्षण भण्डार के रूप में रखी जायेगी :—

(मात्रा मीटरी टनों में)

	आधारी बीज	प्रमाणित बीज
संकर मक्का	64	500
संकर चरी	90	2400
संकर बाजरा	80	2000
धान	45	900
गेहूं	300	2000
	579	7800

भण्डार को बनाये रखने के लिये, निगम द्वारा भण्डारण के लिए उचित व्यवस्था भी की जायेगी। बीज परि-संस्करण के लिए अतिरिक्त संयंत्रों की भी स्थापना की जायेगी। राष्ट्रीय बीज निगम की वार्षिक आवर्ती व्यय और भण्डारण के अतिरिक्त गोदामों के निर्माण तथा परिसंस्करण संयंत्र लगाने के व्यय को पूरा करने के लिये सहायता देने हेतु 5वी पंचवर्षीय योजना में 300 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

समाज के दलित वर्गों के लिए उच्चतर शिक्षा

929. **श्री पी० गंगादेब :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान समाज के दलित वर्गों को उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में बल दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा ;

(ग) क्या इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) से (घ) विश्वविदयालय अनुदान आयोग ने पाचवी पंच वर्षीय योजना (1974–79) के प्रस्तावों को तैयार करने हेतु, विश्वविदयालयों को भेजी गई अपनी मार्गदर्शी रूपरेखाओं में, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा समाज के कमजोर वर्गों और प्रत्येक प्रदेश के कम विकसित क्षेत्रों के लिये, उच्चतर शिक्षा के अवसरों का सृजन करके क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने के लिये विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है । पाचवी पंच वर्षीय योजना के कार्यक्रमों पर विचार करते समय न्यूनतम दाखिले तथा कर्मचारियों की संख्या की शर्तों में छूट देकर, देश में शैक्षणिक तौर से पिछड़े जिलों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से विचार किया जायेगा । नये विश्वविदयालयों को स्थापित करने का मानदंड पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान करने अथवा प्रादेशिक असन्तुलनों को पर करने का कर्यक्रम होगा ।

आयोग ने इस बात का निर्णय किया है कि जहां पर छात्रों के लिये छात्रावासों के निर्माण हेतु कालेजों की सहायता की जाती है, वहां पर 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित छात्रों के लिये अरक्षित होंगे । आयोग ने 1974–75 से आगे उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली 10 प्रतिशत अनुसंधान शिष्यवृत्तियां अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित छात्रों को देने का भी निर्णय किया ।

पांचवी पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों को तैयार करने के लिये विश्वविदयालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविदयालयों और सम्बद्ध कालेजों को भेजी गयी मार्गदर्शी रूपरेखाओं की एक एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गयी है ।

विश्वविदयालयों के लिए आयोग के सहायता कार्यक्रमों में पिछड़े क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को सदा ध्यान में रखा जाता है जैसा कि विश्वविदयालयों दवारा इस बात पर बल दिया गया है और इन कार्यक्रमों में शामिल पिछड़े क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणि क कार्यक्रमों का विकास करने हेतु आयोग द्वारा अनेक उपाय स्वीकार कर लिए गये हैं तथा वित्तीय सहायता मंजूर कर दी गयी है ।

दुग्ध परियोजना "आपरेशन फ्लड" के लिए विदेशी सहायता

930. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री अनादि चरण दास :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध परियोजना "आपरेशन फ्लड" के लिये भारत को कोई सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत सरकार के बीच तय की गई एक पंचवर्षीय परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से भारतीय डेरी निगम को 1,26,000 टन स्किम दूध पाउडर और 42,000 मीटरी टन बटर आयल सप्लाई किया जा रहा है । इन सामग्रियों के सार्वजनिक क्षेत्र की डेरियों को हस्तांतरण से 95.40 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होने की आशा है । यह धनराशि विभिन्न कार्य-मदों के जरिए देश में डेरी विस्तार और पशु विकास के लिए प्रयोग की जाएगी, जिसमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की चार बड़ी डेरियों का विस्तार, ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी संगठनों की स्थापना दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ग्रामीण फीडर बैलेंसिंग डेरियों की स्थापना और इससे सम्बन्धित पहलू शामिल हैं ।

(ग) यद्यपि विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भेट स्वरूप दी गई सामग्रियों की आमद और उसके फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली धनराशि उतनी नहीं रही है जितनी कि आशा थी, तथापि भारतीय डेरी निगम 37 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कर सका है । इससे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की वर्तमान डेरियों के लिए नियोजित विस्तार कार्य पूरा करना सम्भव हो सका है तथा ये डेरियां प्रतिदिन 12.3 लाख लिटर दूध संभालने की स्थिती में हो गई हैं । जबकि परियोजना से पहले ये प्रतिदिन 9 लाख लिटर दूध संभाल पाती थीं । दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की नई डेरियां निर्माण/पूरा होने के विभिन्न चरणों में है । इसके अलावा छह फौडर/बैलेंसिंग डेरियां चालू की गई है तथा 14 और डेरियों के निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुग्ध उत्पादन के सम्बन्ध में प्रगति

931. श्री पी० गंगादेव :

श्री अनादि चरण दास :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दुग्ध उत्पादन के संबंध में कोई नयी प्रगति करने वाला है ।

(ख) क्या इस वर्ष की गत तिमाही के दौरान दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश के दुग्ध उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के संबंध में आशावादी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) देश में दूध का उत्पादन 1973–74 में 232 लाख टन से बढ़कर 1978–79 में 286 लाख टन हो जाने की आशा है । आशा है कि इस सम्बन्ध में चल रहे विभिन्न पशु विकास कार्यक्रमों और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में लिए जाने और क्रियान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों के फलस्वरूप यह उद्देश्य प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा । देश में महत्वपूर्ण दुग्ध-प्राप्ति क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संकर प्रजनन कार्यक्रम से दुग्ध उत्पादन तेजी से बढ़ने की आशा है ।

यद्यपि त्रैमासिक उत्पादन पर आधारित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, तथापि सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की डेरियों द्वारा अधिक दूध की खरीद से इस बात के संकेत मिलते है कि अक्तूबर–दिसम्बर, 1974 के दौरान चुने हुए क्षेत्रों में दूध का उत्पादन और उपलब्धि बढ़ी है ।

नीनन्दाकारा मत्स्य-ग्रहण पत्तन, केरल का विकास

932. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने 4 जुलाई, 1970 को नीन्दाकारा मत्स्य-ग्रहण पत्तन के विकास के लिये परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसमें इतने अधिक विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(घ) सरकार कब तक इस प्रतियोजना के लिये मंजूरी देने के लिये मंजूरी देने में समर्थ हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) केरल सरकार ने जुलाई, 1970 में नीन्दाकारा में मीनग्रहण पतन के निर्माण के लिये 762.33 लाख रुपये का एक प्रस्ताव भेजा था । इस प्रस्ताव में पतन पर मूल सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, कुछ सहायक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी शामिल था, जो सामान्यत: भारत सरकार की केन्द्रीय प्रयोजित योजना में शामिल नहीं की गई थीं । विनियोजन-सम्बन्धी सर्वेक्षण करने का कार्य बंगलौर स्थित मीन-ग्रहण पत्तन निवेश-पूर्व संर्वेक्षण सम्बन्धी परियोजना को सौंपा गया था । इस परियोजना ने विनियोजन सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा करके इसने मार्च, 1974 तक आर्थिक तथा इंजीनियरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थीं । परियोजना ने संशोधित लागत 160 लाख रुपये बताई । परन्तु, राज्य सरकार ने उस समय की प्रचलित दरों के आधार पर मई, 1974 में इस लागत को बढ़ाकर 182 लाख रुपये कर दिया था । परन्तु भूमि-अधिग्रहण के अधिक व्यय को दृष्टि में रखते हुए इस विषय में कार्यवाही नहीं की जा सकी। भारत सरकार की सहायता के प्रतिमान के अनुसार भूमि अधिग्रहण की लागत वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्षेत्र से बाहर है ।

नवम्बर, 1974 में स्थल का दौरा करने वाले विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जांच करने और दक्षिणी किनारे की ओर पत्तन का विकास करने की सलाह की थी । इसके फलस्वरूप पत्तन के लिए नई रूप-रेखा तैयार करने तथा लागत के अनुमानों में संशोधन करने की आवश्यकता हुई । इस सम्बन्ध में अभी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(घ) संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी जांच की जायेगी और यथा शीघ्र विनियोजन सम्बन्धी निर्णय लिया जायेगा ।

वनस्पति तेल के मूल्यों में वृद्धि

933. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति का उत्पादन करने में काम आने वाले खाद्य तेलों और तिलहन के मूल्यों में पर्याप्त कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मिलों द्वारा वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वनस्पति के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) हाल ही में खाद्य तेलों और बीजों के मूल्यों में आम तौर पर गिरावट आयी है ।

(ख) और (ग) 5 जनवरी, 1975 को वनस्पति के मूल्यों से नियंत्रण हटाने के बाद बहुत सी फैक्ट्रियों ने मुख्यतया छोटे डिब्बों में बन्द वनस्पति घी के मूल्यों में 4 से 5 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि कर दी थी । बाद में उनमें से कुछ फैक्ट्रियों ने अपने मूल्यों में कुछ कमी कर दी । क्योंकि उद्योग पिछले कुछ समय से अधिसूचित मूल्यों के कम होने के बारे में कह रहा था, और कुछ फैक्ट्रियों ने तो इन मूल्यों को न्यायालय में चुनौती भी दे दी थी इसलिए कुछ फैक्ट्रियों ने नियंत्रण उठाये जाने की केवल प्रत्याशा में ही मूल्यों में वृद्धि कर दी थी ।

श्यामलाल कालेज, दिल्ली

934. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ हिंसक घटनाएं हो जाने के कारण श्यामलाल कालेज, दिल्ली को हाल में कुछ दिनों तक बंद रखा गया था जिससे कालेज के शैक्षिक वातावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या था ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छात्रों को एक दल तथा बाह्य व्यक्तियों द्वारा उपद्रव करने के कारण, श्याम लाल कालेज, जनवरी, 1975 में 3 दिन तथा फरवरी, 1975 में 6 दिन के लिए बन्द रहा । कुछ छात्रों ने हिंसक कार्यों में भी भाग लिया तथा दूसरें छात्रों, प्रिंसिपल तथा अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ के सदस्यों को भी परेशान किया ।

उत्तर प्रदेश के कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करना

935. **प्रो० एस० एल० सक्सेना :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1974 के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश तथा शेष भारत में विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों में नयी स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिय अनुमति न दिये जाने के कारण क्या हैं ; और

(ख) 1 अप्रैल, 1974 तक उत्तर प्रदेश तथा शेष भारत में (एक) विश्वविद्यालयों (दो) संबद्ध कालेजों की कुल संख्या क्या थी और प्रदेश तथा शेष भारत में कितने विश्वविद्यालयों तथा इन संबद्ध कालेजों में स्नातकोतर कक्षाएं चलाये जा रही हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आजकल उत्तरस्नातक अध्यापन के लिए कालेजों को सम्बन्धन प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों के मार्ग दर्शन के लिए उपयुक्त मानदंड निर्धारित करने के कार्य में लगा हुआ है । अत: आयोग ने विश्व-विद्यालयों को यह सुझाव दिया है कि जब तक मानदंड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तब तक के लिए उन्हे कालेजों को 1974–75 के दौरान उत्तर स्नातक कक्षाएं खोलने के प्रयोजन के लिए नए संबद्धन देने रोक देने चाहिए । जिन विश्वविदयालयों को इस विषय पर लिखा गया तथा, उन्होंने सामान्यत: आयोग का सुझाव मान लिया है ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो सूचना 1973–74 सत्र के लिए भेजी है, वह इस प्रकार है :—

	उत्तर प्रदेश में	शेष भारत में
(1) समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों की संख्या	15	89
(2) सम्बद्ध कालेजों की संख्या . . .	491	3,584
(3) उत्तर-स्नातक शिक्षण की व्यवस्था वाले सम्बद्ध कालेजों की संख्या		
(क) कला, विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज . .	98	486
(ख) व्यावसायिक कालेज . . .	13	197

टिप्पणी :—1973–74 सत्र के दौरान समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालय उत्तर स्नातक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान कर रहे थे ।

चीनी के लेवी मूल्य में वृद्धि

936. **प्रो० मधु दंडवते :**
श्री हरी सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन शुगर मिल्स एसोसियशन के अध्यक्ष ने यह घोषणा की है कि चीनी को खुले बिक्री की मात्रा को 30 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना लेवी चीनी के निर्धारित मूल्यों को बनाये रखने के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा चीनी उद्योग के दबाव में आकर लेवी चीनी के मूल्यो को बढ़ायें जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पता चला है कि भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन के अध्यक्ष ने समाचार पत्रों में सरकार के चीनी के मूल्य में परिवर्तन न करने के निर्णय पर निराशा अभिव्यक्त की है क्योंकि मुक्त बिक्री के लिए 5 प्रतिशत अधिक चीनी की नियुक्ति करने से उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को पूरा करना सम्भव नहीं होगा ।

(ख) लेवी चीनी के मूल्य में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है ।

निर्माण कार्यों में सीमेंट और इस्पात की खपत

937. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों के निर्माण में सीमेंट और इस्पात की खपत को कम करने के लिये कोई अनुसंधान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों के लिये जिन्हें काफी अधिक सेवा काल के पश्चात भी आवास नहीं दिया गया है कम लागत वाले मकानों का निर्माण करने में इन अनुसंधानों के परिणामों का उपयोग करने के लिये कोई कदम उठाये गये है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुसंधान के परिणामों को कम लागत के मकानों के निर्माण सहित वास्तविक निर्माण कार्य के उपयोग में लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) अनुसंधान प्रयोगशालाओं के दावों का निर्धारण तथा मूल्यांकन करने तथा नई निर्माण तकनीकियों और निर्माण सामग्रीयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा बड़े पमाने पर प्रयोगात्मक आवास निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है ।

(2) इस क्षेत्र में किये गये अनुसंधान के प्रमाणित परिणामों को अपनाने के लिये इंजीनियरों तथा वास्तुकों को विशेष ज्ञान प्राप्त कराने हेतु राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते है । अनुसंधान संस्थायों द्वारा प्रस्तावित नई तकनीकिओं या निर्माण सामग्रियों को अपनाने संबंधी विशेष कुशलता प्राप्त करने के लिये नलकारों, राजगीरो आदि जैसे शिल्पकारों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(3) अनुसंधान के परिणामों को अपनाने में, लिये जाने वाले अपेक्षित व्यावहारिक अनुदेशों तथा सावधानियों के आंकड़े-पत्र जैसे तत्काल प्रयोग में लाये जाने वाले रूप में तकनीकी आंकड़े, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा बड़े पैमाने पर प्रसार करने हेतु, प्रकाशित किये जाते हैं ।

(4) सीमेंट तथा इस्पात की खपत कम करने-रोकने के लिये न्यूनतम किफायती विशिष्टियां बनाई गई हैं तथा राज्य सरकारों और निर्माण विभागों को परिचालित की गई हैं । राज्यों के मुख्य मंत्रीयों से अनुरोध किया गया है कि वे स्थानीय निकायों को यह अनुदेश जारी करें कि वे नक्शों की स्वीकृति इस शर्त पर दें कि इन विशिष्टियों का अनुपालन किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग देश में विभिन्न अनुसंधान संगठनों द्वारा किये गये अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास के परिणामों से सम्पर्क बनाये रखता है और ऐसे उपायों और विचारों को अपनाता है जिससे निर्माण की लागत में किफायत डिजाइन में सुधार तथा सीमेंट और इस्पात की खपत में बचत हो सके ।

विज्ञान भवन और मावलंकर आडिटोरियम के रख-रखाव पर होने वाला व्यय

938. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1974 तक विज्ञान भवन तथा मावलंकर आडिटोरियम के रख-रखाव पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या ऊंचे स्तर की भारतीय तथा विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन के लिये इन आडिटोरियमों का उपयोग करने की कोई योजना है जिस से इस आडिटोरियमों को आर्थिक रूप से लाभ हो सके ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1971–72 की तुलना में 1973–74 में रख-रखाव के खर्च की वृद्धि निम्नलिखित है :—

(i)	विज्ञान भवन	2,30,942 रुपये
(ii)	मावलंकर आडिटोरियम . . .	23,321 रुपये

(ख) खर्चे में वृद्धि कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को दी गई अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी भवनों विद्युत संस्थापनों, वातानुकलन तथा लिफटों आदि के रख-रखाव में उपयोग की गई सामग्री की अधिक लागत के कारण है ;

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली में झुग्गी झोंपडी निवासी

939. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दगी में झुग्गी झोंपडियों में रहने वालों की संख्या में वर्ष 1971 से 1974 के तीन वर्षो में अत्यधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सस्ता वैकल्पिक आवास, जहां न्यूनतम नागरिक सुविधायें उपलब्ध हो, प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1974 में झुग्गी झोंपड़ी निवासियों की संख्या के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है । तथापि, नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तिओं पर किये गये हाल ही के सर्वेक्षण में 1971 में झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या निम्मलिखित है :—

1971 .	115,961
1973 . . .	141,755

(ख) झुग्गी झोंपड़ी उन्मुलन योजना के अधीन खाली विकसिल प्लाटों के रूप में वैकल्पिक आवास दिये जा रहे है । इन प्लाटों में जल तथा सफाई और सड़कों की बिजली की सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था है । सड़कों तथा गलियों के निर्माण की भी व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, गन्दी बस्ती के निवासियों को अच्छे तथा स्वास्थजनक वातावरण में बसाने के लिये झुग्गी झोंपड़ी योजना के अधीन टेनामेंटों का भी निर्माण किया जाता है ।

पी० एफ० ए० अधिनियम के अन्तर्गत एफ० पी० ओ० लाइसेंस धारियों पर मुकदमा चलाया जाना

940. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि और सिचाई मंत्री 'सॉफट ड्रिंक इंडस्ट्री' में फल उत्पादन आदेश लागू करने के बारे में 26 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय से पी० एफ० ए० अधिनियम के अन्तर्गत एफ० पी० ओ० लाइसेंस धारियों पर मुकादमा न चलाने के लिये अनुदेश जारी करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि एफ० पी० ओ० लाइसेंस धारियों पर पहले ही मुकादमे चला दिये गये हो, तो क्या ऐसे मामले समाप्त कर दिये जायेंगे ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और खाद्य उत्पाद आदेश दोनों के ही उपबंध अनुपूरक हैं और वे अपने परिचालन में एक समान है । अतः यदि निर्माता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों अथवा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते है तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिकारियों द्वारा खाद्य उत्पादन आदेश के अधीन लाइसेंसशुदा निर्माताओं के विरुद्ध मुकदमें चलाने की कोई मना ही नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

941. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने जनवरी, 1975 के अन्तिम सप्ताह में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या थे और जनता को राशन पदार्थों के न मिलने के कारण होने वाली असुविधा से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन की मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल नोटिस में अपनी सेवा संबंधी स्थिति आदि के बारे में कई मांगें उठाई थीं, यद्यपि उनकी मुख्य मांग पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में काम के कम हो जाने के कारण छटनी हुए 887 कर्मचारियों की बहाली के बारे में थी । फरवरी, 1975 में की गई अन्तिम पेशकश में भारतीय खाद्य निगम ने 325 से 350 छटनी हुए कर्मचारियों को इस शर्त पर लेने का प्रस्ताव किया था कि उनके पूर्ववृत्तों की जांच, चिकित्सा संबंधी जांच होगी और उन्हे अनुशासन और औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए आश्वासन देना होगा । हड़ताल होने के बावजूद भी, भारतीय खाद्य निगमद्वारा अधिकृत राशन डिपों/राज्य सरकारों को सप्लाई बनाए रखी जा रही है।

शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी भारत-अमरीका उप-आयोग

942. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी भारत-अमरीकी उप-आयोग की बैठक 3 फरवरी, 1975 को नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी भारत-अमरीकी उप-आयोग की बैठक 3 से 5 फरवरी, 1975 तक नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) संग्रहालयों, उधार पर कलावस्तुओं का विनिमय, शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा शैक्षिक सामग्रियों प्रसारण टैलीविजन और फिल्मों तथा एक दूसरे की संस्कृति की व्यापक जानकारी, सूझबझ तथा सराहना करने के लिए तैयार की गई प्रदर्शनियों जैसे क्षेत्रों के अनेक कार्यक्रमों पर करार किया गया था । भारत और अमेरिका के अध्येताओं के समान हित के कृषि शिक्षा, शैक्षिक संसाधनों के संग्रहालयों, चिकित्सा शिक्षा-शास्त्र आदि जैसे बहुत से विषयों पर द्विराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए थे । उप-आयोग ने पुरावस्तुओं में गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए दो सरकारों द्वारा उठाए गए ठोस कदमों को नोट किया था और उन्हें यह आशा थी कि दोनों सरकारें इस समस्या का समाधान करने के लिए पद्धतियों पर कार्यवाही करणे हेतु विज्ञान को अधिनियमित कर सकती हैं। उन्होंने वर्तमान प्रबन्धों के अलावा छात्रवृत्तियों तथा विजिटरों के एक सरकार से दूसरी सरकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव की भी सिफारिश की थी ।

उप-आयोग की सिफारिशों पर भारत अमेरिकी संयुक्त आयोग द्वारा विचार किया जायेगा ।

खेती योग्य भूमि का सुधार

943. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 150 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का, राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) खेती योग्य परती भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न है ।

(ग) प्रारम्भ में ही इस बात का उल्लेख कर देना चाहते है कि भूमि का विषय संविधान की राज्य सुची की अंतर्गत आता है । अतः इसके विकास की प्रमुख जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है तथापि इस भूमि का सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है । इस प्रकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप कृषि योग्य परती भूमि जहां 1951–52 में 230 लाख हैक्टर थी , वहां वर्ष 1971–72 में घटकर 159 लाख हैक्टर रह गई है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है, जिनका कृषि योग्य परती भूमि के सुधार पर प्रभाव पड़ेगा ।

कार्यक्रम का नाम	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रु० में)
(1) पठारी भूमि का संरक्षण तथा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के स्थिरीकरण के लिए मागदर्शी योजना	3
(2) झूम खेती के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शी योजना	10*
(3) भूमि वसाने के माध्यम से लाभकारी रोजगार की व्यवस्था करने की मार्गदर्शी परियोजना	5
(4) लवणीय, क्षारीय तथा अमलीय भूमि के सुधार के लिए मागदर्शी परियोजनाएं	13

*गृह-मंत्रालय के माध्यम से उत्तर पूर्वी परिषद् द्वारा की गई 5 करोड़ रु० की व्यवस्था भी इसमें शामिल है ।

विवरण

1971-72 के दौरान कृषि योग्य परती भूमि

(अनंतिम) (हजार हैक्टर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि योग्य परती भूमि
आन्ध्र प्रदेश	1042
असम (ख)	184
बिहार	509
गुजरात (ख)	552
हरियाणा	37
हिमाचल प्रदेश	163
जम्मू तथा कश्मीर (अ)	165
कर्नाटक	593
केरल	78
मध्य प्रदेश	2116
महाराष्ट्र (ग)	1490
मणिपुर (घ)	..
मेघालय	उ० न०
नागालैंड	उ० न०
उड़ीसा (ग)	771
पंजाब	80
राजस्थान	6112
तमिलनाडु	479
त्रिपुरा (ग)	2
उत्तर प्रदेश	1325
पश्चिम बंगाल (ङ)	(च)
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	5
अरुणाचल प्रदेश (ग)	149
दादरा तथा नगर हवेली	
दिल्ली	3
गोवा, दमन तथा दीव (घ)	93
लक्ष्य दीप	
मिजोरम	
पांडिचेरी	1
अखिल भारत	15949

(ख) वर्ष 1969–70 से संबंधित हैं ।

(ग) वर्ष 1970–71 से संबंधित हैं ।

(घ) तदर्थ अनुमान ।

(ङ) वर्ष 1967–69 से संबंधित हैं ।

(च) 'विभिन्न वृक्षों की फसलें तथा बगीचे आदि' शीर्ष के अन्तर्गत शामिल हैं ।

दिल्ली में नये राशन कार्डों को जारी करने से पूर्व घर-घर जाकर जांच पड़ताल करना

944. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में जनवरी, 1975 में नये राशन कार्डों को जारी करने से पूर्व खाद्यान्नों के राशन कार्डों की घर-घर जाकर जांच पड़ताल की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप कितने अधिक फूड राशन कार्डों तथा यूनिटों का पता चला और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सुचित किया है कि जनवरी, 1975 मास में नये राशन कार्ड जारी करने से पहले घर-घर जा कर कोई जांच नहीं की थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में जनवरी, 1975 के दौरन उचित दर की दुकानों के लिए रद्द तथा निलंबित किये गये लाइसेंस

945. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि जनवरी, 1975 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कथित कदाचारों के लिए उचित दर की कितनी दुकानों के लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कथित कदाचारों के लिए जनवरी, 1975 में 28 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेस रद्द कर दिये गये थे और 13 के निलंबित कर दिए गये थे।

भेड़ प्रजनन फार्मों की क्षमता

946. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय कितने भेड़ प्रजनन फार्म हैं और इस समय उन की कुल क्षमता कितनी-कितनी है ; और

(ख) वर्तमान क्षमता का निकट भविष्य में बिकास करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभूदास पटेल) : (क) प्रत्येक राज्य में कितने कितने पशूप्रजनन फार्म हैं, वे कहां-कहां स्थित है और उनमें इस समय कितनी कितनी भेड़ें हैं, इसके विषय में एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8983/75**] इन फार्मों में उपलब्ध सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी पूरी क्षमता के अनुसार भेड़ें मौजूद हैं।

(ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे चारे-दाने के वर्तमान प्रबंध को और बढ़ाये और मौजूदा चरागाहों में सुधार करे ताकि इन फार्मों में और अधिक भेड रखी जा सके।

जनता को सप्लाई करने से पूर्व गेंहू उत्पादों के निरीक्षण के लिए एजेंन्सी

947. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोलर फ्लोर मिल्ज फेडरेशन आफ इंडिया ने सरकार को प्रस्ताव किया है कि जनता को सप्लाई करने से पूर्व गहूं उत्पादों के लिय एक एजेंसी बनाई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में सरकार का विचार क्या आवश्यक उपाय करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

माल्पे कर्नाटक में मत्स्य बन्दरगाह के लिए स्वीकृति

948. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल्प, कर्नाटक में एक मत्स्य बन्दराह बनाने संबंधी प्रस्ताव निपटान हेतु विनियोजन बोर्ड (इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड) के समक्ष विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब बोर्ड के समक्ष रखा गया और बोर्ड द्वारा इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ; और

(ग) निर्णय में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पहले इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड ने 1 सितम्बर, 1973 को विचार किया था परन्तु योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विस्तृत रूप से छान बीन होने तक निणय स्थगित कर दिया गया था। समय-समय पर उठाए गए मूद्दों के विषय में आवश्यक ब्यौरे और स्पष्टीकरण भेज दिये गये हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड की बैठक शीघ्र ही होने की सम्भावना है।

केन्द्रीय पूल में धान और चावल का योगदान और कर्नाटक द्वारा की गई मांग

949. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कन्द्रीय पूल में कर्नाटक राज्य में धान तथा चावल का कुल कितना योगदान दिया और चालू वर्ष के लिए उसने कितनी मांगें की है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कर्नाटक राज्य के कुछ क्षेत्रों में चावल का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के हितो की सूरक्षा हेतू सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ह ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य द्वारा केन्द्रीय पूल को कोई धान अथवा चावल नहीं दिया गया था, न ही चालू वर्ष के दौरान इन खाद्यान्नों को देने की परिकल्पना की जाती है।

(ख) और (ग) कुल मिलाकर कर्नाटक चावल के मामले में सामान्यतया आत्म-निर्भर है। स्थानीय अधिप्राप्ति से प्राप्त चावल को वितरित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने सूचित किया है कि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

गेहूं की भूसी का नियंत्रित मूल्य और धान का लेवी मूल्य

950. **श्री ए न० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चारे के लिये प्रयोग की जाने वाली एक क्विंटल गेहूं की भूसी का मूल्य तथा एक क्विंटल लेवी धान का मूल्य क्या है ; और

(ख) यदि धान का मूल्य कम है तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों में केवल गेहूं से बने पदार्थों के निकासी मूल्यों पर नियन्त्रण है। इन पदार्थों में चोकर भी शामिल है। ये मूल्य कई तथ्यों पर निर्भर करते हुए प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। खरीफ विपणन मौसम, 1974-75 के लिए देश भर में धान (कोर्स किस्म) का अधिप्राप्ति मूल्य समान रूप से 74 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया है।

नटराज की मूर्ति

951. **श्री अर्जुन सेठी** :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के महान पवित्र मंदिर शिराज-गौरीनाथ स्वामी से चुराई गई नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति, जिसे तस्करी द्वारा अमरीका पहुंचा दिया गया था, के बारे में कोई कानूनी संघर्ष चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) तंजावर जिले के शिव पुरम शिवगुरुनाथ स्वामी के मंदिर की नटराज मूर्ति के स्वामित्व की वापसी भारत सरकार या तमिलनाडु सरकार को कराने की खोज-बीन के लिए यू० के० और यू० एस० ए० में न्यायिक कार्यवाही की जा रही है। उस मूर्ति को, जो एक मरम्मत करने वाले के अहाते में दिसम्बर, 1974 के आरम्भ में मिली थी, यू० के० की अदालत ने लन्दन की कट्स बैंक में रख दिया है। मुकदमे, नोर्टन, साइयन संस्थापन, नोर्टन साईमन, द्वारा निगमित शिक्षा के लिए संस्थापन, हेन्स बन्धु, श्री नोर्टन साईमन, श्री बेन हिल्लर और कु० ऐना लाउडेड के विरुद्ध चल रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेवा निवृत्ति प्राप्त अध्यापकों को लाभ दिया जाना

952. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सेवा निवृत्ति प्राप्त अध्यापकों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेवा निवृत्ति प्राप्त अध्यापक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 के लिए लाभ दिया गया है ; और

(ख) इस चयन का आधार क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 के दौरान जिन अध्यापकों को नए लाभ दिए गए हैं, उनकी सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8984/75]**

(ख) किसी भी विश्वविद्यालय, कालेज अथवा उच्च अध्ययन संस्था (विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त) के वे अध्यापक जिन का उत्कृष्ट कार्य-रिकार्ड (अनुसंधान और अथवा अध्यापन) को सेवा निवृत्त होने के पश्चात् पुरस्कार के प्राप्त हैं।

भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों का विविधिकरण

953. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**
श्री निम्बालकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण के लिए आम उपयोग की अन्य वस्तुओं के लेन-देन के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों में विविधता लाने के प्रस्ताव है। जिनसे इस निगम ने गत दशक के दौरान जो क्षमताएं तैयार की हैं उनका और अधिक उपयोग करने में सहायता मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य खाद्य निगम स्थापित किए जाने के संदर्भ में, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में उल्लिखित उद्देश्यों तथा कार्यों के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों का क्रियान्वित न किया जाना

954. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने विश्वलिद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के क्रियान्वित न किए जाने के लिए, विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बहिष्कार करने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) वेतनमानों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा 28 जनवरी, 1975 को पारित संकल्प की इस आशय की प्रतिलिपि मिली है कि यदि उनकी मांगें, जिनमें से एक संशोधित वेतनमानों के तत्काल कार्यान्वयन से संबंधित है, 23 फरवरी, 1975 तक स्वीकार नहीं की गईं तो संघ सीधी कार्यवाई करने को विवश हो जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय तथा कालेज प्राधिकारियों से असहयोग तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बहिष्कार भी शामिल है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के बारे में आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय को 11 नवम्बर, 1974 को भेज दिए थे। मामले की विश्वविद्यालय द्वारा जांच की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण ऋण

955. **श्री वीरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाला 25,000 रुपये का अधिकतम ऋण सरकार द्वारा बनाया गया आवास खरीदने या गैर-सरकारी आवास निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ख) क्या निर्माण कार्य पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण लगभग दो लाख निर्माण कार्य करने वाल मजदूर और बहुत से वास्तुविद केवल राजधानी में ही बेकार हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कटौती को हटाने की वांछनीयता और पहले की तरह ही ऋण के लिए 75 महीनों का वेतन की सीमा निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) गृह निर्माण अग्रिम के रूप में देय 25,000 रुपये की अब यह अधिकतम राशि बड़े मकान के निर्माण/खरीद के लिय पर्याप्त न हो परन्तु यह छोटे मकान के निर्माण/खरीद के लिये उचित रूप से पर्याप्त समझी जाती है।

(ख) सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा नये गैर-व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया था। व्यावसायिक तथा सतत निर्माण कार्य, जिनका निर्माण कुर्सी स्तर से अधिक हो चुका था चलते रहे। इसके अलावा निजी मकानों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध के कारण सरकारी क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधि में कमी के फलस्वरुप कुछ वास्तुक तथा कर्मकार बेकार हो गये होंगे ; परन्तु उनकी संख्या का हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ग) नीति का पुनरीक्षण अगले वित्तीय वर्ष में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रबी फसल की वसूली तथा वितरण संबंधी नीति

956. **श्री राम प्रकाश** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1975 के मध्य तक बाजार में आने वाले रबी फसल की वसूली तथा वितरण संबंधी अपनी पक्की नीति की घोषणा कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार फसल की कटाई के समय के आस पास आगामी रबी विपणन मौसम 1975–76 के लिए अपनी नीति बनाएगी।

U. S. Aid for Agricultural Production

957. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) whether India has recently entered into any agreement with U.S.A. under which U.S.A. will give assistance to India in agricultural production and many agricultural schemes will be executed in India in collaboration with U.S. Government; and

(b) if so, the broad outlines of the agreement?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति

958. श्री हरी सिंह :

श्री एस० राम गोपाल रेड्डी :

श्री मूलचन्द डागा :

श्री निम्बालकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं का दर्जा संबंधी समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या निष्कर्ष दिए हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण पत्र, जिसमें समिति की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं, अनुबन्ध के रूप में संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8985/75**] इस रिपोर्ट को 18 फरवरी, 1975 को सभा के पटल पर रख दिया गया था।

Higher Secondary Schools in Rural Areas

959. Shri Mulki Raj Saini) : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme for opening higher secondary schools in the rural areas for dissemination of education; and

(b) if so, the time by which it would be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) The Government of India have no scheme for opening higher secondary schools in the rural areas. However from the statistics available it is noted that more than 60% of the total number of secondary schools in the country are in rural areas.

खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि

960. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्यान्न के मूल्यों में कहां तक वृद्धि हुई है ;

(ख) इसके क्या कारण है ; और

(ग) मूल्यों को कम करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं और उनमें कितनी सफलता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जनवरी, 1975 के अन्त में खाद्यान्नों के अखिल भारतीय थोक मूल्यों के सूचकांक में मार्च, 1974 के अन्त में चल रहे सूचकांक की तुलना में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

(ख) खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार है :—

1. 1971–72 और 1972–73 के दौरान खाद्यान्नों की पैदावार में गिरावट का संचयी प्रभाव ;
2. कमी की चल रही मनोभावना और मूल्यों में और वृद्धि हो जाने की प्रत्याशा में किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं द्वारा अधिक स्टाक रोकने या खरीदने की प्रवृत्ति ।
3. अनाजों के अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्यों में वृद्धि ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने जो उपाय किए है उनका ब्यौरा दिया गया है । समूची खाद्य स्थिति में 1974 की अन्तिम तिमाही से सुधार देखा गया है । इस समय खाद्यान्नों की उपलब्धता अपेक्षाकृत सुगम है और कुल मिलाकर उनके मूल्यो में स्थिरता बनी हुई है ।

विवरण

खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुधारने और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्न-लिखित उपाय किए गए हैं :—

1. खाद्यान्नों को निर्धारित मूल्यों पर मुहैया करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से सरकारी वितरण की व्यवस्था में सुधार लाने और उसे सशक्त बरना ;
2. अतिथि नियन्त्रण आदेश लागू कर और होटलों तथा भोजनालयों में परोसे जाने वाले पदार्थों की संख्या सीमित कर खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकना ;
3. मोटे अनाजों के अन्तर-क्षेत्रीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना ताकि अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को इन जिन्सों का अबाध संचलन हो सके ।
4. जमाखोरी और चोर-बाजारी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विभिन्न नियन्त्रण आदेशों तथा भारत सुरक्षा नियमों और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को लागू करना, केन्द्रीय और राज्य सरकारें व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि जमाखोरी न करें ।
5. कृषि पैदावार बढ़ाने और खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न करना ताकि सरकारी वितरण प्रणाली को उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके ।

कलकत्ता राशनिंग क्षेत्रों में केन्द्रीय चीनी का कोटा

961. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के राशनिंग क्षत्रों को गत कुछ महीनों से, उन क्षेत्रों की मांग से कम केन्द्रीय चीनी का कोटा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य कारण उस प्रकार हैं :—

(1) क्योंकि फैक्ट्रियों के पास उपलब्ध 1973–74 मौसम के उत्पादन की लेवी चीनी का स्टाक नवम्बर, 1974 के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित करने हेतु पर्याप्त नहीं था और 1974–75 के लेवी चीनी के मूल्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए निगम के विभिन्न केन्द्रों पर उपलब्ध पाईप-लाइन स्टाक का उपयोग करना अनिवार्य हो गया।

(2) बहुत सी चीनी फैक्ट्रियों ने टैरिफ आयोग के साथ विचार-विमर्श होने तक 1973–74 के उत्पादन के स्तर पर 28 नवम्बर 1974 को अधिसूचित 1974–75 मौसम के लिए चीनी के निकासी मूल्यों को चुनौती दी है और अधिक मूल्य वसूल करने के लिए अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए है ।

(3) परिचालन तथा परिवहन संबंधी अड़चने ।

(ग) (1) भारतीय खाद्य निगम के ऐसे पाइप लाइन स्टाक जिनका उपयोग किया गया था उनकी भरपाई कर दी गई ।

(2) न्यायालय ने अंतरिम आदेशों में काफी परिशोधन कर दिया है ताकि भारतीय खाद्य निगम चीनी का स्टाक उठा सके ।

(3) क्योंकि काफी दूरी वाले स्थानों को थोड़े-थोड़े वैगनो में प्रेषण करने से काफी समय लगा इसलिए भारतीय खाद्य निगम ने चुनींदा रेल-केन्द्रों को सड़क से चीनी भेजने और विशेष रेक बनाने का निर्णय किया है, ताकि शीघ्र संचलन किया जा सके ।

(4) भारतीय खाद्य निगम ने उन फैक्ट्रियों जहां पर मिल मालिक वैगनो के लिए इडेन्ट प्रस्तुत करने में देरी करते हैं, से चीनी उठाने का भी निर्णय किया है ।

(5) विभिन्न स्तरो पर संपर्क स्थापित कर तथा तालमेल रखकर परिचालन संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है ।

पता चला है कि स्थिति में सुधार हुआ है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एक एकड भूमि से कम वाले व्यक्तियों को ऋण

962. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के एक एकड़ भमि से कम भूमि वाले व्यक्तियों पर बकाया ऋणों को अदा किया हुआ मानने वाले कानून बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कानून लागू कर दिए गए हैं और इन दोनो राज्यों में इन कानूनों के कारण कितने परिवार ऋण-मुक्त हो गए हैं; और

(ग) क्या इन कानूनों को जाति और समुदाय का भेद किये बिना एक एकड़ भूमि से कम भूमि वाले सभी व्यक्तियों तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 1 अक्टूबर, 1974 को उत्तर प्रदेश अनसूचित जाति, अनसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1974 प्रख्यापित किया है । यह अध्यादेश एक एकड़ से कम भूमि वाले और उपयुंक्त श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को निजी साहूकारों के उस ऋण जो पंजीकृत प्रलेख द्वारा प्रमाणित नहीं है, से उसके ब्याज सहित पूर्णतया मुक्त करता है । राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधयक, 1974 पेश किया है जो जाति और समुदाय का विचार किये बिना एक एकड़ से कम भूमि वाले हर कृषि श्रमिक को लाभ पहुंचायेगा । उपर्युक्त अध्यादेश के कारण ऋण-मुक्त हुए परिवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है । बिहार राज्य सरकार से इस बारे में अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है, जो प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) "साहुकारी और साहुकार ; कृषि ऋणग्रस्तता से अनुतोष" विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में मद 30 के रूप में शामिल है । इसलिये, इस वारे में सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की स्थिति बताना संभव नहीं है ।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन

963. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों के बारे में प्रति लिप्याधिकार अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तस्म्बन्धी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी, हां । संशोधन विचाराधीन हैं ।

अखिल भारतीय कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा प्रदर्शन

964. **श्री भोगेन्द्र झा** :

प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान अखिल भारतीय कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा सिफारिश किए गए नए वेतन मानों को लागू न किए जाने के विरोध में 24 फरवरी, को सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन करने के निर्णय की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) ऐसा पता चला है कि 24 जनवरी, 1975 को भोपाल में हुई अपनी बैठक में, महासंघ की कार्यकारी ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया है ।

(ख) भारत सरकार ने पहले से ही राज्य सरकारों को, 1 जनवरी, 1973 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त खर्च की 80 प्रतिशत की सीमा तक वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है, यदि वे राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्यों के कालेजों के अध्यापको के लिए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए स्वीकृत वेतनमानों को अपनाना चाहें । राज्य सरकारों को इस बात से भी सूचित कर दिया गया है कि यदि वे, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से विभिन्न वेतनमान, परन्तु उन से उच्च नहीं, अपनाने का निर्णय लें, तब भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी । नए वेतनमान जनवरी, 1973 अथवा उस के बाद की तारीख से लागू किए जा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यान्वियन के आदेश जारी कर दिए है, जबकि बिहार सरकार ने सिद्धांत रूप में संशोधित वेतनमान स्वीकार कर लिए है । केरल सरकार का विचार संशोधित वेतनमान जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दवारा सिफारिश किए गए वेतनमानों से मूल रूप से भिन्न हैं, अपनाने का है । दूसरे राज्य इस योजना की वित्तीय तथा अन्य जिम्मेदारियों की जांच कर रहे हैं ।

आपातकालीन रब्बी उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित की गई धनराशि का अन्य परियोजनाओं के लिए प्रयोग में लाना

965. **श्री वरके जार्ज** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन रब्बी उत्पादन कार्यक्रम 1973 के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई धनराशि कृषि को छोड़ कर अन्य परियोजनाओं के लिये प्रयोग की गई थी ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो इस के क्या निष्कर्ष रहे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम 1972–73 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त हुई सामयिक प्रगति रिपोर्टों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का कृषि के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना में अस्वास्थ्यकर स्थिति

966. **श्री वरके जार्ज** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता द्वारा समय समय पर की गई इन शिकायतों का पता है कि दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत डेरियां अस्वास्थ्यकर स्थिति में कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना डेरी सम्बन्ध नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं कर रही हैं ; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण के सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) हाल ही में ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ख) तथा (ग) डेरी टेकनालाजी, डैरी इंजीनियरी तथा क्वालिटी नियन्त्रण के क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना के पास अनेक प्रशिक्षित व अनुभवी अधिकारी मौजूद हैं । ये अधिकारी नियमों के पालन व कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए निरन्तर कार्य करते रहते हैं ।

विदेशों के साथ हस्ताक्षर किए गए सांस्कृतिक समझौते

967. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में भारत ने विदेशों के साथ संस्कृति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से और इससे हमारे देश को कितना लाभ होगा और इन समझौतों की मूख्य बाते क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां ।

(ख) मार्च, 1974 से भारत में निम्नलिखित ग्यारह देशों के साथ, प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों पर, सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किए हैं :—

1.	यमन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	17–3–1974
2.	सेनेगल	21–3–1974
3.	अर्जन्तीना	28–5–1974
4.	कोलम्बिया	22–5–1974
5.	कोरिया गणराज्य	12–8–1974
6.	सूदान	28–11–1974
7.	गुयाना	30–12–1974
8	संयुक्त अरब अमीरात	3–1–1975
9.	वहरीन	8–1–1975
10	तंजानिया	17–1–1975
11.	जाम्बिया	26–1–1975

इन करारों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी खेलकुद, जन स्वास्थ्य, सूचना और शिक्षा के जन साधनों के क्षेत्रो में शैक्षिक कार्यकलाप सहित, कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न बैंक

968. श्री हरि किशोर सिंह :

श्री एन० बी० कृष्णप्पा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के स्रोतों से अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न बैंक बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । किन्तु खाद्य तथा कृषि संगठन ने विश्व खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का सुझाव दिया था और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि सभी सरकारों को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए :–

(1) अनाज के स्टाक के सम्बन्ध में अन्य देशों की नीतियों के अनुसार नीतियां अपनाना और विश्व भर के लिए अनाज के न्यूनतम सुरक्षित स्टाक को बनाए रखना ।

(2) स्टाक के लक्ष्य या उद्देश्य को निश्चित करना जिनसे देश में या उन देशों में, जो सप्लाई जारी रखना जरूरी समझते हैं और फसल न होने या प्राकृतिक बरबादी के कारण आपातकालीन स्थिति में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, अनाज के स्टाकों को बनाए रखने में मदद मिलती हो ।

(3) खाद्यान्नों का स्टाक अत्याधिक कम होने पर खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए उपाय करके स्टाकों को परिपूर्ण करना ।

ऐसी संस्था के सम्बन्ध में रोम में 1948 में हुए विश्व खाद्य सम्मेलन में विचार किय गया था और इसे नवम्बर, 1974 में खाद्य तथा कृषि संगठन परिषद दवारा अंतिप रूप से स्वीकार कर लिया गया था । परिषद ने सरकारों पर जोर डाला था कि वे इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के उपबंधों की क्रियान्विति में सक्रिय रूप से भाग लें ।

(ख) एक प्रति संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8986/75]**

(ग) भारत सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन की विश्व खाद्य सुरक्षा नीति का समर्थन किया है ।

गैर-लेवी वाले गेहूं की उपलब्धता

969. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-लेवी वाले गेहूं का मूल्य 150 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किये जाने का क्या आधार है ;

(ख) क्या इससे सम्भावित परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) गैर-लेवी वाले गेहूं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 5 जून, 1974 को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा केन्द्र-शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में अन्तर्राज्यीय सौदों के लिए गेहूं का अधिकतम मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था । इस निर्धारित मूल्य में मंडियों में व्यापारियों द्वारा खरीदे गए गेहूं के मूल्य, देय करों और लदान केन्द्रों तक खर्च किए गए अन्य प्रासंगिक खर्चों और व्यापारियों के लाभ को ध्यान में रखा गया है । मूल्य निर्धारण से खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है ।

(घ) पंजाब और हरियाणा के दो अधिशेष राज्यों में सरकारी थोक व्यापारी कमी वाले राज्यों को गेहूं का अपना लेवी मुक्त स्टाक भेजते रहे है । गेहूं के व्यापारियों के लिए स्टाक की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है जिससे जमाखोरी को रोका और उपलब्धता में वृद्धि की जा सके । इसके अलावा कुछेक कमी वाले राज्यों में गेहूं के अधिकतम थोक तथा खुदरा मूल्यों पर भी नियन्त्रण रखा जा रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे वैगनों से खाद्यान्न उतारने में विलम्ब

970. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम समय पर रेलवे वैगनों से खाद्यान्न नहीं उतारता है तथा इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को भारी विलम्ब शुल्क देना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों से 31 जनवरी, 1975 तक, वर्ष वार विलम्ब शुल्क के रूप में कितना भुगतान किया है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम सामान्यत: खाद्यान्नों से भरे वैगनों को समय से ही खाली कर देता है लेकिन परिचालन संबंधी अपरिहार्य कारणों अथवा श्रमिकों द्वारा धीरे काम करने के अपनाए गए तरीकों जैसे अन्य कारणों से मार्ग में वैगनों के रुक जाने और देर से पहुंचने जैसी कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क लगाना अनिवार्य हो जाता है ।

	आंकड़े लाख रुपये (अनुमानित) में
1972–73	55.98
1973–74 (अस्थायी)	41.10
1974–75 (अस्थायी) (जनवरी, 1975 तक)	34.94

(ख) 1972–73, 1973–74 और 1974–75 (31 जनवरी, 1975 तक) भेजे गए खाद्यान्नों की मात्रा क्रमश: 82 लाख, 92 लाख और 81 लाख मीटरी टन थी । प्रत्येक 10 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों को 43,500 से अधिक वैगनों में लादा गया था ।

(ग) संचलन की योजना बनाते समय संबंधित रेलवे अधिकारियों से निकट सम्पर्क और ताल-मेल रखा जाता है ताकि आने वाले वैगनों के जमाव को रोका जा सके । औचित्यपूर्ण मामलों में रेलवे अधिकारियों से विलम्ब शुल्क छोड़ने के लिए अनुरोध किया जाता है और सामान्यत: वे मान भी जाते हैं । इस बात के लिए भी प्रत्येक प्रयास किया जाता है कि ढुलाई करने वाले श्रमिकों को धीरे काम करने के तरीके जिससे विलम्ब शुल्क लग सकता है, अपनाने से रोका जाए । जब कभी आवश्यक होता है तब राज्य सरकारों से भी सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है ।

सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग

971. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी, व्यास और सतलुज नदियों के सम्पूर्ण जल को भारत में अब तक उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं ;

(ख) उक्त नदियों के पूरे जल का भारत में कब तक उपयोग होने लगेगा ;

(ग) सिंधु जल संधि के अंतर्गत इन नदियों को भारत को दिए जाने के बाद से कितना जल पाकिस्तान को गया है ;

(घ) क्या सरकार ने इन नदियों के अपने क्षेत्राधिकार में आने के बाद से पाकिस्तान सरकार से इन नदियों के जल का उपयोग करने के लिए कोई मुआवजा मांगा है ; यदि हां तो उसका क्या परिणाम है ; और

(ङ) यदि कोई दावा नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) तीनों नदियों रावी, व्यास और सतलुज, के जल के पूर्ण समुपयोजन के लिए पर्याप्त क्षमता के संचयन तथा नहर प्रणालियों का निर्माण करना अनिवार्य है । सिंधु जल संधि, 1960 के परिणामस्वरूप 1970 में, संक्रमण अवधि की समाप्ति पर, इन नदियों का जल एकमात्र भारत द्वारा समुपयोजन करने के लिए उपलब्ध हो गया है । इन नदियों से औसत वर्ष में उपलब्ध 33 मिलियन एकड़ फुट जल में से सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध इन तीनों नदियों पर पूर्ण किए गए अन्य निर्माण कार्यों द्वारा भारत, औसतन 24 मिलियम एकड़ फूट जलका समुपयोजन करता रहा है । पिछले वर्ष पौंग में व्यास बांध के पूर्ण, हो जाने से भारत 30 मिलियन एकड़ फुट इस जल का समुपयोजन करने में समर्थ हो गया है तथा अगले वर्ष व्यास सतलुज, सम्पर्क परियोजना के निर्माण पूर्ण हो जाने पर यह आंकड़े लगभग 32 मिलियन एकड़ फुट तक बह जाएंगे । शेष लगभग 1 मिलियन एकड़ फुट जल का समुपयोजन, रावी नदी पर संचलन के निर्माण के उपरांत ही प्राप्त किया जा सकता है । इ सका निर्माण कार्य प्रारंभ करना, कतिपय अंतर्राज्यिय पहलुओं के संबंध में सम्बद्ध राज्यों में मतैक्य न होने के कारण अभी तक संभव नहीं हो पाया है ।

पिछले वर्ष पौंग में व्यास बांध के निर्माण से पूर्व प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर तक की मानसून अवधि में, जबकि पाकिस्तान में भी अधिकतर नदियों में बाढ़े आती हैं, औसतन 9 मिलियन एकड़ फुट बाढ़ जल पाकिस्तान को बह जाता था। बहरहाल, व्यास पर एक संचयन बांध का निर्माण पूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, 1974 की बाढ़ ऋतु में केवल लगभग 2.5 मिलियन एकड़ फुट जल ही पाकिस्तान को बह गया था ।

(घ) और (ङ) ऐसा प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सिंधु जल संधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ

972. **श्री के० लकप्पा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता को दल के कुछ अस्थायी कर्मचारी लगभग 20 वर्ष की सेवा करने के बाद भी पेंशन सम्बन्धी लाभ के लिए बिना तथा स्थायी हुए बिना सेवा नियुक्त हो गए हैं ;

(ख) क्या तत्कालीन मंत्रिमण्डल सचिव श्री बी० शिवरामन कर्मचारियों से बातचीत करने के दौरान इस बात से सहमत हुए थे कि सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी लाभ देने के उद्देश्य से अतिरिक्त पदों का निर्माण करके कुछ पदों को स्थायी करने की संभावना की जांच की जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार माननीय आधार पर इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही करने तथा पेंशन के लाभ को पहिले ही सेवानियुक्त हुए कर्मचारियों पर लागू करने का है ; और

(घ) कितने कर्मचारी इस प्रकार सेवा निवृत्त हुए हैं तथा वर्ष 1975 और 1976 में इस प्रकार कितने कर्मचारी, श्रेणीवार सेवानिवृत्त होने वाले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के अधिकांश कर्मचारियों को जो अब तक सेवा निवृत्त हो चुके हैं भूतपूर्व सैनिक कार्मिक के रूप में पुनः रोजगार प्रदान किया गया है जो सेवा से पेंशन संबंधी लाभ उठा रहे हैं । वार्धक्य के आधार पर सेवा निवृत्त होने वाला अस्थायी कर्मचारी, नियमों के अनुसार सेवासमाप्ति उपदान प्राप्त करने का हकदार है ।

(ख) और (ग) संसद सदस्य श्री एस० एम० बनर्जी तथा रा० स्व० कोर संगठन के अन्य प्रतिनिधियों के साथ 10 जून, 1970 को हुई बैठक के पश्चात रा० स्व० कोर संगठन के कुछ पदों को नियमों के अन्तर्गत स्थायी घोषित करने की संभावना पर इसके सभी पहलुओं से जांच की गयी थी । राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण करने और राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने से सबंधित निर्णय को ध्यान में रखते हुए रा० स्व० कोर के पद को स्थायी करना संभव नहीं पाया गया ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय टेबिल टेनिस टीम का चयन

973. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल में आयोजित विश्व टेबिल टैनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारतीय टेबिल टैनिस टीम के चयन के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाय गए थे ;

(ख) क्या चयन समिति द्वारा कर्नाटक राज्य के टेबिल टैनिस के एक सर्वोच्च खिलाड़ी को टीम में सम्मिलित न किए जाने के बारे में कर्नाटक सरकार ने भी विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) भारत के टेनिस खिलाड़ी नं० 1 श्री के० जयन्त को राष्ट्रीय दल से, जिसने क्रमशः जनवरी और फरवरी, 1975 के दौरान आयोजित राष्ट्रमंडल टेबिल टैनिस प्रतियोगिताओं और 33वीं विश्व टेबिल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया, शामिल न किए जाने के सम्बन्ध में इस मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यह मामला कर्नाटक सरकार के सूचना तथा युवक सेवा राज्य मन्त्री के ध्यान में भी लाया गया था ।

इस मामले पर भारत के टेबिल टैनिस संघ से बातचीत की गई थी जिसने यह स्पष्ट किया कि श्री जयन्त को अनुशासनात्मक आधार पर भारतीय दल में शामिल नहीं किया गया था, जो राष्ट्रीय दलों के मामलों के बारे में अखिल भारतीय खेलकुद परिषध द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अंतर्गत आते हैं।

क्यों कि दलों का चयन सम्बन्धित राष्ट्रीय खेलकुद संघ/संगठनों के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलीए भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना उपयुक्त नहीं समझती ।

मध्य प्रदेश में डेरी विकास योजना

974. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इस वर्ष 31 करोड़ रुपये की डेरी विकास योजना के चालू होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत केवल मध्य प्रदेश के जिलों को चुनने का क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां, । विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में डेरी विकास की परियोजना क्रियान्वित करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसे चालू करने से पहले की अपेक्षाएं पूरी की जा रही हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 24.90 करोड़ रुपए है ।

(ख) यह सच नहीं है कि यह योजना सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हाथ में ली गई है । इसी प्रकार की सहायता से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में इसी प्रकार की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

टेपीओंका की खेती

975. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आध्र प्रदेश में टेपिओका का उत्पादन वर्ष 1973–74 में दुगने से भी अधिक हो गया है ;

(ख) क्या बढ़ा हुआ यह उत्पादन खेती को बढ़े हुए क्षेत्रफल के कारण हुआ है ; और

(ग) क्या अन्य स्थानों तथा राज्यों में टेपिओका की खेती वाणिज्यिक तौर पर की जा सकती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में टेपिओका के उत्पादन में वृद्धि, आंशिक रुप से अच्छी उपज और आंशिक रूप से बुवाई के क्षेत्र में विस्तार करने से हुई है ।

(ग) जी हां ।

राजस्थान और हरियाणा में खजूर की खेती

976. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर के शुष्क क्षेत्रों तथा हरियाणा के हिसार में सिंचित तथा शुष्क क्षेत्रों में खजूर की खेती वाणिज्यिक तौर पर करने की कोई मार्गदर्शी परियोजना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप ईरान और अन्य अरब देशों से खजूरों का आयात बिल्कुल बन्द हो जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं। मौजूदा समय में खजूर की व्यापारिक खेती के लिए कोई मार्गदर्शी परियोजना नहीं है ।

(ख) इस अवस्था में इसका प्रश्न ही नहीं उठता। पर खजूर के पौधों की रोपाई कर देने पर भी उनमें फल आने में करीब सात साल लगेंगे ।

राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता

977. श्री एस० एम० बनर्जी :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को और सहायता दी गई है और यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है और ऐसी सहायता के आवंटन का मानदण्ड क्या है ; और

(ख) क्या उन क्षेत्रों में सांविधिक राशन व्यवस्था चालू की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) सूखे और बाढ़ से प्रभावित हुए राज्यों को 1974–75 के दौरान, अग्रिम योजना सहायता और अल्पकालीन ऋणों के रूप में निम्न-लिखित सहायता स्वीकृत की गई हैं :—

(करोड़ों रु० में)

राज्य	अग्रिम प्लान सहायता	अल्पकालीन ऋण
1. बिहार	4.00	10.25
2. गुजरात	14.14	10.00
3. हरियाणा	2.00	कुछ नहीं
4. मध्य प्रदेश	6.50	5.30
5. उड़ीसा	7.91	3.31
6. राजस्थान	10.24	1.75
7. तमिलनाडु	6.50	कुछ नहीं
8. उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	8.00
9. पश्चिम बंगाल	2.25	3.00

अग्रिम योजना सहायता का राज्यों को भविष्य में दी जाने वाली सहायता की राशि से समायोजन किया जाएगा । छटे वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के पश्चात सरकार ने सूखे और बाढ़ से प्रभावित होने वाले राज्यों को तदर्थ आधार पर अनुदान और ऋण देने की पुरानी प्रणाली को पूर्णतया समाप्त कर दिया है । राज्यों को अग्रिम योजना सहायता देते समय निम्न मानदण्डों को दृष्टिगत रखा जाता है : राज्यों की वित्तीय स्थिति, सूखे और बाढ़ की बजह से उत्पन्न हुए कष्टों का निवारण करने के लिये उसके लिए छटे वित्त आयोग द्वारा दी गयी सीमान्त राशि, सूखे अथवा बाढ़ से हुये नुकसान की मात्रा इसके अतिरिक्त इस बात को भी दृष्टिगत रखा जाता है कि बाढ़ों तथा सूखे से प्रभावित होने वाली जनता को रोजगार प्रदान करने के लिए कितना प्रयास करने की आवश्यकता है । राज्यों को उनकी कृषि उत्पादन योजनाओं के लिए अल्पकालीन ऋण उनकी जरूरतों के आधार पर तथा भारत सरकार के पास उपलब्ध निधि को ध्यान में रखकर दिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । खाद्यान्नों का वितरण करना और कानूनी तौर पर राशनिंग शुरू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । इस समय, कानूनी राशनिंग केवल कलकत्ता, दुर्गापुर और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल तथा बम्बई (महाराष्ट्र) में लागू है ।

पांचवी योजना में लघु सिंचाई योजनायें

978. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना के लिये आगे कार्यवाही की गई है

(ख) उत्तर प्रदेश को इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पाचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में लघु सिंचाई के लिए 150 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वास्तव में 80.84 करोड़ रु० खर्च हुए थे। पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में संस्थात्मक विनियोजन से धन प्राप्त होने पर यह राशि बढ़कर 190 करोड़ रु० तक पहुंच जाएगी जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्याशित संस्थात्मक विनियोजना की राशि 100 करोड़ रु० थी।

(ग) चौथी योजना के अंत, अर्थात् 1973–74 तक लघु सिंचाई से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र और पांचवी योजना के अंत, अर्थात् 1978–79 तक लाभान्वित होने वाले संभावित क्षेत्र के विषय में जानकारी अनुबन्ध में दे दी गई है ।

विवरण

(लाख हेक्टर)

क्रम सं०	राज्य का नाम	आधार स्तर 1973–74	लक्ष्य स्तर 1978–79
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	15.75	18.00
2	असम	3.70	6.80
3	बिहार	17.00	21.00
4	गुजरात	14.28	18.03
5	हरियाणा	9.00	11.50
6	हिमाचल प्रदेश	0.80	1.00
7	जम्मू तथा कश्मीर	3.00	3.50
8	कर्नाटक	3.50	11.50
9	केरल	2.75	3.50
10	मध्य प्रदेश	11.00	17.00
11	महाराष्ट्र	13.00	16.50
12	मनीपुर	0.18	0.34

क्रम सं०	राज्य का नाम	आधार स्तर 1973-74	लक्ष्य स्तर 1978-79
1	2	3	4
13	मेघालय	0.10	0.25
14	नागालैंड	0.33	0.44
15	उड़ीसा	4.00	7.50
16	पंजाब	26.50	29.50
17	राजस्थान	17.68	19.00
18	तमिलनाडु	19.30	21.00
19	त्रिपुरा	0.30	0.45
20	उत्तर प्रदेश	65.00	90.00
21	पश्चिम बंगाल	11.00	16.00
	कुल राज्य	243.17	312.81
	संघ राज्य क्षेत्र योग	0.73	1.10
	सम्भावित	243.90	313.91
	अखिल भारतीय आंकड़े	235.00	295.00

राष्ट्रीय स्वस्थता दल का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में अनिर्णीत मामलों पर समझौता

979. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल कर्मचारी एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्वस्थता दल का विकेन्द्रीकरण करने सम्बन्धी सभी अनिर्णीत मामलों के बारे में बातचीत के द्वारा समझौता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी;

(ख) क्या एसोसिएशन ने यह कहा है कि वह बातचीत के द्वारा समझौता होने की स्थिति में सभी अदालती मामले वापिस ले लेने के लिए तैयार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाकर सभी मामलों को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा हल करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थ्यता को कर्मचारी संघ ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को संबंधित अपने पत्र संख्या जी०एस० 6(1)/7/75-ए०एस०एस०एन०, दिनांक 24 जनवरी, 1975 में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है :—

(क) 1 अक्तूबर, 1973 से राष्ट्रीय अनुशासन योजना कार्मिकों को बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता मंजूर करना ।

(ख) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अनुशासन योजना कार्मिकों के वेतनमानों में संशोधन; और

(ग) राष्ट्रीय अनुशासन योजना कार्मिकों को राज्य-काडरों में खपाया जाना ।

संघ के पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर विवादास्पद सभी मामलों का हल हो जाए तो संघ विभिन्न उच्च न्यायालयो में निलम्बित पड़े सभी मामलों को वापस लेने को तैयार है ।

2. उपरोक्त मामलों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार :—

(क) **बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता :** राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता स्वीकृत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) **वेतनमानों में संशोधन :** तीसरे वेतन आयोग ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों के लिए संशोधित वेतनमानों की सिफारिश करना आवश्यक नहीं समझा । भारत सरकार ने इस स्थिति को मान लिया है ।

(ग) **राज्य काड़रों में खपाया जाना :** राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को राज्य सरकारों की सेवाओं के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने की शर्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ काफी अर्से तक पत्र व्यवहार करने के पश्चात् तय किया गया था। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों द्वारा तथा उन की ओर से की गई विभिन्न मांगो पर सरकार ने बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया था । इस प्रकार की गई जाँच के फलस्वरुप और राज्य सरकारों के विचारों से मेल खाने के लिए स्थानान्तरण सम्बन्धी शर्तों में कई बार ढील दी गई है । अन्य बातों के साथ साथ इन शर्तों में निम्नलिखित व्यवस्थाए हैं :—

i. इन अनुदेशको को रखने के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित संख्या में पदों का सृजन करना चाहिए ।

ii. राज्य सेवा में वेतन निर्धारण तथा सेवा निवृत्ति के लाभ हेतु केन्द्रीय सरकार में की गई सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा ।

iii. राज्य सेवा में खपाए जाने के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले वेतन व भत्तों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।

iv. इस प्रकार खपाए गए स्टाफ के वेतन का उत्तरदायित्व संभालने के लिए राज्य सरकार की संभावित वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो इन अनुदेशकों के वेतन और भत्तों के खर्चे को पूर्ण रुप से केन्द्रीय सरकार तब तक देने के लिए सहमत हो गई थी जब तक कि वे सेवा में रहेंगें ।

असम, बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्य सरकारों तथा दिल्ली, चण्डीगढ़ तथा गोवा संघ शासित प्रशासनों ने अब तक 621 अनुदेशकों को खपा लिया है । कई राज्य सरकारें उन्हें खपाने के सम्बन्ध में औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया कर रही हैं । खपाए जाने की इस प्रक्रिया की गति काफी धीमी पड़ गई है क्योंकि कुछ अनुदेशकों ने भारत सरकार के रा० अ० यो० अनुदेशकों को राज्य सेवाओं के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने के निर्णय के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर कर दी हैं ।

अखिल भारतीय रा०स्व० कोर कर्मचारी संघ को संयुक्त परामर्श तन्त्र की योजना के अन्तर्गत इस मन्त्रालय की विभागीय परिषद् में अपना प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त है, तथा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों को इस संघ द्वारा विभागीय परिषद के पास भेजा जाता है। जहां तक रा० स्व० कोर के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है इस प्रश्न पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों की स्थायिकता (क्वासी पर्मानेन्ट)

980. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रियता स्वस्थता दल के कुछ कर्मचारियों को अभी तक स्थायिक घोषित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां ।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रीय अनुशासन योजना के 55 अनुदेशकों की स्थायिकता करने के मामले बकाया पड़े है :—

(1) सम्बन्धित कर्मचारियों ने अपेक्षित सूचना नहीं भजी है,

(2) अदालती/सतर्कता संबंधी मामले,

(3) प्रशासनिक औपचारिकताओं का पूरा न होना ।

(ग) जहां कहीं भी आवश्यक है; सम्बन्धित कर्मचारियों/प्राधिकारियों के साथ मामलों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है ।

Scheme for the old and destitutes

981. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether any scheme has been framed at the national level for the old and destitute in the country to enable them to live comfortably or whether Government have given any guidelines to the States in this regard; and

(b) if so, the facts thereof and the criteria on which various States provide necessary assistance to the old and destitute persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) The Central Government does not have a scheme for old age persons. No guidelines have been given by the Centre to the State Governments. Social Welfare being a State Subject, several State Governments have their old age pension schemes. A Statewise statement showing the number of benerficiaries, rate of assistance, criteria etc. is attached.

Statement

Sl. No.	Name of the State	Present rate of Pension per month.		No. of beneficiaries.	Amount paid as pension during 1970-71.
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Andhra Pradesh	(i) Hyderabad/ Secunderabad.	25.00	39,300	61,18,900
		(ii) In town having population of 1 lakh and above.	20.00		
		(iii) In small towns and villages.	15.00		

Sl. No.	Name of the State	Present rate of Pension per month	No. of beneficiaries	Amount paid as pension during 1970-71
2	Haryana . . .	25.00	3,399	8,65,000
3	Kerala . . .	20.00	17,419	not available
4	Mysore . . .	30.00	6,696	12,78,000
5	Punjab . . .	25.00	12,730	33,35,000
6	Rajasthan . . .	30.00	Exact number not available.	24,25,000
7	Tamil Nadu . . .	20.00	41,819	95,00,000
8	Uttar Pradesh . .	20.00	15,665	37,00,000
9	West Bengal . .	20.00	10,350	18,52,000
10	Himachal Pradesh .	15.00	295	54,758
11	Chandigarh Administration	25.00	24	4,835
			1,47,797	291,33,493

NOTE: The qualifications prescribed generally are:

1. Minimum age limit (65 years for men and 60 for women).
2. No means of livelihood.

Construction of Kadiadoh Dam in Rajasthan

982. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agiculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether sanction for construction of Kadiadoh Dam in Bhim Tehsil (Rajasthan) has been accorded and if so, when;

(b) the total expedinture to be incurrued on its construction; and

(c) whether Bhagdi, Kalaliya and other villages in Raipur tehsil will suffer as a result of the construction of this dam, and that the construction work on Bhomadch Dam was under taken in 1960 and an amount of Rs. 6 lakhs has already been spent thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) to (c) : Project reports for major/medium irrigation schemes only are sent to Centre by the State Governments for technical clearance. Reports for the schemes mentioned in the question have not been received from the Rajasthan Government.

लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों के स्थायी पद

983. श्री सो० के० चन्द्रपन: क्या निर्माणऔर आवास: मंत्री 16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4564 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखें गे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रेणी दो के सुपरिटेन्डिंग इंजीनियस, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तथा असिस्टेंट इंजीनियर्स के स्थायी पद किन किन तिथियों से मंजूर किये गये; और

(ख) उक्त भाग (क) में बतायी गई तिठियों को प्रत्येक ग्रेड में कितने कितने स्थायी पद भरे गये?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सूचना संलग्न विवरणपत्र में दी गईहै । [**ग्रयालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०––8987/75**]

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के बारे में स्पष्टीकरण

984. श्री अण्णासाहेब गोटखिडे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के संबंध में कुछ विषयों के बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों ग्रौर केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगे गए अग्रेतर स्पष्टीकरण या निर्देशन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इन पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उन पर न्यायाधिकरण का निर्णय क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1973 में दे दी थी। अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 में की गई व्यवस्था के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ग्रोर महाराष्ट्र को राज्य सरकारों ग्रौर भारत सरकार ने रिपोर्ट में उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगने के लिए न्यायाधिकरण को अनुरोध भेजे थे तथा इन अनुरोधों पर न्यायाधिकरण द्वारा अभी तक विचार किया जा रहा है। इन अनुरोधों पर न्यायाधिकरण को अन्य रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट को संशोधित की गई समझा जाएगा। चूंकि यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है, इस समय, इन अनुरोधों को मुख्य-मुख्य बातें बताना जनहित में नहीं होगा।

कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण को स्थापना के लिए केन्द्रीय अनुदान

985. श्री अण्णासाहेब गोटखिडे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को 50-50 के आधार पर बराबर अनुदान देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ली जाने वाली मुख्यतया मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को कमाण्डों के नाम तथा स्थल क्या हैं; और

(ग) इन प्राधिकरणों की पृथक रूप से स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा बराबरी के आधार पर राज्य सरकारों को कितना अनुदान दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) देश के चुनींदा सिंचाई कमाण्ड क्षेत्रों में समेकित कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया गया है। राज्यों ग्रौर कमाण्ड क्षेत्रों के नाम को प्रदर्शित करने वाली एक सूची संलग्न है। [**ग्रयालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०––8988/75**]

2. कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संस्थापना के लिये होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर अनुदान देने का निर्णय किया गया है । प्रत्येक राज्य को दिए जाने वाले- अनुदान की राशि समय-समय पर होने वाले वास्तविक व्यय पर निर्भर होगी ।

गुजारत में सूखा

986. **श्री पी० एम० मेहता : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात का आधा हिस्सा अभावग्रस्त क्षेत्र के रुप में घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंचमहल जिले के गोधरा तालुक के 142 गांवों और सुरेन्द्रनगर जिले में लिम्दी तालुक के 36 गांवों को इस वर्ष इस वर्ग में रखा गया है ;

(ग) क्या राज्य में लगभग 8,320 गांव अभावग्रस्त हैं और 7,364 गांव अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र हैं ;

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितने गांव अभावग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं ; और

(ङ) क्या गुजरात राज्य को अकाल और सूखे का सामना लगातार तीन वर्षों से करना पड रहा हैं और यदि हां, तो राज्य की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त सहायता की गईहै और अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) तथा

(घ) राज्य सरकार ने 9168 गांवों को अभावग्रस्त और 2434 गांवों को अर्द्ध-अभाव-ग्रस्त घोषित किया है ।

(ङ) राज्य के 8 जिलों के 46 तालुकों को लगातार 3 वर्षों से अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । भारत सरकार ने 14.14 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता और 10 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सहायता के लिए स्वीकृति दी है ।

चावल की वसूली

987. **श्री पी० एम० मेहता : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसमों के दौरान केन्द्र सरकार ने चावल की फसल का वसूली लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या थे ;

(ग) पिछले वर्ष का लक्ष्य क्या था और यह वर्तमान मौसम की अपेक्षा कितना अधिक था ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार को 1975 के मौसमों के दौरान चावल का लक्ष्य प्राप्त करने का विश्वास है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) चालू खरीफ विपणन मौसम, 1974-75 के दौरान 41 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस में से प्राप्त सूचना के अनुसार 22-2-75 तक लगभग 25.20 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति हो चुकी थी । अधिप्राप्ति मौसम अभी चल रहा है और अक्तूबर, 1975 के अन्त तक चलता रहेगा । फिलहाल, अधिप्राप्ति की प्रगति संतोषजनक है । तथापि, इस समय अधिप्राप्ति की वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरेवार अनुमान देना जल्द बाजी होगी ।

विपणन मौसम, 1973-74 के दौरान पिछले वर्ष चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 50 लाख मीटरी टन था जोकि इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 9 लाख मीटरी टन अधिक है ।

नलकूपों के लिये ऋण

988. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नलकूपों को लगाने के लिए कुछ राज्यों में सामुदायिक विकास और पंचायत विभाग द्वारा दिए गए ऋण बोगस दावों के आधार पर प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार की कार्यकरण पद्धति पर भारतीय महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2.48 करोड़ रुपए के 12.127 व्यक्तियों के ऋण के कुल मामलों में से 61.94 लाख रुपये मूल्य के ऋण प्राप्त करने वाले 3,090 व्यक्तियों के पास नलकूप नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को दिए गए केन्द्रीय ऋणों की कमियों अथवा अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) राज्यों आदि से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद गुजरात में अधिगृहीत भूमि को भूमि के मालिक को वापिस करना

989. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार द्वारा 1961 में बड़ौदा औद्योगिक विकास निगम के लिए भूमि अधिगृहीत करने सबंधी प्रारम्भ की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों को रद्द कर दिया हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने पर्याप्त मुआवजा दिया बिना विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की थी;

(ग) यदि हां तो क्या इस निर्णय के उपरान्त 1961 से राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई सारी भूमि को मालिकों को वापिस दे दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि वापिस की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आसाम में कछार में विश्वविद्यालय की स्थापना

990. **श्री टुना उरांव** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कछार नामक स्थान पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र को इस बारे में लिखा गया है; और

(ग) उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने से उसका परिणाम सामने आना

991. श्री आर० बो० स्वामीनाथन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश में चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने संबंधी चलाए गए कार्यक्रम के परिणाम आने शुरू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वे राज्य कौन से हैं जहां ऐसा परीक्षण किया गया था तथा क्या इसकी सफलता को देखते हुये अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जायेगा।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) से (ग) कुछ वर्ष पूर्व सरकारने देश में चावल मिलों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया था। उद्योग के आधुनिकीकरण को बढावा देने के लिए चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। तकनीकी और प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, देश में उन्नत किस्म के औजारों का विकास करने और आधुनिकीकरण के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए प्रबंध किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम आधुनिक, चावल मिले स्थापित कर, तकनीकी जानकारी प्रदान कर और सेमिनार गठित कर इस कार्यक्रम में मदद कर रहा है ।

इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरुप, विभिन्न राज्यों में भारी संख्या में मौजूदा चावल मिलों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है और नयी आधुनिक चावल मिल स्थापित की गई हैं।

दक्षिण तथा पश्चिम ऐशियाई देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की प्रादेशिक शाखा स्थापित करना

992. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दक्षिण और पश्चिम ऐशियाई देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की एक प्रादेशिक शाखा खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् द्वारा किन विषयों पर विचार किया जाएगा और उन देशों के नाम क्या हैं जिन से अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे ;

(ग) क्या परिषद् इस सम्बन्ध में कुछ देशों का दौरा करेगी; यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसी परिषद् से क्या लाभ होंगे तथा इस के कृत्य क्या होंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद (आई सी ए) यूनेस्को से सम्बद्ध एक गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक संस्था है । स्थापित की जाने वाली प्रादेशिक शाखा एस ०डब्ल्यू ०ए ०

आर०बी०आई०सी०ए० इराण, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बंगलादेश तथा श्री लंका के पुराभिलेखापालों को एक दूसरे के नजदीक लाएगी। इसका उद्देश्य अभिलेखागार के विकास में प्रादेशिक सहयोग को बढ़ाने तथा अपने अपने हितों के अधि लेखा और माइक्रोफिल्मों के परस्पर विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए इन देशों के पुराभिलेखापालों को मंच प्रदन करना है। इस प्रादेशिक शाखा से इस क्षेत्र की पुरालेखों से संबंधित आवश्यकताओं को अतर्राष्ट्रीय समाज तथा यूनेस्को के सम्मुख प्रस्तुत करने की भी आशा है। इस स्तर पर परिषद् की ओर से किसी भी दौरे की सम्भावना नहीं है।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के स्मारकों को सुरक्षा हेतु विधान

993. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रतिनिधियों को एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सभी स्मारकों को सुरक्षा हेतु विधान बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां- तो क्या देश के राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा के लिए बने कुछ अधिनियम भ्रमात्मक है और यदि हां, तो इस संबन्ध में बनाए जाने वाले नए विधान की मुख्य बाते क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित विधान केवल दिल्ली पर ही लागू होगा अथवा पूरे देश पर; और

(घ) क्या राजस्थान राज्य के लिए भी ऐसी उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृती मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 संघीय सरकार को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के लिए अधिकार प्रदान करता है। दिल्ली प्रशासन और भारतीय-पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों की बैठक में यह महसूस किया गया कि उन कलात्मक रुचि और ऐतिहासिक स्मारकों को सुरक्षा का उत्तरदायित्व जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित नहीं किये गये हैं उन्हें दिल्ली प्रशासन को सौप देना चाहिए और आवश्यक हों तो इस प्रयोजन के लिए ताजा विधान बनाया जाय। इस मामले पर दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिक विस्तार से जांच की जा रही है।

(घ) जी नहीं, राजस्थान सरकार ने पहले से ही राज्य के महत्वपूर्ण स्मारकों को सुरक्षा के लिए अपने निजी विधान बना लिये हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत आते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए भूमि

994. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने के लिए भूमि देने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उक्त योजना को केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने से योजना को लाभ होगा अथवा हानि ; और

(ग) भूमिहीनों को, उन्हें आबंटित आवास स्थल, अपने मकान बनाने के लिए क्या वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8989/75**]

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास-स्थल देने की योजना अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई है। किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व, कुछ समय के लिये प्रगति को देखना पड़ेगा।

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार मकानों के निर्माण के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। योजना में, ग्रामीण मज़दूरों के परिवारों को बीना कीमत के आवास स्थल देने की व्यवस्था है। इस प्रकार दिये गये आवास स्थलों पर, मजदूर अपने संसाधनों या राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संघटनों द्वारा दी गई निधियों से उन पर मकानों/झोपड़ियों का निर्माण कर सकते हैं।

हरित क्रांति सिद्धांत भूमी के अनुपयुक्त

995. श्री नवल किशोर शर्मा: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन साइंस कांग्रेस में शीला धर इंस्टीट्यूट आफ सायल साइंस के विदेशक डा०एन०आर० धर की इस टिप्पणी की ओर ध्यान दिया है कि डा० वोरलफ तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हरित क्रांति के सिद्धांत का जो तर्क किया था वह भारत की भूमि के उपयुक्त नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान डा० एन० आर० धर द्वारा बताये गये भूमि में ही "एटमोसफरिक नाइटरोजन" निर्धारित किये जाने के तरीके की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) डा० धर द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) इस प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में दिये गये डा० एन० आर० धर के वक्तव्य की जानकारी सरकार को है।

डा० नोर्मन वोरलाग का हरित-क्रांति में प्रमुख योगदान सुविख्यात है। इन्होंने बौने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया, जिनमें अधिक मात्रा में उर्वरक देने से अधिक उपज मिलती है। गेहूं की ये बौनी किस्में उर्वरकों को कारगर ढंग से ग्रहण करती हैं और अधिक मात्रा में उर्वरक देने पर भी वे गिरती नहीं हैं। मिट्टी की उर्वरता के सभी स्तरों पर अधिक उपज देने वाली गेहूं की बौनी किस्मों से दानों की उपज, गेहूं की पूर्ववर्ती किस्मों की तुलना में अधिक होती है। गेहूं की नयी किस्मों की दूसरी विशेषता यह है कि उर्वरकों की उपयोगिता पर पोषक-तत्वों की प्रति एकाई से अधिक लाभ मिलता है। इन्हीं विशेषताओं की वजह से ऐसी किस्में हमारे किसानों में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई हैं। डा० वोरलाग ने जैविक खादों का बहिष्कार करके अकेले उर्वरकों का प्रयोग करने की सिफारिश नहीं की है।

(ख) कॅलशियम फास्फेट और जैविक सामग्री के संयुक्त मिश्रण द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के प्रकाश-स्थिरीकरण सम्बन्धी डा० धर की उपलब्धि की पुष्टि अभी अन्य वैज्ञानिकों द्वारा नहीं की गयी है।

(ग) वायु मण्डलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के विभिन्न तरीकों पर और आगे परिक्षण किये जा रहे हैं। इस के साथ-साथ कम्पोस्ट खाद बनाने और गोबर गॅस संयंत्रों की स्थापना की

परियोजनाओं के जरिये सभी अवशिष्ट जैविक पदार्थों को खाद के रूप में उपयोग करने की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाये गये हैं।

वेस्ट बंगाल कालेज टीचर्स एसोसिएशन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करना

996. डा० रानेन सेन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्री महोदय ने विश्वविद्यालय प्राध्यापकों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करने के बारे में वेस्ट बेंगाल कालेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि वह इस बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से बातचीत करेंगे ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या शिक्षा मन्त्री और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के बीच यह बातचीत हुई है और इस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के कालेज तथा बिश्वविद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल शिक्षा मंत्री से 3 दिसम्बर, 1974 को मिला था और शिक्षा मन्त्री ने विश्वविद्यालय तथा कालेज के शिक्षकों के वेतनमानों के परिशोधन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भेजे गए भारत सरकार के निर्णय के निहितार्थों से उन्हें अवगत करा दिया था। तत्पश्चात्, शिक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ इस मामले पर बातचीत की थी। राज्य सरकार द्वारा, इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अधिक चावल आवंटित करने के लिए उड़ीसा से अनुरोध

997. श्री डी० के० पंडा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य को और अधिक चावल आवंटित करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) गत वर्ष 1973 और 1974 के दौरान राज्य को अब तक कुल कितनी मात्रा में चावल दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) से (ग) उड़ीसा सामान्यतया चावल की दृष्टि से फालतू राज्य है। तथापि, उड़ीसा सरकार ने सूखे के कारण अक्तूबर, 1974 में 20,000 मीटरी टन चावल का आवंटन करने के लिए कहा था। केन्द्रीय पूल में चावल की सीमित उपलब्धता और केरल तथा पश्चिमी बंगाल जैसे चावल खाने वाले अत्यधिक कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अक्तूबर, 1974 में उड़ीसा को 5000 मीटरी टन धान आवंटित की गई थी।

हाल ही में प्राप्त एक पत्र में उड़ीसा सरकार ने चालू खरीफ वर्ष के लिए अपनी चावल संबंधी जरूरत 3 लाख मीटरी टन बतायी है। 1975 के दौरान अब तक उड़ीसा को चावल या धान का कोई आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, राज्य का गेहूं का कोटा जुलाई-अगस्त 1974 के दौरान प्रतिमास 8,000 मीटरी टन से बढ़ाकर नवम्बर, 1974 में 25,000 मीटरी टन और जनवरी, और फरवरी 1975 के लिए प्रतिमास 28,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमानों की क्रियान्विति

998. **श्री मधु लिमये :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नए वेतनमानों को लागू कर दिया है ;

(ख) किन किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने नए वेतनमानों को लागू नहीं किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो नए वेतनमानों को लागू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू करने के निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबन्ध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के अध्यापकों के बारे में इसी प्रकार के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुनरीक्षित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं जबकि बिहार सरकार ने सिद्धांत रूप में इनको स्वीकार कर लिया है। केरल सरकार का पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू करने का प्रस्ताव है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों से मूल रूप में भिन्न हैं। अन्य राज्य सरकारें इस योजना की वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों की जांच कर रही हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न, चीनी और उर्वरकों का नियतन

999. **श्री मधु लिमये :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये खाद्यान्न, चीनी और उर्वरकों के नियतन के लिये कृषि और सिंचाई मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 के सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर महीनों तथा वर्ष 1975 के जनवरी और फरवरी महीनों के लिये विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितना नियतन किया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में राज्यों को कोई आदेश जारी किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक खाद्यान्नों, चीनी और उर्वरक के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (अनुबंध 1, 2 और 3) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8990/75]**

(ग) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों को समय समय पर यह सलाह दी गई है कि सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार लाएं और भ्रष्टाचार तथा कदाचारों को रोकें।

बिहार में "च्योर" भूमी क्षेत्रों में जल निकासी योजनाएं

1000. श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या च्योर भूमि क्षेत्रों से जल निकासी तथा किसानों को उसमें फसलें उगाने से सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उत्तर पश्चिम बिहार में व्यापक सर्वेक्षण किया है अथवा राज्य सरकार से ऐसा करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर-पश्चिम बिहार में कुल ऐसी कितनी च्योर भूमि है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार के सहयोग से ऐसी जल निकासी योजनाएं लागू करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) से (ग) बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास राज्य योजना का भाग है । इसलिए च्योर (निचले क्षेत्र) क्षेत्र के जल-निकास के सबंन्ध में स्कीमों का आयोजन तथा कार्यान्वयन मुख्यतया बिहार के राज्य सरकार का उत्तरदायीत्व है । राज्य सरकार आवश्यकतानुसार स्कीमों के आयोजन तथा कार्यान्वयन में कोई विशिष्ठ तकनीकों परामर्श लेने के लिए केन्द्र से सलाह मशवरा लेती है ।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर-पश्चिम बिहार में घागरा तथा गण्डक बेसिनों में कुल च्योर क्षेत्र के लगभग 12 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है । लगभग 50,000 हैक्टेयर को लाभ पहुंचाने के लिए जल-निकास तथा अवनमन की अनेक स्कीमों को क्रियान्वित किया जा चुका है । 98 लाख रुपये की अनुमानित लागत को चार स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है तथा इनसे लगभग 1.2 लाख हैक्टेयर को लाभ प्राप्त होगा । राज्य सरकार द्वारा और स्कीमों के आयोजन के लिए अन्वेषण किये जा रहे हैं ।

गृहमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESION OF PRIVILEGE AGAINST THE MINISTER OF HOME AFFAIRS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान् जी मैंने श्री ब्रहमानन्द रेड्डी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया है । जामा मस्जिद की घटना पर हुई बहस के उत्तर में उन्होंने फरीदा के सम्बद्ध में गलत वक्तव्य दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको निदेश 115 में निहित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, मेरे पास इस सम्बन्ध में सारी टेप रिकार्डिंग है । (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्रीमान, स्वयं लड़की का कहना है कि उस पर नजदीक से गोली चलाई गई है । हम मंत्री महोदय के वक्तव्य को सही नहीं मान सकते । क्या सच्चाई को जानना सभा का अधिकार नहीं है ? (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास टेप-रिकार्डिंग है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । यदि वक्तव्य में कोई गलती है तो उसके लिए निदेश 115 के निहित प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : You said that the matter can be raised under Direction 115. The Minister will repeat same thing then and the truth will not come out. That is why we demanded judicial enquiry in this matter.

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो प्रक्रिया का अनुसरण करना है । मैं आपके कहने के अनुसार नहीं चल सकता । यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि वक्तव्य सही नहीं है तो मैं उसे मंत्री महोदय को भेज दूंगा ।

(व्यवधान)

प्रक्रिया यह है कि यदि कोई सदस्य यह कहता है कि वक्तव्य गलत है तो हम निदेश 115 के अधीन उसे मंत्री महोदय के पास भेज देते हैं और वह फिर अपना उत्तर देते हैं । इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : निदेश 115 का सम्बन्ध मंत्रियों के वक्तव्यों से होता है । जानबुझकर तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री कुछ कहता है और आप बाहर से सुनी सुनाई कोई और बातें कहते है तो आप मंत्री से इस प्रकार विवाद नहीं कर सकते । बाहर तक हजारों बातें होती हैं । उन बातों के कारण आप मंत्री से इस प्रकार विवाद नहीं कर सकते । मैं इसे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं मान सकता हूं । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इसे मंत्री महोदय के पास भेज सकता हूं ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have to raise a point of order on what Shri Bosu has said.

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी यह मामला उठाने के लिए अनुमति नहीं दी है । मैंने कह दिया है कि स्पष्टीकरण के लिए मैं इसे मंत्री जी के पास भेज दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपसे निवेदन है कि हमें यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्टीकरण के लिए मंत्री जी के पास भेज सकता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने के अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : किस पर ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसी मामले पर । आप उन्हें सुनिए ।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : रिकार्ड में कुछ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर किसी भी प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता ।

Shri Madhu Limaye : I have to raise a point of order. If any Minister deliberately misguides the House, it becomes a question of privilege.

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । (व्यवधान)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आपने जो प्रक्रिया बताई है वह ठीक है । किन्तु मैं आपके विचारार्थ एक संशोधन रख रहा हूं । मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह गलत है और यह सभा में बताया जाना चाहिए और उसके बाद ही मंत्री जी के पास भेजा जाना चाहिए । बाद में वह किसी भी प्रकार का वक्तव्य दे सकते ह ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं देता । उन्होंने जो कुछ लिखा है उसे मैं मंत्री महोदय के पास भेज दूंगा । अब इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आर्थिक सर्वेक्षण, 1974-75.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं "आर्थिक सर्वेक्षण, 1974-75' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8958/75]**

केला तथा फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन और फल उत्पाद (दूसरा संशोधन) आदेश, 1974 तथा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत केल तथा फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8959/75]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत फल उत्पाद (दूसरा संशोधन) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 741(ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8960/75]**

(3) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चण्डीगढ़ वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्मप्रसाधन) नियम, 1974 जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 675 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) चण्डीगढ़ वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1974 जो दिनांक 2 दिसम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 676(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8961/75]

गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 के अधीन गुजरात सरकार के आदेश

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 को उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(1) श्री प्रभु पार्श्वनाथ कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 27-11-1972 का आदेश संख्या वी० सी०टी०-1472/126027-पांच ।

(2) सूरत जिले में पलसाना तालुक के बालेश्वर गांव के श्री अमद इब्राहिम पटेल के मामले में दिनांक 28-11-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-3074/113801-पांच ।

(3) सुरेन्द्र नगर जिले में धरांगधरा गांव के श्री कोलो बरसो पुन्ना के मामले दिनांक 28-11-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-3174/105630-पांच ।

(4) श्री मेघदूत कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (प्रस्तावित), अहमदाबाद के मामले में दिनांक 2-12-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-1474/57245-पांच ।

(5) पुष्पक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, जूनागढ़ के मामले में दिनांक 6-12-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-2374/87754-पांच ।

(6) सूरत जिले में तालुक ओलपाढ़ के सोनसक गांव के श्री छोटाभाई पुरुषोत्तम पटेल के मामले में दिनांक 7-12-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी० 3074/123798-पांच ।

(7) अहमदाबाद जिले में तालुक ढोलका के वासना के श्री गनपत भाई सोमनाथ के मामले में दिनांक 7-12-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 1474/97032-पांच ।

(8) बलसार जिले में नवसारी तालुक के बोदाली गांव के श्री मंजी दुला के मामले में दिनांक 7-12-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-2074/101456-पांच ।

(9) अहमदाबाद जिले में दासकोई तालुक में कानामा गांव के श्री भग्गु भाई पुरुषोत्तम दास पटेल के मामले में दिनांक 25-11-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-एस० आर०/164/7/(3) ।

(10) मैसर्स अग्रवाल इंडस्ट्रीज के मामले में दिनांक 27-11-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस०आर०/172 ।

(11) हितेन्द्रनगर कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट लि०, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 28-11-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०एस०आर०/174/7(3) ।

(12) अहमदाबाद जिले में तालुक सिटी के बजालपुर गांव के श्री भगवान भाई खोदाभाई भारवद के मामले में दिनांक 28-11-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस०आर०/136/7(3)

(13) अनार कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट लि०, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 30-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/134/7(3) ।

(14) मैसर्स इरान्स इण्डिया सिनेमा, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 30-11-1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/547/72 ।

(15) मैसर्स गुजरात आयरन एन्ड स्टील कं० लि०, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 4-12-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस० आर०/714/72 210/74 ।

(16) ईगल ग्लास कम्पनी अहमदाबाद के हिस्सेदार श्री खेमचन्द बाहरामोल सीतलेंड के मामले में दिनांक 6-12-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/ 174/7(3) ।

(17) मैसर्स तैहरा (डेरोफार्म), अहमदाबाद के मामले में दिनांक 6-12-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/137/7(3) ।

(18) जिला बड़ौदा तालुक बड़ौदा के ग्राम सोखादा के श्री रमनभाई देसाई भाई पटेल तथा अन्यों के मामले में दिनांक 23-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी० टी०/एस०आर०/25/74 ।

(19) जिला बड़ौदा तालुक बड़ौदा के ग्राम छानी के श्री सहानाभाई मंगाभाई नायक तथा अन्य के मामले में दिनांक 23-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/ एस०आर०/35/74 ।

(20) जिला बड़ौदा में बागोडिया तालुक में बागोडिया की श्रीमती भीखिबेन सुपुत्री श्री शाह भाई जेठा भाई के मामले में दिनांक 5-12-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०/एस०आर०/24/74 ।

(21) जिला बलसार के तालुक नवसारी के चौकसी कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज, काबिलपुर के हिस्सेदार श्री अशोककुमार हसमुख लाल शाह के मामले में दिनांक 28/30-11-1974 का आदेश संख्या सी० एच०/बी०सी०टी०/रैंग 49/74 ।

(22) भवानी कैमिकल्स प्रा० लि०, बम्बई के मामले में दिनांक 6/9-12-1974 का आदेश संख्या सी०एच०-वी०सी०टी /रैंग/ 6/74 ।

(23) मैसर्स पंकज एंड कं० राजकोट के मामले में दिनांक 28-11-1974 का आदेश संख्या खाली भूमि मामला संख्या 56 ।

(24) सैलेश इंजीनियरिंग वर्क्स, राजकोट के मामले में दिनांक 29-11-1974 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-लैंड-मामला संख्या 47 ।

(25) राजकोट जिले में मोरवी के मैसर्स ट्रांजिस्टर पावर क्लाक इंडस्ट्रीज के मामले में दिनांक 3-12-1974 का आदेश संख्या खाली भूमि-मामला संख्या 46

(26) मैसर्स मावजो कांजो एन्ड ब्रदर्स, राजकोट के मामले में दिनांक 5-12-1974 का आदेश संख्या खाली भूमि मामला संख्या 45 ।

(27) मैसर्स राजेश आयल इण्डस्ट्रीज, राजकोट के मामले में दिनांक 7-12-1974 का आदेश संख्या खालो भूमि मामला संख्या 57।

(28) जिला राजकोट में उपलेता के मामले में मैसर्स प्रभा सिमेंट पाइप प्राडक्शन के मामले में दिनांक 9-12-1974 का आदेश संख्या खालो भूमि मामला संख्या 51।

(29) मैसर्स फोर्ज एंड फोर्ज प्राइवेट लि०, राजकोट के मामले में दिनांक 9-12-1974 का आदेश संख्या खालो भूमि मामला संख्या 80।

(30) जिला बड़ौच, अंकलेश्वर के श्री मधुकान्त बेनीलाल देसाई के मामले में दिनांक 25-11-1974 का आदेश संख्या एल०एम०डी० वी०सी०टी०-6367।

(31) जिला बड़ौच, तालुक बडौच के गुजरात पेन्टस मकतामपुर के मामले में दिनांक 29-11-1974 का आदेश संख्या एल०एम०डी० वी०सी०टी०-6261।

(32) जिला बड़ौच के सैयद प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, बडौच के मामले में दिनांक 29-11-1974 का आदेश संख्या एल०एम०डी०/वी०सी०टी०/6369।

(33) जिला कैरा नाडियाद के श्री रामलाल बापूजी भाई पटेल के मामले में दिनांक 29-11-1974 का आदेश संख्या टी०एन०सी०/वी०सी०टी०/एस०आर०-207 डब्ल्यू०एस०

(34) ठाकुर पंचाल एंड कं० कालोल जिला महसाना के मामले में दिनांक 28-11-1974 का आदेश संख्या एल०एन०डी०-एन०/27/6

(35) श्री महावीर कारपोरेशन, जुनागढ़ के मामले में दिनांक 23-11-1974 का आदेश संख्या लैंड (2)(सी) 3167।

(दो) (एक) उपर्युक्त आदेशों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8962/75]

सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) नियम, 1974 और भारतीय संग्रहालय भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1974

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8963/75]**

(2) विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी किये गये विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो दिनांक 25 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं०नि० 112 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8964/75]**

(3) भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय संग्रहालय भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1335 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8965/75]**

भेषज और औषध उद्योग सम्बन्धी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक औषधियों और सामान्य तौरपर काम में आनेवाली दवाइयों के बारे में विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

भेषज और औषध उद्योग सम्बन्धी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक औषधियों और सामान्य तौर पर काम में आने वाली दवाइयों सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8967/75]**

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यकारी मजिस्ट्रेट रायपुर, से 22 फरवरी, 1975 को निम्नलिखित बेतार संदेश प्राप्त हुआ है :

"श्री शरद यादव, सदस्य लोक सभा को शान्ति भंग करने से रोकने के लिये 22 फरवरी, 1975 को मध्यान्ह-पश्चात् 7.15 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें केन्द्रीय जेल रायपुर में रखा गया है।"

यह 22 तारीख की बात है। आज श्री यादव सभा में उपस्थित हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have a point of order. When the matter of Shri Ram Deo Singh was brought here you had said that reasons for each case of arrest of members should be indicated. I want to know whether a circular in this regard has not reached Chapra and Raipur?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जारी का उल्लेख कर दिया है।

Shri Madhu Limaye : Stating of reasons is different. Reasons should include whether the member indulged in demonstrations or stone throwing etc. Quoting of section is not enough.

अध्यक्ष महोदय: सम्भवतः वह तार में सब कुछ नहीं बता सके।

श्री शरद यादव (जबलपुर) : **खड़े हुए।**

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल सभा को सूचना देनी होती है। इस बारे में मैं यदि वह यहां पर उपस्थित है, उन्हें बोलनेका अवसर नहीं दे सकता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बाजार में रूई व्यापार में चल रही मंदी से उत्पन्न स्थिति

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उससे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दे :

"रूई उत्पादन के लिये बाजार में रूई के, विशेषकर लम्बे रेशे की रूई के खरीददार न होने, भारतीय रूई निगमद्वारा रूई को खरीद न किये जाने और सरकार द्वारा मूल्य सहायता न दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति"

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : कुछ माननीय सदस्यों ने रूई की लम्बे रेशों वाली किस्मों की किमतों में गिरवाट और रूई उपजकर्ताओं पर उनके परिणामों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। आरंभ में ही मैं यह दोहराना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य रहेगा कि उपजकर्ताओं को अपनी फसल के लिए उचित कीमतों के मिलने और उपभोक्ताओं को अपनी सामर्थ्य के भीतर कपडे की कीमते प्राप्त होने के बीच उचित संतुलन बना रहे। जबकि रुई उपजकर्ताओं को रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिये उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिये, हमें यह देखना है कि रुई की कीमतें इतनी अधिक तेज न हो जाएं कि अपनी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबावों की पुनरावृत्ति को रोकने के हमारे उद्देश्य में बाधा पडे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि 1974 के दौरान कीमतों का जो उच्च औसत स्तर पहुंच गया था उसकी तुलना में कपास और लिन्ट दोनों की कीमतों का स्तर गिरा है। मिसाल के तौर पर एम. सी. यू–5, जो लम्बे रेशे वाली एक लोक प्रिय किस्म है, की कीमत जो नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में लगभग 365 रु० प्रति क्विंटल थी वह जनवरी 1975 के अन्तिम सप्ताह में बढ़कर 420 रु० प्रति क्विंटल हो गई किन्तु घटकर लगभग 400 रू० प्रति क्विंटल तक आ गई है। इसी प्रकार इसी किस्म की लिन्ट की कीमत जो उसी अवधि में 3200 रू० प्रति केन्डी से बढ़कर 3800 रु० प्रति केन्डी हो गई, अब लगभग 3725 रु० प्रति केन्डी है। तथापि यह समझना महत्वपूर्ण है कि 1974 के कुछ महीनों में जो उच्चतम कीमतों पहुंच गई थी वे घरेलु और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में वस्त्रों की तेजी से पैदा होने वाली रुई की उच्च मांग की द्योतक थी। यह तेजी अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती थी। लम्बे रेशे वाली रूई की कीमत 550 रु० प्रति क्विंटल कपास से गिरकर जो 400 रु० प्रति क्विंटल हुई वह भी इस बात की द्योतक है कि प्रचलित मांग प्रवृत्तियों की तुलना में लम्बे रेशेवाली रुई की सलाई स्थिति में सापेक्ष रूप से सुधार आया। वर्ष 1974–75 के दौरान 52 से लेकर 63 लाख गांठों की कुल अनुमानित फसल में से लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादन लगभग 14 से लेकल 15 लाख गाठें होगा, जिससे पिछले मौसम के मुकाबले उत्पादन में से 5 से लेकर 6 लाख गांठों की वृद्धि का पता चलता है। दूसरी ओर बीजके और छोटे रेशे वाली रुई की मांग और सप्लाई के बीच असंतुलन को देखते हुए मध्यम रेशे वाली रुई की कीमत अधिक मजबूत रही है। छोटे और माध्यम रेश वाली रुई की मांग मिलों के नियंत्रित कपड़े के दायित्व को दुगुना करने और निर्यात बाजार की आवश्यकताओं के कारण बढ़ी है।

यद्यपि मुझे इस बात से खुशी होगी कि लम्बे रेशे वाली रुई की मांग बढ़ने से इन रुई उपजकर्ताओं को अधिक प्रतिफल मिल सके किन्तु उनकी वर्तमान प्रचलित कीमतों से कोई गंभीर खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कृषि मूल्य आयोग ने, जो कृषि संबंधी विभिन्न वस्तुओं के आर्थिक पहलुओं और साथ ही उत्पादन की लागत के आंकड़ों पर आधारित लगाई पूंजी पर उनके परस्पर प्रतिफल के बारे में जांच करता है, पंजाब अमरीकम

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

320-एफ किस्म वाली औसत क्वालिटी वाली कपास की निम्न तम समर्थन कीमत 1974 के मौसम के लिए 195 रु० प्रति क्विंटल की सिफारिश की है जबकि पिछले वर्ष 170 रु० प्रति क्विंटल सिफारिश की थी। अन्य किस्मों की कीमतें 320-एफ और अन्य किस्मों की कीमतों में सामान्य अन्तरों के आधार भार निश्चित की जानी थी। इस आधार पर संकर-4 तथा एम० सी० यू०-5 की समर्थन कीमत क्रमश: 298-304 रु० प्रति क्विंटल निकलती है। अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों का पुनर्विलोकन किया है और संकर-4 तथा एम० सी० यू०-5 के संबंध में 324 रु० प्रति क्विंटल की समर्थन कीमत का सुझाव दिया है।

इन किस्मों की वर्तमान प्रचलित कीमतें कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई समर्थन कीमतों से अभी भी काफी उंची है।

तथापि, मिलों को लम्बे रेशे वाली किस्मों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वस्त्र आयुक्त द्वारा इन किस्मों के स्टाक रखने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध उठाए जा रहे है।

समर्थन देने के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में सरकार चाहती है कि भारतीय रुई निगम बाजार में प्रवेश करे और कुछ खरीदारियां करे। यद्यपि, फिलहाल निगम के पास उपलब्ध निधियां सिमित मात्रा में हैं किन्तु इसने गुजरात में संकर-4 किस्म की रुई की 1700 गांठें खरीद ली है और अन्य राज्यों में भी रुई खरीदने की व्यवस्था कर रहा है।

हम पूरी तरह से अवगत हैं कि लम्बे रेशे वाली रुई की काश्त का कितना महत्व है और इस वस्तुके महत्वपूर्ण आयात प्रतिस्थापन में उपजकर्ताओं ने कितनी उपयोगी योग प्रदान किया है जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा बची है। हम चाहते है कि इन उपजकर्ताओं को उपयुक्त प्रोत्साहना मिलता रहे। मैं सदन को आश्वासन देता है कि हमें रूई उपजकर्ताओं के हित का ध्यान है और हम चाहते हैं कि उपजकर्ताओं को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने की आवश्यकता और कपड़े की कीमतों को एक आम आदमी की पहुंच के भीतर रखने के महत्व के बीच उचित संतुलन हो जाए।

Shri M. C. Daga : I am grateful that you have cared to hear the grievances of 130 lakh cotton growers. I wanted to ask this question not only from the Commerce Minister but also from Agriculture Minister and Finance Minister.

Mr. Speaker : You may ask any of them who soever is available.

Shir M.C. Daga : The cotton growers 130 lakhs of them had to purchase seeds at very high prices. they were allowed only 7½ kg. of nitrogen per hectare against a demand of 30 kg per hectare. They had to meet the shortage from the black market. Further, they have to stand 35 rupees per acre on pesticides.

The cotton growers have produced cotton worth 900 crores of rupees but the Chairman of the Cotton corporation went with Rs. 10 crores to purchase it. The Government is importing cotton worth 25 crores of rupees from Pakistan where as cotton is lying surplus with us.

N.T.C. is running 103 mills and need cotton worth 240 crores rupees. The Government can purchase cotton yarn for these Mills from growers.

It is revealed in yearly statistics that Mills earned a profit of 11 crores in 1971-72 31 crores in 1972-73 and 65 crores in 1973-74.

Can you say that the Cotton Corporation of India will Purchase cotton direct from the growers. The import of cotton from Pakistan and other countries is a set back to growers in India and their financial condition is deteriorating every day.

You have stated that there is shortage of 8 lakh tonnes of cotton. Can the Government assure the cotton growers that their interests will not be harmed and no cotton import will be allowed further ?

The Agriculture Department has been saying something to cotton growers, where as their experts have been saying something else.

The matter may be settled just as it was done in the case of jute. Cotton prices have fallen wherreas there is no reduction in the prices of cloth.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : उन्होंने कई मामले उठाये है। मैं उनका उत्तर देने की चेष्ठा करुंगा

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : उन्होंने ठीक ही कहा है कि मामले विभाग में ही कुछ भ्रान्ति हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पाकिस्तान से रुई की आयात की बात उठाई गई है। मेरा निवेदन है कि रुई को जो किस्म पाकिस्तान से मंगाई जा रही है उसकी देश में बहुत कमी है इसलिये उस रुई से निर्मित वस्त्रों के मूल्य बढ़ गये है। उस रुई के आयात के वस्त्र उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

मेरा दुसरा निवेदन यह है कि हमने पाकिस्तान से जो रुई खरीदी है, उसका मूल्य उसके अनुरूप भारतीय रुई की किस्मों में 600 रुपये से 800 रुपये प्रति गांठ (केन्डी) कम है। अत: आपको इस बात की सराहना करनी चाहिये कि हमने पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज नहीं खरोदी जो हमें अपने देश में सस्ते मूल्यों पर मिल सकती थी।

चर्चा के दौरान रुई निगम की क्रय नोति का उल्लेख भी किया गया है। इस संबंध में हमारी नीति बहुत स्पष्ट है और हम मुख्यत: बाजार से अर्थात् सीधे उत्पादकों से ही रुई खरीदने के पक्ष में है। जैसा कि मैंने वक्तव्य में भी कहा है, निगम के पास केवल 10 करोड़ रुपये की ही निधि है अत: हम बाजार से अधिक रुई नहीं खरीद सकते। अत: हमे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिये और इसके लिए हमने कृषि तथा वित्त दोनों ही मंत्रालयों को लिखा हुआ है। हमें आशा है कि शीघ्र ही इसके बारे में निर्णय कर लिया जायेगा। इसी संबंध में मेरा एक निवेदन यह भी है कि जहां तक मध्यम दर्जे के रेशें की रुई का संबंध है, उसका मूल्य तो सप्लाई की तुलना में ठीक है परन्तु जहां तक लम्बे रेशें वाली रुई का प्रश्न मांग को तुलना में उसकी सप्लाई अधिक है . . .

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार ने कृषकों को इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहति नहीं किया है ? अत: सरकार को स्वयं दूसरा उत्तरदायित्व लेना चाहिये।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी (शिवकाशी) : रुई के मूल्यों में स्थिरता नहीं है। गत वर्ष वरलक्ष्मी नामक रुई की किस्म 1000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई थो परन्तु इस वर्ष कोई उसे 500 रुपये क्विंटल के मूल्य से भो खरोदने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : हमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को 45 मिनट में खत्म करना है। प्रथम सदस्य को 7 मिनट तथा अन्य सदस्यों को 5 मिनट का समय हमें देना है। आप चर्चा को संक्षिप्त करने का प्रयत्न कीजिये।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं संक्षप मे उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मैं यह कह रहा था कि लम्बे रेशें वाली कपास का उत्पादन काफी है। खैर इस समस्या के सभी पहलुओं पर हम अपने क्रय कार्यक्रम दृष्टिगत रखेगें। जहां तक रूई उद्योग से होने वाले उत्पादन कर सम्बन्ध है, हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचें है समूचे कपड़ा उद्योग को दर, अन्य सभी प्रकार के उद्योगों के औसत लाभ से कम ही है।

अन्त में मैं, यदि कहना चाहता हूं कि हम प्रयत्न करेंगे कि एम० सी० यू० धागे (फाइनर) के लिए कच्छे मूल्य दे सके। परन्तु हम कपास निगम को कोई ऐसा मूल्य उत्पादकों को देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जिसे देने में निगम असमर्थ हो या वह उद्योग को उस मूल्य पर बेच सकने मे असमर्थ हो।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने कपास का अधिकतम उत्पादन करने वाले श्रेतों तथा राज्यों को समस्याओं का अध्ययन करने के उपारन्त ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सूचना दी है। अपने इसी अध्ययन के आधार पर ही मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि छोटे कपास कृषक के हितों की रक्षा के लिए, छोट कृषकों से कपास खरीदने की जो योजना यहां महाराष्ट्र में आरम्भ की गई है, वह संतोषजनक नहीं है और उससे छोटे कृषकों को विशेष लाभ नहीं हो रहा है। इसके साथ ही पंजाब तथा हरियाणा के कृषकों से राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उचित मात्रा में कपास नहीं खरीदी जा रही है। अतः क्रम नीति की इन त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिये। इसके साथही मैं सरकार को इस बात के लिए भी चेतावनी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के बड़े बड़े कृषक इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एकाधिकार वसूली योजना महाराष्ट्र में इसलिए असफल हुई है कि उसे केन्द्र तथा रिजर्व बैंक से उचित सहायता नहीं मिली है। चर्चा के दौरान वस्त्र उद्योगपतियों का उल्लेख भी किया गया है और वह लोग भी महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों से कपास खरीद रहे हैं। परन्तु यह लोग विपणन फेडरेशन की तुलना में अच्छे मूल्य दे रहे हैं। इस कार्य में भी कई प्रकार के कदाचार फैले हुये है, अतः सरकार को इस ओर अपेक्षित ध्यान देना चाहिये। इसी प्रकार इस समय सूती कपड़े की लगभग 3,000 किस्में प्रचलित है परन्तु इन किस्मों को संख्या को घटाकर यदि मोटे कपड़े के उत्पादन में वृद्धि की जाये तो इससे साधारण आदमी को काफी लाभ हो सकेगा।

जहां तक रिजर्व बैंक को नीति का संबंध है, इसके बारे में महाराष्ट्र सरकार की निरन्तर यह शिकायत रही है कि ऋण के बारे में बैंक की नीति बड़ी कठोर रही है और उसने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक ऋण नहीं दिया है; जब तक सरकार द्वारा इस कार्य के लिए कम से कम 125 करोड़ रुपये की धनराशि की ऋण के रुपम देने हेतु निर्धारीत नही की तब तक यह प्रयोग सफल नहीं हो सकता।

महाराष्ट्र में कपास के लिए जो एकाधिकार क्रय योजना चल रही है उसमें अनेक कदाचार हैं। कल तक तो ऐसा था कि विपणन फेडरेशन द्वारा खरीदी गई कपास के लिए 30 प्रतिशत मूल्य की अदायगी नकदी के रुपमें कर दी जाती थी। कपास उत्पादकों द्वारा यह नकदी आदयगी 60 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की गई। अब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा नकद अदायगी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की उद्घोषणा की गई है। हम इस उद्घोषणा का स्वागत करते है परन्तु इसे क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त ऋण सुविधायें उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अत : मंत्री महोदय को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

कपास के संबंध में जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें भी काफी कदाचार फैला हुआ है। कपास की उत्पादन विपणन फेडरेशन के अधिकारियों के साथ सांठ गाठ करके अपनी कपास का गलत वर्गीकरण

करवा कर, अधिक धन कमाने का प्रयत्न करते है। इसी प्रकार विदर्भ और महाराष्ट्र के जो छोटे कृषक है, वह अपनी कपास के लिए 600 रूपये प्रतिक्विंटर के लाभकर मूल्य की मांग कर रहे है परन्तु बाध्य होकर उन्हें अपनी कपास को 150 रुपये प्रति क्विन्टर की दर से बेचना पड़ता है। बड़े बड़े कृषक तथा व्यापारी छोटे कृषकों से 150 रूपये प्रति क्विन्टल की दर से कपास खरीद कर, उसे अन्य क्षेत्रों में जाकर अधिक दामों पर बेच देते है। जब इस संपूर्ण कार्य में इस प्रकार की धांधली चल रही है तो एकाधिकार क्रम को सारी योजना ही धरी धराई रह जाती है। अत: इन अभावों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

विदर्भ तथा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बार बार कपास गोदामों में आग लगती है। इसका कारण यही है कि विपणन फैडरेशन के ही कुछ कर्मचारी स्वयं कपास खरीद लेते है और फिर वास्तविक स्टाक और कागजपत्रों के अनुसार खरीदे गये स्टाक के बील के अन्तर को पूरा करने या उससे बचने के लिए आग लगवाकर संपूर्ण स्थिति पर पर्दा डाल लेते है। यह एक नये प्रकार का कदाचार है तथा इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अधिक सतर्कतापूर्वक कार्य करेगी और रिजर्व बैंक द्वारा अपनी ऋण नीति में कुछ ओर ढील की जायेगी तथा अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी? दूसरे क्या कपास का उपयुक्त वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए तथा उसके अन्य क्षेत्रों में ले जाकर बेचने सम्बन्धी कदाचारों को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी? क्या छोटे किसानों को कपास के उपयुक्त परिश्रमिक मूल्य उपलब्ध करवाये जायेंगे? मंत्री महोदय ने श्री डागा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा है कि रुई की कोई ऐसी किस्म पाकिस्तान से यदि खरीदी गई है कि जो कि भारत में उपलब्ध थी परन्तु 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में कहा गया है कि रुई की ऐसी किस्मे भी खरीदी गई है जो कि भारत में उपलब्ध थी, इन दोनों में सत्य क्या है, इस का पता लगाया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय से उपरोक्त बातों का स्पष्टीकरण मांगते हुए मैं अन्त में यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि एकाधिकार क्रय योजना महाराष्ट्र में सफल रहे तो इसकी वर्तमान अभावों को दूर कर उसे राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ किया जाना चाहिए।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने यही कहा है कि हमने रूई की वह किस्में भी पाकिस्तान से खरीदे है जो कि हमारे यहां उपलब्ध तो थी परन्तु मांग की तुलना में उनका उत्पादन कम था। हमें अपने देश की अंदरुनी खपत के लिए मध्यम रेशों की रुई की 58 लाख गांठें चाहिये थी परन्तु हमारा अपना उत्पादन केवल 50 लाख गांठों का ही था।

इस तरह लगभग 8–9 लाख गांठों की कमी है। इस प्रकार चाहे माननीय सदस्य द्वारा बताया गया मूल्य निर्धारित किया जाये तो इसका प्रभाव जन साधारण के लिए निर्मित कपडों के मूल्य पर 50–55 प्रतिशत तक पड़ जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने 3000 किस्मों में कमी करने का ठीक ही सुझाव दिया है इससे उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है।

प्रो० डी० वी० चट्टोपाध्याय : हमारे यहां पहले ही 1000 किस्मों से अधिक किस्म का कपड़ा बनाया जा रहा है। हमने इसमें पहले ही 10 प्रतिशत किस्मों को कम कर दिया है। किस्मों में कमी करने का विचार अच्छा है किन्तु हमें इसके परिणामों को भी ध्यान में रखना होगा। हातकरघा क्षेत्र के लिए धागे के फाइन काउन्स आवश्यक है। यदि लम्बे रेशे वाली रुई का मूल्य बढ़ गया तो इसका प्रभाव धागे के मूल्यों पर पड़ेगा और बुनकर उसे इस उंची कीमत पर नहीं खरीद पायेंगे। हमने कपड़े की किस्मों में 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय कर दिया है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह देश के लिये हित में होगा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य कपास निगम को 20 करोड़ रुपये के दिये है जब कि भारतीय कपास निगम को केवल 10 करोड़ रुपये ही दिए है। मैं जानता हूं कि इन दोनों को ही पर्याप्त ऋण नहीं दिया गया है किन्तु ऋण में कटौती किए जाने के बावजूद भी यह राशि पर्याप्त हो। मैं इस बात को समझता हूं कि कपास उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाये किन्तु यदि कपास के मूल्य के वृद्धि कर दी जायेगी तो इस के और भी परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए कपड़े के मूल्य में 55 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जायेगी अतः वरना यह है कि ताकि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो। कपास उत्पादकों को उचित मूल्य दिए जाने और अधिक ऋण देने की आवश्यकता को हम समझते है और इसके लिए हमने वित्त मंत्रालय से बात भी की है किन्तु इससे मुद्रास्फिति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमने बांड योजना के बारे में सोचा है और इस पर यथासंभव शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

जहां तक कदाचारों या तस्करी के मामले का संबंध है, यदि कोई विशेष मामले मेरे ध्यान में लाया जाये तो मैं उसकी जांच करुंगा।

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : भारत का एक तिहाई कपास गुजरात में पैदा किया जाता है। पहले हमारे किसान छोटे रेशे की कपास उगाते थे किन्तु अब वे लम्बे रेशे वाली कपास उगा रहे हैं। भारतीय कपास निगम का कार्य कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है किन्तु वह इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रहा है।

गुजरात में भारतीय कपास निगम ने कपास की लगभग 1,700 गांठे खरीदी हैं। गत वर्ष लम्बे रेशे वाली कपास 6,000 रुपये प्रति केन्डी की दर से बेची गई थी और अब यह 3,000 रुपये प्रति कैन्डी की दर से बेची जा रही है। कपास के मूल्य में इतनी गिरावट आ गई है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान लंबे रेशे तथा छोटे रेशें वाली कपास के मुल्यों मे व्याप्त अंतर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं पहले शंकर पाच लम्बे रेशे वाली कपास 8,000 रुपये प्रति कैन्डी की दर से बिक रही थी और छोटे रेशे वाली कपास 3,200 रुपये प्रति कैन्डी। किन्तु अब लंम्बे रेशे वाली कपास 3,400 रुपय प्रति कंडीऔर छोचो रेशे वाली कपास 2,800 रुपये प्रति केंडी की दर से बिक रही है इस प्रकार दोनों के मूल्य में केवल 600 रुपये का अंतर है। लन्बे रेशे वाली कपास के उत्पादकों को उर्वरक जैसी अधिक कीमतो राधन लगान पड़ने है। और सिचाई भी अधिक बार करनी पड़ती है।

निर्धन लोगों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध किया जाना चाहिए किन्तु किसानों को शोषण करके नहीं।

यह ठीक ही है कि लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहयोग दे रहे हैं। अब सरकार को इसका आयात नहीं करना पड़ता।

लम्बे रेशे वाली कपास को खरीदने वाले नहीं हैं और उत्पादकों को मंडी से अपना कपास बेचे बिना ही वापस आना पड़ता है। सरकार को मूल्य समर्थन देना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में एम० सी० यू०–5 नामक बहुत ही बढ़िया किस्म की कपास उगाई जाती है। गत वर्ष इसे 500 रुपय प्रति क्विंटल की दर ने बेचा गया किन्तु अब इते 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भी कोई नही खरीद रहा है।

मेरा ख्याल है कि सरकार ने भारतीय कपास निगम को यह अनुदेश दिया है कि वह कपास उत्पादकों को एक-तिहाई मूल्य नकद दे दो-तिहाई राशि 6 प्रतिशत ब्याज पर बांड के रूप में दी जायेगी। कोई भी किसान अपनी कपास भारतीय कपास निगम को इस शर्त पर नहीं बेच सकता।

आप चाहते है कि देश में कपड़े का सस्ता उत्पादन हो और आप मिलों को सस्ती दरों पर कपास उपलब्ध करना चाहते हैं किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि दो सौ मिल मालिकों की बजाय लाखों कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा की जाय।

मेरा आपसे निवेदन है कि गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों के कपास उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिया जाये और उनके हितों की रक्षा की जाये।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें कपास उत्पादकों को उचित मूल्य देना है। किन्तु इसमें युक्ति युक्त संतुलन होना चाहिये। हमें उनके हितों की रक्षा करते हुए उपभोक्ताओ के हितों को भी ध्यान में रखना है।

श्री नटवर लाल पटेल : कपास की उत्पादन लागत पर निर्णय करन से पहले आप कृपया उत्पादकों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर लें।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : देश के लाखों कपास उत्पादकों का हित करते हुए हमें करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखना है। मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे। हम गरीब उत्पादकों को किसी भी तरह हानि नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने पहले ही कह दिया है कि लम्बे रेशे वाली कपास उत्पादक विदेशी मुद्रा के मामले में हमारी बड़ी सहायता कर रहे हैं। किन्तु समस्या यह है कि इसका उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक है। मध्यम रेशे वाली कपास की सप्लाई कम है हमें इसकी आवश्यकता आंतरिक खपत तथा निर्यात के लिए पड़ती है। अतः हम चाहते हैं कि किसान इस प्रकार की कपास भी अधिक मात्रा में उगाए। मैं भी कपास उत्पादकों विशेषकर लम्बे रेशे वाली कपास उत्पादकों को उचित मूल्य देने के बारे में चिंतित हूं। भारतीय कपास निगम की यही नीति होगी कि इन लोगों की हर संभव सहायता की जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपूर) : अब आप लम्बे रेशे वाली कपास कितनी मात्रा में आयात कर रहे है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मध्यम और छोटे रेशे वाली कपास की हमारे देश में लगभग 8–9 लाख गांठों की कमी है और हमने केवल दो लाख गांठे आयात की हैं। लम्ब रेशे वाली कपास देश में आवश्यकता से अधिक है। अतः आयात का प्रश्न ही नहीं उठता।

कपास निगम एक वाणिज्यिक संस्था है। हम इसे कपास उस मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिस पर यह उसे मिलों को नहीं बेच सकता। फिर भी हम कपास उत्पादकों के हितों का अधिकाधिक ध्यान रखेंगे।

श्री नटवर लाल पटेल : उपादकों को कितना न्यूनतम मूल्य दिया जायेगा?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : लगभग दो या तीन साल पहले हम लम्बे रेशे वाली कपास की लगभग 10 लाख गांठे आयात करते थे। यह सब निर्यात को बढ़ाने के नाम पर किया गया। किन्तु म पूछना चाहता हूं कि आयातित कपास से निर्मित बढ़िया किस्म का कितना कपड़ा निर्यात

[श्री वसंत साठे]

किया गया? और इससे हमने कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई? बढ़िया किस्म के कपड़ों के निर्माण के लिए लम्बे रेशे वाली कपास प्रयोग में आती है। मैं जानना चाहता हूं कि हमने कितने बढ़िया किस्म के कपड़े का निर्यात किया है और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और कितन कपड़े की तस्करी की गई?

श्री वसंत साठे : तस्करी की तो मैं नहीं जानता। मेरी जानकारी के अनुसार 80 प्रतिशत निर्यात मध्यम और छोटे रेशे वाली कपास से निर्मित कपड़ों का होता है। फिर भी हम उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं दे रहे है?

1972 में मैंने अपने भाषण में कपास उत्पादकों की दयनीय दशा का उल्लेख किया था। 1971-72 में उन्होंने कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया था जो कि दो वर्ष तक चला। मिल मालिकों ने इससे अत्यधिक लाभ कमाया। किन्तु उन्हें कपास के लिए न्यूनतम मूल्य दिया गया।

पश्चिमी देशों में कठिनता से 10 प्रतिशत लोग उत्पादक है इसलिए वे कहते है कि हमें 90 प्रतिशत लोगों के हितों का ध्यान रखना है। वे उपभोक्ताओं का अधिक ध्यान रखते हैं। किन्तु हमारे देश में तो 80 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं और कृषि पर निर्भर है अतः वही लोग वास्तविक रूप से उपभोक्ता भी है। वे किसान और उपभोक्ता दोनों ही हैं। यदि किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया गया तो फिर भूमिहिन श्रमिकों को उचित मजूरी कैसे दी जा सकती है?

इसके अतिरिक्त मुद्रा स्फिति-विरोधी उपाय की बात मेरी समझ में नहीं आई। यदि आप कपास उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं देंगे तो वे कपास नहीं उगायेंगे जैसे कि पटसन उत्पादकों ने किया है। आप जानते ही है कि पटसन के कारण हमें कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई। यदि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं दिया गया तो इसका प्रभाव कपास के उत्पादन पर पड़ेगा और अन्त में कपड़ों के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई वाद-विवाद नही है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री वसंत साठे : वह संतूलन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं उन्हें यह पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वसंत साठे : मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आप उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? यह ठीक है कि कपड़े की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। किन्तु किसानों को भी इतना कम मूल्य नहीं दिया जाना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार की हानि हो। किसानों का शोषण आज विचौलियों द्वारा किया जा रहा है। कपड़े का मूल्य बढ़ाकर वे उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। ये विचौलियों मिल मालिकों के एजन्ट होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कपास उत्पादकों को कितना मूल्य देने जा रही है। विशेषज्ञों की राय है कि एम० सी० ओ०-5 किस्म के लिए मूल्य 425 रुपये से 450 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह मूल्य दिया जा रहा है या नहीं?

आप कहते हैं कि हम कपास का आयात नहीं कर रहे हैं किन्तु सूदान के साथ कपास के बारे में जो बातचीत की गई है वह क्या है? कृपया इन बातों को स्पष्ट कीजिए।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमान जी प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री साठे के सुझावों में अंतर है। एक ने एम० सी० ओ०-5 के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने का सुझाव दिया है जबकि दूसरे ने इसका मूल्य 425 रुपये से 450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का सूझाव दिया है।

श्री वसंत साठे : यह तो विशेषज्ञों ने कहा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अनुमान के मामले में भिन्नता हो ही जाती है। अन्य बातों को भी ध्यान में रखना होता है।

श्री वसंत साठे : कृपया हमें विभाजित मत कीजिए।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : विभाजन नहीं केवल तुलना। हमने विभिन्न राज्यों के विशिष्ट सदस्यों जैसे श्री वसंत साठे, श्री रघु रामैया आदि से इस मामले पर बातचीत की है। आंध्र प्रदेश कपास तथा पटसन पैदा करने वाला राज्य है।

हम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर रहे हैं साथ ही उत्पादकों को भी उचित मूल्य दिया जायेगा। इसके लिए हम पहले ही वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श कर रहे है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.30 म०प० बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 34 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty four minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान् जी, मैं एक लोक महत्व का विषय उठाना चाहता हूं। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर रोक हटाने का जो समाचार प्रकाशित हुआ है वह बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर सभा को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देगी...

उपाध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है...

श्री समर गुह : अमरीका ने सोवियत संघ द्वारा भारत को हथियार सप्लाई किए जाने का उल्लेख किया है। वह चीन तथा फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को लगातार हथियार सप्लाई किए जाने की बात को भूल रहा है। अमरीका ने अफगाणिस्तान तथा भारत द्वारा डर दिखाने की कल्पना भी की है। किन्तु वह यह भूल रहा है कि पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हथियार पख्तूनिस्तान तथा बलुचिस्तान तथा सिन्ध के लोगों को दबाने के लिए प्रयोग में लाए जायेंगे। भारत सरकार को खां अब्दुल गफ्फार खां तथा पख्तूनिस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में उठाना चाहिये। पाकिस्तान या भारत को शक्तिशाली बना देने से ही इस उपमहाद्विप से शांति स्थापित नहीं की जा सकती ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Deputy Speaker, the All India Session of Bhartiya Jansangh is going to be held on the 3rd, 4th and 5th March. For this purpose we requested for permission to use Football Stadium on 15th February, we received a letter

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

stating that permission to use the football Stadium is accorded. But on the 22nd February we received another letter in which it was stated that the permission has been withdrawn. It is stated that this has been done at the instance of the Lt. Governor. A number of Functions have been arranged there then why we are being deprived of of it? The Home Minister should direct the Lt. Governor to take back that order, otherwise we will protest against it and we will hold our session there.

Shri Madhu Limaye (Banka): It should be discussed. I support, what Shri Bajpayee has said. Everything is being done according to their own wish .... *(interruption)*

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): They have published their posters. they should be allowed to hold in Session there.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

Shri Ram Singh Bhai (Indore): I rise to support the Motion of Thanks on President's Address. The President has presented a factual picture of the present situation in the country. He has also made an appeal to the hon. Members of the House to work for the development of the country and welfare of the people. we should give up the methods of agitations sabotage, violence and strikes and work unitedly for bringing about increase in production for the development of the country.

Prices of essential commodities have been rising since 1972 and the people have to face unprecedented hardships. Profiteering, adultration and hoarding are on the increase. It is regrettable that we simply talk about evils but never try to remove them.

The preceding year was the worst year. All opposition parties have joined hands to bring harm to the economy of the country.

In 1971, 1972, 1973 and 1974 the workers have lost 60 lakhs and 50 thousands 2 crores and 50 lakhs, 2 crores, 6 lakhs and 26 thousands 253 and 3 crores, 12 lakhs 70 thousands and 487 man-days respectively due to strikes and lockouts, as a result of which they have suffered a huge loss.

Government deserves congratulations as they have taken the country towards progress despite efforts made by mischievous elements. In order to deal with such elements Government took some strict measuses. It is evident that those measures have proved effective. The wholesale price index, which was 328 in September came down to 316 in December 1974. It is clear that steps taken by Government have brought positve results and opposition parties have no contribution in that. However, more strict measures will have to be taken, otherwise the development of the country would be anested. I request that more attention should be paid to bring down the consumer price index.

A number of times the issue regarding Maruti has been raised in the House but no one has proved that any unnerhand dealing took place in the case. Every Citizen has a right to enter into a trade. Action cannot be taken against him unless it is proved that he is involved in illegal work.

It is strange that Shri Shyam Nandan Mishra has stated that Jaya Prakash Narayan has emerged as another Gandhiji. I know Jayaprakash Narayan since 1930. He is not a Gandhian. Opposition parties have their vested interest in supporting Shri Jay Prakash Narayan. They are decieving him.

Millowners are not paying to the workers their dues as they should have paid in accordance with the Gratuity Act of 1972. The millowners have spent crores of rupess of workers money. Government should, therefore, set up a Gratuity Trust on the lines of the Provident Trust, so that workers' money could be kept safe.

Under E.S.I. scheme the minimum prescribed limit for entitlement of benefits is Rs. 500, but now, with the revision of wages the workers are deprived of these benefits, for there is no provision in the Act to cover such cases. Government should think over it and make necessary amendment in the legislation.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : राष्ट्रपति का अभिभाषण भ्रांतिपूर्ण है। इसमें श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह बड़े दूख की और आश्चर्य की बात है।

श्री समर गुह ने सदन का ध्यान टेलीप्रिंटर पर आई उस खबर की ओर दिलाया है जिसमें बताया गया है कि अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को सरकारी रूप से सूचित किया है कि वह पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पर गत दस वर्षों से लगे प्रतिबन्ध को हटा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीकी सरकार ने शस्त्रों पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया है और वह हिन्द महासागर में अपने नौसैनिक अड्डे बना रही है, देश को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर श्री जयप्रकाश नारायण ने सैनिकों और पूलिस वालों ने सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के लिए कहा है। यह कहाँ तक उचित है? क्या यह जनता तथा देश के अहित में नहीं है? श्री जयप्रकाश नारायण के समर्थकों से मेरा निवदन हैकि वह इस पर प्रकाश डाले। उनको यह बताना चाहिए कि वह इस मामले में श्री जयप्रकाश नारायण का समर्थन करते हैं अथवा विरोध करते हैं।

आश्चर्य की बात है कि काश्मीर समझौते के बारे में श्री भुट्टो और जनसंघ के विचार मिलते हैं। श्री भुट्टो कश्मीर समझौते के विरुद्ध हड़ताल करने के लिए कह रहे हैं। उधर जनसंघ भी आन्दोलन छेड़न की बात कर रहा है। इससे श्री भुट्टो को यह कहने का अवसर मिलेगा कि भारत में भी काश्मीर समझौते का विरोध किया जा रहा है।

श्री जयप्रकाश नारायण का सैनिकों को आदेश न मानने के लिए कहना जन-हित में नहीं है। यदि साम्यवादी दल ऐसी बात कहता तो उसे देशद्रोही का नाम दिया जाता। परन्तु आज जब श्री जयप्रकाश नारायण ऐसा कह रहे हैं तो माननीय सदस्य चूप बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री अथवा रक्षा मंत्री के इस बारे में क्या विचार हैं? मैं जानना चाहता हूं कि किस देश में ऐसी बात कहने की अनुमति है जैसी श्री जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं?

जब भारत पर अंग्रेजी शासन था, उस समय हमारी सेना और सशस्त्र सैनिक दल भाड़े के सिपाही होते थे। परन्तु अब स्वतन्त्र भारत में हमें अपनी सेना की राष्ट्रभक्ति पर गर्व है। वर्ष 1947, 1962, 1965 तथा 1971 में हमारी सेना ने महत्वपूर्ण कार्य किया। यही नही भारतीय सेना ने बंगला देश को मुक्त करवाने और देश में प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करके सराहनीय कार्य किया है। इसके अतिरिक्त हमारी सेना ने राजनीति से परे रहकर अपनी ऐतिहासिक परम्परा बनाए रखी है। अब श्री जयप्रकाश नारायण भारतीय सेना को राजनीति में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं और सेना में अराजकता के बीज बोने का प्रयत्न कर रहे मुहैं। झे विश्वास है कि हमारी सेना इस खतरनाक राष्ट्रविरोधी जाल में नहीं फसेंगी।

श्री जयप्रकाश नारायण का रवैया दिन प्रतिदिन स्पष्ट होता जा रहा है। वह अपने आन्दोलन के लिए कुछ दक्षिणपंथी दलों पर पूरी तरह आश्रित हैं। वह जनसंघ और विपक्षी कांग्रेस दल को किसी भी कीमत पर अपने से अलग करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अमरीकी शस्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वह सोवियत संघ की निन्दा करते हैं और माओ, को अपना गुरु समझते हैं।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

श्री जयप्रकाश नारायण ने निर्धन किसानों और हरिजनों पर जमींदारों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। उनके भाषण में एकाधिकारों द्वारा श्रमिक वर्गों के शोषण का कभी उल्लेख नहीं होता। उनकी 'पूर्ण क्रान्ति' का अर्थ पूर्ण 'प्रति क्रांति' के अतिरिक्त कुछ नहीं।

जो लोग श्री जयप्रकाश नारायण से बातचीत करने के पक्ष में है और उनका श्री बाजपेयी और श्री पीलू मोदी से सम्पर्क तोड़ना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करुंग कि . . . (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : गलत मत कहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि उनके सम्बन्ध उनसे दिन प्रतिदिन गहरे होते जा रहे है। (**व्यवधान**)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : कार्ड प्रणाली केवल साम्यवादी दल में ही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे बिना कार्ड वाले सदस्य है ताकि वे पहचाने न जा सके। वे हमें बताए कि श्री जय प्रकाश नारायण के श्री अटल बिहारी से क्या सम्बन्ध है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपको बता सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री जयप्रकाश नारायण के गोयंका तथा टाटा जैसे व्यक्तियों स कैसे सम्बन्ध हैं। क्योंकि ये बड़-बड़े उद्योगपति हैं। ये तथाकथित एकाधिकार-विरोधी लोग इन चीजों के बारे में कुछ नहीं कहते। मैं इन लोगों के साथ ही रहना चाहता हूं। अतः में श्री मोहन धारिया से, श्री चन्द्रशेखर तथा श्री कृष्णकान्त से पूछना चाहता हूं कि उन्हे इस बारे में क्या कहना है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री कृष्णकान्त इस सभा में नहीं हैं। वे इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं। . . . (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया बीच में मत टोकिए। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र चिढ़ रहे होंगे क्योंकि यहां कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें तो इसमें आनन्द आ रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए हम सत्तारुढ़ दल को विभाजित करना चाहते है।

श्री पीलू मोदी : आप सहर्ष ऐसा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जयप्रकाश नारायण ने कुछ समय पूर्व कहा था कि मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि वे कांग्रेस में ही रहें। इसका क्या अर्थ है ? क्या वह कांग्रेस को विभाजित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ? 'स्टेटसमैन' के सम्पादकीय में लिखा हुआ था कि श्री मोहन धारिया के इस प्रकार के रवैये से कांग्रेस की प्रतीष्ठा को जो आघात पहुंचेगा उस की दल के अन्दर तथा बाहर सर्वत्र सराहना होगी।

श्री पीलू मोदी : इसमें क्या बुराई है। हर प्रकार से सत्तारूढ़ दल को विभाजित किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सत्तारूढ़ दल के अपने मित्रों को कह दूं कि वे अपनी कुर्सियों पर चिपके रह कर भविष्य में होने वाले आन्दोलनों तथा प्रतिरोधों को नहीं दबा सकते। इसके

लिए यह आवश्यक है कि लोकतांत्रिक परिवर्तन, आर्थिक और सामाजिक सुधारों की केवल बात ही नहीं की जाये अपितु उन्हें कार्यान्वित भी किया जाये । और इस प्रकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सबको सहयोग करना चाहिए । हम ऐसा कहते रहेंगे, चाहे कोई व्यक्ति इसका गलत अर्थ समझे या यह समझे कि हम सत्तारूढ़ दल को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं । जब तक सभी लोग लोकतांत्रिक सुधारों, आर्थिक तथा राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए परस्पर सहयोग नहीं करते तब तक आशा नहीं की जा सकती कि भविष्य में होने वाले प्रतिरोधों का सामना किया जा सकता है ।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): We want that this Government must go.

Shri Indrajit Gupta ; If you also want this then what is wrong in my saying.

हमने जो कुछ कहा है, वह हम खुले रूप से कह रहे हैं । हमने यह कभी नहीं कहा कि सभी राज्यों में केरल की तरह संयुक्त सरकारें होनी चाहिए । इस शब्द की रचना तो समाचार पत्रों ने की है ताकि लोगों में साम्यवादी-विरोधी भावना उत्पन्न हो । हमारा कहना तो यह है कि लोकतांत्रिक शक्तियां तथा वामपंथी शक्तियां देश में संयुक्त रूप से कार्य करें । यद्यपि सत्तारूढ़ दल को भारी बहुमत प्राप्त है तथापि वे कुछ कारणों से कार्य ठीक ढंग से नहीं चला पाता ।

एक माननीय सदस्य : नहीं-नहीं !

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नही ? कई राज्यों में क्या हुआ ? सभी प्रकार की समस्याओं तथा कठिनाइयों के होते हुए भी केरल में थोड़े से बहुमत से वहां पांच सालों तक सरकार सुचारु रूप से चली । आजकल के हालांत में किसी सरकार के लिए इस तरह सुचारू रूप से कार्य करना संभव नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : श्रमिकों को आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार करके ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृषि श्रमिकों को भूमि दी गई । बिना मुआवज़े के बनों का राष्ट्रीयकरण किया गया । क्या कांग्रेस सरकारों ने कभी आंसुका का प्रयोग नहीं किया ? इतने भारी बहुमत के बावजूद भी कांग्रेस सरकारें गिरी हैं । वे शासन नहीं चला सकते। (**व्यवधान**) कई बातें हैं जिनका राष्ट्रपति के भाषण में कोई उल्लेख नहीं है । यह कहने का क्या लाभ है जब लोगों को अनाज ही नहीं मिलता ?. इसके लिए समुचित वसूली तथा उचित वितरण प्रणाली की आवश्यकता है । यह सारी व्यवस्था न होने के कारण ही तो हमें अनाज का आयात करना पड़ रहा है ।

श्री मोहन धारिया को लोक वितरण प्रणाली के प्रश्न पर विचार करने वाली-समिति का चेयरमैन बनाया गया था और उन्होंने योजना मंत्रालय में मंत्री रहते हुए एक प्रतिवेदन भी पेश किया था । किन्तु उस प्रतिवेदन का क्या हुआ ? श्री मोहन धारिया ने उसे कार्यान्वित कराने में रुचि क्यों नहीं ली ?

खेद की बात है कि सरकार की श्रम नीति आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ रही है । औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी विधेयक पेश करने का आश्वासन दिया गया था । किन्तु अभी तक पेश नहीं किया गया है । हड़तालों को अनुचित तरीकों से दबाया जा रहा है ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में श्रमिकों के कठिन परिश्रम के लिए बधाई दी है। आज श्रमिकों की बढ़ती हुई महंगाई तथा वेतन में कटौति का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरी बात यह है कि सरकारी क्षेत्र में शेयर बेचे जा रहे हैं। (**व्यवधान**) श्री साल्वे के दल ने कुछ समय पहले श्री सुब्रह्मण्यम से यह सुनिश्चित करवाया कि अब गैर सरकारी क्षेत्र में किसी का भी राष्ट्रीयीकरण नहीं किया जायेगा सो ठीक है। किन्तु सरकार ने सरकारी क्षेत्र में शेयर बेचने आरम्भ कर दिए।

श्री एम० के० पो० साल्वे (बेतुल) : शेयर कर्मचारियों को बेचे जायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें पता है कि कर्मचारियो के पास शेयर खरीदने की कितनी क्षमता है। इन शेयरों को केवल टाटा तथा बिरला जैसे उद्योगपति ही खरीद सक ते है। यह सब औद्योगिक नीति संकल्प के विरूद्ध है।

जब तस्करी तथा काले धन के विरुद्ध अभियान चला या गया था तो हमने इसका स्वागत किया था किन्तु अब सरकार ने इस दिशा में ढील दे दी है। क्यों? कुछ लोगो का विचार है कि ऐसा चुनावों के कारण हो रहा है। दूसरी ओर ये ही मित्र नहीं चाहते कि तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली, जो आज सभी पूंजीवादी देशों में मुद्रास्फीति बढ़ती बेरोजगारी तथा अन्य आर्थिक संकटों से ग्रस्त है, लोगों कि समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। लोगों के लिये इस खतरे से सचेत होने का यह उचित अवसर है। हमें इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए ताकि हम समय रखे देश की सेवा कर सकें।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) ; उपाध्यक्ष महोदय में राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देता हूं।

[**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** पीठासीन हुए
Shri Dinesh Chandra Goswami *in the Chair*]

मै बढ़ते हुए मूल्यों, बढ़ती हुई मुद्रास्फिति तथा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करता हूं किन्तु साथ ही सरकारने इन समस्याओं को हल करने के लिये जो कदम उठाये है, उनकी सराहना करता हू। सरकार पर असफलताओं के आरोंप लगाना प्रतिपक्ष की एक आदत सी हो गई है।

यह ठीक है कि विरोधी पक्ष सरकार को दोषी ठहराये किन्तु वे भी विरोधी पक्ष के रुप में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में विरोधी पक्षका भी यह उत्तरदायित्व होता है कि वह जनता के हितों की रक्षा करे। आज सरकार जनता के लिए सब कुछ कर रहीं है। जनता सत्ता रुढ़ दल तथा विरोधी पक्ष का कर्तव्य यह है कि वे श्रीमती इंदीरा गांधी द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों को परस्पर सहयोग से कार्यान्वित करे ताकि देश की जनता का हित हो।

देश में जो आर्थिक, राजनीतिक संकट है उसको केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ही दूर कर सकती है। श्री जयप्रकाश नारायण, श्री कामराज तथा श्री मोरारजी देसाई जैसे योग्य व्यक्ति भी इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। उनका काम तो भड़काने वाले भाषण देना है। श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन का परिणाम हिंसा, आगजनी, लूट तथा अराजकता है।

इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि देश में तबाही हो। देश के प्रति सेवा की भावना तो इनमें है ही नहीं। देश के लोगों को विरोधी पक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनका काम जनता को गुमराह करना तथा सरकार को दोषी ठहराना है।

सरकार ने गरीबी दूर करने तथा साधारण किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रयास किए हैं, वे वास्तव में सराहनीय है । कृषि उत्पादन, सिंचाई, विद्युत, उर्वरक तथा तेल निकालने के लिए जो अतिरिक्त निवेश किया गया है, उससे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी । मुद्रास्फिति तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी मुद्रा तथा वित्तीय नीतियां बड़ी सहायक सिद्ध हो रही हैं । यदि लोक वितरण प्रणाली को अपनाया जाये तो कई समस्याएं हल हो जायेंगी ।

रेल हड़ताल को समाप्त करना, भूमिगत आण्विक विस्फोट आदि कई सराहनीय कार्य किये हैं । यद्यपि भूमिगत विस्फोट को कई बड़े देशों ने उचित नहीं समझा तथापि रक्षा और विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए यह आवश्यक है ।

खेद की बात है कि डा० किसिंजर की भारत यात्रा और भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग के गठन के बावजूद भी अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने पर से रोक हटा दी है ।

हम स्वर्गीय पंडित नेहरू द्वारा अपनाए गएपंचशील तथा गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण कर रहे हैं । सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं । हमें आशा है कि चीन के साथ भी हमारे सम्बन्धों में सुधार होगा ।

अंत में मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी नीतियों पर अडिग रहे । देश की जनता उनके पीछे है ।

मुझे आशा है सरकार रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने की दिशा में कार्य करेगी क्योंकि बेरोजगारी के कारण आज का युवा वर्ग निराश सा है । साथ ही सरकार को शहरी सम्पत्ति की सीमा सम्बन्धी विधेयक पेश करना चाहिए ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : राष्ट्रपति का अभिभाषण "पुरानी शराब नई बोतल में' वाली कहावत को चरितार्थ करता है । यह अभिभाषण घिसापिसा है । इससे उन्हीं बातों की पुनरावृति है जो प्रतिवर्ष कही जाती हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, आर्थिक दिवालापन, मुद्रास्फिति तथा चुनाव सुधारों की समस्या को किस ढ़ंग से हल किया जाये, सके लिए कोई नया मार्ग या उपाय नहीं सुझाया गया है ।

राष्ट्रपति वास्तविकता की अनदेखी कर गए है । उन्होंने सरकार की जन-विरोधी नीतियों का उल्लेख नहीं किया । जबलपुर, गोविन्दपुरा तथा हरियाणा में हुए उप-चुनाओं के परिणामों से यह बात सिद्ध हो जाती है । बारपेटा के चुनाव परिणाम को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा । राष्ट्रपति ने श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन की सराहना नहीं की जो कि सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध है ।

राष्ट्रपति ने सरकार की असफलताओं को स्वीकार नहीं किया है जिनके कारण आज देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त है ।

आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह कुचले गए जापान और पश्चिमी जर्मनी ने आज कितनी प्रगति कर ली है और वे विश्व के प्रमुख देशों में गिने जाते हैं । और तो और चीन जैसे देश में भी इस्पात, कोयले, अन्न और तेल की विकास-दर हम से बेहतर है । वहां भी सैधांतिक प्रचार की अपेक्षा व्यक्तिगत गुणों और क्षमताओं पर अधिक ध्यान देकर उनसे लाभ उठाया जाता है, जबकि हमारे देश में व्यक्ति की रचनात्मक प्रतिमा पर पर्मिट-लाइसेंस और कोटे द्वारा अंकुश लगाया जाता है जिनसे भ्रष्टाचार के द्वार खुले हैं ।

[श्री पी० के० देव]

राष्ट्रपति जी ने आर्थिक स्थिरता की चर्चा की है जबकि वास्तविक राष्ट्रीय आय में 4160 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ-साथ 6741 करोड़ रुपये का पूंजी फैलाव भी हुआ है । यही असंतुलन आर्थिक संकट का मुख्य कारण है । यही असंतुलन 1971-72 में और बढ़ा है । जहां राष्ट्रीय आय में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहां पूंजी-सप्लाई 54 प्रतिशत बढ़ गई है । मूल्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और खाद्य वस्तुएं जहां 1961-62 में 100 रुपये की जितनी मात्रा में उपलब्ध थी आज उतनी मात्रा का मूल्य 360 रुपये है । रुपये की क्रय शक्ति घट कर एक-चौथाई रह गई है । मूल्य में जो क्षणिक कमी आई है उस पर अभिभाषण में संतोष व्यक्त किया गया है जबकि यह अस्थायी सुधार है । चावल का मूल्य चार-गुना हो गया है और जनसाधारण इसे नहीं खरीद पा रहा है । इस स्थिति में खाद्य निगम की गड़बड़ी से और खराबी आई है । अब स्थिति यह है कि गावों में युवा-वर्ग चाहता है कि फालतू अनाज पंचायतों में रखा जाये ताकि मंदी के वर्षों में काम आ सके जबकि सरकार इसे मिलों को दिलाना चाहती है जो 25 प्रतिशत का निर्माण करके शेष को बाजार में मनमाने मूल्य पर बेच सके । इस कारण सम्बलपुर, छत्तीगगढ़ और बालाघाट में झड़पें भी हुई हैं । मैं हिंसा रोकने में सरकार की इस असफलता की निन्दा करता हूं जो श्री मिश्र और श्री परशूराम सतपथी की मृत्यु के रहस्यों का उद्घाटन अभी तक नहीं कर पाई है ...

सभापति महोदय : सदस्य महोदय अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं । अब प्रधान मंत्री जम्मू-काश्मीर पर वक्तव्य देंगी ।

जम्मू और काश्मीर के संबंध में वक्तव्य

Statement re : Jammu and Kashmir

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंन्दिरा गांधी) : इस देश में सभी लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष तथा प्रगतिशील तत्वों का सक्रिया सहयोग और सहभागिता प्राप्त करने की सरकार की नीति के अनुपालन में, यह वांछनीय समझा गया कि शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत की जाए । माननीय सदस्य गण इस बात से अवगत है कि स्वतंत्रता संग्राम तथा भारत संघ में जम्मू और काम्मीर राज्य के विलयन में शेख अब्दूल्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । स्वतंत्रता के बाद उन्होने राज्य में सरकार बनाई और कई वर्षों तक वे उस सरकार के प्रमुख रहे। उन मतभेदों के बावजूद जिनके कारण बाद में मनमुटा हुए, शेख अब्दुला के सार्वजनिक वक्तव्यों तथा उनके साथ हुई निजी बातचीत से यह साफ प्रतीत हुआ कि आधारभुत राष्ट्रीय आदर्शो और उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत संघ में इस राज्य का विलयन अंतिम और अपरिवर्तनिय है । उनकी मुख्य चिंता अगस्त 1953 के बाद हुए कानूनी तथा संवैधानिक परिवर्तनों के संबंध में थी ।

यह निश्चय किया गया कि मिर्जा अफजल बेग, जो इस काम के लिए शेख अब्दुला की तरफ से मनोनीत किए गए थे, और श्री जी० पार्थसारथी, जिनको मैंने यह काम सौंपा, इन परिवर्तनों की गहराई से जांच करने के बाद उपयुक्त सिफारिशें करें। व्यापक विचार-विमर्श के बाद बहुत से मुद्दोंपर उनका समझौता हो गया, जिन्हें सहमत निष्कर्ष में शामिल कर लिया गया है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । ये निष्कर्ष राजनीतिक स्तर पर आगे विचार-विमर्श के विषय बने, जिसमें शेख अब्दुल्ला, राज्य के मुख्य मंत्री सैयद मीर कासिम और सरदार स्वर्णसिंह ने भाग लिया ।

इनके परिणाम स्वरुप एक समझौता हुआ है, जो कि मेरे और शेख अब्दुला के बीच हुए पत्रव्यवहार में प्रकट है, जिनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है। मैं इस समझौते की कुछ आधारभूत विशेषताओं की चर्चा करुंगी।

ये सहमत निष्कर्ष भारत के संविधान के ढ़ांचे के अन्तर्गत निकले हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य तथा संघ के बीच संवैधानिक संबध जैसे रहे हैं वैसे ही रहेंगे और संविधान की भावी प्रावधानों का राज्य में विस्तार अनुच्छेद 370 में निर्धारित कार्यविधि द्वारा ही संचालित होता रहेगा। भारत संघ और इसकी अंगीभूत इकाइयों के बीच, जिनमें जम्मू और कश्मीर भी एक है, वर्तमान संबंध कमजोर नहीं होंगे। भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर संदेह करने या उसे नष्ट करने अथवा संघ से भारत के किसी भी क्षेत्र को खत्म करने या अलग करने की कार्रवाईयों का सामना करने के केन्द्र का क्षेत्राधिकार भी वैसा ही रहेगा। इस बात पर भी सहमति हो गई है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य के संविधान में कोई भी संशोधन तब तक प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति से इस पर स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाएगी। सहमत निष्कर्षों में राज्य को इस बात का पुन : विश्वास दिलाया गया है कि समवर्ती सूची में कल्याण संबंधी उपायों, सास्कृतिक मामलों सामाजिक सुरक्षा, कार्यविधि संबंधी कानून तथा इस प्रकार के मामलों पर 1953 के बाद बने किसी केन्द्रीय कानून में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य सरकार यदि करती है तो इस विधेयक पर स्वीकृति देने में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

मिर्जा अफजल बेग ने यह प्रस्ताव रखा था कि राज्य के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कम कर दिया जाना चाहिए। इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि याचिकाओं, अपीलों और दूसरे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक और अपील का अधिकारक्षेत्र बना रहे। लेकिन अनुषंगिक पत्रों द्वारा (जिनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।) इस बात पर सहमति हो गई थी कि अनुच्छेद 132(2) का प्रावधान, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण-पत्र अस्वीकार किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय को विशेष इजाजत देने का अधिकार निहीत है, राज्य पर लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई तभी की जाएगी जबकि राज्य सरकार इन संबंध में कोई प्रस्ताव रखेगी।

माननीय सदस्य गण देखेंगे कि गवर्नर और चीफ्मिनिस्टर के पदनामों का प्रश्न तय नहीं हो पाया है। यह एक ऐसा मामला है जिसकी व्यवस्था राज्य के संविधान में है जो इस समय 'गवर्नर' और 'चीफ् मिनिस्टर' पदनामों का प्रयोग कर रहा है। इन पदनामों में परिवर्तन राज्य के विधान मंडल द्वारा राज्य के संविधान में संशोधन करने के बाद ही किया जा सकता है। जहां तक चीफ मिनिस्टर का सवाल है अगर जम्मू और काश्मिर राज्य का विधान मंडल अपने संविधान में तदनुरुप संशोधन करले तो राज्य में वज़ीरे आज़म पदनाम स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबतक यह नहीं हो जाता वर्तमान पदनाम ही चलता रहेगा।

शेख अब्दुल्ला इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि शुरु में राज्य और केन्द्र का संवैधानिक संबंध वही होना चाहिए जो 1953 में था जब वे सत्तारुढ़ थे। उन्हें यह समझा दिया गया था कि काल-चक्र की गति को उलटा नहीं किया जा सकता। मिर्जा अफ़जल बेग ने इस बात पर जोर दिया था कि आधारभूत अधिकार से संबंध प्रावधान राज्य के संविधान को हस्तांतरित कर दिए जायें, चुनावों पर भारत के निर्वाचन आयोग का अधीक्षण और नियंत्रक हटाकर उसे राज्य विधान मंडल को सौंप दिया जाए, और अनुच्छेद 356 को इस तरह संशोधित किया जाए कि राज्य मे राष्ट्रपति कानून लागू करने से पूर्व राज्य सरकार की सहमति अपेक्षित हो। इनमें से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नही था। इस बात के लिए मैं शेख अब्दुला की सराहना करती हूं कि इन मसलों पर अपनी दृढ धारणाओं के बावजूद उन्होंने सहमत निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है।

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

यह जो समझौता हुआ है उस ने और शेख साहेब तथा उनके अनुयायीयों के साथ राजनैतिक सहयोग के प्रति अपनाए गये दृष्टिकोण से राज्य सरकार सहमत है और यह मानती है कि यह राज्य और देश के हित में है ।

माननीय सदस्यों ने मिर्जा अफजल बेग का 6 फरवरी 1975 का इस आशय का वक्तव्य देखा होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में "प्लेबिसाईट" बेमानी हो गया है और प्लेबिसाईट फ्रण्ट का नाम और उसके उद्देश्य भी तदनुसार बदलने होंगे । हमें यह सूचना दी गई है कि इस पार्टी की कार्यकारणी की हाल की बैठक में इस वक्तव्य का अनुमोदन किया गया है और मिर्जा अफजल बेग को इस संबंध में आगे कि आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उक्त मोर्चे की जनरल बाडी की बैठक बुलाने का काम सौंपा गया है ।

जैसा कि इस पत्रव्यवहार से पता चलता है, शेख अबदुल्लाने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जम्मू और कश्मिरका भविष्य भारत के साथ साथ जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद के आदर्शों में आस्था रखन वाले व्यक्ति के रुप में वे इस राज्य और संघ के बीच संबंध और मजबूत करने के उद्देश्य से अपना सहयोग देने के लिये अपना हाथ बढ़ाया है । हमें पूरा विश्वास है कि वे इस राष्ट्र को मजबूत करने तथा इसके आदर्शों को बनाए रखने में अपना विशिष्ट योगदान देगे ।

यह समझौता पूरी तरह हमारा एक आंतरिक मामला है । समझौते की इस भावना के साथ राजनीतिक समस्याओं का संतोषजनक समाधान खोजने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है । शेख अबदुल्ला के साथ मत-भेदों को जिस प्रकार दूर किया गया है वह हमारे लोकतंत्र की क्रियाशीलता की जीवंतता का परिचायक है । मैं सच्चे हृदय से आशा करती हूं कि इस समझौते से जम्मू और कश्मीर राज्य के उन लोगों के साथ समझबूझ और सहयोग का एक नया युग आरंभ होगा जो पिछले दो दशाब्द में राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ नहीं चल सके हैं । इस से राज्य और शेष भारत के लोगों के बीच हित और आदर्शों की समानता भी सुस्पष्ट हो जाएगी और हमारी राष्ट्र के प्रगतिपथ में यह सदैव एक महत्वपूर्ण घटना समझी जाएगी ।

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखती हूं —

(1) मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और श्री जी० पार्थसारथी के बीच 13 नवम्बर, 1974 को किये गये सम्मत निर्णय ।

(2) प्रधान मंत्री के नाम शेख मोहम्मद अबदुला का दिनांक 11 फरवरी, 1975 का पत्र ।

(3) प्रधान मंत्री का शेख मोहम्मद अबदुल्ला को दिनांक 12 फरवरी, 1975 का पत्र ।

(4) मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और जी० पार्थसारथी के बीच आदान-प्रदान किये गये दिनांक 13 नवम्बर, 1974 के सम्बन्धित पत्र ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8966/75]

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior): Sir, my submission is that the documents laid on the Table should be circulated among Members. Secondly, I want a clarification from the Prime Minister (*Interruption*). Discussion would be there separately.

According to Mirza Afzal Beg, the Cental Government have agree to make Art. 370 permanent whereas according to the late Shri Nehru it will die it own death by and by. So whether Shri Beg's contention is right?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : पहले वह ये दस्तावेज पढ़ ले । ये बातें बाद की हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगी ?... (**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : Sir, I want another clarification from the Prime Minister (*Interruption*).....

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रधान मंत्री या किसी मंत्री के वक्तव्य के बाद परिपाटी के अनुसार कोई किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाती । फिर आप किस नियम के अधीन यह अनुमति दे रहे हैं ?

श्री के० रघुरामैया : ये दस्तावेज सदस्यों में बांट दिए जायें और सदस्यगण इसे पढ़ लें जिसके बाद सरकार स्वयं प्रस्ताव भी कर इस पर चर्चा कराएगी ।

सभापति महोदय : सामान्यत: वक्तव्य के बाद प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती परन्तु इसबार दो सदस्य कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे । उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए ताकि सरकार को पता चला जाय कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ।

श्री के० रघुरामैया : यह प्रक्रिया अनियमित है ... (**व्यवधान**) आप दो सदस्यों के बीच अन्तर कैसे कर सकते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, it is not an agreement, it is surrender. Are you going to be pressurised by the ruling Party into denying us the opportunity to ask question?

श्री के० रघुरामैया : हो सकता है कि जो सदस्य इस समय प्रश्न पूछना चाहते हैं उनका उत्तर उन्हें इन दस्तावेजों में ही मिल जाये । अत: पहले वे इसे पढ़ लें ... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री वाजपेयी के दो सुझाव थे । एक तो यह कि दस्तावेज वितरित किए जायें और दूसरे वह कुछ पूछना चाहते थे । इसपर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शायद उन प्रश्नों का उत्तर इसे पढ़कर ही मिल जायें । अत: आप पहले इसे पढ़ लें और बाद में यदि आवश्यक हुआ तो प्रश्न पूछें ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यदि आप ने पहले ही स्वत: इसकी अनुमति न दी होती तो बात और थी परन्तु अब तो यह हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहली तो यह कि जब अध्यक्ष-पीठ किसी सदस्य का अनुरोध मान कर उसे प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुकी हो तो क्या सरकार के हस्तक्षेप करने पर उसे बदला जा सकता है ? दूसरे, सरकार को यह विचार करना होगा कि क्या ऐसा प्रश्न, जो भी श्री वाजपेयी ने पूछा है, बिना उत्तर के ही रहेगा ? यदि ऐसा हुआ तो इस समझौते के प्रति देश में संदेह किया जाएगा ।

सभापति महोदय : श्री वाजपेयी को अनुमति देते समय मैंने दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी थी । अब भी सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के अधिकार को तो नहीं छीना जा रहा है ?

श्री पिलू मोदी : प्रश्न तो संसदीय प्रक्रिया का है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्होंने तो इसे पढ़ ही लिया है, अत: प्रश्नों के उत्तर में संगत पृष्ठों का हवाला दे सकते हैं ... (**व्यवधान**)

श्रीमती इंदिरा गांधी : शायद मेरे सहयोगी के अनुरोध का सदस्यों ने गलत अर्थ लगाया है । वह तो यह कह रहे थे कि यदि इन दो सदस्यों को अवसर दिया गया तो अन्य भी प्रश्न पूछना चाहेंगे ... (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee : The ruling Par.y is trying to hustle you with changing your ruling.

सभापति महोदय : यदि आप को प्रश्न पूछने दिया गया तो अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने से रोका नहीं जा सकता ।

श्री आर० एस० पांडे (राजनन्दगांव) : आपके द्वारा दो सदस्यों के प्रश्न पूछने की अनुमति दिए जाने के तुरन्त बाद आपका ध्यान नियम 372 की ओर दिलाया गया था जिसके अनुसार वक्तव्य के बाद प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरा निवेदन यही है कि जब आपने श्री वाजपेयी को प्रश्न पूछने की अनुमति दे ही दी है तो आप उसका उत्तर दिलवाएं चाहे वह कितना ही संक्षिप्त क्यों न हो ।

सभापति महोदय : यदि मैं श्री जनेश्वर मिश्र को अनुमति दूं तो दूसरों को भी देनी होगी । अतः मैं नहीं ऐसा करूंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्रा : सभी विपक्षी दलों की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि और कोई विपक्षी सदस्य प्रश्न नहीं पूछेगा ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : यदि सभा सहमत हो कि केवल दो प्रश्न पूछे जाएंगे और इसे पूर्व-उदाहरण के रुप में नहीं लिया जाएगा तो इसके लिए हम सहमत हैं ।

सभापति महोदय : यदि कांग्रेस और विपक्षी दोनों ओर के सदस्य सहमत हों कि और प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो मैं अनुमति दे सकता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): I want to know: (a) what is Government's attitude towards the powers given to Sheikh Abdullah whereby he had declared in Banglore that India, Bangla Desh and Pakistan would form a Confederation; and

(2) What is Prime Minister's opinion about the Shikh's assurance of assistance to JP if he fights for democratic values after he went to him to seeks his blessings?

Shrimati Indira Gandhi : We shall have discussion with him about his views after he becomes the Chief Minister. I think we need not discuss what people say and what is reported in the press.

Shri Janeshwar Misra : What about his assurance to JP?

Shrimati Indira Gandhi : My reply pertained to both the parts of his question.

जहां तक अनुच्छेद 370 का संबंध है, आप जानते हैं कि केवल जम्मू-कश्मीर राज्य में ही पृथक संविधान सभा संविधान की रचना और केन्द्र के क्षेत्राधिकार के लिए बनी थी और इसी अनुच्छेद के खण्ड (3) के अधीन इसमें संशोधन या इसे हटाने का अधिकार उसी राज्य को है । 1950 में क्योंकि उक्त संविधान सभा का निर्णय प्राप्त नहीं हो सकता था, इस लिए इसे अस्थायी कहा गया और क्योंकि 1956 में उक्त सभा ने इस अनुच्छेद को, बिना संशोधन या इसे हटाये, बनाए रखने के लिए कहा अतः यह 1956 से संविधान का स्थायी अंग बन गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is very strange. Now there would come nation-wide susggestion about Centre's relations with J. & K. This is surrender not an agreement and will read to disintegration (*Interruption*) : The document quoted by the Prime Minister should be laid on the Table.

सभापति महोदय : इसे वाद-विवाद न बनाइये । इसपर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय बात की जा सकती है । अब हम अभिभाषण पर चर्चा पुनः आरंभ करेंगे ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री पी० के० देव (कलाहांडी) : मैं बोलंगीर के एक पत्रकार और "भालोद" के नेता की हत्या की बात कर रहा था । इलाके के बड़े बड़े लोग गिरफ्तार किए गए थे परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन होने पर उन्हें छोड दिया गया क्योंकि दो मास तक आरोप पत्र ही तैयार नहीं हो सका । अब वही लोग गवाहों को धमका रहे हैं ।

अभी पीछे ही इन्दिरा ब्रिगेड द्वारा जयप्रकाश जी के शान्तिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई गई थीं ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चुनाओं में काले धन और विदेशी पूंजी का कोई जिक्र नहीं किया है जिनसे चुनाव मज़ाक बनकर रह गए हैं । उन्हें कहना चाहिए था कि सभी दलों को अपने आय-व्यय के वार्षिक लेखे प्रकाशित करने चाहियें । इससे बड़े-बड़े व्यापारियों के पक्षपातपूर्ण रवैये और धन-शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सकेगा ।

यद्यपि लोकपाल और लोक आयुक्तों की व्यवस्था करने का विधेयक सभा में 1971 में पेश किया गया था, परन्तु अभी तक इसे पास नहीं किया गया है । इन प्राधिकारियों की आज बहुत आवश्यकता है ।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक सिंचाई और पन बिजली परियोजनाएं स्थगित पड़ी हैं क्योंकि अन्तर-राज्यीय जलविवाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय किए जाने तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है। अपर इन्दिरावती और नर्मदा परियोजनाओं को तुरन्त मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि देश में अन्न और बिजली की कमी को दूर किया जा सके।

देश में आपात स्थिति समाप्त करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है । 1971 में पाक-आक्रमण के समय यह लागू की गई थी परन्तु अब तो स्थिति सामान्य हो गई है । अतः इसकी कतई आवश्यकता नहीं है । बल्कि दूसरी ओर भारत रक्षा नियमों और 'मीसा' आदि नियम बनाकर इनका दुरुपयोग हो रहा है ।

अभिभाषण से यह भी स्पष्ट है कि सरकार तानाशाही अधिकार प्राप्त करने जा रही है क्योंकि बंगला देश के शेख मुजीब रहमान को जिन्होंने राष्ट्रपति बन कर सभी अधिकार हथिया लिए हैं, बधाई दी गई है ।

देश की विदेश नीति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति जी ने केवल सोवियत संघ का ही जिक्र किया है । गुट-निरपेक्षता तो उस देश के साथ विशेष संबंध बनाए रखने का बहाना मात्र है । हमारे मित्रता संबंध सभी बड़े राष्ट्रों से समान रूप से होने चाहियें और हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए । इसी कारण हमारे पड़ौसी, नेपाल और श्रीलंका का झुकाव चीन की ओर है और दक्षिण एशिया में परस्पर संदेह, तनाव और शस्त्र-स्पर्धा का वातावरण है ।

एक ओर तो दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का समर्थन करने को कहा गया है जबकि दूसरी ओर हम पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र सप्लाई की निन्दा करते

श्री पी० के० देव

हैं । उक्त क्रान्तिकारी सरकार हमारे नागालैंड की राष्ट्रीय परिषद की तरह की ही है जो चीनी सैनिक सहायता प्राप्त करने के बाद अपने को नागालैंड की संघीय सरकार कहती है । यह संगत और उचित नहीं है, अतः मेरे विचार में इस अभिभाषण से हमारी आकांक्षाओं पर कुठाराघात हुआ है और इसलिए इसे पूर्णतया अस्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री पी० आर शिनाय (उदीमी) : मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

राष्ट्रपति जी ने मूल्यों में वृद्धि का उल्लेख कर के जनता की कठिनाइयों के प्रति चिन्ता व्यक्त की है । जब सरकार अकाल, सूखे और तूफानों जैसी दैवी विपत्तियों का मुकाबला करने के प्रयास कर ही रही थी कि तेल-संकट की समस्या भी आ पड़ी । इसके साथ अधिक मांग और कम उत्पादन से संकट और बढ़ा । इन सब के परिणामस्वरूप मूल्य बढ़े हैं परन्तु सरकार ने खर्च पर अंकुश लगा कर इन्हें रोकने के उपाय किए हैं जिनके फलस्वरूप कीमतें कुछ हद तक काबू में आई हैं और आवश्यक वस्तुओं की कमी भी कुछ घट गई है । परन्तु चावल के मूल्य देश-भर में बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर सरकार को गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिये ।

यह ठीक है कि मुद्रा स्थिति विश्वभर में हुई है । परन्तु मध्यम और गरीब वर्ग पर जितना बुरा प्रभाव इस देश में पड़ा है, कहीं और देखने में नहीं आया । क्योंकि इन्हीं लोगों ने सबसे अधिक हानि उठाई है अतः सरकार को अपनी योजनाओं में इन्हीं लोगों को राहत देने के प्रयास करने चाहिये ।

इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को देश में उचित प्रोत्साहन न मिलने के कारण, वे देश से भाग रहे हैं । सरकार को चाहिये कि कम से कम ऐसे लोगों को बाहर जाने से रोके और वह इसलिए कोई ठोस योजना बनाए ताकि वे देश के विकास का कार्य करें ।

राष्ट्रपति जी ने भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के इसी वर्ष पारित होने की आशा व्यक्त की है परन्तु मैं चाहता हूं कि यह विधेयक इसी सत्र में पास हो जाये ।

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार नगरीय सम्पत्ति परिसीमन जैसे उपायों से ही रोका जा सकता है । उन्होंने कुछ अन्य आर्थिक उपायों का भी उल्लेख किया है जो इस वर्ष किए जाएंगे ।

14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात निदेशक सिद्धान्तों में शामिल है परन्तु संविधान के लागू होने के 25 वर्ष बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है । आशा है सरकार इसे लागू करेगी । माध्यमिक शिक्षा भी देशभर में निःशुल्क होनी चाहिये ।

कुछ गैर-सरकारी कालेजों के प्रबन्धक पर्याप्त अनुदान न मिलने के कारण अपने कालेज नहीं चला पा रहे हैं, अतः उन्हें अनुचित तरीकों से छात्रों से अनुदान लेने पड़ते हैं । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि वे न तो ऐसे हथकंडे अपनाएं और न हीं उन्हें अनुदान की कमी रहे ।

बेकारी दूर करने का सब से अच्छा तरीका स्वनियोजन है । लाखों पढ़े-लिखे बेकार रोजगार पा जाए यदि उन्हें लघु उद्योग राशन की दुकाने और होटल, चायखाने आदि खोलने का प्रोत्साहन दिया जाए । इसलिए उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा निगम से सहायता दिलाई जानी चाहिये ।

सरकार को सभी नदी-जल विवाद निपटाने के लिए वर्तमान अधिनियम में संशोधन करना चाहिये ।

कर्नाटक की काली नदी योजना धनाभाव में पूरी नहीं हो रही है । सरकार को देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने हेतु, इसे पूरा करने के लिए काफ़ी धन देना चाहिये ।

केरल के कन्नड़-भाषी कासरगोड़ तालुक में सरकारी कर्मचारियों को मल्यालम की कठिन परीक्षाएं पास करने के लिए बाध्य किया जाता है । सरकार को हस्तक्षेप करके उनकी यह कठिनाई दूर करने के लिए केरल सरकार से कहना चाहिये और उन भाषाई अल्पसंख्याकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये ।

Shri Shri Nath Singh (Jhunjhunu): Sir, I rise to support the Motion of Thanks on President's Address. I am glad to note that despite many challenges, the people and the leadership have bravely faced them.

[डा० हैनरी आसिटन पीठासीन हुए
Dr. Henry Austen in the Chair]

It is really very creditable on the part of Government to have taken such steps, as a result of which the price trend has turned downward whereas no where in the world such phenomenon is witnessed.

Today's problem have been created by some oppostion parties and our economic policy which is not so sound. We have not so far been able to formulate a set policy in regard to agriculture and industries both vital for our progress.

Though Public Sector has turned a corner, yet we expect better performance for which much improvement in their management is called for. We have to strengthen the Public Sector and put curbs on the Private Sector in the present circumstances because we have seen that only those countries suffered inflation most where the economic set-up was capitalistic. There has been only marginal effect of inflation in Socialist Countries. We therefore, have to chose between the two systems.

Secondly, I would like to submit that although there has been considerable progress in the field of agriculture but still there are a number of problems which are obstructing agricultural production. The President has struck an optimistic note in regard to agriculture sector. He has referred to the expected good rabi crop. We will have to ensure that our increased agricultural production is made available to the consumers through the public distribution system. The cultivators should get proper price for their produce and the consumers should get their requirements met at reasonable price. This will be possible only if we strengthen our distribution system. The middlemen should be done away with.

Last year, the problems had reached their climax. Black money, hoarding, inflation and smuggling, were going on. Government took some welcome steps to check smuggling. The people are now feeling that there is slackening in the efforts of Government to check smuggling. The Government should pay attention to this matter. We took certain steps to check hoarding. Efforts have also been made to check tax-evasion. The Government should see that these steps are taken effectively.

Agriculture in our country is facing a number of problems. Farmers do not get electricity and water. The Central Government should pass a legislation in this session that both power and water resources in our country will be properly of the entire nation and will be under the control of the Central Government. The inter-state river water disputes should be settled. An all India power grid should also be created. Today some states are getting adequate electricity whereas some States are facing a lot of difficulties for want of pawer The Government should see that all states get adequate power supply.

[Shri Shiv Nath Singh]

We were expecting that our relations with U.S.A. will improve, but the U.S. decision to supply arms to Pakistan has dashed our hopes and I fear it will have an adverse effect on our relations. Government should try to tackle the situation in such a way that our relations with U.S.A. do not deteriorate. The balance of power should not be disturbed.

There are some other problems also. The rivalary is going on in the matter of setting up naval basis. This is a very serious matter. The Government should try to solve this matter.

There are abundant Coal deposits in our country. But unfortunately there are many areas which are not getting coal. Many trains are being cancelled due to shortage of coal. Steps should be taken to exploit them so that there is no coal shortage in the country.

Government have taken appreciable steps in the field of oil. It is hoped that the country will become self-sufficient in oil in the next four or five years. It is a great achievement.

Lastly, I want to draw the attention of the Government towards agricultural sector, backward states and desert areas. Cattle breeding and diary farming should be encouraged in such areas so that they may be developed.

श्री सैयद अहमद आगा (बारा मुला) : शेख अब्दुल्ला के साथ हुए समझौते से 22 वर्ष पुराना वैमनस्य समाप्त हो जायेगा । शेख अब्दुल्ला ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था । वह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद के साथी रहे हैं । उनका व्यक्तित्व आकर्षक है और वह एक योग्य व्यक्ति हैं । शेख अब्दुल्ला देश की एकता तथा अखंडता को मजबूत बनाना अपना कर्तव्य समझते हैं और उन्होंने इस दिशा में काफ़ी प्रयास भी किया । काशमीर में भूमि सुधार के लिए कार्यवाही करने में उन्होंने पहले की ।

इस समझौते पर आरम्भ में पंडित जी ने पहल की थी किन्तु उनका स्वर्गवास हो गया और शेख अब्दुला कुछ समय तक प्रभावहीन से हो गए । अब इंदिरा जी ने शेख अब्दुला को देश का भार उठाने में योगदान करने के लिए पुनः बुलाया है ।

अब शेख अब्दुला देश की समस्याओं को हल करने की दिशा में देश के साथ अ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ।

इस समझौते से पाकिस्तान में खलबली मच गई है । श्री भुट्टो ने हड़ताल का अहवान दिया है । जनसंघ ने भी जम्मू में हड़ताल की बात की है ।

अमरीका ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगी रोक को हटा दिया है। अमरीका नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में सुधार हो । वे नहीं चाहते कि शिमला समझौते को कार्यान्वित किया जाये । यही कारण है कि श्री फोर्ड ने पाकिस्तान की हथियारों की सप्लाई करना स्वीकार किया है । यद्यपि डा० किसिंजर ने यहां आश्वासन दिया था कि अमरीका नहीं चाहता की यहां हथियारों की होड़ हो तथापि उन्होंने उस आश्वासन को पूरा नहीं किया । अमरीका हमसे खुश नहीं हैं क्योंकि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है । हमने हमेशा अरबों का समर्थन किया है । हमने बंगला देश के शरणार्थियों को शरण दी । हमने पाकिस्तान को पराजित किया जिसको अमरीका द्वारा हथियार दिए गए थे ।

अमरीका का कहना है कि वह पाकिस्तान को हथियार इसलिए दे रहा है क्योंकि वह शक्ति संतुलन चाहता है । वास्तविकता तो यह है कि अमरीका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बना रहे और भारत में तोड़ फोड़ की गतिविधियां निरंतर चलती रहें । इसके लिए श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया है । यह सब कुछ भारत सरकार को कमजोर बनाने के लिए किया जा रहा है ।

अमरीका इतने से ही संतुष्ट नहीं है । डियागो गार्सिया में उसने बड़ी संख्या में सैनिक भेज दिए हैं ।

अमरीका इस उप महाद्वीप में शांति का इच्छुक नही है ।

हर्ष की बात है कि अमरीका ने जनेवा सम्मेलन बुलाना स्वीकार कर लिया है । फिर भी अमरीका के इरादे कुछ ऐसे हैं जिनके प्रति हमें सतर्क रहना होगा ।

हमें सोवियत संघ के सहयोग से आधुनिकतम हथियार बनाने हैं । हमारा तटीय क्षेत्र 3000 मील लम्बा है ।

Shrimati T. Lakshmi Kanthamma (Khammam) : Sir, this is the International Women's year. I submit that by the end of this year there should be a welcome change in our country in the attitude towards women. The discrimination by men against women should be done away with. Unfortunately there is no mention of it in President's Address. Women should be treated at par with men in all spheres. Much has to be done for the upliftment of women in our country.

There should not be any difficulty in amending the laws to remove inequalities in the rights of men and women.

In socialist countries some efforts have been made in this regard. In our Country in some fields the condition of women is miserable.

सभापति महोदय : अब 5.30 बज चुके हैं । आप अपना भाषण कल जारी रख सकती हैं ।

Shrimati T. Lakshmi Kanthamma : Sir, I request to you to allot me more time.

सभापति महोदय : कल देखेंगे ।

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN HOUK DISCUSSION

पालिस्टर फाइबर के आयात लाइसेंस जारी करना

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे । श्री मधु लिमये ।

Shri Madhu Limaye (Banka): The hon. Minister in reply to my unstarred question on 6th December 1974 had given an assurance that information is being collected about those to whom import licences has been issued, but the Minister has not taken the House in to confidence so far in regard to that matter even after two and a half months.

In my letter to the President on the 6th April, 1974, I had written that there has been bungling in the Ministry of Foreign Trade on a very large scale and it requires an impartial probe. It has also been alleged therein that a firm named M/s. Sant Prakash Bhagwan Das was allowed to import nylon, filament yarn and thread and polyester fibre despite the strong opposition by the Chief Controller and the Reserve Bank. The Minister had said in his reply that M/s. Sant Prakash Bhagwan Das's application has been twice rejected and it was ultimately decided at the level of the then Foreign Trade Minister on the 12th January, 1971 that the firm be allowed to import nylon and filament yarn and thread. But the Minister has not replied to my question whether the decision to issue import licence to this firm is not taken despite the opposition expressed by the Reserve Bank and the Chief Controller and also in violation of the policy then in force. It is significant that no action has been taken in regard to it for months together despite the letter addressed to the President. We have submitted three memoranda to the President in regard to the Foreign Trade Minister but no action was taken thereon. I would like to know why action is not taken by

[Shri Madhu Limaye]

the president and secondly, the value of nylon yarn that was later on converted into Polyester fibre. In that conversion of imported nylon yarn and thread into polyester fibre in accordance with the rules? The Minister should reply whether this conversion is not in violation of the rules and is it not allowed because the polyester fibre earned huge profit in the market. Has that conversion been allowed according to the red book?

As regards enforcement; the Minister has replied that a penalty of Rs. 15 lakhs has been imposed on the party. I would like to know whether it has been realised and if so, when and if it has not so far been realised, the reasons therefor. Why Government is not prepared for probe into all the cases of bungling in the issue of import licences since 1970. In reply to one of my questions, it has been admitted that C.B.I. found then guilty of the offence of cheating. Has any criminal case been instituted against this firm for the offence of cheating?

Now the people of the Country are gradually lictruring up all these things. I want to know why Government is conceiling it? If Government is honest and licences have been issued strictly in accordance with the rules, why they are hesitant to face or probe into all the cases of issue of import licences since 1970? It has been admitted by the Minister that C.B.I. found the firm guilty of the allegations of cheating, so I want to know why any criminal case has not been instituted against the firm.

It is evident that serious irregularities have been committed in regard to import of polyester fibre. I want that the Minister should furnish all the information about those firms and individuals who imported polyester fibre.

Shri Jyotirmoy Basu (Diamond Harbour) : The Guru of Prime Minister is involved in this case.

सभापति महोदय : बसुजी, आधे घण्टे की चर्चा के दौरान केवल वही सदस्य चर्चा में भाग ले सकते है जिनका नाम सूची में दो ... नियम के अनुसार ...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे वाणिज्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि "मेसर्स संत प्रकाश भगवान दास को पालिस्टर फाइबर के आयात लाइसेंस जारी करने के बारे में जानकारी अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध करवा दी गई है । यदि वह यह जानकारी आपको उपलब्ध करवा दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी"।

मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखा है परन्तु मुझे कोई उत्तर अभी तक नहीं मिला है ।

सभापति महोदय : इस समय जब आधे घण्टे की चर्चा हो रही है तो इस सन्दर्भ में इन बातों को उठाना उचित नहीं है । प्रथा यह है कि जिन सदस्यों के नाम बैलट सूची में होते हैं, वह सभी चर्चा के बाद मंत्री महोदय से अपने प्रश्न पूछते है तथा चर्चा के अन्त में उनका उत्तर दिया जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बात सुनने में आ रही है कि पटसन के इजारेदारों से दो करोड रुपये की धनराशि एकत्रित करने के लिए मंत्री महोदय को चुना गया है ।

Shri Madhu Limaye : I am only interested that all my questions should be answered.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि जब इस फर्म को मंजुरी पत्र जारी किया गया तो उस समय या उससे कुछ समय पूर्व तक फर्म की ओर 15 लाख रुपये की धनराशि, प्रवर्तन विभाग द्वारा किये गये जुर्माने के रूप में बकाया थी ? दूसरे क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस फर्म ने कितनी बार सरकार को अभ्यावेदन दिया तथा कितनी बार वह अभ्यावेदन अस्वीकार किया गया तथा किन कारणों पर अस्विकार किया गया।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The Country is still discussing Pondecherry Licence Scandal case, but the licence scande of M/s. Sant Parkash Bhagwandas, which the House is going to discuss, will supersede the previous case so far as malpractices and irregularities are concerned. The firm which was de-registered in 1967 was awarded import licence in 1971.

May I know, if it is a fact that the import of nylon yarn and polyester fibre comes within the purview of S.T.C. but as an exception this firm was given clearance certificate for import? It has been claimed by the firm that their exchange worth Rs. 18 crores has been accumulated in Afghanistan and the licence was asked for the clearance of accumulated money. So while issuing Custom clearance Permit the Reserve Bank did not wait for proper report in this regard and licence was issued to the firm. Is it also a fact that while issuing the licence, the firm was asked to issue the material to actual users, but as a matter of fact, material was sold out in the open market? How the firm has stated that they were asked to sell the material in the open market after discussing the issue with the Minister? Why this concession was given to this particular firm?

I support the demand tnat all the import licences issued during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 should be looked into by a Commission or a Parliamentary Committee. An import licence worth Rs. 40 lakhs was issued to a firm of Kanpur on 26th January 1971, the Republic Day when, the entire Central Secretariat and all Government offices remain closed. Now it is appearing in many news magazines that the late Shri L.N. Mishra was a very big Fund Raiser, and even the persons like Shri Uma Shankar Dikshit used to go to him for getting funds. So, may I know whether he used to raise funds through issue of licences by foul means? May I know what is the result of the enquiry which is going on?

श्री एस० ए० पुरुगनन्तम (तिरुनेलवल्ली) : क्या यह सच है कि बम्बई की फर्म, मेसर्ज संतप्रकाश भगवानदास को, जिसका नाम काली सूची में था, सिंगापुर से पालियस्टर फाइबर का आयात करने का लाइसेंस जारी किया गया जिसे फर्म ने बाद में बेच दिया ? क्या सरकार द्वारा इस कदाचार की कोई जांच की है ? क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या 352 के (ग) से (घ) भागों के सन्दर्भ में यह बतायेगी कि क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ? वर्ष 1973-74 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुल कितना पालिस्टर फाइबर आयात किया गया और उसी समय के दौरान कुल कितने मंजूरी-पत्र जारी किये गये ?

श्री सेझियान (कुम्बकोनम) : जैसा कि श्री मधु लिमये तथा अन्य सदस्यों ने पूछा है: क्या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किया गया जुर्माना वसूल कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ? 12 जनवरी 1971 को जो मूल लाइसेंस जारी किया गया था वह नायलोन यार्न के लिए था तथा 3 मार्च 1971 को इसमें पालियस्टर फाइबर को भी जोड़ दिया गया । क्या 12 जनवरी 1971 और 3 मार्च 1971 के बीच के समय में 'रेडबुक' के नियमों में भी कुछ परिवर्तन किया गया ? इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पांडिचेरी लाइसेंस कांड तथा पालियस्टर फाइबर को केवल उदाहरण मात्र है। सरकार की सम्पूर्ण कार्यवाही द्वारा इस प्रकार के मामलों से भरी हुई है । यह समस्या बहुत ही गंभीर है । अतः इसकी सम्पूर्ण जांच के लिए क्या सरकार संसदीय समिति नियुक्त करने के लिए तैयार है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के इससे सम्बद्ध होने का प्रश्न मैंने उठाया था, उसका क्या हुआ ? वह भी इस काले धंदे में इनके साथ है ।

सभापति महोदय : आप को भलीभांति मालूम है कि नियम 55(2) के अन्तर्गत और कोई सदस्य इस चर्चा में भाग नहीं ले सकता । यदि मैं आपको कुछ कहने की अनुमति दे दूं तो अन्य सदस्यों के साथ न्याय नहीं हो पायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं निराधार आरोपों को बहुत खेदजनक मानता हूं ।

मैं अपने कथन पर दृढ़ हूं कि भ्रष्टाचार का प्रश्न निर्णय लेने के प्रश्न से बिल्कुल पृथक है । धन एकत्र किये जाने के मामले को इस मंत्रालय के साथ जोड़ा जाता है । यदि वे मामले को इस घटिया स्तर पर लेना चाहते हैं तो इससे देश का और इस सदन का हित नहीं होगा । हर वर्ष 2 लाख लाइसेंस दिये जाते हैं । वे उनमें से दो तीन मामले उठाते हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यदि दो लाख लाइसेंस जारी किये जाते है तो 2 1/2 लाख भ्रष्टाचार के मामले अवश्य होते होंगे ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वे केवल दो तीन मामलों को उठा कर पूरी स्थिति को नाटकीय रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं। यह बहुत खेदजनक बात है । मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं ।

जहां तक भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रश्न है हम उसके लिये उनसे अधिक उत्सुक है । लोक सभा सचिवालय के पास एवं माननीय सदस्यों के पास सभी तथ्य तथा आंकड़े हैं । तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये गये हैं। इन तथ्यों तथा आकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में प्रश्न पूछा गया है । इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है और यथा समय इसका उत्तर दिया जायेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का गम्भीर प्रश्न है । उन्होंने कहा है कि वह अनेक तथ्यों के बारे में अपरिचित हैं । यदि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं थी तो उन्होंने वादविवाद कराना स्वीकार ही क्यों किया । मंत्री महोदय तथ्य एकत्र कर लें और इस मामले पर बहस बाद में की जाये । अन्यथा इस चर्चा से कोई लाभ नहीं होगा ।

सभापति महोदय: वह पहले कह चुके हैं कि सभी सम्बन्धित फाइलें लोक सभा सचिवालय के पास हैं और माननीय सदस्य उन्हें देख सकते है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने यह नहीं कहा । मैंने कहा था कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न उठाये है जिनका उत्तर मैं तथ्यों की जांच किये बिना नहीं दे सकता ।

Shri Madhu Limaye : How much time does it take? He should either reply or say that he does not have the information.

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह जानबुझकर जानकारी नहीं दे रहें हैं । यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था ।

सभापति महोदय : श्री मावलंकर के प्रश्न के बारे में नियम 55(5) में कहा गया है :

> "जिस सदस्य ने सूचना दी है वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और संबन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा "

संक्षिप्त उत्तर में विभिन्न मामलों के बारे में विस्तृत ब्यौरे की आशा नहीं की जा सकती

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा प्रश्न उत्तर की संक्षिप्तता के बारे में नहीं है अपितु तथ्यों के बारे में आश्वस्त होने के बारे में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ने 20 दिसम्बर को एक पत्र में बताया था कि पार्टी की विदेशी निधियों के बारे में जानकारी रिजर्व बैंक से मांगी गई है । अब उन्हें सभा को जानकारी देनी चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह प्रधान मंत्री के साथी लोगों को बचाना चाहते हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह पूछा गया था कि क्या लाइसेंस रिजर्व बैंक एवं आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक के विरोध के बावजूद जारी किये गये थे ? इस बारे में मेरा उत्तर है कि ऐसा नहीं किया गया ।

पौलिएस्टर फाइबर का आयात भारत-अफगानिस्तान व्यापार समझौते के अन्तर्गत नहीं किया गया ।

15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने अपिल दायर की है । हमें यह मालूम नही कि क्या अपील का निपटारा हुआ है या नहीं ।

अपील पहले भी दो बार अस्वीकार कर दी गई थी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अपील किस कारण से अस्वीकार कर दी गई थी ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सन्देह था कि उन्होंने विदेशों में धन एकत्र कर लिया है । यदि किसी मामले को अस्वीकार कर दिया गया है तो उसे मंत्री स्तर पर दुबारा लिया जा सकता है । यदि किसी मामले में कभी अन्याय हुआ हो तो ऐसा करना आवश्यक हो जाता है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : पहला अभ्यावेदन किस आधार पर अस्वीकार किया गया तथा दूसरा अभ्यावेदन किस आधार पर अस्वीकार किया गया था ।

सभापति महोदय : नियम के अनुसार केवल एक प्रश्न पूछा जा सकता है तथा उसका संक्षिप्त उत्तर दिया जा सकता है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसपर सन्देह था कि उक्त फर्म का विदेशों में धन जमा है । किसी मामले को जिसे पहले अस्वीकृत किया जा चुका है दुबारा लिये जाने में क्या हानि हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उन्हें फर्म के विदेशों में धन जमा होने पर सन्देह था और यह भारत-अफ़गान व्यापार समझौते में सम्मिलित नहीं किया गया । यह दो कारण थे ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम किसी तथ्य को छिपाना नहीं चाहते । सभी तथ्य रिजर्व बैंक और आयकर विभाग के पास हैं । यदि किसी भी व्यक्ति का दोष हो, चाहे वह मंत्रालय में हो अथवा बाहर दोषी को दण्ड दिया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : None of my two questions have been replied to. Please help me get a reply. I want to know whether a criminal case was filed?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : फर्म के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है परन्तु यह एक भिन्न मामले के बारे में था। फर्म को दोषी पाया गया था। उन्होंने इसके विरुद्ध अपील कर दी है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि जब फर्म से यह पूछा गया कि आयातित माल को वास्तविक प्रयोक्तनामों को क्यों नहीं दिया गया? मैसर्ज संत प्रकाश भगवान दास ने बताया कि निजी बातचीत में मंत्री महोदय ने उनसे कहा था कि वे जिसे चाहे माल बेच सकते है। क्या ऐसी सूचना फर्म सम्बन्धी फाइल में दर्ज है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : : न्यायालय ने फर्म के विरुद्ध एक अन्य मामलों में फर्म को निर्दोष पाया है । सरकार ने न्यायालय में अपील की है ।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

मंत्री महोदय के साथ क्या बातचीत हुई इसका तो मुझे पता नहीं है परन्तु हमने उन्हें "कारण बताओ" नोटिस दिया था कि आयातित माल के वास्तविक प्रयोक्ता कौन थे और जिन को यह माल बेचा गया था ? मैंने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से पता किया है। कुछ वास्तविक प्रयोक्ताओं को माल नहीं मिल पाया । मूल शर्त यह थी कि वे बीस प्रतिशत से अधिक लाभ पर नहीं बेच सकेंगे । परन्तु जांच से यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने इस शर्त का उल्लंघन किया है।

नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती बरती जायेगी ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 25 फरवरी, 1975/6 फाल्गुन, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, February 1975/ *Phlguna* 6, 1896 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०—वि० 4—3 लोक सभा/75—5-6-75—200.